वार्षिक रिपोर्ट
Annual Report
2014-2015

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
(भारत सरकार का उपक्रम)
आपका बैंक

United Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)
The Bank that begins with U

www.unitedbankofindia.com

असाधारण आम बैठक–मार्च 2015

Extra Ordinary General Meeting - March 2015

विषय-सूची

- निदेशक मंडल 2
- मुख्य महाप्रबंधक एवं महाप्रबंधकगण 3-4
- बैंक का संक्षिप्त इतिहास और संकल्प 5
- कार्यनिष्पादन की एक झलक 6-7
- शेयरधारकों को संदेश 8-10
- निदेशकों की रिपोर्ट एवं प्रबंधन विचार-विमर्श और विश्लेषण 11-33
- कंपनी अभिशासन की रिपोर्ट 34-57
- घोषणा 58
- सूचीकरण करार के खण्ड 49V के अनुसार प्रमाणपत्र 59
- कंपनी अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र 60
- स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 61-62
- 31 मार्च, 2015 का तुलन-पत्र 63-65
- अनुसूची 1 - अनुसूची 12 66-75
- 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा 76-77
- अनुसूची 13 – अनुसूची 18 78-108
- 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण 109-110
- बासेल - III मानदंडों के अन्तर्गत पीलर-3 का प्रकटीकरण 111-140

CONTENTS

- Board of Directors 142
- Chief General Manager and General Managers 143-144
- Brief History & Vision Statement of the Bank 145
- Performance at a glance 146-147
- Message to Shareholders 148-150
- Director's Report & Management Discussion and Analysis 151-176
- Corporate Governance Report 177-200
- Declaration 201
- Certificate Pursuant to Clause 49V of the Listing Agreement 202
- Auditors' Certicate on Corporate Governance 203
- Independent Auditors' Report 204-205
- Balance Sheet as on 31st March 2015 206-208
- Schedule 1 - Schedule 12 209-217
- Profit & Loss Account for the year ended 31st March 2015 218-219
- Schedule 13 - Schedule 18 220-250
- Cash Flow Statement for the year ended 31st March 2015 251-252
- Pillar - 3 Disclosure under Basel - III Norms 253-288

निदेशक मंडल

श्री पेटलुरी श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

श्री दीपक नारंग
कार्यपालक निदेशक

श्री संजय आर्य
कार्यपालक निदेशक

श्री ए के डोगरा
भारत सरकार द्वारा नामित

श्रीमती पार्वती वी सुन्दरम
नामिती-भारतीय रिज़र्व बैंक

श्रीमती रेणुका मुट्टो
अंशकालिक गैर-कार्यालयीन निदेशक

श्री प्रत्यूष सिन्हा
शेयरधारक निदेशक

श्री संजीब पति
कामगार कर्मचारी निदेशक

मुख्य महाप्रबंधक

श्री अंबरीष नंद

श्री शशि शेखर मिश्रा

महाप्रबंधकगण

श्री देबाशीष मुखर्जी

श्री नरेश कुमार कपूर

श्री विकास सीताराम खुटवाड

श्री संजय कुमार

श्री बी. के. पटनायक

श्री रथिन दे

श्री मानस धर

मो. अब्दुल वाहिद

श्री उमेश कुमार राय

श्री वी. सुंदरेशन

श्रीमती सुनंदा बसु

कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी एवं निदेशक मंडल के सचिव :

श्री बिक्रमजीत सोम

सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक :

मेसर्स राममूर्ति (एन) एंड कंपनी
मेसर्स पी सी बिन्दल एंड कंपनी
मेसर्स एस पी एम आर एंड एसोसियेट्स
मेसर्स दिनेश मेहता एंड कंपनी

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट :

लिंक इनटाइम प्रा. लि.
सी-13 पन्नालाल सिल्क मिल्स कंपाउंड्स
एल बी एस रोड, भंडुप (प)
मुंबई - 400 078

पंजीकृत कार्यालय का पता :

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
युनाइटेड टावर
11 हेमंत बसु सरणी
कोलकाता - 700 001

वेबसाइट
www.unitedbankofindia.com
ईमेल
investors@unitedbank.co.in

बैंक का संक्षिप्त इतिहास

"बरगद के नन्हें बीज से एक विशाल वटवृक्ष बनता है" युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लिए यह सच है। अविभाजित भारत के तत्कालीन पूर्वी भाग में कोमिल्ला जिला में स्थापित, एक छोटा सा बैंक, कोमिल्ला बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, 1914 में स्थापित किया गया था। यह बिसात इतिहास के साथ बढ़कर 1950 में तीन अन्य बैंकों अर्थात, कोमिल्ला यूनियन बैंक लिमिटेड (1922 में स्थापित), हुगली बैंक लिमिटेड (1932 में स्थापित) और बंगाल सेंट्रल बैंक लिमिटेड (1918 में स्थापित) के विलय के साथ युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में परिणत हुआ। बैंक का मुख्यालय 4, क्लाइव घाट स्ट्रीट, (वर्तमान में एन.सी.दत्त सरणी), कोलकाता-700 001 में था, जोकि बाद में 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता-700 001 के वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हो गया।

19 जुलाई, 1969 को 13 अन्य बैंकों के साथ-साथ इस बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। बाद में कटक बैंक लिमिटेड, तेजपुर औद्योगिक बैंक लिमिटेड, हिन्दुस्तान मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड और नारंग बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड को इस बैंक के साथ विलय कर दिया गया ।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का क्रमश: विकास हुआ है। राष्ट्रीयकरण के समय में 1969 में 174 शाखाओं का नेटवर्क और 259 करोड़ रुपये का व्यवसाय से शुरू करके, बैंक का अब 2000 से अधिक शाखाओं / कार्यालयों के साथ 3.64 करोड़ से अधिक ग्राहक और 1.78 लाख करोड़ का कुल व्यवसाय है। बैंक ने 2010 में ढाका, बांग्लादेश और बाद में यांगून, म्यांमार में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करके अपनी अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति का विस्तार किया है। बैंक का अंतरराष्ट्रीय परिचालन, वैदेशिक बैंकों के साथ 616 से अधिक विदेशी संवाददाता के माध्यम से विस्तार नेटवर्क के द्वारा समर्थित है ।

युनाइटेड संकल्प

हमारा संकल्प व्यावसायिकता, विश्वास एवं पारदर्शिता के वातावरण में, समष्टि अभिशासन और सामाजिक उत्तरदायित्वों के उच्चतम मानकों को अपनाकर, समस्त स्वत्वाधारियों की अपेक्षाओं और अपने कर्मचारियों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और जोखिम प्रबंधन पर समुचित बल देते हुए, हमारे देश के एक, व्यवसाय वृद्धि एवं लाभप्रदता पर केंद्रीभूत, गतिशील, प्रौद्योगिकी उन्नत, ग्राहक हितैषी, प्रगामी, आर्थिक रूप में सुदृढ़, अखिल भारतीय बैंक के रूप में उभरना है।

सारत:, सर्वोत्कृष्टता की प्राप्ति ही, हमारे बैंक का आंतरिक दर्शन और प्रेरणा स्रोत होगा।

कार्यनिष्पादन की एक झलक

- परिचालनगत लाभ में 17.76% की वृद्धि हुई
- पिछले वर्ष के 1,213 करोड़ रुपये की हानि की तुलना में इस वर्ष शुद्ध लाभ 256 करोड़ रुपये हुआ।
- गैर-ब्याज आय में 44.75% की वृद्धि हुई।
- वित्तीय वर्ष 2014-15 में बैंक की आय अनुपात की लागत में सुधार होकर यह 42.70% रहा जो वित्तीय वर्ष 2014 में 45.31% था।
- वित्तीय वर्ष 2013-14 के जमा लागत 7.13% की तुलना में यह इस वर्ष 6.88% हुआ।
- जमा में 10.79% की वृद्धि हुई।
- पूंजी पर्याप्तता 10.57% रहा टीयर-1 में 7.52% रहा।
- कासा कुल जमा का 42.5% था।

कार्यनिष्पादन की एक झलक

राशि करोड़ ₹ में

मानदंड	2012-13	2013-14	2014-15
शाखाओं की संख्या	1929	2001	2004
पूंजी	1174.71	1354.75	839.52
इक्विटी	374.71	554.75	839.52
पी एन सी पी एस	800	800	0
प्रारक्षित एवं अधिशेष	4709.01	3927.91	4988.52
पूंजी पर्याप्तता			
बासेल-II	11.66%	11.46%	11.42%
बासेल-III	9.01%	9.81%	10.57%
सकल लाभ	2050	2061.74	2427.94
शुद्ध लाभ	391.9	-1213.44	255.99
कुल जमा	100651	111510	108818
औसत जमा	87791	106010	105410
प्रतिशत वृद्धि	15.15%	20.75%	-0.57%
सकल अग्रिम	69708	67982	69070
औसत सकल अग्रिम	60962	72208	65920
प्रतिशत वृद्धि	14.09%	18.45%	-8.71%
कुल व्यवसाय	170359	179492	177888
प्रतिशत वृद्धि	11.35%	5.36%	-0.89%
निवेश	33463	44876	46798
प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र अग्रिम	25604	28950	28651
शुद्ध जमा का प्रतिशत / ए एन बी सी	40.09%	40.10%	40.48%
कुल कर्मचारी	15479	16499	15192
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	10.83	10.67	11.51

शेयरधारकों को संदेश

प्रिय शेयरधारकों,

राष्ट्र की सेवा में 65 वर्ष पूरा करने के बाद वर्ष 2014-15 का वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बैंक को बेहद खुशी और गर्व हो रहा है । मुझे यह बतलाने में प्रसन्नता है कि, वर्ष 2014-15 के दौरान, युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था की अत्यधिक चुनौतियों एवं अस्थिरता के बीच अपनी सहनशीलता को प्रदर्शित किया बल्कि समग्र व्यवसाय कार्य-निष्पादन के मामले में राष्ट्रीयकृत बैंकिंग क्षेत्र में स्थिरता और सक्षमता को भी बनाए रखा ।

इसके अलावा, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आपके सतत् समर्थन, हमारे अथक प्रयासों और समर्पण से बैंक के सर्वांगीण कार्यनिष्पादन में सुधार होने के कारण, भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंक पर लगाए गए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के प्रतिबंधों को हटा दिया है।

प्रारंभ में व्यवसाय परिवेश की समीक्षा करना उचित होगा, जिसके माध्यम से आपके बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान परिचालित हुआ है।

आर्थिक वातावरण :

वैश्विक अर्थव्यवस्था: वैश्विक वृद्धि में 2014-15 के दौरान शिथिलता बनी रही । उभरती बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के उतार-चढ़ाव में अपस्फीति जोखिम और मुद्रास्फीतिकारक दबाव की संभावनाएं विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बनी रही। वैश्विक स्तर पर वस्तु की कीमतों में वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान गिरावट जारी रही। वित्तीय बाजारों की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में उतार-चढ़ाव बना रहा । बाहरी मांग की प्रवृत्ति, राजनीतिक अनिश्चितता और घरेलू क्षेत्र की बाध्यताओं के कारण अर्थव्यवस्थाओं में से अधिकांश में मंदी जारी रही ।

भारतीय अर्थव्यवस्था: बीता वर्ष, अर्थव्यवस्था और बैंकिंग उद्योग दोनों के लिए घटनापूर्ण और चुनौतीभरा था। भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी उम्मीदों पर नियंत्रण, इसके मुद्रास्फीति लक्ष्यों की विश्वसनीयता तथा बाद में नीति दर कटौतियों के साथ दर सुलभता चक्र पर नियंत्रण रखने के लिए अपस्फीति की गति पर भारतीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में प्रतिबद्ध रहा। भारतीय रिजर्व बैंक चालू माह में अतिरिक्त चलनिधि को कम करने के लिए लगातार एक दिवसीय परिवर्तनीय ब्याज दर, आरक्षित रेपो निलामी का संचालन किया। चौथे द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण में बैंकिंग प्रणाली के एनडीटीएल के संबंध में 0.75% में 7-दिन और 14-दिन अवधि रेपो के तहत उपलब्ध की जाने वाली चलनिधि और बैंकवार एनडीटीएल 0.25% में एलएएफ के अन्तर्गत एक-दिवसीय चलनिधि हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक ने सीमा निर्धारित की है। चलनिधि को सरल बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने दैनिक आधार पर एक-दिवसीय अवधि रेपो और प्रतिवर्ती रेपो को क्रमशः जारी रखा है। पर्याप्त चलनिधि अवस्था के परिणाम स्वरुप बैंकों ने अपने उधार दर से संबंधित नीतिगत दर में हाल ही में हुए ह्रास को संचारित करने में सक्षम हुए हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षेत्र हेतु वित्तपोषण अवस्था में सुधार हुआ है ।

केंद्रीय बजट में बुनियादी ढांचे में निवेश को बढ़ावा देने और कारोबारी माहौल के सुधार के साथ-साथ घोषित विभिन्न पहलों से उक्त क्षेत्रों में निजी निवेश के लिए आत्मविश्वास पैदा हुआ जिससे मुद्रास्फीति पर अनुकूल दृष्टिकोण के साथ-साथ उपभोक्ताओं को वास्तविक आय में लाभ दिया तथा कॉर्पोरेट के लिए कम इनपुट लागत का फायदा हुआ।

अनिश्चित वातावरण तथा मानसून का आगमन और विस्तार, साथ ही अप्रत्याशित वैश्विक घटनाएं, आधारभूत विकास के अनुमान के लिए दो प्रमुख जोखिम हैं । सामान्य मानसून मानते हुए, एक सहायक नीतिगत माहौल में चक्रीय उछाल की निरंतरता, और किसी प्रकार के प्रमुख संरचनात्मक परिवर्तन या आपूर्ति झटके का न होते हुए, 2014-15 में 7.5% से 30 आधार अंकों की बढ़ोतरी की तुलना में 2015-16 के लिए उत्पादन में 7.8% की वृद्धि के अनुमान के साथ आर्थिक गतिविधि के सभी धीमे संकेतकों को प्रतिबिंबित करने के लिए एक अधोगामी झुकाव जारी रहा। औद्योगिक क्षेत्र और विशेष रुप से, विनिर्माण के क्षेत्र में उत्पादन को सकारात्मक वृद्धि प्रतीत हुई। जहां बुनियादी वस्तुओं के उत्पादन का विस्तार किया गया, वहां पूंजीगत माल का उत्पादन अपेक्षाकृत अस्थिर रहा और निवेश मांग में स्थिरता लाने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की अपेक्षा की गई । दो साल के लिए उपभोक्ता टिकाऊ उत्पादन में बने संकुचन, उच्च आयात के साथ-साथ उपभोक्ता मांग में अंतर्निहित कमजोरी को दर्शाती है। सेवा क्षेत्र से मिश्रित संकेत आ रहे हैं। जबकि राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी का सुझाव है कि वस्तुओं के लिए मांग के संबंध में सेवाओं के लिए उपभोक्ता मांग मजबूत है, और प्रबंधकों की अपनाई गई गतिविधि से नए आदेशों का विस्तार हुआ है, सेवा क्षेत्र की गतिविधियों के विभिन्न आकस्मिक संकेतक अर्थात रेलवे और बंदरगाह यातायात, घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात, अंतर्राष्ट्रीय माल ढुलाई, पर्यटकों के आगमन, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की बिक्री के साथ-साथ बैंक ऋण और जमा वृद्धि भी नियंत्रण में रहा ।

बैंक का कार्यनिष्पादन :

वित्तीय वर्ष 2014-15 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (युबीआई) के लिए समान रूप से चुनौतीपूर्ण था। हमने इन परीक्षण के समय में हमारे व्यापार रणनीतियों को पुनर्परिभाषित दौर के माध्यम से किया है। वित्तीय वर्ष 2015 के दौरान, हमने व्यवसायों को सुव्यवस्थित कर लिया है और पूंजी अनुपात में सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाया है और सबसे महत्वपूर्ण बात को मैं सहर्ष घोषणा करना चाहता हूं कि हमारे बैंक ने मार्च, 2014 को 1213.45 करोड़ रुपए के नुकसान की तुलना में मार्च, 2015 को 255.99 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया है ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्य कार्य-निष्पादन संकेतक:

- आपका बैंक का कुल व्यवसाय 31.03.2015 तक 1,77,888 करोड़ रुपए हुआ।
- उच्च लागत जमा का विस्तार और अपने खुदरा जमा को आक्रामक तरीके से बढ़ावा देने के लिए कुल जमाराशि में 2.41% की नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए 1,08,818 करोड़ रुपए हुई।

- आपका बैंक ने महत्वपूर्ण तरीके से मार्च 2015 को 1,483 करोड़ रुपए की अपनी उच्च लागत अधिमान्य दर जमाराशि का विस्तार किया, मार्च, 2014 को यह राशि 7,975 करोड़ रुपए थी ।
- कुल जमा में कासा की हिस्सेदारी मार्च 2014 को 36.98% की तुलना में मार्च 2015 के अंत तक 42.05% सुधार हुआ।
- भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिबंध समेत बैंकिंग क्षेत्र में शिथिल ऋण वृद्धि के साथ कुल अग्रिम में 1.60% की मामूली वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च 2015 के अंत तक कुल अग्रिम 69,070 करोड़ रुपए हुआ।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का अग्रिम बैंक का ताकत बना रहा, जिसमें आपका बैंक ने सभी लक्ष्यों को हासिल कर लिया ।
- आपका बैंक का परिचालन लाभ मार्च 2014 को 2062 करोड़ रुपए की तुलना में 17.76% की वृद्धि दर्ज करते हुए मार्च, 2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए 2428 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई ।
- वर्ष 2014 में एनपीए से नकद वसूली 1084 करोड़ रुपए की तुलना में इस वर्ष 1237 करोड़ रुपए हुई, जबकि वित्तीय वर्ष 2014 को 2288 करोड़ रुपए की तुलना में वित्तीय वर्ष 2015 को उन्नत परिसंपत्तियों की राशि 2655 करोड़ रुपए हुई ।
- सकल एनपीए 7118 करोड़ रुपए (मार्च, 2014) से कम होकर 6553 करोड़ रुपए (मार्च, 2015) हो गया ।
- शुद्ध एनपीए मार्च 2014 को 4664 करोड़ रुपए से घटकर मार्च, 2015 को 4081 करोड़ रुपए हो गया ।
- सकल एनपीए का अनुपात मार्च, 2014 को 10.47% से ह्रास होकर मार्च, 2015 9.49% हो गया ।
- आपका बैंक की परिसंपत्तियों पर प्रतिलाभ (आरओए) मार्च 2014 के 0.99% से पर्याप्त रूप से सुधरकर मार्च 2015 में 0.21% हुआ है ।
- पूंजी पर्याप्तता अनुपात 7.52% की टीयर 1 अनुपात के साथ मार्च 2015 में 10.57% करने के लिए मार्च 2014 के 9.81% से उन्नत होकर मार्च 2015 में 10.57% सुधार हुआ।
- बैंक ने सफलतापूर्वक बैंक मित्र के माध्यम से एईपीएस 'ऑन-यूएस' और 'ऑफ-यूएस' जारीकर्ता/प्राप्तकर्ता लेन-देन को कार्यान्वित किया है । फिर भी, कोई ग्राहक आधार संबद्ध खाते को बैंक मित्र के माइक्रो एटीएम के माध्यम से लेन - देन कर सकता है ।
- अनुकूल विपणन के कारण पिछले वर्ष के दौरान रू. 526 करोड़ की तुलना में बैंक ने वर्ष के दौरान रू.1168 करोड़ का कुल व्यापारिक लाभ अर्जित किया ।
- बैंक की वैदेशिक अवस्थिति दो देशों जैसे; म्यांमार और बांगलादेश में है । ढाका, बांगलादेश और यांगून, म्यांमार प्रत्येक में एक प्रतिनिधि कार्यालय है । इंडो- म्यांमार का व्यापार हमारे बैंक के जरिए किया जाता है ।
- बांगलादेश के 20 बैंकों द्वारा यूएसडी और यूरो मुद्रा में तीस (30) वोस्ट्रो खाते और म्यांमार के तेरह (13) बैंकों के द्वारा यूरो, यूएसडी, एसजीडी मुद्राओं में इक्कीस (21) वोस्ट्रो खातों का हमारे बैंक में परिचालित किया जाता है ।
- विदेश में दस (10) मुद्राओं में परिचालित 24 नोस्ट्रो खाते में वैदेशिक बैंकों में खोले गए 616 संपर्कों संबंध के माध्यम से, व्यापक नेटवर्क के जरिए बैंक का अंतरराष्ट्रीय परिचालन समर्थित है ।
- बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान रू. 8292 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले 88% की सीमा तक लक्ष्य की रिकॉर्ड उपलब्धि पाते हुए रू. 7283 करोड़ संवितरित किया है। 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए ऋण रू. 9073 करोड़ रहा जो एएनबीसी का लगभग 13% है। प्रत्यक्ष कृषि ऋण रू. 5898 करोड़ (एएनबीसी का 8.36%) है। बैंक ने हर साल अप्रत्यक्ष कृषि के तहत लक्ष्य प्राप्ति को बनाए रखा है जो एएनबीसी का 4.5% है।
- बैंक ने उत्पादन, निवेश, कृषि उपकरणों के रखरखाव, वार्षिक मूल्य वृद्धि के साथ- साथ उपभोग की दिशा में कृषक समुदाय की जरूरत के सभी प्रकार की देखभाल 5 साल तक पूरा करने के लिए समग्र क्रेडिट सीमा में संशोधित योजना के तहत किसान के क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने के लिए सफलतापूर्वक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया है। बैंक ने रू. 751 करोड़ की ऋण सीमा के साथ 2014-15 के दौरान 150,019 नया केसीसी जारी किया है 31.03.2015 तक रू. 2043.59 करोड़ रुपये का कुल बकाया के साथ बकाया जारी किए गए केसीसी की संख्या 542,790 थी। सरकार के दिशा निर्देशों के साथ केसीसी धारकों के लिए रूपे आधारित एटीएम कार्ड जारी करने के क्रम में बैंक ने 31.03.2015 तक केसीसी धारकों के लिए 2.24 लाख एटीएम कार्ड जारी किया है जिसमें से 65% सक्षम केसीसी धारक (अनपढ़, अनिच्छुक और एनपीए केसीसी धारक को छोड़कर) हैं ।
- बैंक के रू. 333.67 करोड़ रुपए की बकाया राशि के साथ 87,799 स्वयं सहायता समूहों के साथ क्रेडिट लिंकेज है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 5808 स्वयं सहायता समूहों को 30 करोड़ रुपए की ऋण सीमा के साथ क्रेडिट लिंक दिया गया है। बैंक एसएलबीसी, पश्चिम बंगाल के निर्णय के अनुसार स्वयं सहायता समूहों के पहली ग्रेडिंग पर 1 लाख की प्रारंभिक क्रेडिट सीमा प्रदान करके स्वयं सहायता समूहों के लिए एनआरएलएम कार्यक्रम को लागू किया है।
- बैंक ने अब तक समाज के दलित समुदाय से भावी उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों में 12 आरसेटी का गठन किया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान इन संस्थानों ने 10,673 ग्रामीण युवाओं / महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है जिनमें से 75% प्रशिक्षुओं ने स्वयं का आर्थिक उद्यम स्थापित किया है। कुल स्व रोजगार के प्रशिक्षुओं में से 85% महिलाओं और कमजोर वर्गों समुदायों के हैं। इन संस्थानों के प्रशिक्षुओं को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने में सक्षम करने के लिए हमारे बैंक शाखाओं से ऋण की व्यवस्था सहित प्रशिक्षण समर्थन (एस्कॉर्ट सेवाएँ) प्रदान किया जा रहा है।

- बैंक ने समाज के निर्धन लोगों के लिए वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श सेवाओं का विस्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों में 38 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों (एफएलसीएस) की स्थापना की है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में, उक्त एफएलसीएस द्वारा वित्तीय साक्षरता प्रदान करने के लिए नियमित बाहरी क्रियाकलाप आयोजित किए गए।
- 31 मार्च, 2015 को कमजोर वर्ग के लिए ऋण रू. 7350 करोड़ पहुँचा है जो 10% की निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले एएनबीसी का 10.42% है। कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करना बैंक का प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है जहाँ देश के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी हिस्सों में ग्रामीण और अर्ध शहरी आबादी का अधिकांश हिस्सा इसी खंड से संबंधित है।
- अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बैंक का ऋण मार्च 2015 के अंत तक रू. 4285 करोड़ पहुँच गया जो पीएसएल शर्त के अनुरूप 15% है। वित्त विस्तार के अलावा बैंक ने सच्चर समिति की सिफारिश के अनुसार वित्तीय साक्षरता आदि की दिशा में सभी आवश्यक कार्रवाई भी किया है।
- आपका बैंक ने गैर महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए आभासी वातावरण में कुछ भौतिक सर्वरों को मजबूत बनाने के लिए ग्रीन पहल की है। आभासी सेवाओं को सक्षम करके, बैंक ने बिजली की खपत और कार्बन पदचिह्न में कमी करते हुए डाटा सेंटर में बेहतर सर्वर प्रबंधन करने में सक्षम हुआ है ।
- भारत सरकार से अनुमोदन और शेयरधारकों की मंजूरी से वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान आपके बैंक ने दो चरणों में 800 करोड़ रुपये के पीएनसीपीएस को इक्विटी पूंजी में बदल दिया है। इसके अलावा, आम इक्विटी पूंजी की स्थिति को बढ़ाने के लिए, आपका बैंक ने एलआईसी को तरलीही आवंटन के आधार पर 8,45,07,042 इक्विटी शेयर जारी कर 300 करोड़ रुपये जुटाए हैं।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान महत्वपूर्ण रणनीतिक पहल :

- आपका बैंक रणनीतिक के रूप में कुल जमा लागत में कमी करने के लिए उच्च लागत जमा संग्रहण में काफी कमी की है। फलस्वरूप, तरलीही दर जमा का हिस्सा 7.15% से कम हो कर 1.36% रह गया है। बैंक आक्रामक तरीके से अपने खुदरा जमा उत्पादों को बढ़ावा देते हुए कोर जमा आधार पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहा है।
- ऋण निगरानी प्रक्रिया काफी मजबूत किया गया है और "दबावग्रस्त खातों को पहले पता लगाने" के लिए प्रणाली लागू की गई है ताकि समय पर अनुवर्ती कार्रवाई की जा सके।
- कोलकाता में एक केंद्रीकृत खुदरा ऋण केंद्र खोलकर, वर्तमान खुदरा ऋण केंद्रों को सुदृढ़ किया गया है। 31 मार्च 2015 तक पूरे भारत में बैंक के कुल 24 खुदरा ऋण केन्द्र परिचालित हैं।
- ऋण प्रसंस्करण गतिविधियों को केंद्रीकृत करने की प्रक्रिया में, एक केंद्रीकृत ऋण प्रसंस्करण केंद्र (सीसीपीसी) और एक एमएसएमई ऋण प्रसंस्करण केंद्र, कोलकाता में खोला गया है।
- व्यापार के विस्तार के लिए, 5 नई शाखाएं के शुभारंभ के साथ, कुल मौजूदा शाखाओं की संख्या 2004 तक पहुँच गई है और वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 312 नए एटीएम खोले गए हैं।

सामाजिक पहल :

- 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार, बैंक के वित्तीय समावेशन अभियान के तहत 13,250 गांवों को शामिल किया गया है। अभी 4252 बैंक मित्र उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) दृष्टिकोण के तहत काम कर रहे हैं। आपका बैंक ने इस पहल का समर्थन करने के लिए देश भर में 2681 अति लघु शाखाओं की स्थापना की है।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत, आपका बैंक ने 51.47 लाख बैंक-रहित परिवारों को शामिल किया है, 38.60 लाख खाते खोले हैं और 30.63 लाख रुपे कार्ड जारी किए हैं।

पुरस्कार और प्रशंसा:

- प्रधान मंत्री जन धन योजना के विभिन्न मुख्य मापदंडों के तहत उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन के लिए आपका बैंक को 'उत्कृष्टता पुरस्कार' हासिल हुआ है। माननीय केन्द्रीय मंत्री एमएसएमई, भारत सरकार श्री कलराज मिश्र ने नई दिल्ली में 25 मार्च 2015 को बैंक को पुरस्कार प्रदान किया।

बैंक के कॉरपोरेट लक्ष्य एवं रणनीति:

बैंक के घरेलू आर्थिक वातावरण और कॉर्पोरेट व्यापार भावनाओं में सुधार से लाभ होने की उम्मीद है। बैंक अवसरों से लाभ उठाते हुए स्थायी रूप में अपने व्यापार को बढ़ाएगा।

आपका बैंक विश्वास करता है कि बैंकिंग के इन मुख्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर, बैंक केवल महत्वपूर्ण व्यापार वृद्धि ही नहीं कर सकता, बल्कि इससे लाभप्रदता और सुदृढ़ता सूचक के सुधार करने में भी मदद मिलेगी ।

अन्त में, मैं बैंक के महत्वपूर्ण शेयरधारकों और ग्राहकों को उनके निरंतर संरक्षण और सहयोग के लिए धन्यवाद व्यक्त करता हूं और भविष्य में उनके निरंतर समर्थन और सहयोग की अपेक्षा करता हूं। मैं अपने प्रमोटर, भारत सरकार, नियामकों, भारतीय रिज़र्व बैंक, सेबी, स्टॉक एक्सचेंजों और अन्य को उनके बहुमूल्य मार्गदर्शन और समर्थन के लिए भी आभारी हूं। मैं बैंक के निदेशक मंडल से प्राप्त बहुमूल्य समर्थन और सहयोग को भी स्वीकार करता हूं। मैं रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि सभी स्तरों पर, कर्मचारियों के बहुमूल्य योगदान के चलते प्रगति हुई है, जिनकी मैं सराहना करता हूं, जो उनके योगदान के बिना अप्राप्य था।

पी श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

निदेशकों की रिपोर्ट

निदेशक मंडल 31 मार्च, 2015 (वित्तीय वर्ष 2014-15) को समाप्त वर्ष के लिए बैंक की 64वें वार्षिक रिपोर्ट तथा इसके साथ 31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष का लेखा परीक्षित तुलन पत्र, लाभ एवं हानि लेखा तथा व्यवसाय एवं परिचालन संबंधी अपनी रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करता है ।

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण

1. आर्थिक वातावरण

वैश्विक अर्थव्यवस्था:
वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, वैश्विक आर्थिक सुधार धीमी रही और अर्थव्यवस्था में विविधता समेत उभरती बाजार अर्थव्यवस्था (ईएमई) का सामना मंदी के साथ हुआ । जबकि अग्रिम अर्थव्यवस्था (एई) अपस्फीति के जोखिम के लिए संदिग्ध रही, मौद्रिक नीति की सहजता के लिए छूट देते हुए मुख्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति का दबाव बना रहा । वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान वैश्विक वस्तुओं की कीमतों में गिरावट जारी रही । वित्तीय बाजार अच्छा रहा लेकिन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में नीति विकास का मूल्य निर्धारण परिवर्तनशील रहा । एक ओर कमजोर बाहरी मांग, राजनीतिक अनिश्चितताओं और घरेलू आपूर्ति पक्ष की कमी के कारण अधिक उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में धीमी गति जारी रही, दूसरी ओर काफी अवधि के लिए अपनाई गई अल्ट्रा उदार मौद्रिक नीतियों के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान अग्रिम अर्थव्यवस्था शिथिल रही ।

भारतीय अर्थव्यवस्था :
2014-15 में नियंत्रित मुद्रास्फीति के आधार पर आशाजनक आर्थिक दृष्टिकोण, घरेलू मांग में वृद्धि, निवेश में बढ़ोत्तरी, तेल की कीमतों में गिरावट और अन्य बातों में सुधारों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरी है ।

सकल घरेलू उत्पाद :
केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने वर्ष 2014-15 (आधार वर्ष 2011-12) के लिए सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर को पिछले 2013-14 वर्ष के 6.9 प्रतिशत विकास दर की तुलना में 7.4 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया था ।

मंत्रालय द्वारा सकल घरेलू उत्पाद के बारे में वर्ष 2014-15 (आधार वर्ष 2011-12) के लिए पूर्वानुमान की विशेषताओं को निम्नरुप में संक्षेपित किया गया है:

वर्ष 2012-13 के लिए सकल घरेलू उत्पाद रु99.21 लाख करोड़ की तुलना में, वित्तीय वर्ष 2013-14 में 6.9% की वृद्धि के आधार पर 7.4% की वृद्धि दर प्रदर्शित करते हुए, वर्ष 2014-15 में रु106.57 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया था ।

कृषि :
कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र में प्रति वर्ष 3.7% की वृद्धि दर के मुकाबले सकल मूल्य (आधार वर्ष : 2011-12) में 1.1% बढ़ने की संभावना है।

उद्योग :
वर्ष 2013-14 के दौरान विनिर्माण, खनन और उत्खनन, बिजली, गैस और जल आपूर्ति और निर्माण में अनुमानित विकास दर 5.3%, 5.4%,4.8% और 2.5% की तुलना में वर्ष 2014-15 में क्रमशः 6.8%, 2.3% और 4.5% होने का अनुमान लगाया गया था ।

जिन क्षेत्रों में 7% से अधिक की अनुमानित वृद्धि दर दर्ज की गई है, वे हैं : वित्तीय, रियल इस्टेट और व्यावसायिक सेवाएं, व्यापार, होटल, परिवहन, प्रसारण से संबंधित संचार और सेवाएं, लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं, बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं ।

ऋण की क्षेत्रवार वृद्धि :
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी क्रेडिट डेटा की क्षेत्रीय उपयोगिता के अनुसार, वृद्धिशील गैर खाद्य ऋण में वर्ष 2013-14 के दौरान 14.3% की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2014-15 में 8.6% की सामान्य वृद्धि दर्ज हुई । वर्ष 2013-14 के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में ऋण की वृद्धि निम्न प्रकार थी :

- वर्ष 2013-14 के दौरान कृषि और संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण 13.5 प्रतिशत की तुलना में, 2014-15 के दौरान 15.0 फीसदी की वृद्धि हुई ।
- उद्योग को दिए गए ऋण में वर्ष 2014-15 के दौरान, 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो, वर्ष 2013-14 के दौरान हुई 13.1 प्रतिशत की वृद्धि से कम है । उद्योगों के ऋण वृद्धि में मंदी, निर्माण को छोड़कर सभी प्रमुख उपक्षेत्रों में पाई गई है ।
- सभी प्रमुख उपक्षेत्रों में पाए गए मंदी के साथ सेवा क्षेत्रों को दिए गए ऋण में वर्ष 2014-15 के दौरान 5.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो, वर्ष 2013-14 के दौरान हुई 16.1 प्रतिशत की वृद्धि से कम है ।
- एनबीएफसी को दिए गए ऋण में वर्ष 2013-14 के दौरान हुई 13.2 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान 6.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।
- व्यक्तिगत ऋण में वर्ष 2013-14 के दौरान हुई 15.5 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान 15.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

मुद्रास्फीति :
थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यू पी आई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति की वार्षिक दर पिछले वर्ष के तदनुरुपी माह के दौरान 6 और पांचवे परवर्ती माह के लिए वर्षानुवर्ष अवस्फीति में रिकार्ड किए गए फरवरी, 2015 के 2.1% की तुलना में मार्च, 2015 में 2.3% की निम्न श्रृंखला तक रही। मुद्रास्फीति में वर्ष दर वर्ष गिरावट डब्ल्यू पी आई के सभी श्रेणियों की सामान्य कीमतों में नियंत्रण के कारण था ।

प्राथमिक वस्तुएं: (20.1% भार)
चाय, मूंग (प्रत्येक 6%), कॉफी और अण्डा (प्रत्येक 4%), चावल एवं पोर्क (प्रत्येक 3%), ज्वार और जौ (प्रत्येक 2%), और समुद्री मछली, फल और सब्जियां, मशाला और गाय और भैंस का मांस (प्रत्येक 1%) की कीमतों में नियंत्रण के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में मार्च, 2014 के 9.57% की तुलना में वर्ष 2015 में 6.31% की तेज गिरावट दर्ज की गई है । हालांकि, अरहर, पोल्ट्री चिकन, मटन, देसी मछली और मक्का की कीमत में प्रत्येक 3%, रागी, बाजरा और चना में प्रत्येक 2% और मसूर और दूध में प्रत्येक 1% की वृद्धि हुई है ।

4.26% की भारांक के साथ गैर खाद्य वस्तु समूह में मार्च, 2014 के सकारात्मक 4.87% की तुलना में 7.12% की गिरावट हुई है । फूल, चारा (7%), जौनजेली के बीज, ग्वार के बीज और अरंडी के बीज (प्रत्येक 4%), कच्चे रेशम (3%), कॉयर रबड़ (2%) और कच्ची रबड़, सोयाबीन और अलसी (प्रत्येक 1%) की कम कीमतें गैर खाद्य वस्तु समूह में गिरावट का कारण है ।

इंधन एवं बिजली: (14.9 % भार)
इंधन एवं बिजली सूचकांक मुद्रास्फीति मार्च, 2014 की तुलना में नकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए भी अपने सभी घटकों में सामान्य रही । इंधन एवं बिजली मुद्रास्फीति में तेज गिरावट का कारण था, हाई स्पीड डीजल और पेट्रोल की कीमतों में गिरावट के कारण दर्ज की गई 17.7% की नकारात्मक वृद्धि ।

विनिर्मित उत्पाद: (64.97%)
विनिर्मित उत्पाद थोक मूल्य अक्टूबर, 2014 में 2.50% से नवम्बर, 2014 में 1.90%, दिसम्बर, 2014 में 1.44%, जनवरी, 2015 में 1.05% और फरवरी, 2015 में 0.33% से मार्च, 2015 में 0.19% की चलन में एक निरंतर गिरावट दर्ज की गयी है । विनिर्मित उत्पाद में से टोकरी, खाद्य उत्पादों की कीमतें, पेय पदार्थों, कपड़ा, लकड़ी एवं लकड़ी उत्पाद, चमड़ा, रबर और प्लास्टिक और रासायनिक और रासायनिक उत्पादों की कीमतों में सामान्य चलन देखा गया है जिसने विनिर्मित सूचकांक को सामान्यता की ओर अग्रसर किया है ।

सीपीआई:
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) द्वारा मापी गई मुद्रास्फीति की वार्षिक दर, कोरसीपीआई (फरवरी,15) 4.15% के समरुप 1.14% (मार्च,15) पर स्थिर रहने के बावजूद भी खाद्य मुद्रास्फीति के सरलीकरण से लाभ प्राप्त फरवरी, 2015 में 5.4% से वर्षवार अवधि में मार्च 2015 में 5.2% की गिरावट आई ।

औसत मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2014-15:
इंधन की कीमतों में तेज गिरावट होने से औसत थोक मूल्य सूचकांक में 2013-14 के 6% के समरुप 2014-15 में 3.4% (अप्रैल-दिसम्बर) की गिरावट आई है । थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति ने यहां तक की नवम्बर, 2014 और जनवरी, 2015 में 0 के मनोवैज्ञानिक स्तर को भी भंग किया है ।
यह गिरावट अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के कारण खाद्य और इंधन की कीमतों में कमी की वजह से हुई थी । 2014-15 के प्रथम तिमाही के दौरान, थोक मूल्य सूचकांक हेडलाइन मुद्रास्फीति, मुख्य रुप से खाद्य और इंधन की कीमतों के ज्यादा होने से 5.8% पर रही । 2014-15 की दूसरी और तीसरी तिमाहियों में, थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति में 3.9% की गिरावट हुई और क्रमश: 0.5% थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति जो 2013-14 के दौरान 9.4% पर उच्च बनी हुई है, सब्जियों की कीमतों में तेज सुधार और अनाज और अंडे, मांस और मछली की कीमतों के सामान्य बने रहने से अप्रैल-दिसम्बर, 2014 के दौरान 4.8% तक सीमित रही ।

बाह्य क्षेत्र:
वित्तीय वर्ष 2014-15 की दूसरी छमाही में कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में सुधार के कारण जनवरी 2015 के अंत तक (यूएस 328.7 मिलियन डॉलर) विदेशी मुद्रा रिजर्व का निर्माण और स्थिर विनिमय दर का बना रहना मजबूत बाह्य क्षेत्र के परिणाम को दर्शाता है ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कुल निर्यात अमेरिका डॉलर ($) 314,415.73 मिलियन की तुलना में अमेरिका डॉलर ($) 310,533,870,000 मिलियन था जहाँ 1.23% की वृद्धि दर्ज की गयी । इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान कुल आयात वित्तीय वर्ष 2013-14 के अमेरिका डॉलर ($) 450,213.63 मिलियन की तुलना में 0.59% ($) 447,548.33 करोड़ की गिरावट आई है।
3री तिमाही में आयात की मात्रा में वृद्धि के बावजूद पीओएल आयात के कारण अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट एक बड़ी बचत में स्थांतरित हुई है । वर्ष 2014-15 के दौरान तेल का आयात अमेरिका डॉलर ($) 138261.66 मिलियन मूल्य का किया गया जो पिछले साल की इसी अवधि में अमेरिका डॉलर ($) 164770.33 मिलियन के तेल के आयात की तुलना में 16.09 प्रतिशत कम था। सितंबर-नवंबर में मौसमी सह दबी हुई मांग में तेजी के कारण सोने का आयात भी सामान्य रहा। हालांकि, मई के आरंभ से विस्तारित दौर में गैर-तेल और गैर-सोना आयात वृद्धि स्थिर और सकारात्मक क्षेत्र में बने रहे । अप्रैल-मार्च 2014-15 के दौरान कुल गैर-तेल आयात अमेरिका डॉलर ($) 309,286.67 मिलियन मूल्य का था जो वित्तीय वर्ष 2013-14 में अमेरिका डॉलर ($) 285443.30 मिलियन आयात मूल्य की तुलना के स्तर से 8.35% अधिक था ।
अप्रैल-मार्च 2014-15 के लिए व्यापार घाटा अमेरिका डॉलर ($) 137014.46 मिलियन अनुमान लगाया गया था जो अप्रैल-मार्च 2013-14 के दौरान अमेरिका डॉलर ($) 135797.90 मिलियन के घाटा की तुलना में अधिक था ।
2014-15 के लिए चालू खाता घाटा (सीएडी) का अनुमान वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद का प्रतिशत 1.3 पर रखा गया है जो पहले के अनुमानों की तुलना में काफी कम है। सीएडी मुख्य रूप से शुद्ध पूंजी प्रवाह द्वारा वित्त पोषित किया गया है । मुख्य रूप से इक्विटी संविभाग के रूप में लेकिन यह भी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और विदेशी वाणिज्यिक उधारी के द्वारा समर्थित किया गया है।

मौद्रिक और बैंकिंग घटनाक्रमों
अप्रैल 2014 में, 2014-15 के लिए पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा, अमेरिका, ब्रिटेन और जापान जैसे बाहरी अर्थव्यवस्था में धीमी वृद्धि और संभावित एल नीनो प्रभाव , कृषि जिंसों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की स्थापना और अन्य प्रशासित मूल्य (ईंधन, उर्वरक और बिजली) की स्थापना पर अनिश्चितता के कारण सामान्य मानसून से कम होने से उत्पन्न जोखिम जैसे घरेलू कारकों के अलावा उभरती और विकसित अर्थ-व्यवस्था में गिरावट भरी तेजी की अनिश्चितता के माहौल में तैयार की गई थी । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा

तत्कालीन नीति का उद्देश्य अवस्फीति ग्लाइड पथ पर अर्थ व्यवस्था को रखते हुए ध्यान केंद्रित करने का इरादा था ताकि जनवरी 2015 से सीपीआई मुद्रास्फीति 8 प्रतिशत हिट करने और जनवरी 2016 द्वारा 6 प्रतिशत हिट करने का इरादा रखा गया है।

वर्ष 2014-15 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण नीतिगत उपायों की घोषणा की गयी है ।

क. वर्ष के दौरान सीआरआर, एसएलआर और रेपो दर में परिवर्तन:

तिथि	सीआरआर	एसएलआर	रेपो	रिवर्स रेपो	एमएसएफ	बैंक दर
	(09.02.2013 से)	(11.08.2012 से)	(28.01.2014 से)	(28.01.2014 से)	(28.01.2014 से)	(28.01.2014 से)
01.04.2014	4.00%	23.00%	8.00%	7.00%	9.00%	9.00%
14.06.2014	4.00%	22.50%	8.00%	7.00%	9.00%	9.00%
09.08.2014	4.00%	22.00%	8.00%	7.00%	9.00%	9.00%
15.01.2015	4.00%	22.00%	7.75%	6.75%	8.75%	8.75%
03.02.2015	4.00%	21.50%	7.75%	6.75%	8.75%	8.75%
04.03.2015	4.00%	21.50%	7.50%	6.50%	8.50%	8.50%

ख. उपरोक्त के अलावा मौद्रिक नीति की घोषणाओं से, भारतीय रिजर्व बैंक भी वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान निम्नलिखित विकास और नियामक नीतियों की घोषणा की:

1. काउंटर चक्रीय पूंजी बफर के कार्यान्वयन पर दिशानिर्देश

भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव, दिनांक 05.02.2015 से सीसीसीबी के कार्यान्वयन के लिए अंतिम दिशानिर्देश जारी किया है। दिशानिर्देश में उल्लेख किया गया है कि सीसीसीबी की सक्रियता तभी होगी जब इसकी आवश्यकता होगी, जिसका निष्पादन समय सीमा सामन्यत(कोलन) 4 तिमाही पूर्व घोषणा की जाएगी । भारतीय रिजर्व बैंक ने संकेत दिया है कि सीसीसीबी की सक्रियता के मुख्य संकेतक जीडीपी खाई के लिए ऋण है, जो जीएनपीए वृद्धि के साथ संयोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा।

2. नई डिपोजिटरी रसीद योजना

केन्द्र सरकार द्वारा एडीआर / जीडीआर के तहत निवेश के लिए डिपॉजिटरी रसीद योजना,2014 (डीआर योजना, 2014) नामक एक नई योजना 15 दिसंबर 2014 से अधिसूचित किया गया है, जो विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड को छोड़कर विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड और सामान्य शेयर (डिपोजिटरी रसीद तंत्र के माध्यम से) योजना, 1993 के मौजूदा दिशा निर्देशों को निरस्त करता है।

3. सरकारी प्रतिभूतियों में रि-रेपो

भारतीय रिजर्व बैंक के पास सहायक सामान्य खाता बही (एसजीएल) को बनाए रखने वाले अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों और प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) सहित राज्य विकास ऋण एवं ट्रेजरी बिल जो रिवर्स रिपो के तहत अधिग्रहित किया गया है, जिसको अनुमति फ़रवरी 2015 में भारतीय रिजर्व बैंक ने दी है, बशर्ते कि इसे फरवरी 2015 में आईटी बुनियादी ढांचे के विकास और उचित नियंत्रण करने के लिए किया गया हो । भारतीय रिजर्व बैंक के पास एसजीएल खातों बनाए रखने वाली म्युचुअल फंड एवं बीमा कंपनियां को भी रि रिपो की अनुमति है बशर्ते उनके संबंधित नियंत्रक से इसका अनुमोदन हो।

4.भुगतान बैंक के लाइसेंस के दिशा निर्देश

अतिरिक्त वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों के लिए नवंबर 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान बैंकों के लाइसेंस के लिए दिशा निर्देश निम्नांकित मुहैया करने हेतु जारी किया है (i) लघु बचत खातों और (ii) प्रवासी श्रमिकों, कम आय वाले परिवारों, छोटे व्यापारों, अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं एवं अन्य उपयोगकर्ताओं को भुगतान / प्रेषण सेवाओं प्रदान करने के लिए ।

5. निजी क्षेत्र में छोटे वित्त बैंकों के लाइसेंस के दिशा निर्देश

अतिरिक्त वित्तीय समावेशन के लिए नवंबर 2014 में भारतीय रिजर्व बैंक ने लघु वित्त बैंकों, जिसका न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता 100 करोड़ रुपये हो, उसके लाइसेंस के लिए दिशा निर्देश निम्नांकित द्वारा जारी किया है (क) बचत वाहनों का प्रावधान और (ii) लघु व्यवसाय इकाई को ऋण की आपूर्ति; छोटे और सीमांत किसानों; सूक्ष्म और लघु उद्योगों और अन्य असंगठित क्षेत्र की संस्थाओं, उच्च प्रौद्योगिकी कम लागत के संचालन के माध्यम से छोटे से वित्त बैंकों के संचालन के क्षेत्र में कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा।

वर्ष 2015-16 के लिए संभावना

वित्तीय वर्ष 2015-16 में वैश्विक वित्तीय स्थिति आसान दिख रहा है और यह वित्तीय परिसंपत्ति की कीमतों में परिलक्षित है । तथापि, कमजोर मांग के चलते वैश्विक विकास के लिए संभावना अभी भी सामान्य है। अभी संभावनाओं में धीरेधीरे सुधार हो रहा है, अग्रिम अर्थव्यवस्थाओं (एईएस) पूरी तरह से वैश्विक वित्तीय संकट के दुष्प्रभाव से अभी पूरी तरह से नहीं उबर पाया है। उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमईएस) में लगातार नकारात्मक उत्पादन अंतराल और संवृद्धि संभावना में कमी का सामना कर रहा है जो निकट भविष्य में प्रतिफल में कमी को दर्शाता है । वास्तव में, पूर्वानुमान के अनुसार अब तक 2014 और 2015 के दौरान अधिक सुस्त वैश्विक वसूलों के चलते दीर्घकालिक गतिहीनता से चिंता बढ़ी है।

वैश्विक आर्थिक संभावना पर आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक विकास 2014 में 3.4% की तुलना में वर्ष 2015 में 3.5% बढ़ने की संभावना है और वर्ष 2016 में यह और बढ़कर 3.8% तक बढ़ सकती है। वर्ष 2016 में उभरते बाजारों में वृद्धि दर बढ़कर 4.7% होने की अनुमान है, जो वर्ष 2014 में 4.6% था और वर्ष 2015 में यह घटकर 4.3% होने का अनुमान है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की संवृद्धि वर्ष 2014 के 1.8% की तुलना में वर्ष 2015 और वर्ष 2016 में बढ़कर 2.4% होने का अनुमान है। यूरो क्षेत्र में संवृद्धि वर्ष 2014 के 2.4% की तुलना में यह वर्ष 2015 में 1.5% और वर्ष 2016 में 1.6% तक बढ़ने का अनुमान है। अमेरिका में वृद्धि, वर्ष 2014 के 2.4% की तुलना में वर्ष 2015 और वर्ष 2016 में 3.1% की रहने की आशा है।

एशिया के बाहर प्रमुख उभरते बाजारों में कम वृद्धि और कठिन अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थितियों के चलते एशिया के विकास की संभावनाओं को प्रभावित किया है। वर्ष 2015 और वर्ष 2016 के दौरान चीन में क्रमश: 6.8 % और 6.3 % की धीमी वृद्धि के कारण यह विकास को प्रभावित करेगा। तदनुसार, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित एक पूर्वानुमान के अनुसार एशिया में 2015 और 2016 में क्रमश : 5.6 % और 5.5 % रहने की उम्मीद है।

भारत में, चुनाव के बाद विश्वास में सुधार और तेल की कम कीमतों के कारण ढांचागत सुधारों को आगे बढ़ाने में सरकार को अवसर प्रदान किया है। आईएमएफ के अनुसार, भारत की जीडीपी विकास दर वर्ष 2014 की 7.2% की तुलना में वर्ष 2015 और 2016 में 7.5% होने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था में हाल के नीतिगत सुधारों के फलस्वरूप निवेश में वृद्धि और तेल की कम कीमतों से लाभ होगा । तेल की कम कीमतों के कारण असली प्रयोज्य आय बढ़ेगा , विशेष रूप से गरीब परिवारों के बीच और मुद्रास्फीति को कम करने में भी मदद मिलेगी।

मुद्रास्फीति की दर वर्ष 2015 में लक्ष्य के करीब रहने की उम्मीद है। पिछले वर्ष के 6% की तुलना में वर्ष 2015 में थोड़ा बढ़कर 6.1% होगा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार फिर वर्ष 2016 में यह घटकर 5.7% होने की उम्मीद है।

एक वर्ष पूर्व 1.4 % की तुलना में भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) वर्ष 2015 में घटकर 1.3 % रहने की उम्मीद है।

वित्तीय निष्पादन

वर्ष के दौरान बैंक के कार्यनिष्पादन के अंतर्गत गुणवत्ता आस्ति और हानि आस्तियों की वसूली के क्षेत्र में वांछित परिणाम को पाने के लिए प्राथमिकता दी गई । विकास, लाभप्रदता, दक्षता, उत्पादकता और शोधन क्षमता के मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतक निम्नप्रकार है:

वित्तीय वर्ष 2013-14 में बैंक के परिचालन लाभ 2061.74 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान 2,427.94 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ दर्ज करते हुए, 366.20 करोड़ रुपये (17.76) की वृद्धि दर्ज की गई । । बैंक ने अपने आस्ति संविभाग का अच्छी तरह से प्रबंधन किया और वित्तीय वर्ष 2013-14 में शुद्ध हानि 1213.45 (-) करोड़ रुपये की तुलना में 2014-15 में 256 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ अर्जित किया । प्रति कर्मचारी सकल लाभ मार्च, 2014 को रु12.50 लाख से बढ़कर मार्च, 2015 को यह रु15.98 लाख हो गया ।

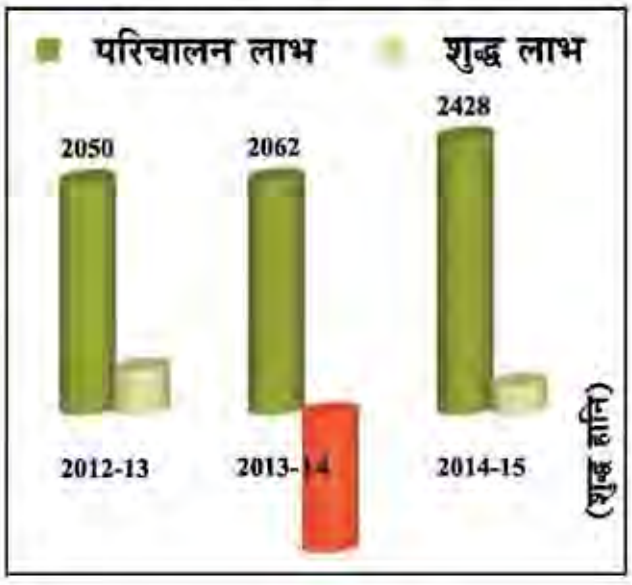

प्रमुख वित्तीय अनुपात (%)	मार्च 2014	मार्च 2015
निधियों की लागत	7.23	6.38
निधियों पर प्रतिफल	9.44	8.44
जमा की लागत	7.14	6.88
अग्रिम पर प्रतिफल	10.83	10.80
निवेश पर प्रतिफल	8.00	8.04
एडब्ल्यूएफ का % के विस्तार रूप में	2.10	2.07
शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम)	2.28	2.21
एडब्ल्यूएफ के परिचालन व्यय	1.40	1.50
औसत आस्तियों पर लाभ	-0.99	0.21
इक्विटी पर लाभ	-35.56	5.16
प्रति कर्मचारी व्यापार (रुपए करोड़ में)	10.67	11.51
प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ (रुपए लाख में)	-7.35	1.69
बही मूल्य	84.88	59.20

एडब्ल्यूएफ औसत कार्य निधि

आय और व्यय विश्लेषण

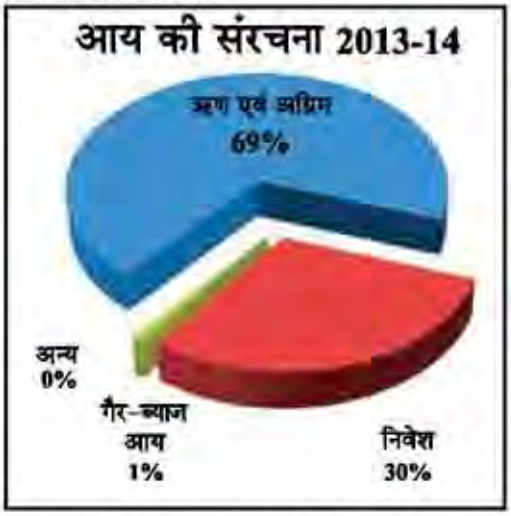

वर्ष 2013-14 के दौरान बैंक की ब्याज आय रु10599.29 करोड़ की तुलना में 2014-15 में रु10180.48 करोड़ अर्जित हुई । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लागू की गई त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के तहत नई स्वीकृति और संवितरण पर लगाए गए रोक के कारण ब्याज आय, जो विकास का मुख्य कार्य है, उसमें ह्रास हुआ । गैर-ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2013-14 में रुपये 1206.87 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2014-15 में रु1746.91 करोड़ रुपये होकर रु540.04 करोड़ (44.75) तक वृद्धि हुई । अग्रिमों पर प्रतिलाभ मार्च 2014 में 10.83% की तुलना में मार्च 2015 में 10.80% तक की मामूली गिरावट आई।

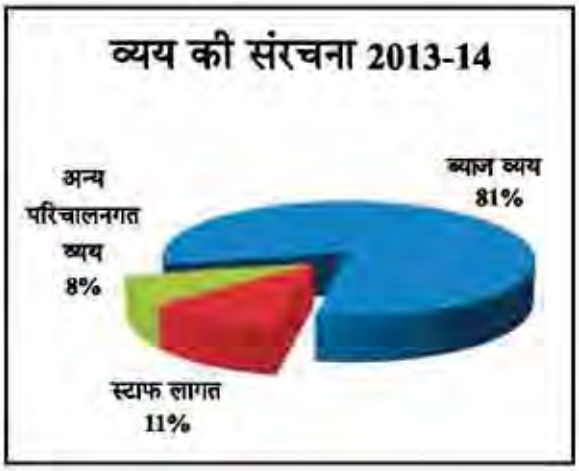

ब्याज व्यय में 2013-14 में रु8036.47 करोड़ की तुलना में 2014-15 में रु7689.82 करोड़ रुपये तक होकर, रु346.65 करोड़ की गिरावट आई । उच्च लागत जमा के क्रमशः विस्तार द्वारा कम ब्याज का सुनिश्चित किया गया जोकि रु7975 करोड़ रुपये से 81.4% तक ह्रास होकर रु1483 करोड़ रुपये हुआ । जमा की लागत 2013-14 में 7.14% से कम होकर 2014-15 में 6.88% हो गया । बैंक ने अपने परिचालन व्यय में 5.95% तक रु1809.63 करोड़ राशि की वृद्धि जारी रखा ।

व्यापार वृद्धि

जमाराशि

बैंक की जमाराशि 31 मार्च, 2015 तक 108,818 करोड़ रुपये तक पहुंच गई । पिछले वर्ष की तुलना में, 2014-15 में बैंक की बचत जमा राशि में 11.03 प्रतिशत की वृद्धि हुई और मांग जमाराशि में 10.74% की वृद्धि हुई । कुल जमा राशि में कासा जमा का अंश 31 मार्च, 2014 को 36.98% से बढ़कर 31 मार्च, 2015 को 42.05% हो गया । जमा की लागत को कम करने की दृष्टि से बैंक ने जमा प्रमाण पत्र समेत थोक जमा की एक पर्याप्त राशि का विस्तार कर दिया है । थोक जमा (रू 1 करोड़ और अधिक) रु15602 करोड़ से कम हो कर रु5970 करोड़ तक नीचे आ गया ।

बैंक के ग्राहक अधिग्रहण अभियान के परिणाम स्वरूप बैंक के ग्राहक आधार में मार्च 2014 में 3.05 करोड़ से बढ़कर मार्च 2015 में 3.60 करोड़ हो गई।

अग्रिम

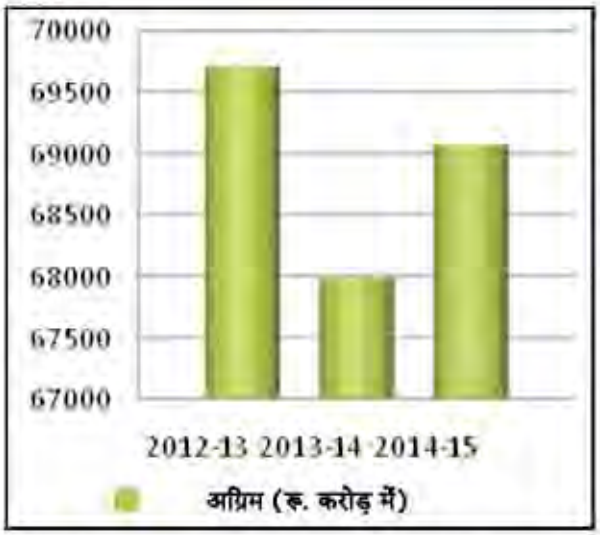

निरंतर तीन तिमाहियों के गिरावट दर्ज करने के बाद, अग्रिमों पर प्रतिबंध में ढील देने के बाद बैंक के कुल ऋण पोर्टफोलियो में चालू वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में वृद्धि हुई । 31 मार्च, 2015 तक बैंक के सकल अग्रिम में रु1088 करोड़ (1.60%) वृद्धि होकर रु69070 करोड़ तक पहुंच गया । ऋणजमा अनुपात में 31 मार्च, 2014 को 60.96% से सुधार होकर 31मार्च, 2015 को 63.47% हो गया । बैंक ने एएनबीसी का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम के लिए निर्धारित लक्ष्य 40 प्राप्त कर लिया । खुदरा ऋण उत्पादों के गहन विपणन के परिणाम स्वरूप खुदरा अग्रिम में काफी वृद्धि हुई ।

बैंक का गैर खाद्य ऋण रु66480 करोड़ से बढ़कर रु67667 करोड़ हो गया, जबकि खाद्य ऋण 31मार्च, 2014 के रु1502 करोड़ से कम होकर 31 मार्च, 2015 के अंत तक रु1403 करोड़ हो गया ।

कुल व्यापार

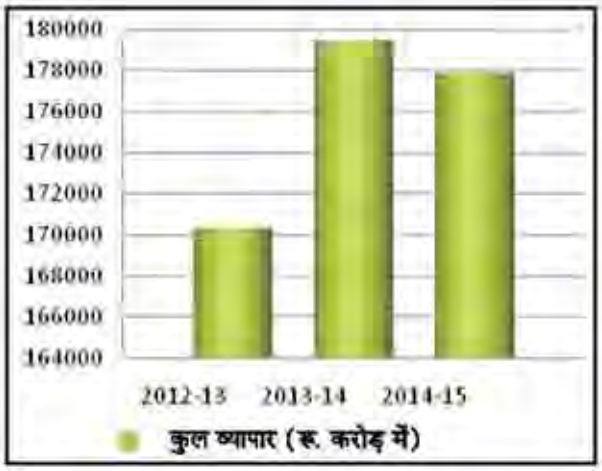

चालू वित्त वर्ष 2014-15 के अंत तक बैंक का कुल कारोबार रु177887 करोड़ तक पहुंच गया। प्रति कर्मचारी करोबार के आधार पर तैयार उत्पादकता, 31 मार्च, 2014 को रु10.67 करोड़ से वृद्धि होकर 31 मार्च, 2015 तक रु11.51 करोड़ हो गई है ।

खुदरा ऋण परिचालन (वित्तीय वर्ष 2014-15)

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान, खुदरा ऋण बैंक का एक मुख्य क्षेत्र रहा है । बैंक ने खुदरा ऋण यथा; आवास ऋण, ऑटो ऋण और बंधक ऋण देने के लिए विशेष ध्यान केंद्रित किया है, खुदरा ऋण के तहत वृद्धि हेतु इन्हें प्रमुख तंत्र माने जाते हैं, जिसमें कुल ऋण पोर्टफोलियो रु12050.95 करोड़ का 63.27% शामिल है ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान प्रदर्शन:

- खुदरा ऋण में 31 मार्च, 2014 को रू10356.82 करोड़ से बढ़कर रु1,694.13 करोड़ की सकारात्मक वृद्धि करते हुए 31 मार्च, 2015 को रु12,050.95 करोड़ (16.36% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि) हो गया । उक्त अवधि के दौरान प्रमुख रूप से निम्नलिखित खुदरा ऋण में वृद्धि हुई जैसे; आवास ऋण16.15%, बंधक 48.21%
- वित्तीय वर्ष के दौरान आवास ऋण में एक सकारात्मक वृद्धि हुई । इसमें 31.03.2014 को 4384.68 करोड़ रुपए से बढ़कर रु708.06 करोड़ (16.15%) की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2015 को यह रु5092.74 करोड़ हो गया ।

उक्त अवधि के दौरान बंधक ऋण में प्रर्याप्त वृद्धि हुई, यह 31.03.2014 को रु1708.16 करोड़ से बढ़कर, 48.21% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2015 को रु2531.70 करोड़ हो गया ।

भारत सरकार के उद्देश्यों की श्रृंखला में विभिन्न ग्राहक अनुकूल सुविधाओं के साथ अत्यंत प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर आवास, बंधक और शिक्षा जैसे खुदरा ऋण की पेशकश की गई । प्रमुख संस्थानों के लिए आधार दर पर आवास ऋण और विशेष शिक्षा ऋण का प्रस्ताव दिया गया ।

वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार योग्य शिक्षा ऋण उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी योजना उपलब्ध करायी गयी ।

छात्र उधारकर्ताओं द्वारा किए गए दावे समय पर दर्ज किए गए और प्राप्त की गई राशि उनके संबंधित खाते में जमा की गई । आज की तारीख में कोई भी दावा बैंक के पास लंबित नहीं है।

खुदरा ऋण के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा अर्थात आवास और शिक्षा ऋण की सुविधा संभावित आवेदकों को दी गई है ।

बैंक के खुदरा ऋण की स्थिति निम्न प्रकार है :

रुपए करोड़ में

ऋण के प्रकार	वित्तीय वर्ष 13-14	वित्तीय वर्ष 14-15	विकास	% वृद्धि
आवासीय ऋण	4384.68	5092.74	708.06	16.15
बंधक ऋण	1708.16	2531.70	823.54	48.21
कार ऋण	649.27	513.03	(136.24)	(20.98)
शिक्षा ऋण	530.78	488.72	(42.06)	(7.92)
अन्य खुदरा ऋण	3083.93	3424.76	340.83	11.05
कुल खुदरा ऋण	**10356.82**	**120 50.95**	**1694.13**	**16.36**

खुदरा ऋण केन्द्र

कम समय में (अधिकतम 06 दिन) झंझट मुक्त ऋण देने के उद्देश्य से बैंक ने देश भर में 24 खुदरा ऋण केन्द्रों की स्थापना की है । उक्त ऋण केंद्रों में खुदरा ऋण प्रस्तावों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रोसेसिंग किया जाता है । वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक की 21 क्षेत्रों में कार्यरत 24 खुदरा ऋण केन्द्रों ने रू 756.93 करोड़ राशि के 5373 खुदरा ऋण प्रस्तावों को मंजूरी दी है ।

(रुपए करोड़ में)

खुदरा ऋण केन्द्रों की संख्या	स्वीकृत ऋण का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2014-15	
		संख्या	राशि
24	सभी खुदरा ऋण	5373	756.93

(रुपए करोड़ में)

खुदरा ऋण केन्द्रों की संख्या	स्वीकृत ऋण का प्रकार	वित्तीय वर्ष 2014-15	
		संख्या	राशि
24 (केन्द्रीकृत खुदरा ऋण केंद्र समेत)	बंधक आधारित खुदरा ऋण	**4637**	**678.82**

ट्रेजरी और अंतरराष्ट्रीय परिचालन

31.03.2014 को बैंक के निवेश पोर्टफोलियो में 45127 करोड़ रुपये से बढ़कर, 3.70% की वृद्धि दर्ज करते हुए दिनांक 31.03.2015 को 46798 करोड़ रुपये हो गया है । 31.03.2014 को बैंक के एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो 35100 करोड़ रुपए से घटकर दिनांक 31.03.2015 को 35020 करोड़ रुपए हो गया है । पोर्टफोलियो संशोधित अवधि एक वर्ष के पहले 4.11% की तुलना में बढ़कर मार्च 2015 में 4.62% हो गया है । बिक्री हेतु उपलब्ध (ए एफ एस) संशोधित अवधि पोर्टफोलियो मार्च 2014 को 1.96 से बढ़कर मार्च, 2015 को 3.59% हो गया है ।

पिछले वर्ष के दौरान रू526 करोड़ के व्यापार लाभ की तुलना में इस वर्ष के दौरान बैंक ने कुल रू1168 करोड़ का लाभ कमाया

विगत वर्ष की 8.05% की तुलना में वर्ष 2014-15 के दौरान निवेश पर औसतन प्रतिफल 8.94% हुआ और निवेश पर प्रतिलाभ 31.03.2014 में 8.00% से बढ़कर 31.03.2015 को 8.04% हो गया ।

बैंक का विदेशी मुद्रा कारोबार कुल रू 10111 करोड़ का हुआ, जिसमें निर्यात के तहत रू3057 करोड़, आयात के तहत रू 2044 करोड़ और धनप्रेषण के तहत रू4614 करोड़ शामिल है ।

31 मार्च 2015 तक बैंक का बकाया निर्यात ऋण रू 1096 करोड़ हुआ । वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने रू97 करोड़ का विनिमय आय प्राप्त किया ।

बैंक की विदेश में दो देशों में कार्यालय है जैसे- म्यांमार और बांगलादेश में है साथ ही ढाका, बांगलादेश और यांगून, म्यांमार प्रत्येक में एक प्रतिनिधि कार्यालय है । इंडो म्यांमार का व्यापार हमारे बैंक के जरिए किया जाता है । बांगलादेश के 20 बैंकों द्वारा यूएसडी और यूरो मुद्रा में (35) वोस्ट्रो खाते और म्यांमार के (14) बैंकों द्वारा यूरो, यूएसडी, एसजीडी मुद्राओं में (21)वोस्ट्रो खातों का हमारे बैंक में परिचालित किया जाता है । ग्लोबल आईएमई बैंक लि. नेपाल और म्यांमार इकोनोमिक बैंक लि., म्यांमार द्वारा हमारे बैंक में आईएनआर में वोस्ट्रो खाता परिचालित करते हैं ।

विदेश में (10) मुद्राओं में परिचालित 24 नोस्ट्रो खाते में वैदेशिक बैंकों में खोले गए 616 संवाददाता रिश्तों के माध्यम से, व्यापक नेटवर्क के जरिए बैंक का अंतरराष्ट्रीय परिचालन समर्थित है ।

अन्य सेवाएं

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के बीच में 25.06.2013 को मर्चेंट बैंकिंग प्रभाग ने बैंक का पहला निर्गम बेसल3 अनुपालित रुपये 500 करोड़ का टियर2 बांड जारी किया । एक निर्गम के लिए बैंकर, डिबेंचर ट्रस्टी और मर्चेंट बैंकर के रुप में सेबी द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र बैंक धारण करता है जिसके तहत नियामक शर्तों के अनुसरण में बैंक द्वारा परिभाषित कार्य और उत्तरदायित्वों का निर्वाह किया जाता है ।

बैंक के अपने बैंक एश्योरेंश व्यवस्था के तहत जीवन और गैरजीवन कंपनियों, दोनों के साथ, कंपनी करार व्यवस्था है । बैंक ने जीवन बीमा पॉलिसियों की बिक्री के लिए, जो 01 दिसंबर, 2014 को आधिकारिक तौर पर प्रारंभ किया गया, भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ एक टाई-अप व्यवस्था की है । दिसंबर, 2014 से मार्च, 2015 तक की अवधि के दौरान, बैंक ने 24.09 करोड़ रुपये की कुल राशि के प्रीमियम समेत 3158 पॉलिसियों की बिक्री की है ।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंट से 2.62 करोड़ रुपये और गैर जीवन बीमा सेगमेंट से 3.25 करोड़ रुपए का कमीशन अर्जित किया है ।

बैंक द्वारा विदेश के विभिन्न जगहों से विदेशी आवक धन अंतरण की सेवा प्रदान की जा रही है, जोकि वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम और एक्सप्रेस मनी के लिए उपएजेंट का काम करता है । वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने इस क्षेत्र में 10.55 लाख रुपए का कमीशन अर्जित किया है ।

सरकारी लेनदेन विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की निम्नानुसार सरकारी व्यावसायिक गतिविधियों का परिचालन किया जाता है :

- प्राधिकृत शाखाओं द्वारा प्रत्यक्ष रुप से और सभी शाखाओं द्वारा ईमोड (इंटरनेट बैंकिंग) द्वारा केंद्र सरकार के राजस्व अर्थात: प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर (सीबीडीटी, सीबीईसी एवं कस्टम) की वसूली की जाती है ।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रुप से राज्य के राजस्व और करों (बिक्री कर, वैट, प्रोफेशनल टैक्स आदि) का वसूल करना ।
- सरकारी जमा (पीपीएफ, एससीएसएस, बचत बॉण्ड, इंफ्लेशन लिंक्ड इंडेक्स बॉड आदि) का संग्रहण ।
- सुकन्या समृद्धि खाते और केवीपी (कार्यान्वयन) के तहत
- सरकारी निधि का रखरखाव (विभागीय मंत्रालयों के खाते, राज्य सरकार के ट्रेजरी परिचालन)
- स्कूल शिक्षकों के वेतन और विभिन्न प्रकार के पेंशन का भुगतान (केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और विभिन्न स्वायत्त संगठनों) ।

वृद्धावस्था वार्षिकी / पेंशन प्राप्त करने के लिए उक्त योजना में असंगठित क्षेत्र के लोगों के नामांकन के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) और स्वावलंबन (एनपीएसलाइट) ।

पेंशन निधि नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा बैंक प्वाइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के रूप में प्राधिकृत किया गया है और 1093 शाखाओं को सेंट्रल रेकॉर्ड कीपिंग एजेंसी (सीआरए) सिस्टम में प्वाइंट ऑफ प्रेजेंससर्विस प्रोवाइडर (पीओपीएसपी) के रूप में सभी नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन पी एस) में ग्राहकों के पंजीयन प्रक्रिया के कार्यान्वयन हेतु पंजीकृत किया गया है ।

बैंक को जनवरी, 2013 में पीएफआरडीए द्वारा संग्राहक के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है और 1473 शाखाएं एनपीएस लाइट संग्रह केन्द्रों (एनएलसीसीएस) के रूप में असंगठित क्षेत्र और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए एनपीएस लाइट / स्वावलंबन योजना में ग्राहकों के लिए पंजीयन प्रक्रिया के कार्यान्वयन हेतु केंद्रीय अभिलेख अभिरक्षण एजेंसी (सीआरए) प्रणाली में पंजीकृत किया गया है । एनपीएस/एनपीएस लाइट/स्वावलम्बन योजना के तहत समाज के असंगठित वर्ग से 11616 ग्राहकों को पंजीकृत किया गया है ।

प्रधान कार्यालय के केन्द्रीय पेंशन प्रसंस्करण केन्द्र (सीपीपीसी) द्वारा लगभग 1.00 लाख केन्द्रीय सिविल, टेलीकॉम, राजनीतिक, रेलवे और रक्षा पेंशनरों के रु. 115 करोड़ (लगभग) राशि का मासिक पेंशन संवितरण किया जा रहा है, जिसकी प्रतिपूर्ति अगले कार्य दिवस के भीतर हो जा रही है । सीपीपीसी द्वारा रेलवे पेंशन की प्रतिपूर्ति का दावा नोडल शाखाओं द्वारा 25 जून, 2014 से किया जा रहा है ।

पेंशनरों को प्रासंगिक जानकारी की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए, सभी पेंशन संवितरण शाखाओं एवं बैंक की वेबसाइट पर "पेंशनर्स चार्टर" भी प्रदर्शित किया गया है । ऑनलाइन पेंशन शिकायत निवारण व्यवस्था बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है । केन्द्र सरकार के सभी पेंशनरों के लिए पेंशनर भुगतान पर्ची आवश्यकतानुरूप बैंक के पोर्टल पर उपलब्ध है ।

सीपीपीसी अब हार्ड कॉपी भेजने की बजाय दैनिक आधार पर सीपीएओ वेबसाइट में ई-स्क्रोल अपलोड कर रहा है । रक्षा ई-स्क्रोल और एकमुश्त वसूली स्क्रोल भी अंतिम स्थिति में है । सरकार के जीवन प्रमाणन पोर्टल के माध्यम से, आधार कार्ड पंजीकरण **संख्या** प्राप्त पेंशनरों के द्वारा डिजीटल रुप में प्रस्तुत किया जानेवाला जीवन प्रमाणपत्र, अब बैंक द्वारा मैन्युअल रूप से डाउनलोड किया जा रहा है और एनआईसी पोर्टल के साथ आवश्यक समेकन के लिए आवश्यकतानुरूप पुन: परीक्षित किया गया है तथा उत्पादन सर्वर में परिनियोजन के अन्तर्गत है । दिसम्बर, 2014 से विभिन्न राजकोषों यथा, सीपीएओ, रक्षा, डाक एवं टेलिकॉम से प्राप्त सभी नए पीपीओएस को, सीपीएओ के दिशानिर्देशानुसार शाखाओं को भेजने के बजाय, प्रणाली में सभी आवश्यक डाटा प्रविष्टि करने के बाद सीपीपीसी के पास रखा जा रहा है ।

बैंक और एजेंसी कमीशन द्वारा नियंत्रित सरकारी व्यवसाय के कुल कारोबार के संबंध में वित्तीय वर्ष के दौरान इस तरह के कारोबार पर क्रमश: रु 43,030.22 करोड़ और रु 81.31 करोड़ की राशि अर्जित की गई है । वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान सरकारी व्यवसाय से एजेंसी कमीशन द्वारा किया गया अर्जन इस प्रकार है:

व्यापार के प्रकार	टर्न ओवर कमीशन (टीओसी) द्वारा अर्जित (करोड़ रुपए में)	
	2013 -14	2014 -15
कर	2.27	2.42
पेंशन	15.90	18.60
स्कूल वेतन	40.67	52.29
खजाना	6.21	6.67
पीपीएफ, एससीएसएस, बांड और एसडीएस	0.41	0.48
डीएमए	0.76	0.85
कुल	**66.22**	**81.31**

परिसंपत्ति गुणवत्ता और जोखिम प्रबंधन

वित्तीय वर्ष 2014-15 परिसंपत्ति गुणवत्ता पर गंभीर दबाव के साथ शुरू हुआ । वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बैंक का एनपीए सकल अग्रिम के 10.47% पर रु 7118 करोड़ था । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मासिक पीसीए के माध्यम से बैंक पर गंभीर निगरानी रखी गई थी तथा उधार पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे।

बैंक ने चुनौती स्वीकार की और अनुशासनहीन उधारकर्ताओं पर लगातार अनुवर्तन, दबावग्रस्त आस्तियों की निगरानी तथा कठिन खातों में कड़े उपाय करने के साथ, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मंद वृद्धि होने के बावजूद भी रु 6553 करोड़ के एनपीए स्तर अर्थात् सकल अग्रिम के 9.49% को कम करने में सक्षम हुआ। वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों की वसूली के लिए बैंक द्वारा उठाया गया प्रमुख कदम रु 5 लाख से नीचे बकाया राशि के साथ एनपीए के लिए एकबारगी निपटान (ओटीएस) का उदारीकृत सीमित अवधि प्रस्ताव, कुछ बड़े एनपीए उधारकर्ताओं को चूककर्ता के रुप में घोषणा, स्थानीय समाचार पत्रों में प्रमोटरों की तस्वीरों के साथ सामान्य जन सूचना का प्रकाशन था । जनता के बीच सामान्य जागरुकता पैदा करने के लिए बैंक ने चूककर्ता उधारकर्ताओं के प्रतिष्ठानों के आगे मौन संड शो तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन किया ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 की पिछली तिमाही के दौरान पीसीए और उधार देने के अवरोध को हटा दिया गया है । बैंक फिर से खोई हुई गरिमा को वापस प्राप्त करने के विकास मार्ग पर आ गया है।

आस्ति गुणवत्ता

बैंक आयनिर्धारण, आस्तियों के वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन करता रहा है । प्रतिशत आधार पर देखें तो बैंक की सकल अनर्जक आस्ति 31.03.2015 को 9.49% रही जबकि पिछले वर्ष यह 10.47% थी । पूर्ण रूप में देखें तो सकल अनर्जक आस्ति 31.03.2015 को रु6553 रही । बैंक का शुद्ध अनार्जक आस्ति अनुपात 31.03.2014 को 7.18% के एवज में 31.03.2015 को 6.22% रहा । समग्रत: 31.03.2015 को शुद्ध अनर्जक आस्ति रु4081 करोड़ रही । बैंक में वित्त वर्ष 2013-14 के रु 8007 करोड़ की एवज में वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान रु 4087 करोड़ का नया स्लीपेज हो सकता है । वर्ष के दौरान नकद वसूली रु 1237 करोड़ तथा कॉन्टिन्ग्यन रु 2655 करोड़ था । बैंक के प्रावधान कवरेज अनुपात में 31.03.2014 के 52.25% की एवज में 31.03.2015 में 58.50% की प्रगति हुई है। 2014-15 वर्ष के दौरान तकनीकि रुप से बट्टे खातों से की गई नकद वसूली रु 61 करोड़ थी ।

बैंक के बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक वसूली नीति है, जिसमें एनपीए की वसूली एवं कटौती करने के सभी उपायों जैसे एकबारी निपटान (ओटीएस), प्रभारित आस्तियों की बिक्री, आस्ति पुनर्निर्माण कंपनी (एआरसी) को बिक्री आदि को शामिल किया गया है। रु 5 लाख से कम की बकाया राशि वाले कम मूल्य के एनपीए खातों की वसूली के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान उदारीकृत दिशानिर्देशों को लागू किया है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने एनपीए से एआरसी को बिक्री को प्रधानता नहीं दी ।

पूंजी एवं आरक्षित निधियां

31 मार्च, 2015 तक बैंक का निवल मालियत रु 5029.58 करोड़ निर्धारित किया गया था । बैंक की कुल चुकता पूंजी रु 839.52 करोड़ और आरक्षित निधियां और अधिशेष रु 4988.48 करोड़ था । मार्च, 2015 तक बैंक में सरकार की शेयरधारिता 82% रही ।

(रुपए करोड़ में)

पूंजी की संरचना	मार्च 2014		मार्च 2015	
	बासेल -II मानदण्ड	बासेल -III मानदण्ड	बासेल -II मानदण्ड	बासेल -III मानदण्ड
जोखिम धारित परिसंपत्तियाँ	60060	61007	65882	66798
टीयर 1 पूंजी	4359	3987	5117	5021
जिसमें से सीईटी 1 पूंजी	लागू नहीं	3987	लागू नहीं	5021
टीयर 1 अनुपात (%)	7.26	6.54	7.77	7.52
जिसमें से सीईटी 1 अनुपात (%)	लागू नहीं	6.54	लागू नहीं	7.52
टियर 2 पूंजी	2523	1994	2404	2034
टियर 2 अनुपात (%)	4.20	3.27	3.65	3.05
कुल पूंजी	6882	5981	7521	7055
सीआरएआर (%)	11.46	9.81	11.42	10.57

पूंजी पर्याप्तता अनुपात टीयर 1 के 7.52% के अनुपात के साथ बासेल के मानदण्डों के तहत मार्च, 2015 में 10.57% निर्धारित किया गया । पूंजी पर्याप्तता अनुपात टीयर 1 के 7.77% के अनुपात के साथ बासेल के मानदण्डों के तहत मार्च, 2015 में 11.42% निर्धारित किया गया । बैंक के पास व्यवसाय वृद्धि की गति को समर्थन करने हेतु पूंजी बढ़ाने के लिए टीयर 1 और टीयर 2 विकल्पों के तहत पर्याप्त हेडरुम उपलब्ध हैं ।

जोखिम प्रबंधन

पूंजीगत पर्याप्तता ढांचा एवं आगामी रणनीति

इस बैंक की अपनी एकीकृत जोखिम प्रबंधन प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि जिस जोखिम की आशंका है वह परिभाषित जोखिम सीमा के भीतर है और उसका पर्याप्त रुप से निराकरण किया गया है । विभिन्न जोखिमों, जिसमें बैंक की संभावनाएं हैं, को क्रियान्वित करने के लिए, बैंक के पास पुख्ता जोखिम प्रबंधन आर्किटेक्चर है, जिसमें जोखिम प्रबंधन संरचना, जोखिम प्रबंधन नीतियां और जोखिम प्रबंधन कार्यान्वयन और निगरानी प्रणाली शामिल है ।

जोखिम प्रबंधन ढांचा:

बैंक के जोखिम सीमा के निर्धारण की समग्रतः जिम्मेदारी और प्रभावी जोखिम प्रबंधन का दायित्व बैंक के निदेशक मंडल और शीर्षस्थ प्रबंधन पर है । बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बैंक ने एक बोर्ड स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसका नाम निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबीओडी) है । यहां बैंक के विभिन्न जोखिम प्रबंधन कार्यों एवं गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने के लिए शीर्ष कार्यपालकों की कुछ अन्य आंतरिक समितियां भी हैं, जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) ।

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) ब्याज दर और चलनिधि जोखिमों की रणनीतिक प्रबंधन के लिए एक निर्णय लेने योग्य समिति है । एल्को की वर्ष में 15 बार बैठकें हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई जैसे, ब्याज दरों के परिदृश्य, जमा और अग्रिम दोनों के लिए उत्पाद मूल्य, वृद्धिशील आस्तियों एवं देयताओं के अपेक्षित परिपक्वता रुप रेखा, बैंक नीधियों की मांग, बैंक के आधार दर का पुनर्निर्धारण, बैंक के नकद प्रवाह, लाभ योजना और समग्र तुलनपत्र प्रबंधन ।

परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) पर बैंक की परिचालन जोखिम की निगरानी करने और एक स्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अभिकल्पन एवं निर्वाह द्वारा परिचालन जोखिम के निवारण हेतु मूल्यांकन एवं आवश्यक कदम उठाने का दायित्व है । यह सुनिश्चित करती है कि परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति के मानदंडो, नीतियों एवं दिशानिर्देशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जा रहा है । परिचालन जोखिम दृष्टिकोण से विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए ओआरएमसी की 11 बार बैठकें हुई ।

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) बैंक के व्यापक आधार पर ऋण नीति, प्रक्रिया और विश्लेषण, प्रबंध और नियंत्रण ऋण जोखिम से संबंधित विभिन्न ऋण जोखिम के पहलुओं की निगरानी करता है । परिचालन जोखिम के दृष्टिकोण से विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए वर्ष के दौरान समिति की 8 बार बैठकें हुई ।

जोखिम प्रबंधन की नीतियां:

विभिन्न जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और स्तंभ-II जोखिमों, पर चर्चा करने और ऐसे जोखिमों, जिसमें बैंक की संभावनाएं हैं, को पहचानने, प्रबंधित करने एवं उसके निवारण हेतु, बैंक ने विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं । इस प्रकार के जोखिमों से निपटने के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा ऋण नीति, आईसीएएपी पर नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, व्यवसाय लाइन मैपिंग नीति, आस्ति देयता प्रबंधन नीति, निवेश नीति, प्रकटीकरण नीति, ऋण लेखा नीति, तनाव परीक्षण नीति, और ऋण जोखिम निवारण तकनीक और संपार्श्विक प्रबंधन पर नीति आदि प्रमुख नीतियां विकसीत एवं अनुमोदित की गई हैं ।

ऋण जोखिम:

ऋण जोखिम से निपटने के लिए, बैंक ने एक ऋण नीति तैयार की है जिसमें ऋण जोखिम संबंद्ध समस्त परिचालन क्षेत्रों को शामिल करते हुए ऋण प्रबंधन के नीतिगत दिशानिर्देश निर्धारित हैं । यह नीति बैंक को अपने ऋण संविभाग में एक नियमित और स्वस्थ विकास के लिए नीतिगत ढांचे द्वारा निर्देशित ऋणगत निर्णयों के द्वारा जोखिम प्रबंधन क्षमताओं की वृद्धि करने के लिए सक्षम बनाती है ।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार में व्यक्तिगत उधारकर्ताओं, समूह उधारकर्ताओं, प्रवेश स्तरीय निवेश मानदंड, पर्याप्त निवेश सीमा, बेंचमार्क वित्तीय अनुपात, उधारकर्ता मानकों, उद्योगों के लिए निवेश सीमा/अधिकतम सीमा, संवेदनशील क्षेत्रों, मूल्यांकन वर्ग आदि विभिन्न प्रकार की विवेकाधिकार सीमा का निर्धारण किया है । वर्ष के दौरान इस प्रकार के सीमाओं को बोर्ड द्वारा समीक्षित किया गया है ।

वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंक के बोर्ड द्वारा तय की गई निवेश सीमा/अधिकतम सीमा के भीतर बैंक के विभिन्न निवेशों को सुनिश्चित करने के लिए छमाही आधार पर विभिन्न निवेश मानदंडों का विश्लेषण किया है ।

बैंक ने जोखिम मूल्यांकन कार्य से स्वतंत्र अपने ऋण मूल्यांकन कार्य का निर्धारण किया है । ऋण खातों का आंतरिक जोखिम मूल्यांकन, ऋण प्रस्तावों का आंकलन एवं उधारकर्ता के मूल्यांकन करने वाले एक सॉफ्टवेयर आधारित मूल्यांकन मॉडल के माध्यम से किया जाता है ।

बैंक ने वर्ष के दौरान, बैंक के ऋण संविभाग पर विशेष उद्योग/क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन करने और ऋण संविभाग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए रणनीतियों को अपनाने और संकेन्द्रण जोखिम के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, त्रैमासिक अंतराल पर ऋण संविभाग विश्लेषण का आयोजन किया ।

वर्ष के दौरान, बैंक ने भी एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष और चार वर्षों की समय सीमा के लिए स्थिरता दर, उन्नयन दर, निम्न कोटि निर्धारण दर एवं चूक दर का विश्लेषण करने के लिए छमाही अंतराल पर अपने उधारकर्ताओं का मूल्यांकन स्थानानंतरण विश्लेषण करने का कार्य शुरू किया है एवं संविभाग की गुणवत्ता को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की गई है ।

बैंक ने नीतियों का पालन, प्रक्रियाओं और अन्य वैधानिक आवश्यकताओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए एवं ऋण आस्तियों की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक ऋण समीक्षा प्रणाली को व्यवस्थित किया है । बैंक ने ऋण संविभाग की गुणवत्ता में सुधार के लिए रुपये 40.00 लाख से अधिक की ऋण सीमा वाले खातों में ऑनसाइट ऋण लेखा का कार्य भी किया है ।

बाजार जोखिम :

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए, बैंक ने नकदी, ब्याज दर, विदेशी मुद्रा और बैंक की इक्विटी जोखिम को मापने, निगरानी एवं प्रबंध करने पर जोर दिया है । व्यापार बही में बाजार जोखिम की निगरनी एवं प्रबंधन उसके उपयुक्त नियत्रंण प्रणाली द्वारा की जाती है । बाजार की स्थिति, वित्त पोषण पैटर्न, अवधि, प्रतिपक्ष सीमा और विभिन्न संवेदनशील मानकों को भी नियमित आधार पर बैंक द्वारा निगरानी किया जाता है । उन्नत जोखिम प्रबंधन उपकरण जैसे जोखिम पर मूल्य (वीएआर), उपार्जन पर जोखिम (आएआर), निवल एक दिवसीय खुली स्थिति सीमा (एलओओपीएल) और संशोधित अवधि सीमा का भी बाजार जोखिम के प्रबंधन में उपयोग किया जाता है ।

बैंक, नियमित आधार पर संरचनात्मक चलनिधि विवरणों और शेयर अनुपातों के माध्यम से तुलन पत्र के सभी मदों की चलनिधि जोखिम को मापती एवं निगरानी करती है । बैंक, ब्याज दर संवेदनशीलता अंतराल रिपोर्टों के माध्यम से इसके ब्याज दर जोखिम की भी निगरानी करता है ।

बैंक ने राजकोष कार्यों के लिए परिचालनगत दिशानिर्देशों को लागू करने हेतु अपनी निवेश नीति का प्रतिपादन एवं समीक्षा किया है । बैंक ने चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम आदि से निपटने के लिए एक आस्ति देयता प्रबंधन नीति को भी लागू किया है । इन नीतियों में प्रबंधन कार्य, प्रक्रिया, विवेकसम्मत जोखिम सीमा, समीक्षा व्यवस्था और रिपोर्टिंग प्रणाली आदि शामिल हैं । इन नीतियों की समय-समय पर वित्तीय एवं बाजार की स्थिति में परिवर्तन होने के क्रम में समीक्षा की जाती है ।

बैंक के निवेश संविभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने के साथ बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार के स्वचालित गणना के साथ चल रहे आधार पर अपने निवेश एवं राजकोष संविभाग की निगरानी के लिए बैंक के पास एकीकृत राजकोष प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस) सॉफ्टवेयर है ।

परिचालनगत जोखिम:

प्रभावी ढंग से एक परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक ने एक परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है । विभिन्न उत्पादों, गतिविधियों और विभिन्न व्यवसाय श्रेणी में आय की संगणना के लिए बैंक ने व्यवसायिक श्रृंखला संगणना नीति भी तैयार की है ।

बैंक के परिचालनगत जोखिम की निगरानी करने का दायित्व परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) का है । ओआरएमसी द्वारा बैंक द्वारा अपनाई गई प्रणाली, प्रक्रिया, नए उत्पाद तथा परिचालन जोखिम लॉस इवेन्ट डाटा की भी समीक्षा की जाती है और आंतरिक प्रणाली तथा प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए सुधारात्मक/निवारक उपाय करने हेतु यह सुझाव देता है ।

बासेल-II और बासेल-III अनुपालन:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी की श्रृंखला में 31 मार्च, 2009 से बैंक ने बासेल ढांचे का सफलता के साथ ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेत दृष्टिकोण (बीआईए) और पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) का माइग्रेट किया है ।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसरण में 01 अप्रैल, 2013 से बासेल पूंजी नियामक शर्तों का अनुसरण किया है । बैंक द्वारा तिमाही अंतराल में बासेल-II और बासेल-III, दोनों के तहत, जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूंजी की गणना किया जाता है ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने स्तंभ 2 दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए सभी वस्तु जोखिम का निर्धारण करने के लिए आंतरिक पूंजी पर्याप्त बैंक ने दोनों बासेल-II और बासेल-III के नियमों के तहत अपनी पूंजी की आवश्यकता की समीक्षा की और अपने पूंजी आधार को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं । बैंक ने आईसीएएपी को तिमाही आधार

पर बैंक की पूंजी की आवश्यकता और निगरानी के लिए समीक्षा की है ।

आईसीएएपी नीति के साथ, बैंक वार्षिक आधार पर आईसीएएपी दस्तावेज तैयार करता है और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा आंतरिक सत्यापन और अनुमोदन के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाता है । वर्ष 2014-15 के लिए बैंक के आईसीएएपी दस्तावेज आरबीआई को प्रस्तुत किया गया है ।

बैंक ने दोनों बासेल-II और बासेल-III के नियमों के तहत अपनी पूंजी की आवश्यकता की समीक्षा की और अपने पूंजी आधार को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं । बैंक ने आईसीएएपी को तिमाही आधार पर बैंक की पूंजी की आवश्यकता और निगरानी के लिए समीक्षा की है ।

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों और बैंक के तनाव परीक्षण नीति के अनुसार बैंक ने लिक्विडिटी रिस्क, ब्याज पर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और ऋण जोखिम जैसे विभिन्न जोखिमों पर त्रैमासिक अंतराल पर तनाव परीक्षण विश्लेषण का आयोजन किया और पूंजी पर्याप्तता और मुनाफे का आकलन भी किया ।

जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए, बैंक ने सीएएफआरएएल, एनआईबीएम, आईबीए, आईडीआरबीटी, सीएबी आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किए गए जोखिम प्रबंधन पर विभिन्न प्रशिक्षण/सेमिनार के लिए नियमित आधार पर अपने अधिकारियों को मनोनीत किया ।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 31 मार्च, 2015 तक बैंक द्वारा रु 28561 करोड़ ऋण दिया गया है जो कि एएनबीसी का 40.48% है । भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के अग्रिमों पर जारी संशोधित दिशानिर्देश के पश्चात लक्ष्य प्राप्त एएनबीसी का 40% करने के उद्देश्य से, बैंक ने विभिन्न कदम उठाए हैं, अर्थात् गिरवी के विसर्पोषण के लिए संपार्श्विक प्रबंधन कंपनियों को नियुक्त करना, दुग्ध उत्पादन की बड़ी इकाईयों को वित्त प्रदान करना, मुर्गी पालन, वृक्षरोपण, हाईटेक कृषि आदि ।

कृषि ऋण :

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान रु8292 करोड़ लक्ष्य के मुकाबले 88% की सीमा तक उपलब्धि पाते हुए रु.7283 करोड़ संवितरित किया है।31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए ऋण रु9073 करोड़ रहा जो एएनबीसी का लगभग 13% है । प्रत्यक्ष कृषि ऋण रु5898 करोड़ (एएनबीसी का 8.36%) है। बैंक ने हर साल अप्रत्यक्ष कृषि के तहत लक्ष्य प्राप्ति को बनाए रखा है जो एएनबीसी का 4.5% है ।

कमजोर वर्ग के लिए ऋण देना :

31 मार्च, 2015 को कमजोर वर्ग के लिए ऋण रु 7350 करोड़ हो गया है जो 10% की निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले एएनबीसी का 10.42% है। कमजोर वर्गों को ऋण प्रदान करना बैंक का प्रमुख क्षेत्र बना हुआ है जहां देश के पूर्वी और उत्तरी पूर्वी हिस्सों में ग्रामीण और अर्ध शहरी आबादी का अधिकांश हिस्सा इसी खंड से संबंधित है।

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ऋण देना:

अल्पसंख्यक समुदायों के लिए बैंक का ऋण मार्च 2015 के अंत तक रु.4285 करोड़ हो गया जो पीएसएल शर्त के अनुरूप 15% है । वित्त विस्तार के अलावा बैंक ने सच्चर कमेटी की सिफारिश के अनुसार वित्तीय साक्षरता आदि की दिशा में सभी आवश्यक कार्रवाई भी किया है।

किसान क्रेडिट कार्ड:

बैंक ने उत्पादन, निवेश, कृषि उपकरणों के रखरखाव, वार्षिक मूल्य वृद्धि के साथ साथ उपभोग की दिशा में कृषक समुदाय को सभी प्रकार की जरूरत के लिए 5 साल के लिए समग्र क्रेडिट सीमा होने, संशोधित योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) जारी करने के लिए सफलतापूर्वक संवेदीकरण कार्यक्रम आयोजित किया है । बैंक ने रु751 करोड़ की ऋण सीमा के साथ 2014-15 के दौरान 150,019 नया केसीसी जारी किया है, 31.03.2015 तक रु .2043.59 करोड़ रुपये का कुल बकाया के साथ बकाया जारी किए गए केसीसी की संख्या 542,790 थी । सरकार के दिशा निर्देशों के साथ केसीसी धारकों के लिए रुपे आधारित एटीएम कार्ड जारी करने के क्रम में बैंक ने 31.03.2015 तक केसीसी धारकों के लिए 2.24 लाख एटीएम कार्ड जारी किया है जिसमें से 65% सक्षम केसीसी धारक(अनपढ़, अनिच्छुक और एनपीए केसीसी धारक को छोड़कर) हैं।

स्वयं सहायता समूह :

बैंक का रु333.67 करोड़ रुपए की बकाया राशि के साथ 87,799 स्वयं सहायता समूहों के साथ क्रेडिट लिंकेज है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में 5808 स्वयं सहायता समूहों को 30 करोड़ रुपए की ऋण सीमा के साथ क्रेडिट लिंक दिया गया है। बैंक एसएलबीसी, पश्चिम बंगाल के निर्णय के अनुसार स्वयं सहायता समूहों के 1% ग्रेडिंग पर 1 लाख की प्रारंभिक क्रेडिट सीमा प्रदान करके स्वयं सहायता समूहों के लिए एनआरएलएम कार्यक्रम को लागू किया है।

कारपोरेट सामाजिक दायित्व पहल :

बैंकिंग क्षेत्र सहित, कॉर्पोरेट दुनिया में सीएसआर को अधिक से अधिक महत्व दिया गया है । इन वर्षों में, हमने युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में, प्राथमिकता क्षेत्र, औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे के विकास, साथ ही अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन प्रथाओं के माध्यम से अपने स्वयं के आंतरिक कामकाज के लिए बैंक की वित्तीय, प्रचार और विकास सहायता के साथ सीएसआर सिद्धांतों को एकीकृत किया है । हमारे सीएसआर स्तंभ स्थाई बैंकिंग, पर्यावरण, सामाजिक प्रतिबद्धताओं, मानव संसाधन विकास और हितधारक का विनियोजन कर रहे हैं ।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व के हिस्से के रूप में बैंक ने निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन किया है :

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी): बैंक ने अब तक समाज के दलित समुदाय से भावी उद्यिमयों को प्रशिक्षण देने के लिए पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों में 12 आरसेटी का गठन किया है ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान इन संस्थानों ने 10,673 ग्रामीण युवाओं / महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है जिनमें से 75% प्रशिक्षुओं ने स्वयं का आर्थिक उद्यम स्थापित किया है। कुल स्व रोजगार के प्रशिक्षुओं में से 85% महिला और कमजोर वर्गों समुदायों के हैं। इन संस्थानों के प्रशिक्षुओं को अपने स्वयं के उद्यम स्थापित करने में सक्षम करने के लिए हमारे बैंक शाखाओं से ऋण की व्यवस्था सहित प्रशिक्षण समर्थन (एस्कॉर्ट सेवाएँ) प्रदान किया जा रहा है ।

वित्तीय वर्ष 2014-15 तक, युनाइटेड आरसेटी द्वारा गरीबी रेखा से नीचे के उम्मीदवारों के लिए किए गए प्रशिक्षण से संबंधित व्यय के बदले बैंक रू.1,00,62,805/- के लिए दावा प्रस्तुत किया है जिसमें से 31.03.2015 तक बैंक को रू .68,32,886 की प्रतिपूर्ति प्राप्त हुई है ।

एफएलसीसी : बैंक ने समाज के निर्धन लोगों के लिए वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श सेवाओं का विस्तार करने के लिए पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों में 38 वित्तीय साक्षरता केन्द्रों की स्थापना की है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में, उक्त एफएलसीएस द्वारा वितीय साक्षरता प्रदान करने के लिए नियमित बाहरी क्रियाकलाप आयोजित किए गए ।

युनाइटेड बैंक सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन (यूबीएसईडीएफ) : बैंक के निदेशक मंडल के निर्णय के क्रम में कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने की दिशा में लिए गए निर्णय के संदर्भ में सामाजिक और आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा समाज के कमजोर और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से 30 मार्च 2007 को इसे स्थापित किया गया था। बैंक ने 31.03.2015 तक अपने सीएसआर गतिविधियों की ओर रुपए 188 लाख की शामिल कुल राशि को 66 विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों में वित्तीय सहायता बढ़ाया है । वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ने 7 परियोजनाओं के लिए रू 63.20 लाख वितरित किया है जिसे सामाजिक कारणों के लिए संबंधित संगठनों द्वारा निष्पादित किया जाना है ।

एमएसएमई ऋण

एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित कार्यनिष्पादन ऋण नीचे प्रस्तुत है :

(राशि करोड़ में)

	31.03.14 तक		31.03.15 तक		वर्षवार
	सं.	बकाया	सं.	बकाया	विकास
माइक्रो	234888	7259	221214	8287	14.16
लघु	14807	4225	14235	4058	(3.95)
एमएसई	249695	11484	235449	12345	7.50

बैंक 31.03.2015 तक एमएसई क्षेत्र के तहत 7.50% की वर्षवार वृद्धि हासिल की।

1. एमएसएमई लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीतियाँ

- एमएसएमई क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाने के लिए पहल
- इस वित्तीय वर्ष के लिए रुपये 14400 करोड़ का एमएसई लक्ष्य रखते हुए और अनुरूपी एनपीए की दृष्टि से हमारा पूरे प्रयास गुणवत्तापूर्ण पोर्टफोलियो का निर्माण, उच्च गुणवत्ता आस्ति प्राप्त करने और एनपीए में प्रभावशाली वसूली और नए स्लिपेज को रोकने पर केंद्रित है।
- बदलाव का समय कम करने और गुणवत्ता आस्ति पोर्टफोलियो बनाने के लिए केंद्रीकृत एमएसएमई ऋण प्रोसेसिंग केन्द्र (एमएसएमईएल पी सी) नियंत्रण और एमएसएमई विभाग की निगरानी और नियंत्रण में कोलकाता में स्थापित किया गया है। एमएसएमई एल पी सी देश भर में सभी स्थानों से प्राप्त रुपए 1.00 करोड़ और उपर तक के उचित ऋण प्रस्तावों का प्रक्रिया मंजूरी देगा । अतिरिक्त एमएसएमई एल पी सी प्रस्तावों की मात्रा और कार्य निष्पादन के आधार पर विभिन्न नोडल केन्द्रों पर खोला जा सकता है।
- क्षेत्रों को एमएसई ऋण देने के लिए लक्ष्य तय करने के लिए सलाह दी गई है। एमएसएमई विशेष शाखाओं और औद्योगिक क्षेत्र/समूहों के नजदीक प्रमुख रूप से आसपास स्थित जगहों सहित एमएसएमई अग्रिम की संभावना वाली शाखाओं को उद्यिमयों से नए कारोबार करने और बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी गई है।
- त्रैमासिक ब्रेकअप के साथ एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्र वार और शाखा वार लक्ष्य तय किया गया। नियमित रूप से अनुवर्ती प्रधान कार्यालय में साप्ताहिक आधार पर नियमित अनुवर्तन किया जाता है।

- एमएसएमई वित्तपोषण की संभावना वाली 87 शाखाएँ उन जिलों में विशेष एसएमई शाखाओं के रूप में नामित की गयी हैं जहाँ हम अग्रणी बैंकर और समूहों के नजदीक हैं ।

- उनके एमएसएमई एसोसिएशनों / एनएसआईसी के साथ टाई अप और उनके प्रचार (प्रोमोशनल) कार्यक्रमों में भागीदारी कार्यशालाओं / सेमिनारों और ईडीपी कार्यक्रमों के साथ नियमित रूप से इंटरफ़ेस करना।

- एमएसएमई ऋण के साथ काम कर रहे अधिकारियों को उचित ऋण प्रस्तावों की परेशानी मुक्त मंजूरी के लिए नियमित आधार पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

- रियायती दर पर एमएसएमई इकाइयों की रेटिंग के लिए केडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ टाई अप। उच्चतम और 2 सर्वोच्च श्रेणी एमएसएमई इकाइयों के लिए ब्याज में कमी के रूप में प्रोत्साहन।

- बैंक एमएसएमई वित्तपोषण के लिए समूह / क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण अपनाया है।

बैंक ने 10.00 लाख तक एमएसई क्षेत्र के लिए संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए प्रोत्साहित किया है।

अग्रणी बैंक योजना

बैंक पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है । बैंक चार राज्यों के 34 जिलों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है जिसमें पश्चिम बंगाल में 10 जिले, असम में 12 जिले, मणिपुर में 4 जिले और त्रिपुरा में 8 जिले शामिल हैं ।

राज्य का अग्रणी बैंक होने के नाते, अग्रणी बैंक योजना में शामिल राज्य के लिए वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के निर्माण एवं अंतिम रुप देने और राज्य सरकार के प्राधिकारियों के साथ निकट संपर्क बनाए रखते हुए विभिन्न सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त कार्ययोजना तैयार करने में बैंक सक्रिय रुप से शामिल है ।

पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा दोनों राज्यों के एसएलबीसी का संयोजक होने का नाते बैंक के लिए 2014-15 का वर्ष घटना प्रधान रहा ।

त्रिपुरा राज्य में आयोजित की गई एसएलबीसी की बैठक में राज्य के माननीय मुख्य मंत्री श्री मानिक सरकार और माननीय वित्त मंत्री श्री बादल चौधुरी, भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक और राज्य के लाईन विभाग के प्रमुख सचिव जैसे गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया ।

पश्चिम बंगाल राज्य के माननीय वित्त मंत्री डॉ. अमित मित्रा, भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग से निदेशक और राज्य के लाईन विभाग के प्रमुख सचिव ने वर्ष 2014-15 के दौरान पश्चिम बंगाल राज्य में आयोजित की गई एसएलबीसी की सभी बैठकों में सहभागिता की ।

- बैंक के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा राज्य में वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपलब्धियां हुई:

- एसएलबीसी संयोजक के रूप में बैंक के नेतृत्व में दोनों राज्यों में प्रधानमंत्री जन धन योजना , एक व्यापक वित्तीय समावेशन योजना 28 अगस्त , 2014 को उचित तरीके से शुरू किया गया था । पश्चिम बंगाल में , डॉ. नजमा हेपतुल्ला, माननीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि थे। युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व के अथक प्रयासों और जनता की भारी प्रतिक्रिया के तहत, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य के 90 से अधिक परिवारों को कवर करने की उपलब्धि हासिल की ।

- पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा दोनों के लिए 2015-16 के लिए वार्षिक ऋण योजना नाबार्ड द्वारा तैयार की गयी पीएलपी के आधार पर अंतिम रूप दिया गया और औपचारिक रूप से 16.03.2015 और 20.03.2015 पर आयोजित एसएलबीसी की बैठकों में शुरू की गयी जो ठीक 1 अप्रैल, 2015 से प्रभावी होगी ।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय समावेशन वैकल्पिक तकनीकों से आम लोगों में बैंकिंग की आदतों को बढ़ावा देने की एक नवोन्मेषी अवधारणा है। देश के सभी परिवारों को व्यापक वित्तीय समावेशन में लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने 28 अगस्त , 2014 को वित्तीय समावेशन पर प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)पर एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया । यह योजना हर घर के लिए बैंकिंग सुविधाओं की सार्वभौमिक पहुँच के साथ प्रत्येक घर के लिए वित्तीय साक्षरता, ऋण बीमा और पेंशन की सुविधा के लिए कम से कम एक बुनियादी खाता होने से संबंधित है ।

बैंक ने सफलतापूर्वक वित्तीय समावेशन को कार्यान्वित किया है और समावेशी विकास के लिए कदम उठाते हुए बैंकों से दूर रहे परिवारों को बैंकिंग दायरे में लाया है । ग्राहकों को बुनियादी बैंकिंग सेवाओं के साथ बीमा और पेंशन उत्पाद भी प्रदान किया जाता है। बैंक मित्र समग्र वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे अतएव बैंक ने उनके लिए ज्यादा आकर्षक और कार्यनिष्पादन से संबद्ध पारिश्रमिक की भी व्यवस्था की है ।

बैंक मित्र के माध्यम से गावों को शामिल करना:

13,250 गांवों को वित्तीय समावेशन के दायरे में शामिल करते हुए बैंक मित्रों के माध्यम से सेवा प्रदान की गई जिनमें से 1816 गावों की जनसंख्या 2000 से ज्यादा है और 11,434 गावों की जनसंख्या 2000 से कम है ।

4252 बैंक मित्र (बीसी एजेंट) उप सेवा क्षेत्र (एसएसए) योजना के तहत अभी काम कर रहे हैं । सभी बैंक मित्र निर्धारित केन्द्रित स्थानों के माध्यम से ऑन लाइन मोड पर काम कर रहे हैं ।

गैर बैंकिंग परिवारों का कवरेज:

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के दायरे तहत 51.47 लाख गैर बैंकिंग परिवार शामिल हुए हैं ।

खातों को खोलना और रुपे डेबिट कार्ड जारी करना:

पीएमजेडीवाई के अन्तर्गत 38.69 लाख खाते खोले गए हैं । इनकी तुलना में 30.67 लाख रुपे डेबिट कार्ड जारी किए गए हैं ।

जमा संग्रहण :

पीएमजेडीवाई के तहत, बैंक ने रु 1465.06 रुपये कासा जमा संग्रहित किया है, जो औसत प्रति खाता रु 3786 औसत शेष राशि है ।

आधार सीडिंग :

सरकारी सहायिकी को हिताधिकारियों के खाते में सीधे अंतरण सुनिश्चित करने के क्रम में 13.15 लाख पीएमजेडीवाई खाता आधार संबद्ध किया गया ।

आधार सक्षम भुगतान सेवा (एईपीएस)

बैंक ने सफलतापूर्वक बैंक मित्र के माध्यम से एईपीएस ऑनयूएस और ऑफयूएस जारीकर्ता/प्राप्तकर्ता लेनेदेन को कार्यान्वित किया है । फिर भी, कोई ग्राहक आधार संबद्ध खाते को बैंक मित्र के माइक्रो एटीएम के माध्यम से लेनदेन कर सकता है ।

ई केवाईसी शाखा के साथ साथ बैंक मित्र स्तर पर भी सक्रिय कर दिया गया ।

प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण :

डीबीटी / डीबीटीएल के लिए, बैंक खाता आधारित और आधार आधारित एपीबीएस लेनदेन दोनों ले रहा है ।

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता बढ़ाने के लिए, बैंक ने स्थानीय भाषा में एक लघु फिल्म और रेडियो जिंगल भी तैयार किया है जिसे खाता खोलने वाले शिविरों के दौरान दिखाया जा रहा है । इसके अलावा बैंक के 38 अग्रणी बैंक कार्यालयों, 12 आरसेटी में भी जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किया जाता है । शाखाएं भी नियमित अंतराल पर गावों में साक्षरता शिविर आयोजित करती हैं ।

संगठन एवं सहायता सेवा

शाखा नेटवर्क

भारतीय रिज़र्व बैंक ने तत्पर सुधार कार्रवाई (पीसीए) के तहत अपने दिनांक 14.02.2014 के पत्र सं. डीबीएस.सीओ.पीएसबीएमडी.सं.90/14.01.2052/2013-14 के द्वारा शाखाओं के खोलने पर प्रतिबंध लगाया था ।

फिर भी, भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 05 दिसम्बर, 2014 के पत्र सं. बीएपीडी.8382/22.03.026/2014-15 के विशेष अनुमति के द्वारा 2014-15 के दौरान 05 शाखाएं खोली गई थीं ।

02 मेट्रो शाखाएं यथा, नई दिल्ली क्षेत्र के तहत नेहरु प्लेस और दरियागंज ईसी, कॉरपोरेट वित्त शाखा, नई दिल्ली के साथ विलय कर दिया गया था । 2014-15 के दौरान 05 शाखाओं को खोलने और 02 शाखाओं के विलयन के साथ पूरे भारतवर्ष में फैली हुई शाखाओं की कुल संख्या 31.03.2015 तक 2004 थी। बैंक के देशभर में 04 एक्सटेंशन काउंटर और 35 क्षेत्रीय कार्यालय हैं ।

कुल शाखा नेटवर्क का संख्या समूहवार संरचना:

स्थान	शाखाओं की संख्या (कुल का %)	
	31.03.2014	31.03.2015
मेट्रोपोलिटन	332 (16.59%)	330 (16.47%)
शहरी	461 (23.04%)	463 (23.10%)
अर्ध शहरी	409 (20.44%)	411 (20.51%)
ग्रामीण	799 (39.93%)	800 (39.92%)
कुल	**2001**	**2004**

कुल शाखा नेटवर्क की भौगोलिक स्थितिवार संरचना:

स्थान	शाखाओं की संख्या (कुल का %)	
	31.03.2014	31.03.2015
पूर्वी क्षेत्र	1168 (58.37%)	1169 (58.33%)
पूर्वोत्तर क्षेत्र	351(17.54%)	352 (17.56%)
पश्चिमी क्षेत्र	85 (4.25%)	85 (4.24%)
उत्तरी क्षेत्र	125 (6.25%)	123 (6.14%)
दक्षिणी क्षेत्र	118 (5.90%)	121 (6.05%)
केन्द्रीय क्षेत्र	154 (7.69%)	154 (7.68%)
कुल	2001	2004

विशिष्ट ग्राहकों के लिए बैंक की 149 विशेष शाखाएं हैं ।

विशेष शाखाओं की श्रेणियाँ	31.03.2015
1. एमएसएमई	87
2. आस्ति वसूली प्रबंधन	4
3. खुदरा केंद्र	26
4. एमएसएमई ऋण प्रसंस्करण केन्द्र	1
5. कॉर्पोरेट वित्त शाखा	4
6. सेवा शाखा	19
7. महिला शाखा	5
8. ट्रेजरी शाखा	1
9. केन्द्रीय पेंशन प्रसंस्करण केन्द्र	1
10. कैश मैनेजमेंट सर्विस हब	1
कुल	149

31.03.2015 तक कुल 2004 शाखाओं में से 884 (44.11%)शाखाएं देश भर में 85 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्थित हैं।

देश भर में बैंक की 35 क्षेत्रीय कार्यालय है।

इन्फो टेक पहल

कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस (सीबीएस):

सभी शाखाओं में कोर बैंकिंग सोल्यूशन (फिनेकल) के अंतर्गत आते हैं। कोर बैंकिंग डेटा बेस सिस्टम के प्रदर्शन में सुधार करने के लिए उच्च संस्करण के लिए उन्नत किया गया है। अपने कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) के तौर पर , बैंक आवधिक डी.आर (डिजास्टर रिकवरी) अभ्यास आयोजित करता है।

नेटवर्क:

बैंक नेटवर्क के कार्यनिष्पादन में सुधार करने के लिए सभी शाखाओं में वान ऑप्टिमाइजेशन सोल्यूशन लागू किया है । बैंक के केवल कटने की परिस्थिति में नेटवर्क कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने हेतु चयनित सिंगल सेंटर शाखाओं में द्वितीय बैक अप के रूप में वीसेट लिंक का कार्यान्वयन किया है ।

भुगतान प्रणाली :

बैंक की सभी शाखाओं और प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से सीधे महत प्रसंस्करण (एसटीपी) का उपयोग कर अगली पीढ़ी आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से अंतर बैंक फंड अंतरण के लिए सक्षम हैं। आरटीजीएस / एनईएफटी की सुविधा भी खुदरा और कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध है। हमारे मोबाइल बैंकिंग ग्राहक एनईएफटी सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। स्विफ्ट सेवाएं समेकित रूप से दुनिया भर में अंतरबैंक वित्तीय संचार के माध्यम से ए श्रेणी के ए.डी शाखा और 39 बी श्रेणी के ए.डी शाखाओं के लिए पेशकश की जा रही है। वर्ष के दौरान बैंक सफलतापूर्वक व्यापार निरंतरता योजना (बीसीपी) को डीसी डीआर आरटीजीएस/एनईएफटी के लिए अभ्यास और

स्विफ्ट का आयोजन किया गया। क्रेडिट (एल.सी) पत्र एस.एफ.एम.एस के माध्यम से जारी किया जाता है।

बैंक की वेबसाइट और इंट्रानेट :

बैंक का इंट्रानेट पोर्टल को जानकारी विनिमय करने, ज्ञान प्रबंधन और ऑनलाइन परीक्षा के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। वित्त मंत्रालय के निदेशानुसार, बैंक की वेबसाइट में ऑनलाइन शिकायत, आवास ऋण, कार ऋण क्रियान्वित किया गया है । ग्राहकों के सभी अनुरोध को ऑनलाइन बनाने के लिए और ऑनलाइन ट्रैकिंग करने की सुविधा है ।

स्वयं सेवा कियोस्क :

चयनित शाखाओं में स्वयं सेवा कियोस्क सेवाओं की एक नई प्रौद्योगिकी पहल किया गया है। यह पासबुक प्रिंटिंग, नकद जमा और चेक जमा सेवाओं के लिए है ।

मेल संदेश प्रणाली :

सभी कार्यालयों को शामिल करते हुए वर्ष के दौरान केंद्रीकृत अभिलेखीय समाधान के साथ कॉर्पोरेट मेल संदेश प्रणाली को उन्नत बनाया गया ।

एस ओसी और आईटी सुरक्षा :

आईटी सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वितरण चैनलों के माध्यम से लेनदेन में घातीय वृद्धि पर बढ़ती निर्भरता के साथ, बैंक व्यवसाय के निर्वाह के लिए प्रमुख क्षेत्र के रूप में सूचना सुरक्षा की पहचान की गई है । भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, प्रौद्योगिकी जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ी को बैंक में सूचना सुरक्षा प्रबंधन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में लिया जाता है । बैंक सक्रिय रूप से भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों पूरी तरह से पालन करने के लिए अंतराल को कम करने में लगा है । बैंक नियमित रूप सर्टइन एमपैनेल्ड एजेंसी के माध्यम से महत्वपूर्ण आईटी बुनियादी ढांचे की नियमित सुरक्षा लेखा परीक्षा आयोजित करता है । बैंक ने अपने वेबसाइटों के लिए एंटी फ्रिशिंग, एंटीविरोधी एंटीफॉर्मिंग, एंटीट्रोजन और एंटीमैलवेयर प्रबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए पेशेवर एजेंसी को लगाया है । बैंक के लॉग 24x7 निगरानी और रिकॉर्डिंग के लिए डेटा सेंटर और डिजास्टर रिकवरी सेंटर में उपलब्ध सभी उपकरणों और मैपिंग् द्वारा सुरक्षा संचालन केन्द्र (एसओसी) को चालू किया गया है आईएस सुरक्षा के संचालन के लिए एसओसी द्वारा केंद्रीकृत सूचना सुरक्षा स्थिति और कमांड सेंटर दृष्टिकोण प्रदान करता है।

बायोमैट्रिक :

वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय ने सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को प्रमाणीकरण धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए बैंक के कर्मचारियों के लिए लॉग इन बायोमैट्रिक पेश करने का निर्देश दिया है । बैंक अपनी सभी शाखाओं को बायोमैट्रिक प्रमाणीकरण समाधान लागू किया गया है।

सीएमएस :

बैंक ने शेयरों की अमूर्तिकरण और अनोखे व्यापार मंच हेतु ऑनलाइन पंजीकरण पोर्टल यू-कनेक्ट शुरू किया है. बैंक कोटक के साथ समझौता हस्ताक्षर किया है ताकि बैंक के ग्राहक ऑनलाइन ट्रेडिंग सुविधाओं का लाभ उठा सके ।

सीटीएस :

बैंक ने सभी तीन ग्रिड अर्थात् दक्षिणी ग्रिड, पश्चिमी ग्रिड, उत्तरी ग्रिड पर सीटीएस समाधान लागू किया गया हैजो 67 केन्द्रों और 551 शाखाओं को शामिल करता है। इसके अलावा, एक केंद्रीकृत आवक चेक प्रसंस्करण केंद्र कोलकाता में चालू किया गया है जो दक्षिणी ग्रिड के सभी आवक समाशोधन उपकरणों से निपटने का कार्य करता है । पश्चिमी ग्रिड और उत्तरी ग्रिड में आवक चैक से निपटने के लिए क्रमश: मुंबई और दिल्ली सर्विस ब्रांच में केंद्रीकृत कर दिया गया है। आवक उपकरणों के लिए स्कैन हब भी शहर / क्षेत्र के हिसाब से केंद्रीकृत किया गया है ।

वर्चुअलाइजेशन:

बैंक ने गैर महत्वपूर्ण प्रयोगों के लिए आभासी वातावरण में कुछ प्रत्यक्ष सर्वरों को मजबूत बनाने हेतु पहल की है । आभासी सेवाओं को सक्षम करके बैंक ने बिजली की खपत, कार्बन पदचिह्न कम करते हुए डेटा सेंटर में बेहतर सर्वर प्रबंधन को सक्रिय किया है ।

वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यम :

बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए उद्योग में उपलब्ध सभी लोकप्रिय वैकल्पिक सुपुर्दगी माध्यमों द्वारा चौबीसो घंटे बैंकिंग सेवा प्रदान करता है। 31.03.2015 तक चैनलों की स्थिति निम्नानुसार है।

एटीएम: वित्तीय वर्ष 2014-15 में 312 एटीएम लगाए गए है और अब कुल एटीएम की संख्या 1912 हो गई है, इसके नेटवर्क के अलावा, देश में और विदेश में हमारे ग्राहक एन एफ एस/चीज़ा के सभी एटीएम का उपयोग कर सकते हैं।

डेबिट कार्ड: बैंक रुपे और वीजा दोनों के डेबिट कार्ड जारी कर रही है। बैंक का कुल डेबिट कार्ड 50.40 लाख था। कार्ड एटीएम, दुकानों पर और ईकॉमर्स साइटों पर लेनदेन के लिए सक्षम हैं। कार्ड पश्चिम बंगाल राज्य के लिए ऑन लाइन कर के भुगतान के लिए भी सक्षम हैं। इसके अलावा, ग्राहक बैंक की वेबसाइट www.unitedbankofindia.com पर जाकर इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सेवाओं के लिए खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। बैंक ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के लिए चिप आधारित कार्ड जारी कर रही है।

इंटरनेट बैंकिंग : कुल 2.25 लाख ग्राहकों ने इंटरनेट बैंकिंग के लिए पंजीकृत किया है, जिसके माध्यम से वे घर / कार्यालय में आराम से बैठकर बहुत से क्रिया कलाप कर सकते हैं जैसे खुद उपयोगकर्ता पंजीकरण, खाता देखना, धन हस्तांतरण, बिल भुगतान, खरीद, कर भुगतान, सावधि जमा खोलना आदि. बैंक में पीपीएफ मॉड्यूल भी शुरूकी गई है। जिसके माध्यम से ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग पंजीकृत ग्राहकों के खाते में जमा करने सहित ऑनलाइन उनके पीपीएफ खातों का प्रबंधन कर सकते हैं। अन्य मूल्य वर्धित सेवाओं यथा आधार / एलपीजी आईडी लागू करना, टैक्स की ईफाइलिंग भी उपलब्ध है।

मोबाइल बैंकिंग: मोबाइल बैंकिंग आने वाले दिनों में सबसे प्रमुख बैंकिंग माध्यम होने की उम्मीद है।काफी सुविधाओं के साथ साथ आईएमपीएस (पी 2 पी, पी2ए, पी2एम) आधारित धन अंतरण, मोबाइल रिचार्ज आदि ग्राहक आईएमपी आधारित व्यापारी सुविधा के माध्यम से रेलवे टिकट बुक कर सकते । सेवा यानी ग्राहक की सुविधा के आधार पर सभी साधनों में उपलब्ध है, वैप आधारित है और यूएसएसडी आधारित एसएमएस आधारित है। बुनियादी मोबाइल हैंडसेट के साथ ग्राहक मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से यूएसएसडी उत्पाद, एनपीसीआई का यानी एनयूयूपी (राष्ट्रीय एकीकृत यूएसएसडी मंच) भी शुरू की गई है। कुल पंजीकरण आधार के साथ 0.55 लाख रुपए है। ग्राहक को बेहतर अनुभव देने के लिए आवेदन के रंग रूप भी बदल दिया गया है।

एसएमएस आधारित खाता शेष: ग्राहक 9015431345 पर एक मिस कॉल देकर एसएमएस के माध्यम से किसी भी समय अपने खाते की शेष राशि पता कर सकता हैं।

मिस्ड कॉल सावधि जमा: बैंक ने एक अनूठा उत्पाद शुरू किया है जिसमें ग्राहक 08470820820 पर मिस कॉल देकर 12 महीने की अवधि के लिए 10,000 / जमा कर सकते हैं ।

केंद्रीकृत भुगतान केंद्र

बैंक ने प्रधान कार्यालय में एक केंद्रीकृत भुगतान केंद्र की स्थापना की है जो अलग भुगतान प्रणाली के उच्च मूल्य के लेन देन को सुरक्षित, कुशल और विश्वसनीय ढंग से संभालता है । केंद्रीकृत भुगतान केंद्र 11.03.2014 से प्रभावी है।

- विभाग निम्नलिखित सेवाओं की देख रेख कर रहा है :
- एनएसीएच डेबिट
- एनएसीएच क्रे डिट
- एबीपीएस (आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली)
- गंतव्य बैंक के रूप में एनपीसीआई का जनादेश प्रबंधन प्रणाली
- डीबीटीएल (एलपीजी ग्राहकों के लिए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण)
- ईसीएस क्रेडिट प्रायोजक बैंक के रूप में केन्द्र सीपीएच प्र.का. में, (भारतीय रिजर्व बैंक से एनएसीएच के मंच पर आने से पहले शाखाओं / सेवा शाखा द्वारा संसाधित किया जा रहा था, जो 17.02.2015 पर एनएसीएच मंच पर किया जा रहा है)
- भारतीय रिजर्व बैंक एनएसीएच मंच पर 30.06.2015 को या इससे पहले जनादेश प्रबंधन प्रणाली सहित प्रायोजक बैंक के रूप में ईसीएस डेबिट
- सीएमएस (नकद प्रबंधन सेवाएं)
- सीएमएस भुगतान सेवाएं
- कॉर्पोरेट थोक भुगतान
- जी इपीजी (सरकारी ईपेमेंट गेटवे)
- सीएमएस संग्रह सेवा
- इंडो नेपाल धन प्रेषण सेवा
- केन्द्रीकृत जनादेश के आधार डायरेक्ट डेबिट सर्विस
- कॉर्पोरेट नकद और चेक संग्रह सेवा
- एएसबीए (अवरोधित राशि से समर्थित एप्लीकेशन)
- कोर एएसबीए
- सिंडीकेट एएसबीए
- ईएएसबीए (ई-बैंकिंग/नेट बैंकिंग मंच के माध्यम से)

जनशक्ति प्रोफ्राइल

बैंक में कुल कर्मचारियों की संख्या पिछले वर्ष 16,499 के एवज में 31 मार्च, 2015 को 15,192 रहा ।

कर्मचारियों की श्रेणी	मार्च 2014	मार्च 2015
कर्मचारियों की कुल संख्या	16499	15192
अधिकारी	7550	7355
लिपिक	6306	5428
अधीनस्थ कर्मचारी	2643*	2409*

*अंशकालिक कर्मचारी को छोड़ कर

बैंक के कुल कर्मचारियों में से 48.42% अधिकारियों, 35.72% लिपिकों और 15.86% अधीनस्थ कर्मचारी शामिल हैं । इनमें शामिल 2991 महिला कर्मचारी बैंक के कुल कर्मचारियों का19.69% है ।

बैंक वर्ष 2014-15 के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के लगाने पर भर्ती नहीं जा सकी। हालांकि बहुत हाल ही में इसमें ढील दिया गया है और संगठन को सुचारू चलाने के लिए प्रभावी ढंग से योजना प्रक्रिया और श्रम शक्ति प्रबंधन को पूरा करने के लिए 700 पीओ और 500 क्लर्कों की भर्ती के लिए भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत रिक्त पदों को भरने के लिए शुरूकिया गया है। ।

वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान इंटर कैडर और अंतर वर्ग पदोन्नति सफलतापूर्वक की गई और कुल 621 कर्मचारी को उनके अगले उच्च कैडर में पदोन्नत किया गया ।

प्रशिक्षण/मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

बैंकिंग प्रौद्योगिकी तीव्र गति से विकसित हो रही है और क्षमता विकास के नए प्रौद्योगिकी आधारित कौशल के साथ परंपरागत बैंकिंग कौशल को मजबूत करना बैंक के लिए अत्यंत जरूरी है। मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों आंतरिक प्रशिक्षण प्रणाली की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रमुख कदम उठाए गए हैं ।

वर्तमान में, बैंक के कोलकता में एक कर्मचारी प्रशिक्षण विद्यालय और चार क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र गुवाहाटी, भुवनेश्वर,दिल्ली और मुंबई में है, जहां पूर्णकालिक संकाय सदस्यों द्वारा साल भर नियमित पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए तैनात किए गए हैं । सरकारी लेनदेन और नकद प्रबंधन, ग्रामीण ऋण के प्रभावी वितरण, लघु उद्यम विकास, विदेशी मुद्रा आदि विशेष विषय पर प्रशिक्षण आरबीआई,आईआईबीएफ मुंबई, बीआईआरडी,आईडीआरबीटी,एनआईआरडी,आईआईबीएम गुवाहाटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के तत्वावधान में वर्ष के दौरान व्यवस्थित प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं ।

विशेष प्रशिक्षण जैसे ऋण, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय समावेशन, प्रबंधन विकास, धोखाधड़ी विश्लेषण, विदेशी मुद्रा आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिकारियों की प्रतिभा से संबंधित पूल तैयार करने के लिए आयोजित किया गया है । वर्ष के दौरान कुल 179 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए । बैंक के कुल 4543 कर्मचारियों में से 3773 अधिकारियों, 770 लिपिकों ने आंतरिक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया ।

भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 325 अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज, कोलकाता, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों और अन्य विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया गया । वर्ष के दौरान बैंक ने इन कम्पनी प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया जिसमें 25 कर्मचारियों ने भाग लिया। बैंक ने 53 विभिन्न बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 86 अधिकारी कर्मचारियों को भेजा। वर्ष के दौरान बैंक के 03 विभिन्न विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए 03 वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा ।

कर्मचारी कल्याण

कल्याणकारी उपाय के रूप में स्वास्थ्य देखभाल के पहलू पर विचार करते हुए मौजूदा कर्मचारियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए तथा बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के साथ उनके पति-पत्नी के लाभार्थ बैंक ने मौजूदा मेडिक्लेम इंश्योरेंस योजनाओं को नवीकृत किया है । वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त और मौजूदा कर्मचारियों की सुविधा के लिए, कर्मचारियों द्वारा अत्यंत कम राशि का प्रीमियम देकर, एक्सेस लॉस पॉलिसी की बीमा सीमा में मौजूदा रु1.50 लाख को बढ़ाकर रु2.50 लाख तक कर दी गई है । वर्ष के दौरान बैंक ने कर्मचारियों/सेवानिवृत कर्मचारियों को रियायती/प्रतिस्पर्धा दर में अस्पताल में भर्ती / स्वास्थ्य जांच/ कर्मचारियों/सेवानिवृत्त कर्मचारियों की डायग्नोस्टिक अपेक्षा को पूरा करने के लिए बैंक ने 10 नए अस्पताल, क्लिनिक आदि के साथ समग्र भारत में स्थित 90 विभिन्न अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केंद्रों के साथ तालमेल व्यवस्था है । बैंक ने कोलकाता में पीयरलेस अस्पताल एंड बीके रॉय रिसर्च सेंटर, अपोलो ग्लेनेअग्लेस अस्पताल, ब्बी जेनेरल अस्पताल, बी.पी पोद्दार एंड देसुन अस्पताल एंड आई इंस्टिट्यूट के साथ तालमेल व्यवस्था का नवीकरण किया है ।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में आरक्षण नीति

बैंक ने विशिष्ट आरक्षित श्रेणियों के संबंध में रोजगार /पदोन्नति में विचार का क्षेत्र के संबंध में सरकार के दिशानिर्देशों का कड़ाईपूर्वक पालन किया है । सीधी भर्ती में किसी भी कैडर में पिछली रिक्ति नहीं है । तथापि अधिकारी संवर्ग में अजा वर्ग में 13 और अजजा वर्ग में 45 कमी रिक्ति और लिपिक वर्ग में अजा वर्ग में 13 और अजजा वर्ग में 29 रिक्ति मौजूद है । इसी प्रकार अधीनस्थ वर्ग में अजा वर्ग में 2 और अजजा वर्ग में 30 रिक्तियां मौजूद है ।

कुल कर्मचारियों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व 31.03.2015 तक क्रमशः 2795(18.39 प्रतिशत) और 1029(6.77 प्रतिशत) है ।

वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित 151 कर्मचारियों को अगले उच्च कैडर में पदोन्नत किया गया । जहां यह आरक्षण लागू है, पदोन्नति की कुल संख्या का 24 प्रतिशत बनाते हुए वर्ष के दौरान प्रभावित किया है । बैंक ने विभिन्न कैडरों में अंतर कैडर पदोन्नतियों का आयोजन करने के लिए आरक्षित वर्ग से योग्य कर्मचारियों के लिए पूर्व पदोन्नति प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया था ।

वित्तीय वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित कर्मचारियों के सेवाकाल के दौरान मृत 9 कर्मचारियों के आश्रितों को 55.00 लाख रूपए की एक मुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है ।

शीर्ष प्रबंधन और बैंक के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण परिषद के बीच तिमाही बैठक वर्ष के दौरान नियमित आधार पर आयोजित की गई। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामलों में व्यक्तियों/संगठनों से प्राप्त शिकायतों के शीघ्र निवारण के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई।

कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र

स्टाफ सदस्यों की शिकायत पर गौर करने के लिए दो टीयर शिकायत निवारण समिति दिनांक 05.02.2015 को गठित की गई है। पहला टीयर समिति में उप महाप्रबंधक के पद के 3 सदस्यों को शामिल किया गया है जो शिकायत पर गौर करने और इसका निर्णय, कर्मचारी से शिकायत प्राप्त होने के 21 दिनों में करेगी और दूसरा टीयर समीक्षा समिति में महाप्रबंधक के पद के 3 सदस्यों को शामिल किया गया है जो पहला टीयर समिति स्तर के निर्णय से पीड़ित कर्मचारी यदि संतुष्ट नहीं है, उन मामलों की समीक्षा करेगी। वर्ष के दौरान केवल 4 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और इन शिकायतों को पहला टीयर समिति स्तर पर निराकरण किया गया है और समिति को निर्णय भेज दी गई है।

ग्राहक उन्मुखीकरण

बैंक ने विविध प्रौद्योगिकी समर्थित उत्पादों / सेवाओं, त्वरित सेवा उपलब्ध कराने, ग्राहकों को अनुकूल सेवा प्रदान करने के लिए तथा ग्राहकों के प्रश्नों/सुझाव और ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए कई कदम उठाए हैं । बीसीएसबीआई द्वारा जारी ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता का कोड पुस्तिका बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया है और पश्चिम बंगाल के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को पुस्तिका बंगाली और अंग्रेजी में तैयार कर भेज दी गई है । ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार लाने के क्रम में ग्राहकों की शिकायतों/सुझाव का प्रस्तुत करने के लिए बैंक ने ग्राहक सेवा विभाग में एक टोल फ्री संपर्क सुविधा प्रदान की है। यह टोल फ्री सुविधा प्रात: 10 बजे से रात को 8.00 बजे तक उपलब्ध करायी गई है । एटीएम से संबंधित मामलों के लिए, ग्राहकों की सुविधा के लिए प्रधान कार्यालय में एक अलग टोल फ्री संपर्क सुविधा प्रदान की गई है । यह उल्लेखनीय है कि बैंक के वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत निवारण व्यवस्था लागू की गई है, जहां ग्राहक अपनी शिकायत की स्थिति को भी ट्रैक कर सकता है । एक अद्वितीय, विशेष और यादगार मोबाइल संख्या मिलने के बाद बहुत जल्द ही बैंक मिस्ड कॉल की सुविधा शुरू करने जा रहा है। प्रणाली इनकमिंग कॉल संख्या को रिकॉर्ड करेगी और प्रोम्प्ट को अविलम्ब उत्पन्न करेगा, इसके आधार पर सीएसडी के अधिकारी इसे कॉल बैक करेगा और सिस्टम से उत्पन्न यूनिक संदर्भ संख्या के तहत संक्षिप्त में बातचीत भी रिकॉर्ड करेगा। शिकायत के तेज और निष्पक्ष भेदभाव रहित निवारण की सुविधा के लिए बैंक ने व्यापक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीसीएमएस) की शुरूआत लाभ प्रौद्योगिकी द्वारा किया है। इस प्रणाली के तहत शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के विभागों से प्राप्त शिकायतों को संबंधित शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के विभागों द्वारा इंट्रानेट लिंक पर उपलब्ध ऑन लाइन शिकायत निवारण पोर्टल पर अपलोड/दर्ज करेगा और निवारण/निपटान को भी रियल टाइम के आधार पर अपलोड किया जायेगा। ग्राहक द्वारा दर्ज की गई ऑनलाइन शिकायत को सीसीएमएस के बकाया डाटा बेस में सिस्टम द्वारा रखा जाएगा।

व्यापक शिकायत प्रबंधन प्रणाली प्रत्येक शिकायत की स्थिति पर नज़र रखने के लिए और अवधि के दौरान बैंक द्वारा प्राप्त कुल शिकायतों की स्थिति को जानने में हमें मदद करेगी। शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक अनुवर्ती उपायों अविलम्ब किया जाएगा। प्रणाली शिकायतों की प्रकृति के साथ साथ उत्पादों और सेवाओं से संबंधित शिकायत को वर्गीकृत करने में सक्षम है। आंकड़ों के विश्लेषण से बैंक प्रबंधन को सीधे फ्रॉट लाइन सेवा में सुधार हेतु उचित कार्रवाई करने में सहायता मिलेगी, जिसमें ग्राहक सेवा स्तर को अद्यतन करना, संचार में सुधार, उत्पाद और सेवाओं पर कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रणालीगत मामले के उपचारात्मक कार्रवाई शामिल है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में ग्राहक शिकायत निवारण की प्रतिशत 98.55 थी। सभी शिकायतों को निर्धारित अवधि के भीतर निराकरण किया गया। नोडल अधिकारी की बैठक के दौरान सचिव, बीओ की घोषणा के अनुसार दिनांक 30.06.2014 को समाप्त वर्ष को बीओ के पास हमारे बैंक का बकाया शिकायतें 'शून्य' था। जहां तक बैंकिंग लोकपाल में भेजे गए मामलों का संबंध है, शिकायतों के निवारण का प्रतिशत 96.07 था। वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल ने 2 निर्णय दिए, जिसे बैंक ने बीओ के दिशा निर्देशों की निर्धारित समय सीमा के भीतर अनुपालन किया है। भारतीय बैंक संघ द्वारा स्वीकार दामोदरन समिति की 116 सिफारिशों में से बैंक ने 112 को कार्यान्वित किया है।

ग्राहक जागरूकता के लिए, बैंक ने सक्रिय रूप से भाग लिया है और वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान बैंकिंग लोकपाल (पश्चिम बंगाल और सिक्किम) के सहयोग से बैंक ने अनेक आउटरीच कार्यक्रमों का आयोजन किया। वर्ष के दौरान बीसीएसबीआई ने भी राष्ट्रीय पुस्तकालय, भाषा भवन, अलीपुर, कोलकाता में एक ग्राहक मिलन बैठक का आयोजन हमारे बैंक के सहयोग से किया, जिसमें सभी राष्ट्रीयकृत, निजी और अन्य अनुसूचित बैंकों और उनके ग्राहकों ने भाग लिया , जिनकी संख्या 400 से अधिक थी ।

आंतरिक नियंत्रण

बैंक के आंतरिक निरीक्षण नियंत्रण तंत्र के प्रभाव को सुनिश्चित करने के लिए और बैंक द्वारा विनियामक अनुपालन सहित जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण को प्रभावी बनाने के साथ प्रबंधन को उच्च गुणवत्ता सलाह प्रदान करने के लिए बैंक के सभी परिचालन इकाइयों का सतत आधार पर आंतरिक निरीक्षण किया जाता है।

बोर्ड द्वारा अनुमोदित निरीक्षण और लेखा परीक्षा नीति के अनुसार निर्धारित प्रक्रियाओं और मानकों के कार्यान्वयन और अनुपालन के स्तर के मूल्यांकन, पहचान, पद्धति और विभिन्न कार्य क्षेत्रों में शामिल जोखिम को कम करने के लिए क्षेत्र स्तर पर सात क्षेत्रीय निरीक्षण इकाइयों (आर आई यू) के वर्धित स्कंधों के साथ और आंतरिक निरीक्षकों/बाह्य लेखा परीक्षकों के एक समूह के साथ शीर्ष स्तर पर लेखा परीक्षा और निरीक्षण विभाग द्वारा क्रमागत रूप से बैंक के शाखा/कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है । बैंकिंग प्रणाली में बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल बनाकर चलने के उद्देश्य से समयसमय पर बैंक की निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा नीति को अद्यतन किया जाता है और उसमें आवश्यक परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है । उक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की लेखा परीक्षाएं जैसे जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा, समवर्ती लेखा परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा, स्नैप ऑडिट, राजस्व लेखा परीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण और क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रबंधन लेखा परीक्षा की जाती है ।

विभिन्न जोखिमों से बैंक को बचाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए संभावित जोखिम के क्षेत्रों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रभावी जोखिम प्रबंधन पर केंद्रित करके शाखाओं की जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) की जाती है। वर्ष 2014-15 के दौरान 1426 शाखाओं का जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा पूरा कर ली गई है।

बैंक के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शाखाओं/कार्यालयों में सटीकता, प्रामाणिकता और आंतरिक प्रणालियों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बाहरी ऑडिट फर्मों द्वारा समवर्ती लेखा परीक्षा आयोजित की जाती है। वर्ष 2014-15 के दौरान संपूर्ण रूप में कुल जमाराशि का 54 प्रतिशत और कुल अग्रिम का 87 प्रतिशत को शामिल करते हुए बैंक की 472 शाखाओं की समवर्ती लेखा परीक्षा पूरी कर ली गई है ।

बैंक द्वारा अपनाई गई उन्नत तकनीक के परिणाम स्वरूप, आई टी क्षेत्र की जटिलताओं ने विशेष तकनीकी संबंधी जोखिमों को उत्पन्न किया है । इन तकनीकी जोखिमों को कम करने एवं प्रभावी रूप से प्रबंधित करने के लिए सूचना प्रणाली लेखा का संचालन किया गया है । वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक के 51 प्रतिशत व्यवसाय को शामिल करते हुए 204 शाखाओं और 16 क्षेत्रीय कार्यालयों में सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा की गई है। बैंक की आईटी संबंधी मूलभूत सुविधा में भी सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा को शामिल किया गया है।

अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)

बैंक द्वारा अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) के दिशानिर्देशों का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन करने एवं सभी परिचालन इकाइयों द्वारा केवाईसी का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गये हैं। केवाईसी / एएमएल के दिशानिर्देशों का सुचारु रुप से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं

- नकद लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर), संदेहास्पद लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर), गैर लाभ संगठन लेनदेन रिपोर्ट (एनटीआर), क्रॉसबोर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट (सीडब्ल्यूटीआर), नकली करेंसी नोट रिपोर्ट (सीसीआर) को एफआईयू आईएनडी के साथ दायर करके प्रस्तुत करना।
- सीबीएस प्रणाली से केवाईसी दस्तावेज विवरण लेना।
- प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के जोखिम पृष्ठभूमि।

पैन, पासपोर्ट और आधार संख्या के आधार पर सभी मौजूदा ग्राहक के आईडी विशिष्ट ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) को पूरा कर लिया गया है।

सुरक्षा व्यवस्था :

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुरुप समय-समय पर सुरक्षा उपकरणों को स्थापित करते हुए शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से बैंक ने अपेक्षित कदम उठाया है। हमारे बैंक की शाखाओं को उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त सुरक्षा उपकरणों/सेवा निम्नांकित है :

- शाखा की सुरक्षा को और भी मजबूत करने के लिए सभी शाखाओं में सीसीटीवी निगरानी प्रणाली से लैस किया जाएगा । सभी करेंसी चेस्ट शाखाएं पहले से ही सीसीटीवी प्रणाली से लैस किया जा चुका है। इसके अलावा 751 गैर करेंसी चेस्ट शाखाओं में सीसीटीवी प्रणाली पहले से ही उपलब्ध करा दिया गया है। कुल 835 शाखाओं में सीसीटीवी निगरानी उपलब्ध करा दिया गया है। सीसीटीवी के खरीद की औपचारिकताएं पूरी हो गई है और जल्द ही खरीद के लिए आदेश दिया जायेगा।
- अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र के भीतर सभी करेंसी चेस्ट शाखाओं को एकीकृत सुरक्षा समाधान (आईएसएस) के तहत लाया गया है,जिसे संकट के समय नियंत्रण निगरानी और करेंसी चेस्ट के अंदर की गतिविधियां को सीधे लालबाजार पुलिस नियंत्रण कक्ष से देखा जा सकता है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के क्लीन नोट पॉलिसी को लागू करने के क्रम में सभी शाखाओं के काउंटर पर ही जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएन) की पहचान करने के लिए शाखा में (1 1) पॉकेट डेस्क टॉप प्रमाणक सह सॉर्टर के साथ सुसज्जित किया गया है। यह शाखाओं को जारी करने योग्य नोट एवं नहीं जारी करने योग्य करेंसी नोटों के रूप में छांट कर ग्राहकों और जनता के सदस्यों के बीच पुनर्वितरण करने में सक्षम करता है। खरीद की औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है और मशीन ट्रायल के तहत है और जल्द ही खरीद आदेश दे दिया जायेगा और इसे बैंक की सभी शाखाओं में आपूर्ति और स्थापित कर दिया जाएगा।
- वास्तविक भारतीय करेंसी नोटों की विशेषताएं और एफआईसीएन नोट के पता लगाने के लिए सुरक्षा विभाग नियमित रूप से कर्मचारी प्रशिक्षण कॉलेज में सभी अधिकारियों एवं एसडब्ल्यूओ के लिए जागरूकता प्रशिक्षण कक्षाएं आयोजित करता है।
- क्षेत्रीय कार्यालयों में तैनात सुरक्षा अधिकारियों ने वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक ऋण वसूली में सक्रिय रूप से भाग लिया है।
- वर्ष 2014-15 के दौरान सुरक्षा विभाग ने बीमा कंपनी के पास लंबित विभिन्न शाखाओं में बैंक के खिलाफ अपराध के दौरान खोया पैसे के पुराने बीमा दावा की देय राशि से रू20.50 लाख वसूल किया है ।

आगंतुकों को विनियमित करने और निगरानी करने के लिए बैंक के प्रधान कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर कम्प्यूटरीकृत आगंतुक प्रबंधन प्रणाली स्थापित किया गया है।

परिसर

खरीद : नागेर बाजार , दमदम, कोलकाता में 3 बीएचके के 10 फ्लैट खरीद कर उसे सुसज्जित किया गया।

निर्माण : बैंक का निजी मल्टी स्टोरिड भवन का निर्माण, बैंक के कमर्सियल प्लाट 192बी, ब्लाकबी, सेक्टर52, नोयडा, उत्तर प्रदेश में कुल निर्माण क्षेत्र 6249.42 वर्गफुट समेत बेसमेंट, स्टिल्ट, अपर ग्राउंड फ्लोर, पहला तल और दूसरा तल का निर्माण । बैंक ने जी1 बिधान नगर शाखा भवन, कुल निर्माण क्षेत्र 4207.59 वर्गफुट का निर्माण किया ।

उन्नयन

पुराने और पूर्ण आयल सर्किट ब्रेकर्स का वेक्यूम सर्किट ब्रेकर्स में रुपांतरित किया गया और 6 ठे तल में पैकेज एयर कंडिशनिंग प्लैंट पैकेज का उन्नयन किया गया है।

विविध

प्रधान कार्यालय में केंद्रीकृत रिटेल हब बनाया गया प्रधान कार्यालय भवन का एनर्जी आडिट का परिचालन किया गया ।

➢ प्रमुख चल रही परियोजनाएं निम्नप्रकार हैं :

- प्लॉट सं. 179, ब्लॉक आईबी, सेक्टर 3, साल्टलेक, कोलकाता में बैंक की जमीन पर बैंक के डेटा सेंटर का निर्माण और प्रक्रिया का प्रारम्भ ।
- न्यू टाउन, राजरहाट में 2.548 एकड़ क्षेत्र की नई अधिगृहित जमीन के चारों ओर घेराबंदी का निर्माण ।
- चरणबद्ध रूप में प्रधान कार्यालय में सेन्ट्रल एसी प्लांट का उन्नयन ।
- प्रधान कार्यालय बिल्डिंग का बाह्य मरम्मत और पेंटिंग ।
- प्रधान कार्यालय और एसटीसी, कोलकाता में फोटोवोल्टाइक ग्रिड कनेक्टेड 100 किवा पॉवर सोलर प्लांट की स्थापना ।
- शान्तिकुंज अपार्टमेंट, बांसद्रोनी, कोलकाता के बैंक के अधिकारी क्वाटर में मौजूदा जल उपचार संयंत्र का आशोधन, उसका वार्षिक रखरखाव एवं दैनिक परिचालन ।
- प्रधान कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार का नवीकरण, उन्नयन और उसके परिवेश का आधुनिकीकरण
- विभिन्न चरणों में सामान्य लाइट फिटिंग का एनर्जी एफिसियेन्ट एलईडी फिटिंग्स में रूपांतरण

स्वच्छ भारत मिशन का सक्रिय कार्यान्वयन। कार्यालय परिसर की तत्काल सफाई, प्रधान कार्यालय में स्थित विकेताओं को कूड़ेदान का वितरण और वातावरण स्वच्छ रखने के लिए उनकी जागरूकता बढ़ाना ।

राजभाषा का कार्यान्वयन

प्रधान कार्यालय में हिंदी प्रवीण और प्राज्ञ पाठ्यक्रम का नियमित प्रशिक्षण आयोजित किया गया । कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोलकाता में प्रत्येक तिमाही में बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला और यूनिकोड आधारित कंप्यूटर प्रशिक्षण आयोजित किया गया । उक्त अवधि के दौरान प्रधान कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की चार तिमाही बैठकें आयोजित की गई और प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों में हिन्दी में किए जा रहे कार्य की समीक्षा की गई । इसके अलावा राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण भी किया गया ।

15 सितम्बर, 2014 को बैंक के प्रधान कार्यालय में हिन्दी दिवस समारोह का आयोजन किया गया और उक्त समारोह में बहुभाषी कविता पाठ का आयोजन किया गया । हिन्दी माह के दौरान कर्मचारियों के बीच में हिन्दी में कार्य करने के लिए जागरुकता पैदा करने के उद्देश्य से हिन्दी में विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया ।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

बैंक के चार प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अर्थात् असम में (एजीवीपी) असम ग्रामीण विकास बैंक, पश्चिम बंगाल में (बीजीवीपी) बंगिय ग्रामीण विकास बैंक , त्रिपुरा में (टीजीबी) त्रिपुरा ग्रामीण बैंक और मणिपुर में (एमआरबी) मणिपुर ग्रामीण बैंक है। 31.03.2015 तक कुल 1162 शाखाएं 53 जिलों में सक्रिय हैं इस वित्त वर्ष के दौरान कुल रु163.64 करोड़ रुपए (पूर्व लेखापरीक्षा) शुद्ध मुनाफा कमाया है

सभी चार प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के संयुक्त कुल कारोबार निम्नांकित है :

(रु / करोड़)

मापदंड	स्थिति		को समाप्त वर्ष के दौरान (%)	
	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15
शाखाओं की कुल संख्या	1144	1162	3.15	1.57
कुल व्यापार	28,814	32,267	16.38	11.98
जमा	19,060	21,674	16.71	13.71
अग्रिम	9,753	10,593	15.72	8.61

प्रायोजित बैंक के माध्यम से एनईएफटी सुविधा के साथ साथ आरटीजीएस सुविधा एसएमएस और डेबिट कार्ड की सुविधा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के ग्राहकों के लिए उपलब्ध है।

पीएमजेडीवाई के तहत 3515 एसएसए एवं 293 वार्डों को 04 आरआरबी को आवंटित किया गया है जो 100 को कवर करता है । वार्डों में 271054 परिवार एवं एसएसए में 4671880 परिवारों को शामिल किया गया है ।

पुरस्कार/प्रशंसा

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत विभिन्न मुख्य मापदण्डों के तहत उत्कृष्ट कार्यनिष्पादन हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुआ । माननीय केन्द्र मंत्री, एमएसएमई, भारत सरकार, श्री कालराज मिश्र ने नई दिल्ली में 25.03.2015 को बैंक को यह पुरस्कार प्रदान किया ।

अनुपालन

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों और अपने चल रही स्वस्थ प्रथाओं के हिस्से के रूप के आधार पर, बैंक की भूमिका अनुपालन के मुद्दों का समन्वय पहचान करने के लिए तथा आकलन और अनुपालन जोखिम को खत्म करने लिए एक अनुपालन विभाग का गठन किया गया है। बोर्ड अनुपालन नीति तैयार की गई है और सेवाओं, अग्रिम, केवाईसी,

बीसीएसबीआई कोड्स के गतिविधि क्षेत्रों में अनुपालन के मुद्दों की पहचान की गई है । अनुपालन कार्यों से सम्बंधित भूमिका जिम्मेदारी को बैंक के हर स्तर पर परिभाषित किया गया है। निम्नांकित रिपोर्टिंग प्रणाली के माध्यम से भी विनियामक और सांविधिक अनुपालन के मुद्दों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाता है:

(क) स्वयं प्रमाणन,

(ख) मनोनीत अनुपालन अधिकारियों के माध्यम से यादृच्छिक परीक्षण,

(ग) शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों के तिमाही विवरण द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय बैंक संघ और भारत सरकार से प्राप्त सभी परिपत्रों के अनुपालन की स्थिति

(घ) महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कवर अनुपालन नियमों की जानकारी के साथ त्रैमासिक विवरण ।

कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी/कार्यपालक निदेशक द्वारा समय समय पर नियमित रूप से कानून, नियमों और दिशा निर्देशों के लागू होने वाले सभी प्रावधानों के अनुपालन से सम्बंधित विनियामक विवरण भारत सरकार / भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों से समय पर प्रस्तुत करने के लिए सुनिश्चित किया जाता है।

कंपनी अभिशासन पर निदेशक मंडल की रिपोर्ट पृष्ठ संख्या 34 से उपलब्ध है।

आभार

निदेशक मंडल सभी हितधारकों को प्राप्त निरंतर सहयोग के लिए साधुवाद देता है और बहुमूल्य मार्गदर्शन और उत्कृष्ट समर्थन के प्रति आभार अपने अभिलेख में प्रस्तुत करना चाहता है जो उसे भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, अन्य नियामक एजेंसियों और राज्य स्तरीय वित्तीय संस्थानों से मिला है। यह निदेशक मंडल सभी स्तरों पर कार्यरत अपने कर्मचारियों की सराहनीय सेवाओं की सराहना करता है।

कृते निदेशक मंडल

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 07 मई, 2015

पी श्रीनिवास
(प्रबंध निदेशक एवं सी ई ओ)

कंपनी अभिशासन 2014-15 पर युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक मंडल की रिपोर्ट

1. परिचय :

यह बैंक कंपनी अभिशासन के सर्वोच्च स्तर पर पहुँचने के लिए प्रयासरत है और अपने सभी पणधारियों (स्टेक होल्डर्स) सहित अपने ग्राहकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों, सामान्य लोगों, समाज, संरक्षकों, भारत सरकार और नियामकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने प्रकटीकरण, पारदर्शिता, व्यवसाय नीति परायणता संबंधी सर्वश्रेष्ठ चलन को अपनाया है जिसका लक्ष्य है इस संस्थान के पणधारियों के अंतर्निहित मान की श्रीवृद्धि करना ।

2. अभिशासन संहिता पर बैंक का नजरिया :

इस बैंक में कंपनी अभिशासन का आधारभूत नजरिया बैंक द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन से निर्देशित होना और प्रभावी प्रबंधन एवं नियंत्रण द्वारा मूल्य सृजन करना है । बैंक की नीतियों और उन नीतियों पर अमल करना केवल सांविधिक जरुरत ही नहीं बल्कि इस संस्था को परवर्ती स्तर पर ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं का मान रखना भी है ।

इस बैंक ने कंपनी अभिशासन को एक वैसी क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसकी बदौलतकोई संगठन एक सुपरिभाषित नैतिक स्तर बरकरार रखने के लिए निर्देशित और नियंत्रित होता है और साथ ही अपनी धन उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ाता है । बैंक एक ओर शेयरधारकों के मूल्यों के प्रति अत्यंत सचेष्ट है और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और कारपोरेट विकास की जरूरतों के प्रति अपनी जिम्मेदारियोंको भी समझता है। यह हर क्षेत्र के कार्यकलापों में उत्कृष्टता की उद्घोषणा करना चाहता है :

- निर्धारित सिद्धांतों की सीमा में भारत के कानूनी ढांचे के भीतर शेयरधारकों के महत्व की मर्यादा को बनाए रखकर,
- ग्राहकों की सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं और सेवाएं देकर
- कर्मचारियों, ग्राहकों और वृहत्तर रूप में समाज के लिए एक अनुकूल परिवेश की उदघोषणा करके,
- वस्तुत: सक्रिय और पूर्वाग्रहमुक्त प्रबंधन को सुनिश्चित करके ।

इस तरह यह बैंक स्वयं को पणधारकों का न्यासी समझता है और उनके प्रति न्यासी स्वरूप अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है । यह अभिस्वीकृति उसके धन का सृजन करके और उसकी अभिरक्षता करते हुए देता है। यह बैंक इसे दक्ष और पारदर्शी कारपोरेट रणनीति, सक्रिय व्यवसाय योजना, प्रभावी नीतियों, सक्षम एवं सरल पद्धितयों, सख्त नैतिक मानदंडों, कड़ी कानूनी जिम्मेवारियों और समग्रत: पूरे काम का प्रबंधन व्यवसायिक दृष्टिकोण की बदौलत करता है ।

3. निदेशक मंडल

निदेशक मंडल का गठन बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके आगे 'अधिनियम' के रूप में कहा गया) के साथ पठित राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके आगे 'योजना' कहा गया) के अनुसरण में किया गया है ।

3.1 31 मार्च, 2015 तक निदेशक मंडल की संरचना :

निदेशकत्व का प्रकार	निदेशकों की संख्या	निदेशकत्व विवरण
कार्यपालक	3	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी और कार्यपालक निदेशक
गैर-कार्यपालक	5	भारत सरकार द्वारा नामिती, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामिती, कामगार निदेशक, अंशकालीक गैर कार्यालयीन निदेशक एवं शेयरधारक निदेशक
कुल	8	

सभी निदेशक अपने क्षेत्र के विस्तृत और बहुविध ज्ञान, अनुभव और विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए अपना योगदान बैंक के विकास में करते हैं ।

3.2 31 मार्च, 2015 तक निदेशक मंडल का विवरण

क्र.सं	नाम (डीआईएन)		धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	अन्य निदेशकत्व	बोर्ड स्तरीय समितियों में सदस्य	बोर्ड स्तरीय समितियों की अध्यक्षता	नियुक्ति की प्रकृति/ टिप्पणियां
1.	**श्री पेटलुरी श्रीनिवास** डीआईएन: 02836590	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	शून्य	शून्य	11	11	उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(क) के तहत 31.12.14 से 30.06.2016 तक नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् उनकी सेवानिवृत्ति पर अथवा आगे आदेश तक, दोनों में से जो पहले हो ।
2.	**श्री दीपक नारंग** डीआईएन:03272814	कार्यपालक निदेशक	शून्य	शून्य	9	-	उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(क) के तहत 01.03.12 से 31.03.2015 तक नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक अर्थात उनकी सेवानिवृत्ति पर अथवा आगे आदेश तक, दोनों में से जो पहले हो ।
3.	**श्री संजय देवदत्त आर्य** डीआईएन: 03420686	कार्यपालक निदेशक	शून्य	शून्य	10	–	उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(क) के तहत 18.06.12 से 31.09.2016 तक नियुक्त पूर्णकालिक निदेशक अर्थात् उनकी सेवानिवृत्ति पर अथवा आगे आदेश तक, दोनों में से जो पहले हो ।
4.	**श्री ए.के डोंगरा** डीआईएन: 07074297	सरकार के प्रतिनिधि	शून्य	शून्य	10	2	उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(क) के तहत 25.11.14 को भारत सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नामित, आगे आदेश होने तक
5.	**श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम** डीआईएन:07005574	भारतीय रिजर्व बैंक नामिती	शून्य	शून्य	7	-	उक्त अधिनियम की धारा 9(3)(ख) के तहत 13.03.14 को नियुक्त अथवा आगे आदेश होने तक

क्र.सं	नाम (डीआईएन)		धारित इक्विटी शेयरों की संख्या	अन्य निदेशकत्व	बोर्ड स्तरीय समितियों में सदस्य	बोर्ड स्तरीय समितियों की अध्यक्षता	नियुक्ति की प्रकृति/ टिप्पणियां
6.	श्री संजीव पति डीआईएन:07018133	कामगार कर्मचारी निदेशक	शून्य	शून्य	2	-	अधिनियम की धारा 9 (3) (ई) के तहत 06.05.2013 को, 3 साल के लिए अथवा उनका बैंक में कामगार कर्मचारी बंद होने तक अथवा आगे आदेश होने तक, जो भी पहले होता है।
7.	श्रीमती रेणुका मुद्गे डीआईएन:07005568	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	100	शून्य	9	-	अधिनियम की धारा 9 (3) (एच) के तहत 24.01.2014 को, 3 साल के लिए अथवा आगे आदेश होने तक, जो पहले होता है ।
8.	श्री प्रत्यूष सिन्हा डीआईएन:07018125	शेयरधारक निदेशक	100	शून्य	5	3	अधिनियम 9(3)(आई) के तहत केंद्रीय सरकार के अलावा शेयरधारक द्वारा दिनांक 13.09.2013 को, 3 साल के लिए चयनित अथवा आगे आदेश होने तक, जो पहले होता है ।

- श्री विक्रमजीत सोम, सहायक महाप्रबंधक और कंपनी सचिव, निदेशक मंडल के सचिव के रूप में कार्य करते हैं ।
- निदेशकों में से कोई भी परस्पर से संपर्कित नहीं हैं।
- शेयरधारक निदेशक के अलावा अन्य सभी निदेशक केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त/नामित हैं । केंद्र सरकार के नियम एवं विनियमों द्वार सभी निदेशकों की नियुक्ति की शर्तें, भूमिकाओं और जिम्मेदारियों, वेतन और भत्ता परिचालित हैं ।

3.3 वर्ष के दौरान नियुक्त/मनोनीत निदेशकों का ब्योरा (कालक्रम के अनुसार):

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पद	निदेशक की प्रकृति	कार्यालय में कार्यग्रहण करने की तिथि
01.	श्री ए.के. डोगरा	सरकार के प्रतिनिधि	गैर कार्यपालक	25.11.2014
02.	श्री पेटलुरी श्रीनिवास	एमडी और सीईओ	कार्यपालक	31.12.2014

3.4 वर्ष के दौरान कार्यालय छोड़कर / सेवानिवृत्त होकर जाने वाले निदेशकों का विवरण।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पद	निदेशकत्व की प्रकृति	सेवानिवृत्ति/कार्यालय खाली करने की तिथि
01.	श्री हिरण्य बोरा	गैर सरकारी निदेशक	गैर कार्यपालक	04.04.2014
02.	श्री सुनील गोयल	सी.ए. श्रेणी के तहत गैर सरकारी निदेशक	गैर कार्यपालक	21.07.2014
03.	श्री मिहिर कुमार	सरकारी प्रतिनिधि	गैर कार्यपालक	25.11.2014
04.	श्री किरन बी वडोदरिया	गैर सरकारी निदेशक	गैर कार्यपालक	27.11.2014
05.	श्री पिनुष कांति घोष	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	गैर कार्यपालक	18.12.2014
06.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक	31.03.2015

3.5 बोर्ड की बैठकें

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970 के भाग 12 के तहत निर्धारित 9 बोर्ड की बैठकें निम्नलिखित तिथियों में आयोजित की गई।

05.05.14	30.05.14	14.08.14	22.09.14	21.10.14	07.11.14	18.12.14	10.02.15	23.03.15

बोर्ड की बैठक में निदेशकों के संबंधित कार्यकाल के दौरान आयोजित बैठकों में उनकी उपस्थिति का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं	निदेशक का नाम	उनके कार्यकाल की अवधि के दौरान आयोजित बैठकें	बैठकों में भाग लिया	छुट्टी पर
1.	श्री पेटलुरी श्रीनिवास	2	2	-
2.	श्री संजय आर्य	9	9	-
3.	श्री एके डोगरा	3	2	1
4.	श्रीमती पार्वती बी सुंदरम	9	9	-
5.	श्री संजीव पंत	9	9	-
6.	श्रीमती रेणुका मुद्डे	9	8	1
7.	श्री प्रत्यूष सिन्हा	9	6	3
वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यालय छोड़कर जाने वाले/सेवानिवृत्त हुए निदेशक				
1.	श्री हिरण्य बोरा	-	-	-
2.	श्री सुनील गोयल	2	2	-
3.	श्री मिहिर कुमार	6	4	2
4.	श्री किरन बी वडोदरिया	6	3	3
5.	श्री पिनुष कांति घोष	7	7	-
6.	श्री दीपक नारंग	9	9	-

4. बोर्ड की समितियां

वित्त मंत्रालय, आरबीआई और सूचीबद्ध करार की अपेक्षानुरूप बोर्ड ने निदेशकों की निम्नांकित समितियां गठित की है । ये समितियां अपने कार्यक्षेत्र की गतिविधियों की निगरानी और मार्गनिदेश के अनुसार करती है ।

प्रबंधन समिति	अधिक मूल्य की जालसाजियों की समीक्षा करनेवाली समिति	उच्चाधिकार समिति	निर्वाचन समिति
लेखा परीक्षा समिति	ग्राहक सेवा समिति	बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी उपसमिति	वसूली समिति
शेयर धारकों की संपर्क समिति	निदेशकों की पदोन्नति समिति	55 वर्ष के उपर आयु के अधिकारियों की निगरानी हेतु विशेष समिति	मानव संसाधन स्टीयरिंग समिति
जोखिम प्रबंधन समिति	पारिश्रमिक समिति	नामांकन समिति	इरादतन चूककर्ता संबंधी समीक्षा समिति

4.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति

4.1.1 बोर्ड की प्रबंधन समिति राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध उपबंध) योजना, 1970 के खंड-13 तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के साथ पठित, के अनुसार गठित है ।

4.1.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, बोर्ड की प्रबंधन समिति (एमसीबी) की बैठकें निम्न तारीखों में 15 बार आयोजित की गई :

26.04.14	30.05.14	27.06.14	17.07.14	14.08.14	16.09.14	22.09.14	21.10.14
21.11.14	18.12.14	26.12.14	22.01.15	20.02.15	03.03.15	24.03.15	

4.1.3 समिति का गठन और निदेशक सदस्यों की उपस्थिति:

क्र.सं	नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि	बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया	छुट्टी पर
1.	श्री पेठनुरी श्रीनिवास	एमडी और सीईओ (अध्यक्ष)	31.12.14 से	4	4	-
2.	श्री संजय आर्य	कार्यपालक निदेशक	पूरा साल	15	15	-
3.	श्रीमती पार्वती वी सुंदरम	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित	पूरा साल	15	13	2
4.	श्री संजीव पति	कामगार कर्मचारी निदेशक	05.11.14 से	7	7	-
5.	श्री प्रत्यूष सिन्हा	शेयरधारक निदेशक	28.09.14 से 27.03.15 तक	8	6	2
6.	श्रीमती रेणुका मुद्रो	गैर सरकारी निदेशक	28.03.15 से	-	-	-
वित्तीय वर्ष के दौरान कार्यालय छोड़कर/सेवानिवृत्त निदेशक						
1.	श्री सुनील गोयल	सी.ए. श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	21.07.14 तक	4	4	-
2.	श्री किरन वी खटोदरिया	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	27.09.14 तक	7	3	4
3.	श्री पिनुष कांति घोष	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	05.05.14 से 04.11.14 तक	7	7	-
4.	श्री दीपक नारंग	कार्यकारी निदेशक	31.03.15 तक	15	15	-

4.1.4 प्रबंधन समिति के कार्य

बोर्ड की प्रबंधन समिति का गठन विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों पर विचार करने के लिए किया गया है जैसे बड़े ऋण का प्रस्ताव, (रू 250 करोड़ से अधिक व्यक्तिगत/समूह निवेश) नई जमा योजनाएं, समझौता/बट्टा खाता में डालना (रू1.00 करोड़ से अधिक), पूंजीगत एवं राजस्व व्ययों की स्वीकृति जैसे, विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार, परिसर, निवेशों, दान इत्यादि । समिति, प्रमुख क्षेत्रों के कार्यनिष्पादन जैसे, जोखिम प्रबंधन, अनर्जक आस्तियों का संचलन , ट्रेजरी परिचालन तथा बोर्ड द्वारा दिए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा करती है ।

4.2 बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

4.2.1 भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुरूप तथा कंपनी अभिशासन की मूल बातों के संबंध में बैंक ने बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) का गठन किया है । बैंक ने मूलत: 26 जून 1995 को अपने एसीबी का गठन किया था जिसे समय समय पर पुनर्गठित किया जाता है ।

4.2.2 भारतीय रिज़र्व बैंक की अपेक्षानुसार प्रत्येक तिमाही में लेखा परीक्षा समिति की कम से कम एक बैठक की जानी चाहिए तथा वर्ष में 6 बैठकों से कम नहीं होनी चाहिए । इस वर्ष के दौरान निम्नलिखित तिथियों को 12 बैठकें हुई :

11.04.14	26.04.14	05.05.14	31.05.14	14.08.14
11.10.14	07.11.14	19.12.14	10.02.15	23.03.15

4.2.3 समिति की संरचना और निदेशक सदस्यों की उपस्थिति:

क्र.सं	नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया	छूटी
1.	श्री प्रत्यूष सिन्हा	शेयरधारक निदेशक (अध्यक्ष)	पूरा वर्ष	10	4	6
2.	श्री संजय आर्य	कार्यपालक निदेशक	पूरा वर्ष	10	10	-
3.	श्री. ऐ.के. डोगरा	सरकार के प्रतिनिधि	25.11.14 से	3	2	1
4.	श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	पूरा वर्ष	10	10	-
5.	श्रीमती रेणुका मुद्रो	अंशकालिक गैरसरकारी निदेशक	पूरा वर्ष	10	9	1
वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/कार्यालय छोड़कर जाने वाले निदेशक						
1.	श्री हिरण्य बोरा	अंशकालिक गैर सरकारी निदेशक	04.04.14 तक	-	-	-
2.	श्री सुनील गोयल	लेखा परीक्षा श्रेणी के अन्तर्गत अंशकालिक गैरसरकारी निदेशक	21.07.14 तक	4	4	-
3.	श्री मिहिर कुमार	सरकार के प्रतिनिधि	25.11.14 तक	7	5	2
4.	श्री किरण बी. बादोदरिया	अंशकालिक गैरसरकारी निदेशक	27.11.14 तक	7	3	4
5.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	06.08.14 तक	4	4	-

- श्री दीपक नारंग, कार्यपालक निदेशक एक स्थायी अभ्यागत पद 06.08.14 के रुप में लेखा परीक्षा समिति की बैठकों में उपस्थित रहेंगे ।
- श्री विक्रमजीत सोम, सहायक महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव, निदेशक मंडल की लेखापरीक्षा समिति के सचिव के रुप में काम करते हैं ।

4.2.4 लेखा परीक्षा समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण तथा वित्तीय सूचनाओं का सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रकटीकरण सुनिश्चित करना ।
- प्रबंधन के साथ तिमाही, छमाही और वार्षिक विवरण की समीक्षा करना । इसमें लेखांकन नीतियों एवं संव्यवहारों, लेखांकन मानकों का अनुपालन और अन्य विधिक जरुरतें शामिल हैं जिनका संबंध वित्तीय विवरणों एवं लेखा परीक्षा (यदि हुई हो तो) की अर्हता से है, वित्तीय संस्थानों, संबंधित पार्टी के साथ लेनदेन आदि से संबंधित सूचीबद्धता करार के शर्तों के साथ एवं अन्य कानूनी जरुरतों से है ।
- संदिग्ध जालसाजी अथवा अनियमितता के मामले में संगामी लेखा परीक्षकों, राजस्व लेखा परीक्षकों, आंतरिक निरीक्षकों के निष्कर्षों की समीक्षा करना अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता दिखने/होने पर नियंत्रणतंत्र को मजबूत करने हेतु अर्थोपाय सुझाव देना ।
- लेखा परीक्षा रिपोर्ट और लेखा परीक्षा अर्हताओं यदि कोई हो, एलएफएआर आदि पर विचार करके लेखांकन नीतियों एवं पद्धतियों में हुए परिवर्तनों को केन्द्र में रखकर, आवधिक खातों और रिपोर्टों के अंतिम रुप दिए जाने से पहले सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के साथ बैंक के कार्यनिष्पादन पर विचार विमर्श एवं विश्लेषण करना ।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित वार्षिक वित्तीय निरीक्षण (एएफआई), भारतीय रिज़र्व बैंक या उनके द्वारा समनुदेशित अन्य एजेंसी यदि कोई हो, के परिणामों का विस्तृत विश्लेषण करना ।
- जमाकर्ताओं, शेयर धारकों, डिबेंचर धारकों एवं ऋणदाताओं को भुगतान करने के संबंध में अधिक चूक होने के कारणों का पता लगाना ।
- प्रबंधन के साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों, संगामी एवं राजस्व लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर साथ चर्चा करना तथा उस पर अनुवर्तन करना ।
- समिति मुख्यत: निम्नलिखित मदों के अनुवर्तन पर ध्यान देती है :-
  - क) अंतर शाखा समायोजन लेखों
  - ख) अंतर शाखा खातों एवं नोस्ट्रो खातों में की असमायोजित पुरानी प्रविष्टियाँ
  - ग) विभिन्न शाखाओं में बही संतुलन संबंधी बकाया कार्य
  - घ) जालसाजी एवं
  - ङ) हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्र

4.3 हिताधिकारी संबंध समिति

4.3.1 हिताधिकारी संबंध समिति का गठन, बैंक के सभी स्टेकहोल्डरों एवं निवेशकों के हित की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, सूचीकरण करार के खंड 49 के अन्तर्गत जैसा निर्धारित है, के अनुसार किया गया था ।

4.3.2 समिति की वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर 4 बार बैठकें हुई:

05.05.14	22.09.14	21.10.14	20.02.15

4.3.3 समिति की संरचना और निदेशक सदस्यों की उपस्थिति

क्रम सं.	नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया	छुट्टी
1.	श्री प्रत्यूष सिन्हा	शेयरधारक निदेशक (अध्यक्ष)	पूरा वर्ष	4	4	-
2.	श्री संजय आर्य	कार्यपालक निदेशक	पूरा वर्ष	4	4	-
3.	श्रीमती रेणुका मुद्गे	अंशकालिक गैरसरकारी निदेशक	पूरा वर्ष	4	2	2
वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/कार्यालय छोड़कर जाने वाले निदेशक						
1.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	31.03.15 तक	4	4	-

- श्री विक्रमजीत सोम, सहायक महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव, निदेशक मंडल की हिताधिकारी संबंध समिति के सचिव के रुप में काम करते हैं ।

4.3.4 समिति के कार्य निम्नलिखित हैं :

क) बैंक की निगरानी शिकायत निवारण तंत्र का समाधान करना और समयसमय पर इस संबंध में गतिविधियों की निगरानी करना ।

ख) शेयरों के हस्तांतरण उनके उपविभाजन, पुनर्मूल्यांकरण एवं समेकन का काम यथाशीघ्र करना और वारंटों का पुनर्वधीकरण।

4.4 जोखिम प्रबंधन समिति :

4.4.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशानुसार निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन सितम्बर 2004 को हुआ, जिसका उद्देश्य था, एक सशक्त जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना और क्रमशः एक एकीकृत जोखिम प्रबंधन परिवेश की ओर बढ़ना।

4.4.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, समिति की तीन बैठकें निम्नलिखित तारीखों पर आयोजित हुई:

14.08.14	19.12.14	10.02.15

4.4.3. समिति की संरचना और निदेशक सदस्यों की उपस्थिति:

क्रम सं.	नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया	छुट्टी
1.	श्री पेट्लुरी श्रीनिवास	एमडी और सीईओ (अध्यक्ष)	31.12.14 से	1	1	-
2.	श्री संजय आर्य	कार्यपालक निदेशक	पूरा वर्ष	3	3	-
3.	श्री. ए.के. डोगरा	सरकार के प्रतिनिधि	25.11.14 से	2	1	1
4.	श्रीमती पार्वती वी. सुंदरम	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	पूरा वर्ष	3	3	-
वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/कार्यालय छोड़कर जाने वाले निदेशक						
1.	श्री मिहिर कुमार	सरकार के प्रतिनिधि	25.11.14 तक	1	-	1
2.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	31.03.15 तक	3	3	-

4.4.4. समिति के निम्नलिखित कार्य हैं

बैंक द्वारा जोखिम प्रबंधन नीतियों के भाग के रूप में बोर्ड द्वारा अनुमोदित आईसीएपीपी नीति, प्रकटीकरण नीति, परिचालन जोखिम नीति, व्यवसाय लाइन मैपिंग नीति, तनाव परीक्षण नीति, ऋण जोखिम निवारण और संपार्श्विक प्रबंधन नीति, आस्ति देयता प्रबंधन नीति और ऋण लेखा परीक्षण नीति की आवधिक समीक्षा की जाती है । ऋण जोखिम प्रबंधन समिति(सीआरएमसी), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति(ओआरएमसी) और आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए एल सी ओ) के नाम से बैंक की अपनी कार्यपालकों की समितियां हैं, जो नियमित अंतराल पर जोखिम आधारित मुद्दों का मूल्यांकन करती हैं तथा समग्र व्यवसाय के संबंध में परिचालन, बाजार, ऋण और चलनिधि के संबंध में जोखिम निवारण के लिए अनुशंसा करती हैं । इस समितियों के बैठकों के कार्यवृत्त इस समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं ।

इनके कार्यकलाप :-

क) एक सशक्त जोखिम प्रबंधन नीति तैयार करना और एकीकृत जोखिम प्रबंधन के लिए एक व्यापक रणनीति विकसित करना तथा बैंक में कार्यपालकों की विभिन्न जोखिम प्रबंधन समिति के कार्यपद्धति का पर्यवेक्षण करना ।

ख) जोखिम संबंधी उपायों के लिए दिशानिर्देश तैयार करना ।

ग) जोखिम के सभी क्षेत्रों का प्रबंधन एवं रिपोर्टिंग करना ।

घ) यह सुनिश्चित करना कि जनसाधारण, व्यवस्था, परिचालन, सीमा और नियंत्रण से जुड़ी जोखिम निवारण प्रक्रिया बैंक की समग्र नीति से एकरूपता रखती है।

ङ) मजबूत वित्तीय मानकों का कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और जोखिम के परिकलन के लिए उपयोग में लाई जाने वाली सभी पद्धितयों को प्रभावी बनाना सुनिश्चित करना ।

4.5 अधिक राशि की धोखाधड़ी की समीक्षा के लिए विशेष समिति

4.5.1 1 करोड़ एवं इससे अधिक राशि की धोखाधड़ी पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से, भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुरूप निदेशक मंडल की एक समिति का गठन किया गया है ।

4.5.2. समीक्षा वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों को इस समिति की कुल दो बैठकें हुई:

21.10.14	23.03.15

4.5.3. समिति की संरचना एवं निदेशक सदस्यों की उपस्थिति:

क्रम सं.	नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया	छुट्टी
1.	श्री पेटलुरी श्रीनिवास	एमडी और सीईओ (अध्यक्ष)	31.12.14 से	1	1	-
2.	श्री संजय आर्य	कार्यपालक निदेशक	पूरा वर्ष	2	2	-
3.	श्री. ए.के. डोगरा	सरकार के प्रतिनिधि	25.11.14 से	1	1	-
4.	श्रीमती रेणुका मुद्डे	गैरसरकारी निदेशक	पूरा वर्ष	2	2	-
वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/ कार्यालय छोड़कर जाने वाले निदेशक						
1.	श्री मिहिर कुमार	सरकार के प्रतिनिधि	25.11.14 तक	1	1	-
2.	श्री पियूष कांति घोष	अधिकारी कर्मचारी निदेशक	18.12.14 तक	1	1	-
3.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	31.03.15 तक	2	2	-

4.5.4 समिति के कार्य:

- यदि व्यवस्था जनित किसी दोष के कारण धोखाधड़ी हुई हो तो उसकी पहचान करना और उस कमी या दोष को दूर करना।
- पुलिस/ सीबीआई द्वारा की जा रही जाँच की प्रगति और वसूली की स्थिति का अनुवर्तन करना।
- हर प्रकार की धोखाधड़ी के मामले में कर्मचारियों की जवाबदेही का जाँच हर स्तर पर सुनिश्चित करना और यदि जरूरत पड़े तो तत्काल कार्रवाई करना।
- धोखाधड़ी की घटना फिर न हो, इसके लिए की गई निवारक कार्रवाई की प्रभावशक्ति की समीक्षा करना।

4.6 बोर्ड स्तरीय ग्राहक सेवा समिति

4.6.1 भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक की ग्राहक सेवा के स्तर में सुधार हेतु बैंक में ग्राहक सेवा समिति का गठन किया गया है ताकि सेवा का उच्च स्तर बरकरार रहे।
इस समिति में निम्नलिखित सदस्य हैं

4.6.2. 14.08.14 को समिति की एक बैठक हुई थी।

4.6.3. समिति की संरचना एवं निदेशक सदस्यों की उपस्थिति:

क्रम सं.	नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिया	छुट्टी
1.	श्री पेटलुरी श्रीनिवास	एमडी और सीईओ (अध्यक्ष)	31.12.14 से	-	-	-
2.	श्री संजय आर्य	कार्यपालक निदेशक	पूरा वर्ष	1	1	-
3.	श्रीमती पार्वती बी. सुंदरम	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित निदेशक	पूरा वर्ष	1	1	-
वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/ कार्यालय छोड़कर जाने वाले निदेशक						
1.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	31.03.15 तक	1	1	-

4.6.4 ग्राहक सेवा समिति के कार्य:-

- ग्राहकों से संबंधित प्रक्रिया और निष्पादन लेखा परीक्षा पर गठित बैंक की तदर्थ समिति के कार्यों का पर्यवेक्षण करना।
- एक व्यापक जमा नीति की समीक्षा करना, जिसमें खातेदार की मृत्यु के बाद उसके खाते में लेन देन का मामला, उत्पाद के अनुमोदन की प्रक्रिया, जमाकर्ताओं की संतुष्टि से संबंधित वार्षिक सर्वेक्षण और ऐसी सेवाओं की त्रैवार्षिक लेखापरीक्षा आदि को शामिल किया जाए।
- समय समय पर ग्राहक सेवा की गुणवत्ता बढ़ाने से संबंधित नए उपाय शुरू करना।
- सभी वर्गों में ग्राहक सेवा स्तर को उन्नत करने का प्रयास करना ।

4.7. निदेशकों की पदोन्नति समिति

4.7.1 वरिष्ठ प्रबंधन वर्ग स्केल-VI और इससे ऊपर के कार्यपालकों के अनुशासनिक मामलों की समीक्षा करने के लिए युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 के विनियम 19(2) के अनुसरण में एक विशेष समिति का गठन किया गया है । यह समिति बैंक के सर्वोच्च कार्यपालकों (स्केल -VII) के पदोन्नति का काम भी देखती है ।

4.7.2 वित्तीय वर्ष के दौरान समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं हुई थी ।

4.7.3 समिति की संरचना निम्न प्रकार है

क्रम सं.	नाम	निदेशकत्व	[illegible]
01.	श्री पी. श्रीनिवास	एमडी और सीईओ (अध्यक्ष)	31.12.14 से
02.	श्री. ऐ.के. डोगरा	सरकार के प्रतिनिधि	25.11.14 से
03.	श्रीमती पार्वती वी सुंदरम	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित	पूरा वर्ष
वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/ कार्यालय छोड़कर जाने वाले निदेशक			
1.	श्री मिहिर कुमार	सरकार के प्रतिनिधि	25.11.14 तक

4.7. 4. समिति के कार्य
सर्वोच्च कार्यपालक वर्ग के स्केल -VI से स्केल-VII में कर्मचारियों के पदोन्नति उनके कार्यनिष्पादन के समस्त मानदंडो का विधिवत मूल्यांकन एवं संबंधित उम्मीदवार में उसकी क्षमता के आधार पर करना ।

4.8. पारिश्रमिक समिति:

4.8.1. 9 मार्च 2007 को वित्त मंत्रालय से जारी अधिसूचना सं. एफ नं. 21/1/2005 बी ओ आई के मार्फत प्राप्त निर्देशों के अनुरूप पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। यह समिति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्ण कालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पर विचार करती है। यह प्रोत्साहन कार्यनिष्पादन आधार के लिए निश्चित किए गए विस्तृत गुणात्मक मानदंडो के अधीन है और निर्धारित लक्ष्यों की सूची के विवरण, गुणात्मक मानदंडो एवं न्यूनतम मानदंडों पर निर्भर करता है जिनका आधार पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अनुपालन की रिपोर्ट है।

4.8.2. दिनांक 23.03.15 को समिति की एक बार बैठक हुई ।

4.8.3 समिति की संरचना और निदेशक सदस्यों की उपस्थिति:

क्रम सं.	नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिये	छुट्टी
1.	श्री ए.के. डोगरा	सरकार के प्रतिनिधि (अध्यक्ष)	25.11.14 से	1	1	-
2.	श्रीमती पार्वती वी सुंदरम	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित	पूरा वर्ष	1	1	-
3.	श्रीमती रेणुका मुट्टो	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित	पूरा वर्ष	1	1	-
4.	श्री प्रत्यूष सिन्हा	शेयरधारक निदेशक	पूरा वर्ष	1	1	-
वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/कार्यालय छोड़कर जाने वाले निदेशक						
1.	श्री मिहिर कुमार	सरकार के प्रतिनिधि	25.11.14 तक	-	-	-

4.8.4 2013-14 के लिए किसी भी पूर्णकालिक निदेशक के प्रदर्शन से जुड़ी प्रोत्साहन का भुगतान नहीं किया गया था ।

4.8.5 समिति के कार्य
यह समिति बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों के कार्य निष्पादन की समीक्षा करती है जो कार्यनिष्पादन आधार के लिए निश्चित किए गए विस्तृत गुणात्मक मानदंडों के अधीन होता है और निर्धारित लक्ष्यों की सूची के विवरण, गुणात्मक मानदंडों एवं न्यूनतम मानदंडों पर आधारित होता है। इसका आधार पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान अनुपालन की विभिन्न रिपोर्ट होती है जो पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि की पात्रता को निर्धारित करती है।

4.9 उच्चाधिकार प्राप्त समिति :

4.9.1 यह समिति बैंक कर्मचारियों के अनुशासनिक मामलों (सतर्कता और सतर्कता से इतर दोनों ही) की समीक्षा के लिए गठित गई है।

4.9.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर समिति की दो बार बैठकें हुई :

14.08.14	07.11.14

4.9.3 समिति की संरचना और निदेशक सदस्यों की उपस्थिति:

क्रम सं.	नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिये	छुट्टी
1.	श्री पेटलुरी श्रीनिवास	एमडी और सीईओ (अध्यक्ष)	31.12.14 से	-	-	-
2.	श्री संजय आर्य	कार्यपालक निदेशक	पूरा वर्ष	2	2	-
3.	श्री ए.के. डोगरा	सरकार के प्रतिनिधि	25.11.14 से	-	-	-
4.	श्रीमती पार्वती वी सुंदरम	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित	पूरा वर्ष	2	2	-
वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/ कार्यालय छोड़कर जाने वाले निदेशक						
1.	श्री मिहिर कुमार	सरकार के प्रतिनिधि	25.11.14 तक	2	1	1
2.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	31.03.15 तक	2	2	-

4.9.4 समिति के कार्य

- अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रत्येक चरण को यथाशीघ्र पूरा करने की दिशा में हुई प्रगति का अनुवर्तन करना।
- विभागीय जाँच प्रक्रिया को समय पर पूरा करने के लिए निदेश जारी करना।
- निरोधक सतर्कता जाँच की दिशा में की गई कार्रवाई की समीक्षा करना।

4.10 निदेशक मंडलकी सूचना प्रौद्योगिकी उपसमिति :

4.10.1 इस समिति का गठन कार्यालयों की आंतरिक सूचना प्रौद्योगिकी समिति के कार्यों, सू.प्रौ. संबंधी कार्यों की समीक्षा करने तथा तकनीकी उन्नयन के लिए दिशानिर्देश जारी करने एवं सू.प्रौ. संबंधी नए उत्पादों को शुरूकरने के लिए किया गया है।

4.10.2 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर समिति की पांच बार बैठकें आयोजित हुई :

30.05.14	17.07.14	22.09.14	18.12.14	20.02.15

4.10.3 समिति की संरचना और निदेशक सदस्यों की उपस्थिति:

क्रम सं.	नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिये	छुट्टी
1.	श्री प्रत्यूष सिन्हा	शेयरधारक निदेशक (अध्यक्ष)	पूरा वर्ष	5	5	-
2.	श्री संजय आर्य	कार्यपालक निदेशक	पूरा वर्ष	5	5	-
3.	श्रीमती रेणुका मुद्रे	गैरसरकारी निदेशक	पूरा वर्ष	5	2	3
वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/ कार्यालय छोड़कर जाने वाले निदेशक						
1.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	31.03.15 तक	5	5	-

4.10.4. समिति के कार्य:

- कार्यपालकों की आंतरिक आईटी समिति के कार्यों की समीक्षा करना।
- कार्यपालकों की सीबीएस संचालन समिति के कार्यों की समीक्षा करना।
- बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी कार्यकलापों का पर्यवेक्षण करना और आवश्यक मार्गनिर्देश देना
- नए आईटी से संबंधित उत्पादों और सेवाओं को शुरू करने के लिए और तकनीकी उन्नयन के लिए दिशा निर्देशों को जारी करना ।

4.11. नामंकन समिति

4.11.1. इस समिति का गठन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार वांछित संख्या में शेयरधारकों द्वारा नामित उम्मीदवारों में से उपयुक्त और समुचित उम्मीदवार का निर्धारण करने के लिए किया गया है जो शेयरधारकों के प्रतिनिधि के रूप में निदेशक होंगे।

4.11.2. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई चुनाव नहीं किया जा रहा है, समिति नहीं मिली ।

4.11.3. दिनांक 23.03.15 को निम्नलिखित निदेशकों के साथ समिति का पुनर्गठन किया गया था

क्रम सं.	नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि
01.	श्री ए.के. डोगरा	सरकार के प्रतिनिधि (अध्यक्ष)	23.03.15 से
02.	श्रीमती रेणुका मुद्रे	गैरसरकारी निदेशक	23.03.15 से
03.	श्री संजीव पति	कार्मिक कर्मचारी निदेशक	23.03.15 से

4.11.4. समिति के कार्य:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुरूप बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य स्वरूप नामित उम्मीदवारों में से उपयुक्त समुचित उम्मीदवार का निर्णय करना।

4.12 55 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकारियों की निगरानी हेतु विशेष समिति

4.12.1. इस समिति का गठन 55 वर्ष से अधिक उम्र के कर्मचारियों अथवा 30 वर्ष से अधिक अवधि तक लगातार सेवा में बने रहने वाले कर्मचारियों (इन दोनों में जो पहले हो) के काम की समीक्षा के लिया गया है।

4.12.2. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर समिति की दो बार बैठकें हुई

31.05.14	23.03.15

4.12.3 समिति की संरचना और निदेशक सदस्यों की उपस्थिति:

क्रम सं.	नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिये	छूट्टी
1.	श्री पेटलुरी श्रीनिवास	एमडी और सीईओ (अध्यक्ष)	31.12.14 से	1	1	-
2.	श्री ए.के. डोगरा	सरकार के प्रतिनिधि	25.11.14 से	1	1	-
3.	श्रीमती रेणुका मुट्ठे	गैरसरकारी निदेशक	16.03.15 से	1	1	-
वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/कार्यालय छोड़कर जाने वाले निदेशक						
1.	श्री मिहिर कुमार	सरकार के प्रतिनिधि	25.11.14 तक	1	-	1
2.	श्री किरण भी वाघोदरिया	गैर कार्यालयीन निदेशक	27.11.14 तक	1	1	-
3.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	31.03.15 तक	1	1	-

4.12.3. इस समिति के कार्य:
जिन कर्मचारियों की उम्र 55 वर्ष हो चुकी है अथवा जिन्होंने बैंक में कुल 30 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो (जो पहले हुआ हो) उसकी पात्रता की समीक्षा करना।

4.13. निदेशक मंडल की चुनाव समिति

4.13.1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और सरकार के वित्तीय संस्थानों को मदद करने के उद्देश्य से निदेशक होने के लिए शेयरधारकों के बीच में उपयुक्त अभ्यर्थी के चयन के उद्देश्य से वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक 16/11/2012बीओ.आई दिनांक 03.04.2012 के द्वारा दिये गये निदेशानुसार 21.04.2012 को समिति गठित की गई ।

4.13.2. किसी भी पीएसयू / पीएसबी में निदेशकों की किसी भी चुनाव के अभाव में वर्ष के दौरान समिति ने कोई भी बैठक नहीं किया ।

4.13.3. समिति का पुनर्गठित जब और जैसा आवश्यक होगा ।

4.13.4. समिति के कार्य
शेयरधारकों के बीच, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको, बीमा कंपनियों और सरकारी वित्तीय कंपनियों तथा उन्हे सहायता करने के लिए चुनाव में लड़ते हुए निदेशक बनना चाहते हैं, उनमें उपयुक्त अभ्यर्थी का चयन करना ।

4.14. निदेशक मंडल की वसूली समिति

4.14.1. नियमित आधार पर वसूली की प्रगति की निगरानी करने के लिए वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र सं. एफ सं.7/11/2012 बी.ओ.ए दिनांक 21.11.2012 के निदेशानुसार दिनांक 08.12.2012 को समिति का गठन किया गया । यह समिति बोर्ड को नियमित अंतराल पर रिपोर्ट देती है।

4.14.2. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर समिति की तीन बार बैठकें हुई

22.09.14	10.02.15	23.03.15

4.14.3 समिति की संरचना और निदेशक सदस्यों की उपस्थितिः

क्रम सं.	नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिये	छुट्टी
1.	श्री पेट्लुरी श्रीनिवास	एमडी और सीईओ	31.12.14 से	2	2	-
2.	श्री संजय आर्य	कार्यपालक निदेशक	पूरा वर्ष	3	3	
3.	श्री ए.के. डोगरा	सरकार के प्रतिनिधि	25.11.14 से	2	2	-
वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/ कार्यालय छोड़कर जाने वाले निदेशक						
1.	श्री मिहिर कुमार	सरकार के प्रतिनिधि	25.11.14 तक	1	1	-
2.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	31.03.15 तक	3	3	-

4.14.4. समिति के कार्य

- नियमित अंतराल पर वसूली में प्रगति की निगरानी करना ।
- चर्चा, एन पी ए के संबंध में निर्णय लेना, निगरानी व्यवस्था, वसूली नीति का कार्यान्वयन, समझौता, पुनर्संरचना, आभासी खाते आदि के लिए वसूली नीति ।
- वसूली निगरानी, पुनर्संरचना और एन पी ए जैसे अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर समिति द्वारा आवश्यक होने पर बैठक आयोजित करना ।

4.15. बोर्ड स्तरीय मानव संसाधन संचालन समिति

4.15.1.सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में मानव संसाधन मामलों के विस्तार से अध्ययन के लिए वित्त मंत्रालय द्वार गठित खंडेलवाल समिति की सिफारिशों के अनुपालन हेतु उक्त समिति का गठन 20 जनवरी को किया गया था ।

4.15.2. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई भी बैठक आयोजित नहीं हुई ।

4.15.3. समिति की संरचना इस प्रकार है

क्रम सं.	नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि
1.	श्री पेट्लुरी श्रीनिवास	एमडी और सीईओ (अध्यक्ष)	31.12.14 से
2.	श्री संजय आर्य	कार्यपालक निदेशक	पूरा वर्ष
3.	श्री ए.के. डोगरा	सरकार के प्रतिनिधि	25.11.14 से
4.	प्रो देवाशीष भट्टाचार्य	मानव संसाधन, आईआईएम विभाग कोलकाता	पूरा वर्ष
5.	प्रो दीपा मजूमदार	संकाय (मानव संसाधन), आईबीएम, पूणे	पूरा वर्ष
वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/ कार्यालय छोड़कर जाने वाले निदेशक			
1.	श्री मिहिर कुमार	सरकार के प्रतिनिधि	25.11.14 तक
2.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	31.03.15 तक

4.15.4. समिति के कार्य

- आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों के साथ एक मजबूत और समकालीन मानव संसाधन वास्तुकला के निर्माण से बैंक में मानव संसाधन कार्यों की व्यावसायिकता पर बैंक के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना ।
- प्रतिभाशाली, समर्पित और प्रेरित कार्यबल के विकास में शीर्ष प्रबंधन का परामर्श देना ।

4.16. इरादतन चूककर्ता की घोषणा पर समीक्षा समिति

4.16.1. दिनांक 1 जुलाई 2014 (7 जनवरी 2015 तक अद्यतन किया गया) को भारतीय रिजर्व बैंक के मास्टर सर्कुलर का इरादतन चूककर्ता के अनुसरण में 10 फरवरी 2015 को समिति का गठन किया गया था ।

4.16.2. दिनांक 23.03.14 को वर्ष के दौरान समिति की एक बार बैठक हुई ।

4.16.3 समिति की संरचना और निदेशक सदस्यों की उपस्थिति:

क्रम सं.	नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि	आयोजित बैठकों की संख्या	कितनी बैठकों में भाग लिये	छुट्टी
1.	श्री पेट्लुरी श्रीनिवास	एमडी और सीईओ (अध्यक्ष)	प्रारंभ से	1	1	-
2.	श्रीमती रेणुका मुद्रे	गैरसरकारी निदेशक	प्रारंभ से	1	1	-
3.	श्री प्रत्यूष सिन्हा	शेयरधारक निदेशक	प्रारंभ से	1	1	-

4.16.4. समिति के कार्य

- उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में पहचान समिति द्वारा पारित आदेशों की पुष्टि करना ।

5. ऋण स्वीकृति समिति

5.1. समिति का गठन राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970 के खण्ड 13ए के अनुसार किया गया है ।

5.2. वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित तारीखों पर समिति की 9 बैठकें हुई

08.11.14	31.12.14	10.01.15	21.02.15	10.03.15	25.03.15	26.03.15	28.03.15	30.03.15

5.3. समिति की संरचना और समिति के सदस्यों की उपस्थिति:

क्रम सं.	नाम	निदेशकत्व	सदस्यता की अवधि	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति	छुट्टी
1.	श्री पेट्लुरी श्रीनिवास	एमडी और सीईओ (अध्यक्ष)	31.12.14 से	8	8	-
2.	श्री संजय आर्य	कार्यपालक निदेशक	पूरा वर्ष	9	9	-
3.	श्री देबाशीष मुखर्जी	महाप्रबंधक केडिट	पूरा वर्ष	9	8	1
4.	श्री संजय कुमार	महाप्रबंधक ट्रेजरी	पूरा वर्ष	9	9	-
वित्तीय वर्ष के दौरान सेवानिवृत्त/ कार्यालय छोड़कर जाने वाले निदेशक						
1.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	31.03.15 तक	9	6	3
2.	श्री अंबरीष नंदा	मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी जोखिम प्रबंधन	31.03.15 तक	9	8	1

5.4. समिति के कार्य.

- समिति को 250 करोड़ रुपये तक के ऋण प्रस्तावों के संबंध में बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार है;
- ऋण समझौता / बट्टे खाते के लिए प्रस्ताव.

6. अधिमान्य आवंटन से निर्गम प्राप्यों का उपयोग

आवंटन की तारीख	आवंटन के ब्यौरे	उद्देश्य
21.06.14	बैंक ने केन्द्र सरकार को 7,74,00,000 इक्विटी शेयर बेमियादि गैरसंचयी अधिमान शेयर के रूपांतरण द्वारा 27,477 इकाईयों के रु 35.50 प्रति शेयर की कीमत पर आवंटित जो सेबी आईसीडीआर विनियम 2009 के अध्याय VII के तहत अधिमान्य आवंटन के रूप में संशोधन किया है ।	टीयर-I का संवर्धन बैंक की पूंजी और पूंजी का पूरा लाभ लेने के लिए बासेल-III के नियमों के तहत बेमियादि गैरसंचयी अधिमान शेयर के रूपांतरण द्वारा बासेल-II मानदंडों को अपनाना।
28.07.14	बैंक ने अधिमान्य आवंटन 8,45,07,042 के इक्विटी शेयर सेबी आईसीडीआर के विनियम 2009 के अध्याय VII, के तहत यथा संशोधित रु.35.50 प्रति शेयर भारतीय जीवन बीमा निगम को नकद के लिए।	बैंक की उठायी गई पूंजी को आम इक्विटी और टीयर के ऊपर बढ़ाने के प्रयोजन के लिए उपयोग किया गया था।
14.03.15	बैंक, सेबी आईसीडीआर विनियम 2009 के अध्याय VII के तहत अधिमान्य आवंटन के माध्यम से प्रति शेयर रु42.75 की कीमत पर बेमियादि गैर संचयी अधिमान शेयर के 52,523 इकाइयों के संशोधन द्वारा रूपांतरण के रूप में केन्द्र सरकार को 12,28,60,818 इक्विटी शेयर आवंटित।	टीयर-I का संवर्धन बैंक की पूंजी और पूंजी का पूरा लाभ लेने लिए और बासेल-III के तहत बेमियादि गैर संचयी अधिमान शेयर के रूपांतरण द्वारा बासेल-II के नियमों के तहत मानदंडों को अपनाना।

7. लेखा पद्धित में परिवर्तन

लेखा नीति में कोई परिवर्तन नहीं करते हुए , अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास प्रभार का निर्धारण ने कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार खातों को प्रभावित किया है ।

8. जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम का मूल्यांकन एंव कम करने के लिए बैंक के पास एकीकृत जोखिम प्रबंधन विभाग तथा बैंक के कामकाज के विभिन्न पहलुओं को शामिल करते हुए जोखिम प्रबंधन नीतियां बनाई गई है । जोखिम प्रबंधन विषयक सभी नीतियां पहले बोर्ड के जोखिम प्रबंधन समिति के माध्यम से निदेशक मंडल के समक्ष रखी जाती है ।

9. आचार संहिता

बैंक के सभी निदेशक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित आचरण संहिता तथा सूचीकरण करार में निर्धारित बैंक द्वारा बनाई गई आचरण संहिता के अनुरूप काम करते है . बैंक के महाप्रबंधक स्तर के सभी अधिकारी भी सूचीकरण करार में निर्धारित बैंक द्वारा बनाई गई आचरण संहिता के अनुरूप काम करते हैं। इसका पाठ हमारे बैंक के वैबसाइट www.unitedbankofindia.com पर उपलब्ध है ।

8.2. सभी निदेशकों और महाप्रबंधकों ने इस अचार संहिता के अनुपालन किए जाने की पुष्टि की है ।

10. बैठक शुल्क

भारत सरकार के **प्रतिनिधि** एवं भारतीय रिज़र्व बैंक **द्वारा** नामित को छोड़कर गैर कार्यपालक निदेशकों को बोर्ड की प्रत्येक बैठक में सहभागिता करने के लिए शुल्क के रूप में प्रति बैठक रू 10000 तथा बोर्ड की समिति की प्रत्येक बैठक में भाग लेने के लिए शुल्क के रूप में प्रति बैठक रू 5000 दिए जाते हैं .

11. अनुपालन अधिकारी

प्रयोजन के अनुरूप भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, शेयर बाज़ारों के साथ सूचीकरण शेयर करार, कंपनी रजिस्ट्रार के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन तथा शेयर अंतरण प्रक्रिया इत्यादि की निगरानी हेतु श्री बिक्रमजीत सोम कंपनी सचिव अनुपालन अधिकारी के रूप में काम करते हैं.

12. शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशकों की शिकायत का निवारण

हमारे रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट के कार्यालय में शेयर अंतरण लाभांश के भुगतान एवं निवेश संबंधी सभी कार्य कलापों का ध्यान रखा जाता है और उनका प्रसंस्करण किया जाता है । बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी शेयर अंतरण विधिवत् निर्धारित अवधि में और उनके दर्ज किए जाने की तिथि से एक माह के भीतर प्रभावी हो जाए . बोर्ड ने एक शेयर धारक समिति का गठन किया है जो शेयरधारकों से संबंधित सभी मामलों एवं उनकी शिकायतों का ध्यान रखती है यह समिति नियमित अंतराल पर बैठक आयोजित करती है जिसमें शेयरो के लेन देन से संबंधित नेमी किस्म के मुद्दों पर विचार विमर्श होता है और निवेशकों की शिकायतों के निवारण की स्थिति की समीक्षा की जाती है ।

बैंक ने मेसर्स लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को अपना रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट नियुक्त किया है। इसके कार्यों में अन्य मदों के साथ साथ शेयर अंतरण का प्रसंस्करण, लाभांश का भुगतान, शेयरधारकों के अनुरोध का रेकॉर्ड रखना, उनकी शिकायतों का समाधान करना तथा शेयरों के निर्गम संबंधी अन्य कार्य शामिल हैं. निवेशक के शेयरों के अंतरण/अनुरोध/ शिकायतें बैंक के प्रधान कार्यालय, कोलकाता में स्वीकार किए जाते है ।
शेयरधारकों की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई एवं शिकायतों का तत्काल निवारण बैंक की परम चिंता है तथा इसे पूर्णतः सुनिश्चित किया जाता है ।

12.1 शेयर अंतरण प्रणाली :

बैंक के सामान्य शेयरों के अंतरण के मामलों की देख रेख शेयर अंतरण एजेंट मेसर्स लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करता है । जब कभी मूर्त रूप में रखे हुए शेयर को अंतरित करने का अनुरोध प्राप्त होता है तो उसकी संवीक्षा की जाती है और यदि वह ठीक पाया जाता है तब उसका प्रसंस्करण किया जाता है और अनुमोदन के लिए उसे बैंक के प्रधान कार्यालय में भेज दिया जाता है ।
शेयरों के अंतरण/ अमूर्तीकरण /पुनर्मूर्तीकरण/ विभाजन/प्रतिस्थापन/समेकन के अनुरोध की सूची अनुमोदन हेतु शेयरधारक समिति के समक्ष रखी जाती है । शेयरधारक समिति की बैठकें सामान्यतः प्रत्येक तिमाही के प्रारंभ में होती है । समिति ने महाप्रबंधक एवं कंपनी सचिव स्तर के उपयुक्त प्राधिकारी को यह अधिकार दे रखा है कि वे उन शेयरों के अंतरण/प्रेषण/उपविभाजन/विभाजन/पुनर्मूर्तीकरण इत्यादि के लिए प्राप्त अनुरोधों को आवश्यक अनुमोदन दें जिन्हें समिति की दो बैठकों के बीच प्राप्त किया गया है और परवर्ती बैठक में उनका अनुसमर्थन किया गया है । बैंक से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने पर मेसर्स लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड शेयरों का अंतरण पुनर्मूर्तीकरण आदि को प्रभावी करता है ।
हितधारकों संबंधी समिति की बैठकों के कार्यवृत निदेशक मंडल की बैठकों में नोट किया जाता है ।
रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा शेयर अंतरण से संबंधित जारी की गई और शेयर अंतरण समिति द्वारा अनुमोदित रिपोर्ट निदेशक मंडल के समक्ष उनकी सूचना के लिए प्रस्तुत की जाती है ।
स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीकरण करार के उपबंध 47 तथा सेबी (डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट) विनियम 2003 के विनियम 55 ए के अनुसार बैंक स्टॉक एक्सचेंज को प्रमाण पत्र भेजता है जो संबंधित कंपनी सेक्रेटरी ने जारी किया हुआ होता है । इसमें इस तथ्य की पुष्टि की गई होती है कि सभी प्रमाण पत्र विधिवत् वितरित कर दिए गए हैं और बैंक की शेयर पूंजी के समाधान से संबंधित बैंक तिमाही विवरण की भी पुष्टि की जाती है ।

12 .2. निवेशकों की शिकायत की स्थिति

शेयरधारकों की सभी शिकायतें सीधे मेसर्स लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्राप्त करता है और बैंक में प्राप्त शिकायतें मेसर्स लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को भेज दी जाती हैं. वित्तीय वर्ष 2014-15 में प्राप्त अनुरोधों /शिकायतों और उनके निवारण का ब्यौरा नीचे दिया हुआ है:

01.04.14 तक लंबित	वर्ष के दौरान प्राप्त	वर्ष के दौरान निवारित	31.03.15 तक लंबित
शून्य	99	99	शून्य

उपर्युक्त शिकायतों में से कोई भी शिकायत एक महीने से अधिक लंबित नहीं रखी गई । 31 मार्च 2015 को हमारे पास कोई शेयर अंतरण अनुरोध लंबित नहीं था ।

12.3. उचंत खातों में पड़ी शेयरों की स्थिति

31 मार्च 2015 तक (आईपीओ)उचंत खाते जो आईपीओ में शेयर आबंटित नहीं की जा सकी, की स्थिति निम्न प्रकार है

01.04.14 तक	वर्ष के दौरान स्थानांतरित शेयर	उचंत खाते में शेष
6707	300	6 4 07

12.4 प्रकटीकरण, संचार और शेयरधारकों के साथ संबंध

बैंक संबंधित पार्टी के ब्यौरे पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के द्वारा निर्देशित है । बैंक ने इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन किया है । निदेशकों वेतन सहित बैंक के संबंधित पक्ष के लेनदेन के विवरण के रूप में 18 से 31 मार्च, 2015 पर के रूप में बैलेंस शीट के खातों (अनुसूची 18) पर नोट्स में खुलासा किया है ।

पूंजी बाजार से संबंधित मामलों में बैंक सभी आवश्यकताओं को पालन किया है और वित्तीय वर्ष 2014-15 के दौरान शेयर बाजारों या सेबी द्वारा बैंक को कोई भी दंड या निंदा नहीं की गई है । बैंक संबंधित और वांछनीय विधि आवश्यकताओं के अनुसार वार्षिक आम बैठक का आयोजन करेगा और यदि बोर्ड से सिफारिश और शेयरधारकों ने मंजूरी दे दी है तो सांविधिक समय सीमा के भीतर पात्र शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जायेगा.
बैंक से संबंधित सूचना मुख्य रूप से वार्षिक रिपोर्ट सहित अध्यक्ष के पते, निदेशकों की रिपोर्ट, निगमित प्रशासन की रिपोर्ट, लेखा परीक्षित , नकद प्रवाह विवरण, पूंजी पर्याप्तता प्रकटीकरण आदि के माध्यम से शेयरधारकों को भेजी जाती हैं. शेयरधारकों को बैंक की त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, छमाही और वार्षिक कार्यनिष्पादन की रिपोर्टिंग और शेयर बाजारों, प्रेस विज्ञप्ति, बैंक की वेबसाइट पर (www.unitedbankofindia.com) और समाचार पत्रों के प्रकाशन के माध्यम से जानकारी दी जाती है ।

वर्ष के दौरान बैंक की वित्तीय परिणाम निम्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे:

अवधि	समाचार पत्र का नाम		प्रकाशन की तिथि
	अंग्रेजी	बंगला	
जून 2014 को समाप्त तिमाही	बिजनेस स्टैंडर्ड	एईसमय	15.08.14,
सितंबर 2014 को समाप्त छमाही	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	एईसमय	08.11.14
दिसंबर 2014 को समाप्त तिमाही	बिजनेस स्टैंडर्ड	एईसमय	11.02.15
2015 मार्च को समाप्त वार्षिक	बिजनेस स्टैंडर्ड/मिंट	ए.बी.पी.	08.05.15

13. अधिदेशात्मक तथा गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाएं

13.1 बैंक, बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का हस्तांतरण) अधिनियम 1970 द्वारा विनियमित एक निगमित निकाय है, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनी (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना 1970, सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक सूचनाओं और दिशा निर्देशों समय समय पर जारी किए जाते है । शेयर बाजारों के साथ किए गए सूचीकरण करार के खंड 49 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने सभी लागू अनिवार्य आवश्यकताओं का अनुपालन किया है ।

13.2. बैंक ने सचेतक नीति अनुमोदित किया है जो बैंक की वेबसाइट पर अपलोड की गई है । कार्मिक बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति में किसी भी व्यक्ति का प्रवेश निषेध नहीं किया गया है ।

13. 3 गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाएं के कार्यान्वयन की सीमा तक यहां दर्शायी गई है ।

	गैर अधिदेशात्मक अपेक्षाएं	अनुपालन
13.3.1	बोर्ड गैर कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्च पर अध्यक्ष के कार्यालय को बनाए रखने के लिए हकदार है और अपने कर्तव्यों के निष्पादन में आने वाली खर्च की प्रतिपूर्ति की अनुमति दे सकते हैं.	सरकार द्वारा गैर-कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति अभी तक नहीं हुई है । बैंक के बोर्ड को वर्तमान प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में हुई है ।
13.3.2	शेयरधारक अधिकार पिछले छह महीनों के महत्वपूर्ण घटनाओं के सारांश सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की छमाही घोषणा प्रत्येक शेयरधारकों को भेजे जाने चाहिए.	बैंक के वित्तीय परिणाम, समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है, शेयर बाजारों को सूचित किया जाता है और इसे बैंक की वेबसाइट पर अपलोड भी किया जाता है ।
13.3.3	ऑडिट योग्यता कंपनी अयोग्य वित्तीय विवरण के व्यवस्था की दिशा में कदम बढ़ा सकता है ।	2013-14 के लिए बैंक के वित्तीय परिणाम अयोग्य था ।
13.3.4	अध्यक्ष और सीईओ की अलगअलग पद कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद के लिए अलग अलग व्यक्तियों को नियुक्त कर सकता है	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और सीईओ के पदों को अलग कर दिया गया है। हालांकि, सरकार ने बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त अभी तक नहीं किया है ।

14. शेयरधारकों की सूचना

14.1. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने बुधवार, 18 जून, 2014 को अपनी वार्षिक आम बैठक प्रात: 10.00 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता में आयोजित की

निम्नलिखित निदेशक वार्षिक आम बैठक में उपस्थित थे

श्री संजय आर्य	कार्यपालक निदेशक	श्री सुनील गोयल	अध्यक्ष लेखा परीक्षा समिति
श्रीमती रेणुका मुद्रो	गैरसरकारी निदेशक	श्री प्रत्यूष सिन्हा	शेयरधारक निदेशक
		श्री पियूष कांति घोष	अधिकारी कर्मचारी निदेशक

14.2. पिछले 3 वार्षिक आम बैठक का विवरण:

तिथि	28 जून 2012	21 जून 2013	18 जून 2014
समय	सुबह के 10:30 बजे	सुबह के 09:30 बजे	सुबह के 10:00 बजे
स्थान	भाषा भवन, नेशनल लाइब्रेरी, बेलबेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता 27	भाषा भवन, नेशनल लाइब्रेरी, बेलबेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता 27	भाषा भवन, नेशनल लाइब्रेरी, बेलबेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता 27
विशेष संकल्प	शून्य	राइट्स इश्यू, क्यूआईपी या इस तरह के अन्य रुप में सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए तक पूंजी जुटाना.	राइट्स इश्यू, क्यूआईपी या इस तरह के अन्य रुप में सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से 1000 करोड़ रुपए तक पूंजी जुटाना. अधिमान्य आवंटन 8,45,07,042 के इक्विटी शेयर सेबी आईसीडीआर के विनियम 2009 के अध्याय-VII, के तहत यथा संशोधित रु.35.50 प्रति शेयर या भारतीय जीवन बीमा निगम या निधि तत्संबंधी और 7,74,00,000 इक्विटी शेयर रु.35.50 प्रतिशेयर 8,45, 07042 इक्विटी शेयरों बेमियादि गैरसंचयी अधिमान शेयर के रूपांतरण द्वारा 27,477 इकाईयों के रु.35.50 प्रति शेयर की कीमत पर आवंटित इकाइयों प्रत्येक रु100,000 /.
मतदान प्रणाली	लागू नहीं	अपेक्षित बहुमत के साथ पारित कर दिया:	अनुमति : 50,54,16,329 असहमति : 4,94,725 भाग नहीं लिया : 225 अनुमति: 50,54,14,809 असहमति: 4,96,245 भाग नहीं लिया : 225
डाक मतपत्र	शून्य	शून्य	शून्य

14.3 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बैंक ने अपने शेयरधारकों के लिए शुक्रवार , 13 मार्च, 2014 को 10.00 बजे दिन में एक असाधारण आम बैठक का आयोजन भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलबेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता 700027 में किया जिसमें नकदी के लिए इक्विटी शेयरों के अधिमानी आवंटन एवं बेमियादी असंचयी अधिमान्य शेयरों के स्थांतरण द्वारा भारत सरकार की ओर से भारत के राष्ट्रपति को देने की मंजूरी विशेष संकल्प द्वारा अनुमोदित किया गया . शेयरधारकों ने भारी बहुमत से हाथ उठाकर विशेष प्रस्ताव को पारित किया .

बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान किसी भी प्रकार का डाक मतपत्र शुरू नहीं किया है.

14. 4. बैंक का वित्तीय वर्ष 01.04.14 से 31.03.15 होगा.

14. 5. वितीय वर्ष 2015-16 का संभावित कैलेंडर

समाप्त हुई अवधि	संभावित रिजल्ट समय
30 जून 2015	जुलाई 2015 के अंत में
30 सितंबर 2015	अक्टूबर 2015 के अंत में
31 दिसंबर 2015	जनवरी 2016 के अंत में
31 मार्च 2016	अप्रैल 2016 के अंत में

14.6 खाता बंदी और रिकॉर्ड तिथि

उद्देश्य	खाता बंदी (अवधि)	रिकार्ड तिथि
वार्षिक आम बैठक	11.06.14 से 18.06.14 (दोनों दिनों सहित)	लागू नहीं

14.7 बैंक के शेयर निम्न शेयर बाजारों में सूचीबद्ध है:

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लिमिटेड एक्सचेंज प्लाज़ा, प्लॉट नं सी/1, जी ब्लॉक बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व) मुंबई 400051	बी एस ई लि. फिरोज जीजीभोय टॉवर, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई 400 001
स्क्रिप कोड: unitedbank	स्क्रिप कोड: 533171; स्क्रिप आईडी unitedbank

अबतक के दोनों एक्सचेंजों के वार्षिक लिस्टिंग शुल्क का भुगतान कर दिया गया है.

15. शेयर संबंधित सूचना

15.1 प्रतिभूतियों का अमूर्तीकरण

बैंक के शेयर अनिवार्य रूप में आईपीओ, में आवंटित किए गए है तथा इसकी खरीद बिक्री एक्स्चेंजो में अमूर्त रूप में की जा रही है । इसका अमूर्तीकरण नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड एवं सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड में किया जा सकता है. बैंक को अमूर्तीकृत ईक्विटी शेयरों के लिए आईएसआईएन कोड सं. आईएनई 695ए01019 आवंटित किया गया है. तथापि, बैंक के शेयरों का अमूर्तीकरण अनिवार्य नहीं है और शेयरधारक चाहे तो अपना शेयर मूर्त रूप में भी रख सकते हैं. इसके लिए उन्हें अपनी इलेक्ट्रानिक धारिता को पुनः मूर्त रूप में बदलना पड़ेगा. शेयरों का नकदीकरण समान रूप में होता है क्योंकि इनकी खरीद बिक्री देश के दो बड़े स्टॉक एक्सचेंजों में अर्थात बीएसई एवं एनएसई एक्सचेंजों में होती है ।

बैंक ने सेबी (निक्षेपगार एवं सहभागी) विनियमन 2003 के तहत यथा अपेक्षित प्रैक्टिस कर रहे कंपनी सचिव द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित इसके शेयर पूंजी की त्रैमासिक समाधान सुनिश्चित किया है.

31 मार्च, 2015 तक के डीमैट रूप में रखे गए शेयरों के ब्यौरे निम्न प्रकार है :

डीमैट	धारकों की संख्या	शेयरों की संख्या	होल्डिंग
सीडीएसएल में	28,538	699982213	83.38
एनएसडीएल में	48,560	139512681	16.62
मूर्त रूप में	311	21,057	
कुल	77,409	839515951	100

किसी भी निक्षेपागार में 21 दिनों से अधिक समय के लिए पुष्टिकृत अथवा जमा किए गए डीमैट का कोई भी उदाहरण नहीं है ।

15.2. वर्ष 2014-15 के दौरान बैंक द्वारा भुगतान किए गए लाभांश

हुए नुकसान को देखते हुए, बैंक वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए किसी लाभांश की घोषणा नहीं की और इसलिए समीक्षाधीन अवधि के दौरान कोई लाभांश नहीं था.

15.3 बैंक की शेयर पूंजी

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3 (2 ए) के अनुसार राष्ट्रीयकृत बैंक की प्राधिकृत पूंजी रु3000 करोड़ होगी जो रु10/ प्रत्येक के ईक्विटी शेयर में कुल 300 करोड़ पूर्णतः प्रदत्त शेयर में विभाजित की हुई होगी .

31 मार्च, 2014 तक बैंक की निर्गमित, अभिदत्त एवं प्रदत्त पूंजी रू.839,51,59,510/ है जिसे 10 रू प्रत्येक के ईक्विटी शेयरों में कुल 83,95,15,951 शेयरों में विभाजित किया हुआ है । इसमें भारत सरकार के पास 68,84,30,610 ईक्विटी शेयर हैं और यह बैंक का सबसे बड़ा शेयर धारक (82.003) है.

वर्ष के दौरान सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के इश्यू) विनियमन 2009 के अध्याय VII के तहत अधिनानी आवंटन के माध्यम से प्रत्येक रुपये 100,000/ के बेनियादी असंचयी अधिमान्य शेयरों के 80,000 यूनिटों के रूपांतरण के द्वारा केन्द्र सरकार को प्रीमियम पर प्रत्येक रुपये 10 / के 20,02,60,818 इक्विटी शेयर आवंटित और जारी किया.

बैंक ने सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं के इश्यू) विनियमन 2009 के अध्याय VII के तहत कुल रुपये 3 00,00,000 / (तीन सौ करोड़ रुपए) की नकदी के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रीमियम पर प्रत्येक 10 रुपये के 8,45,07,042 इक्विटी शेयरों का अधिमानी आवंटन भी किया है ।

31 मार्च, 2015 को बैंक की पूंजी संरचना इस प्रकार है :

	रु करोड़ में
प्राधिकृत पूंजी	3000.00
निर्गमित,अभिदत्त एवं प्रदत्त पूँजी(रू10/प्रत्येक के 83,95,15,951 इक्विटी शेयर)	839.52

तालिका 1: 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार श्रेणीवार इक्विटी शेयरों का वितरण

	श्रेणी	शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग
क.	प्रोमोटर धारिता		
1.	भारत सरकार	688430610	82.003
2.	मिलकर कार्य करते हुए व्यक्ति		
	उप योग	688430610	82.003
ख.	गैर प्रमोटरों की होल्डिंग		
	संस्थागत निवेशक		
	क) म्युचुअल फंड और यूटीआई	8963331	1.068
	ख) बैंकों / वित्तीय संस्थाओं,	198,600	0.024
	ग) बीमा कंपनियां	103400951	12.317
	घ) एफआईआई	574,055	0.068
	उप योग	113136937	13.477
ग.	अन्य		
	क) कंपनी निकाय	6499364	0.773
	ख) क्लियरिंग सदस्य	1120824	0.134
	ग) भारतीय जनता	27845011	3.316
	घ) एन आर आई	961,489	0.115
	ङ) एन आर एन	198,396	0.024
	च) न्यास	52100	0.006
	छ) पदाधिकारियों	1171403	0.140
	ज) विदेशी नागरिक	100	
	झ) हिन्दू अविभाजित परिवार	5	
	ञ) विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	99,712	0.012
	उप योग	37948404	4.520
	कुल योग	839515951	100.00

बैंक ने किसी भी आंशिक रूप से प्रदत्त शेयरों / परिवर्तनीय लिखतों / वारंटों को जारी नहीं किया है.

तालिका 2 : 31 मार्च, 2015 तक का कुल विदेशी शेयरधारिता

	ब्यौरे	शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग
1.	जीडीआर और एडीआर धारिता	शून्य	शून्य
2.	विदेशी प्रोमोटर	0	0
3.	विदेशी संस्थागत निवेशक	574,055	0.068
4.	विदेशी म्युचुअल फंड	0	0
5.	एन आर आई	961,489	0.115
6.	एन आर एन	198,396	0.02
7.	विदेशी बैंक	शून्य	शून्य
8.	विदेशी नागरिक / ओसीबी	100	0
9	विदेश पोर्टफोलियो निवेशक	99,712	0.012
	कुल	1833752	0.219

तालिका 3: 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार एक से अधिक हिस्सेदारी के साथ शेयरधारकों की सूची

	शेयर धारकों के नाम	शेयरों की संख्या	शेयर होल्डिंग	श्रेणी
1.	भारत के राष्ट्रपति	688430610	82.003	प्रोमोटर
2.	भारतीय जीवन बीमा निगम	101728073	12.117	बीमा कंपनी
3.	भारतीय स्टेट बैंक इमर्जिंग बिजनेस फंड.	8457331	1.007	बीमा कंपनी

15. 4. बाजार मूल्य आँकड़ा

वर्ष 2014-15 के लिए बीएसई और एनएसई पर मासिक उच्च और निम्न शेयरों की कीमतें:

बीएसई लि.				एनएसईआईएल			
तारीख	उच्च	तारीख	निम्न	तारीख	उच्च	तारीख	निम्न
10.04.2014	33.60	07.04.2014	30.40	09.04.2014	33.50	03.04.2014	29.20
26.05.2014	52.70	02.05.2014	32.30	26.05.2014	52.70	02.05.2014	32.30
11.06.2014	55.65	27.06.2014	41.80	11.06.2014	55.60	27.06.2014	42.50
04.07.2014	61.65	01.07.2014	42.50	04.07.2014	61.75	01.07.2014	42.50
01.08.2014	51.65	14.08.2014	42.20	01.08.2014	51.60	14.08.2014	42.25
01.09.2014	48.25	26.09.2014	39.30	03.09.2014	48.35	26.09.2014	39.20
09.10.2014	45.20	20.10.2014	39.85	09.10.2014	45.25	20.10.2014	39.80
07.11.2014	46.95	26.11.2014	40.75	07.11.2014	46.90	26.11.2014	40.60
05.12.2014	43.10	17.12.2014	37.05	05.12.2014	43.10	17.12.2014	37.00
02.01.2015	46.55	29.01.2015	39.90	02.01.2015	46.65	29.01.2015	39.85
03.02.2015	42.25	10.02.2015	35.60	03.02.2015	42.30	10.02.2015	35.65
04.03.2015	37.90	25.03.2015	26.85	04.03.2015	37.95	25.03.2015	26.75

बैंक शेयर के साथसाथ सूचकांक की कीमत में उतार चढ़ाव :

सेंसेक्स

यूबीआई

निफ्टी

(स्रोत: ब्लूमबर्ग)

15.5 31 मार्च, 2015 को शेयरहोल्डिंग का मूल्यवार वितरण

	शेयर होल्डिंग सीमा			धारकों की संख्या	प्रतिशत	कुल शेयर	प्रतिशत
1	1	से	5000	76592	98.9446	22063488	2.6281
2	5001	से	10000	473	0.6110	3417073	0.4070
3	10001	से	20000	175	0.2261	2434168	0.2899
4	20001	से	30000	62	0.0801	1503649	0.1791
5	30001	से	40000	23	0.0297	820994	0.0979
6	40001	से	50000	16	0.0207	741020	0.0883
7	50001	से	100000	35	0.0452	2490407	0.2966
8	100001 और अधिक			33	0.0426	806045152	96.0131
कुल				77,409	100.0000	839515951	100.0000

15.6. 31 मार्च 2015 को एडीआर/जीडीआर/वारंट/परिवर्तनीय लिखत में कोई बकाया नहीं है।

15.7. पत्राचार के लिए पता :

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट	शेयर विभाग और निवेशक शिकायत प्रकोष्ठ	कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
लिंक इनटाइम इंडिया (पी) लिमिटेड (यूनिट: यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया) 59 सी, चौरंगी रोड 3रे मंजिल, कोलकाता700020	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय, 4 था तल 11, हेमंत बसु सरणी कोलकाता 700001	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया प्रधान कार्यालय, 5 वां मंजिल 11, हेमंत बसु सरणी कोलकाता 700001
सम्पर्क करने का विवरण		
टेलीफोन: 91 33 22890540	टेलीफोन: 91 33 22483857	टेलीफोन: 91 33 2248747176
ईमेल:kolkata@linkintime.co.in	ईमेल: investors@unitedbank.co.in	
	वेबसाइट : www.unitedbankofindia.com	

दिनांक : 7 मई, 2015
स्थान : कोलकाता

कृते निदेशक मंडल
ह.
पेटलुरी श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय
11, हेमंत बसु सरणी
कोलकाता - 700 001

घोषणा

यह पुष्टि की जाती है कि बैंक के निदेशक मंडल के समस्त सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन यथा–महाप्रबंधक के लिए बैंक की आचार संहिता का निर्धारण किया गया है और उक्त संहिता बैंक की वेबसाइट पर प्रदर्शित है। निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन ने उक्त आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है।

ह/-
पी. श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्थान : कोलकाता
दिनांक : 07 मई, 2015

सूचीकरण करार के खंड 49 (V) के सीइओ/सीएफओ का प्रमाण पत्र

हम प्रमाणित करते हैं कि

क) हमने अपनी अन्यतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरणी की समीक्षा कर ली है :

1. इन विवरणों में किसी तरह की गलत बयानी या असत्य तथ्यात्मक विवरण नहीं दिए गए हैं, न ही कोई तथ्यात्मक विवरण छोड़ा गया है और न ही कोई ऐसा विवरण दिया गया है जो गुमराह करने वाला हो।
2. इन विवरणों में बैंक के कार्यकलापों को सही एवं साफ सुथरे रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा इसमें मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन किया गया है।

ख) हमारी अन्यतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूरे वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसा कोई लेन देन नहीं किया जो कपट पूर्ण हो, गैर कानूनी हो या जिसमें बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन किया गया हो ।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित एवं रखरखाव करने की जवाब देही स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों के प्रभावों का मूल्यांकन किया है और आंतरिक नियंत्रण से संबंधित मुद्दों को लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है, तथा आंतरिक नियंत्रण को ठीक करने के लिए कदम उठाएं हैं ।

घ) हम इस तथ्य की भी पुष्टि करते हैं कि:

1. इस वर्ष वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्तवपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।
2. इस वर्ष लेखा नीतियों में कोई महत्तवपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।

ङ) हम पुनः पुष्टि करते हैं कि हमारे समक्ष आए हुए उल्लेखनीय धोखाधड़ी के उदाहरण एवं उसमें शामिल, प्रबंधन या किसी कर्मचारी, यदि कोई हो, जिनकी वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका है, को हमनें लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के ध्यान में लाया है ।

वर्ष के दौरान धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं हुआ जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कोई कर्मचारी शामिल हो ।

संजय कुमार
मुख्य वित्तीय अधिकारी

पेटलुरी श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

7 मई , 2015 कोलकाता

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय,
11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता 700 001

कंपनी अभिशासन पर लेखा परीक्षकों का प्रमाणपत्र

सेवा में,
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के सदस्य

हमने 31 मार्च, 201 5 को समाप्त वर्ष के लिए युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया द्वारा कंपनी अभिशासन की उनशर्तों के अनुपालन को जांच कर ली है, जिसका उल्लेख बी एस ई लि. तथा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ हुए सूचीकरण करार के खंड 49 में किया गया है।

कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच, कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन के तक सीमित था। यह न तो कोई लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणों पर हमारी राय की अभिव्यक्ति है।

बैंक द्वारा अनुरक्षित अभिलेखों एवं दस्तावेजों तथा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर :

क) हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने उपर्युक्त सूचीकरण करार में किए गए उल्लेख के अनुरूप अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है ।

ख) हम इस तथ्य का भी उल्लेख करते हैं कि शेयरधारकों संबंध समिति के पास उपलब्ध अभिलेखों और बैंक को शेयरधारक समिति एवं इसके रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार बैंक के विरूद्ध किसी भी निवेशक की शिकायत 30 दिनों से अधिक अवधि तक लंबित नहीं है।

हम इस तथ्य का भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी संभाव्यता का आश्वासन और न ही इसकी दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसको बदौलत प्रबंधन ने बैंक के कामकाज का संचालन किया है ।

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार

कृते मेसर्स राममूर्ति (एन) एंड कं	**नंदी एंड एसोसिएटस**	**कृते मेसर्स पी.सी.बिंदल एंड कं**	**एस.पी.एम.आर एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफआरएन 002899एस	एफआरएन 309090ई	एफआरएन 003824एन	एफआरएन 007578एन
सी. ए. सुरेंद्र नाथ भारती	**सी. ए. मदन नंदी**	**सी. ए. विरेंदर के मैनी**	**सी. ए. प्रमोद कुमार महेश्वरी**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
एमआरएन. 023837	एमआरएन. 016369	एमआरएन. 088730	एमआरएन. 085362

दिनांक : 07.05.2015
स्थान : कोलकाता

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

1. हमने युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के 31 मार्च, 2015 के संलग्न वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा कर ली है। इस लेखा परीक्षा में 31 मार्च 2015 का तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता एवं समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण, विशिष्ट लेखा नीतियों का सारांश और अन्य स्पष्टीकरण योग्य सूचना शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणो में 20 ऐसी शाखाओं के विवरण है जिनकी लेखा परीक्षा हमने की है और 705 शाखाएं वैसी है जिनकी लेखापरीक्षा शाखा लेखा परीक्षकों ने की है। हमारे द्वारा लेखा परीक्षित शाखाओं और अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित शाखाओं का चयन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस बैंक को जारी दिशा निर्देश के अनुसार किया गया है। इस तुलन पत्र, में उन 35 क्षेत्रीय कार्यालयों, 1275 शाखाओं और 2 कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, 1 नकद प्रबंधन प्रणाली और 1 सेंट्रल पेंशन प्रोसेसिंग सेंटर के लाभ हानि खाते और नकदी प्रवाह को भी शामिल किया गया है जो लेखा परीक्षा के अधीन नहीं हैं। जिन शाखाओं को लेखा परीक्षा नहीं की गई हैं, उनमें कुल अग्रिमों का 9.30 प्रतिशत, जमा का 35.45 प्रतिशत, ब्याज आय का 34.10 प्रतिशत और ब्याज व्यय का 33.61 प्रतिशत शामिल है ।

वित्तीय विवरणों हेतु प्रबंधन का दायित्व

2. इस वित्तीय विवरण को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के भाग 29 के प्रावधानुसार तैयार करना और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के फॉर्म क्रमशः ए एवं बी की पुष्टि करते हुए अपेक्षित सूचना का प्रकट करना प्रबंधन का दायित्व है। उक्त वित्तीय विवरणियां भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी प्रयोज्य लेखा मानक का अनुपालन करती हैं। इस दायित्व में उन आंतरिक नियंत्रणों का निर्माण करना उन्हें कार्यान्वित करना और उनको बनाए रखना शामिल है जो इस वित्तीय विवरण को इस प्रकार तैयार करने के लिए प्रासंगिक है, जो तथ्यात्मक रूप से गलत विवरण से मुक्त हो चाहे वह गलत विवरण किसी धोखाधड़ी के कारण हुआ हो या किसी भूल के कारण।

लेखा परीक्षकों का दायित्व

3. हमारा दायित्व यह है कि हम लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपना विचार व्यक्त करें। हमने जो लेखा परीक्षा की है वह इन्सॅटीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी लेखा परीक्षा के मानकों के अनुरूप है। उन मानको के लिए जरूरी है कि हम आचार नीति का पालन करें और लेखा परीक्षा की योजना इस तरह बनाएं एवं उसका निष्पादन इस तरह करें ताकि यह वित्तीय विवरण तथ्यात्मक त्रुटियों से मुक्त हैं या नहीं इसके बारें में एक युक्तियुक्त आश्वासन हासिल हो सके ।

4. लेखा परीक्षा में इस कार्य को निष्पादन करने की पद्धति शामिल होती है ताकि वित्तीय विवरणों की राशि और प्रकटीकरण संबंधी लेखा परीक्षा साक्ष्य हासिल हो सकें। चयनित पद्धति लेखा परीक्षकों के फैसले पर निर्भर होती है जिसमें वित्तीय विवरणों से संबंधित तथ्यात्मक गलत विवरण के जोखिमों की समीक्षा भी शामिल होती है चाहे वह किसी धोखाधड़ी के कारण हो अथवा किसी भूल के कारण। उन जोखिमों की समीक्षा करते हुए लेखा परीक्षक उस आंतरिक नियंत्रण पर भी विचार करता है जो वित्तीय विवरणों के लिए उस बैंक की तैयारियों और साफ-सुथरी प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक होते है ताकि संबंधित परिस्थितियों में लेखा परीक्षा की पद्धतियों की समुचित रूपरेखा बनाई जा सके। लेखा परीक्षा के अंतर्गत उपयोग में लायी गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन भी शामिल रहता है और प्रबंधन द्वारा तैयार लेखांकन प्राक्कलन की युक्तियुक्तता इसी के साथ वित्तीय विवरणों की समग्रतः प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल रहता है।

5. हमें विश्वास है कि प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य, लेखा परीक्षा संबंधी अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए हमें पर्याप्त और उपयुक्त आधार उपलब्ध कराते हैं ।

6. मामले का गुरुत्व

   6.1 लेखा परीक्षा संबंधी मानक (एसए) 706 इम्फैसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ के अनुसार अपने विचारों के प्रतिबंधक (क्वालिफाइंग) न होते, कर्मचारियों के लिए सुविधाएं पर लेखा मानक (ए एस) 15 के प्रावधानों के लागू होने से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमत छूट के अनुसरण में रु89.46 करोड़ की सीमा तक बैंक की आस्थगित पेंशन एवं ग्रेच्यूटी देयताओं के संबंध में हम अनुसूची 18 के नोट सं 3.5 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं ।

   नवंबर, 2012 से लंबित प्रस्तावित वेतन संशोधन के लिए, 31 मार्च 2015 तक रु290 करोड़ का तदर्थ प्रावधान के संबंध में, हम वित्तीय विवरण नोट सं 3.5 की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं ।

अभिमत

7. उपर्युक्त उल्लिखित के शर्तोधीन, हमारे विचार से, हमारी पूरी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप और बैंक की बहियों में जैसा कि दिखाया गया है, और लेखानीतियों तथा लेखा टिप्पण के साथ पठित, हमें रिपोर्ट करनी है कि :

   (i) यह तुलन पत्र, बैंक का एक उत्तम तुलन पत्र है, जिसमें सभी अपेक्षित ब्योरे बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के अनुसरण में भारत में सामान्यतः स्वीकृत

लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप पूर्ण और सुस्पष्ट है, इसमें सभी विवरण समाहित किए गए है और यह समुचित तरीके से तैयार किया गया है ताकि यह इस बैंक के 31 मार्च 2015 तक के कामकाज का सही और स्पष्ट चित्र प्रदर्शित कर सके :

(ii) यह लाभ हानि लेखा बैंक के उस लाभ को सही सही दर्शाता है जो लेखा में सम्मिलित किए गए वर्ष के लिए भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन के सिद्धांतों के अनुरूप है: और

(iii) नकदी प्रवाह विवरण इस वर्ष की नियत तिथि को नकदी प्रवाह की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है ।

अन्य विधिक एवं नियामक जरूरतों पर रिपोर्ट

8. हमारे विचार से तुलन पत्र एवं लाभ हानि लेखा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की तीसरी अनुसूची के प्रपत्र क्रमश: क और ख में तैयार किए गए है और बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के भाग 29 के प्रावधान का अनुसरण करता है ।

9. ऊपर के पैरा 1 से 5 तक निर्दिष्ट लेखा परीक्षा की सीमाओं के अधीन और बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की जरूरतों के अनुरूप तथा उसमें प्रकटीकरण की सीमाओं की जरूरत के मद्देनजर हम यह रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि :

(क) लेखा परीक्षा के लिए प्रयोजनीय सभी आवश्यक सूचना और स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुआ है और हमारी जानकारी में और हमारे विश्वास के अनुसार वे संतोषजनक पाए गए है ।

(ख) बैंक के जितने भी लेन देन हमारी जानकारी में आए है वे बैंक के अधिकारों के अंतर्गत हैं ।

(ग) बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजन की दृष्टि से पर्याप्त पाई गयी।

10. हमारे विचार से तुलन पत्र, लाभ हानि खाता एवं नकदी प्रवाह विवरणी प्रयोज्य लेखा मानकों के अनुरूप है।

कृते मेसर्स राममूर्ति (एन) एंड कं	**नंदी एंड एसोसिएटस**	**कृते मेसर्स पी.सी.बिंदल एंड कं**	**एस.पी.एम.आर एंड एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफआरएन 002899एस	एफआरएन 309090ई	एफआरएन 003824एन	एफआरएन 007578एन
सी. ए. सुरेंद्र नाथ भारती	**सी. ए. मदन नंदी**	**सी. ए. विरेंदर के मैनी**	**सी. ए. प्रमोद कुमार महेश्वरी**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
एमआरएन. 023837	एमआरएन. 016369	एमआरएन. 088730	एमआरएन. 085362

दिनांक : 07.05.2015
स्थान : कोलकाता

31 मार्च, 2015 का तुलन-पत्र

एवं

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

प्रपत्र - क

स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज किए गए वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट संबंधी आवरण पत्र

1.	कंपनी का नाम / कंपनी निकाय	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2.	समाप्त वार्षिक वित्तीय विवरणी	31 मार्च 2015
3.	लेखा परीक्षा प्रेक्षण का प्रकार	अयोग्य
4.	प्रेक्षण की बारंबारता	लागू नहीं

पी.श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रत्यूष सिन्हा
अध्यक्ष-लेखा परीक्षा समिति

संजय कुमार
मुख्य वित्तीय अधिकारी

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार

कृते मेसर्स राममूर्ति (एन) एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002899एस

नंदी एंड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार
एफआरएन 309090ई

कृते मेसर्स पी.सी.बिंदल एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003824एन

एस.पी.एम.आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 007578एन

दिनांक : 07.05.2015
स्थान : कोलकाता

31 मार्च, 2015 का लेखा परीक्षित तुलन-पत्र

पूंजी एवं देयताएं

(₹ हज़ार में)

	अनुसूची	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
पूंजी	1	839,51,60	1354,74,81
प्रारक्षित एवं अधिशेष	2	4988,52,34	3927,90,61
जमाराशियां	3	108817,59,89	111509,70,86
उधार राशियां	4	4061,72,98	4460,23,61
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	4320,21,10	3852,35,13
कुल :		**123027,57,91**	**125104,95,02**

आस्तियां

(₹ हज़ार में)

	अनुसूची	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी एवं जमा राशियां	6	5815,60,12	6269,77,72
बैंकों में जमा राशियाँ और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय	7	214,94,02	4542,06,32
निवेश	8	46603,11,41	44876,34,13
अग्रिम	9	66763,03,55	65767,51,14
अचल आस्तियाँ	10	877,41,32	938,73,47
अन्य आस्तियाँ	11	2753,47,49	2710,52,24
कुल :		**123027,57,91**	**125104,95,02**
आकस्मिक देयताएं	12	6450,33,61	9908,33,01
उगाही हेतु बिल		2416,50,60	2880,71,07

31.03.2015 तक के तुलन पत्र का एक भाग

पी.श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संजय आर्य
कार्यपालक निदेशक

पार्वती वी सुंदरम निदेशक | **ए. के. डोगरा** निदेशक | **प्रत्यूष सिन्हा** निदेशक | **रेणुका मुद्गो** निदेशक | **सजीब पति** निदेशक

संजय कुमार
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार

कृते मेसर्स राममूर्ति (एन) एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002899एस
सी. ए. सुरेंद्र नाथ भारती
भागीदार
एमआरएन. 023837

नंदी एंड एसोसिएटस
सनदी लेखाकार
एफआरएन 309090ई
सी. ए. मदन नंदी
भागीदार
एमआरएन. 016369

कृते मेसर्स पी.सी.बिंदल एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003824एन
सी. ए. विरेंदर के मैनी
भागीदार
एमआरएन. 088730

एस.पी.एम.आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 007578एन
सी. ए. प्रमोद कुमार महेश्वरी
भागीदार
एमआरएन. 085362

दिनांक : 07.05.2015
स्थान : कोलकाता

अनुसूची 1

पूंजी

(₹ हजार में)

		31.03.2015 तक		31.03.2014 तक
प्राधिकृत पूंजी*		3000,00,00		3000,00,00
ईक्विटी शेयर पूंजी	-		-	
बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस)	-		-	
निर्गत, अभिदत्त और चुकता पूंजी				
839515951 (पूर्ववर्ती वर्ष 554748091) ईक्विटी शेयर प्रत्येक ₹ 10/- का [611030610 सहित (पूर्ववर्ती वर्ष में 488169792 भारत सरकार के पास)]		839,51,60		554,74,81
0 (पूर्ववर्ती वर्ष में 80000) बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर (पीएनसीपीएस) प्रत्येक शेयर ₹1,00,000/- का भारत सरकार के पास		0		800,00,00
कुल :		839,51,60		1354,74,81

अनुसूची 2

प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष

(₹ हजार में)

		31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
I.	**सांविधिक प्रारक्षित निधि**		
	अथ: शेष	713,51,31	713,51,31
	जोड़ : लाभ हानि लेखा से अंतरण	63,99,81	-
	उप योग :	**777,51,12**	**713,51,31**
II.	**पूंजी प्रारक्षित निधि**		
	क) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधि		
	अथ : शेष	608,89,37	624,48,61
	जोड़ : वर्ष के दौरान	-	-
	घटाव : इस वर्ष का समायोजन	-	-
	लाभ-हानि लेखा में अंतरण	(14,82,23)	(15,59,24)
		594,07,14	608,89,37
	ख) अन्य		
	अथ: शेष	1508,49,53	1508,49,53
	जोड़ : लाभ-हानि लेखा से अंतरण	1,14,67	-
		1509,64,20	1508,49,53
	उप योग [(क)+ (ख)]	**2103,71,34**	**2117,38,90**
III.	**शेयर प्रीमियम**		
	अथ: शेष	1263,58,81	743,62,93
	जोड़: इस वर्ष का योग	815,23,21	519,95,88
	उप योग	**2078,82,02**	**1263,58,81**
IV.	**राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित**		
	क) विशेष आरक्षित आई. टी.		
	अथ: शेष	220,00,00	220,00,00
	घटाव : पूर्ववर्ती वर्ष से संबंधित समायोजन	-	-
	जोड़ : लाभ-हानि लेखा से अंतरण	-	-
	उप योग (क)	**220,00,00**	220,00,00
	ख) निवेश प्रारक्षित लेखा		
	अथ: शेष	-386,58,41	898,88,77
	घटाव : पिछले वर्ष के संबंध में समायोजन	14,82,23	–
	घटाव : आस्तियों के समायोजन के लिए ड्र डाउन	(10,60,70)	(72,02,78)
	जोड़ : लाभ-हानि लेखा से अंतरण	190,84,75	(1213,44,40)
	उप योग (ख)	**-191,52,14**	-(386,58,41)
	उप योग [(क)+ (ख)]	**28,47,87**	-(166,58,41)
V.	**लाभ-हानि लेखा में शेष**	–	–
	कुल (I + II + III+IV+V)	**4988,52,34**	**3927,90,61**

अनुसूची 3

जमा

(₹ हजार में)

			31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
क	I. माँग जमा			
	i) बैंकों से		1261,29,43	1315,00,93
	ii) अन्य से		7682,69,07	6761,67,33
	II. बचत बैंक जमा		36811,10,93	33154,20,87
	III. मीयादी जमा			
	i) बैंकों से		1761,02,83	2116,02,07
	ii) अन्य से		61301,47,63	68162,79,66
		कुल :	**108817,59,89**	**111509,70,86**
ख	i) भारत की शाखाओं में जमा		108817,59,89	111509,70,86
	ii) भारत के बाहर की शाखाओं में जमा		–	–
		कुल :	**108817,59,89**	**111509,70,86**

अनुसूची 4

उधार

(₹ हजार में)

	31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
I. भारत में उधार		
i) भारतीय रिजर्व बैंक	584,00,00	–
ii) अन्य बैंक	4,91,62	–
iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियाँ #	3472,81,36	4040,83,11
II. भारत के बाहर उधार	–	419,40,50
कुल :	4061,72,98	4460,23,61
उपर्युक्त I और II में सम्मिलित जमानती उधार राशियाँ	–	–
# टियर II पूँजी हेतु अधीनस्थ ऋण सहित	2225,00,00	2225,00,00
# टियर I पूँजी हेतु आईपीडीआई सहित	300,00,00	300,00,00

अनुसूची 5

अन्य देयताएं एवं प्रावधान

(₹ हजार में)

		31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
I.	देय बिल	348,79,90	372,98,77
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	67,81,58	160,72,56
III.	उपचित ब्याज	1022,39,35	993,78,89
IV.	मानक आस्तियों हेतु आकस्मिक प्रावधान	1060,09,00	734,27,00
V.	आस्थगित कर देयता (शुद्ध)	–	–
VI.	प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)	–	–
VII.	अन्य (प्रावधानों सहित)	1821,11,27	1590,57,91
	कुल :	**4320,21,10**	**3852,35,13**

अनुसूची 6

भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं जमाराशियाँ

(₹ हजार में)

		31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)	503,02,00	433,60,22
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशियाँ		
	i) चालू खाते में	5312,58,12	5836,17,50
	ii) अन्य खातों में	–	–
	कुल :	**5815,60,12**	**6269,77,72**

अनुसूची 7

बैंकों में शेष तथा माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(₹ हजार में)

		31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
I.	भारत में -		
i)	बैंकों में जमा		
	क) चालू खातों में	49,49,48	59,82,54
	ख) अन्य जमा खातों में	–	–
ii)	मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय		
	क) बैंकों में	140,00,00	4133,39,17
	ख) अन्य संस्थानों में	–	–
	उप - योग :	**189,49,48**	**4193,21,71**
II.	भारत के बाहर–		
i)	बैंकों में जमा		
	क) चालू खातों में	25,44,54	348,84,61
	ख) अन्य जमा खातों में	–	–
ii)	माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	–	–
	उप - योग :	**25,44,54**	**348,84,61**
	कुल :	**214,94,02**	**4542,06,32**

अनुसूची 8

निवेश

(₹ हजार में)

		31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
I.	भारत में निवेश (सकल)	46797,66,26	45127,50,19
	घटाव : एनपीआई, मूल्य ह्रास/परिशोधन हेतु प्रावधान	(194,54,85)	(251,16,06)
	शुद्ध	**46603,11,41**	**44876,34,13**
	विश्लेषण		
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ	35020,44,93	35084,04,51
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	–	16,43,13
	iii) शेयर	201,56,82	280,22,20
	iv) डिबेंचर एवं बांड्स	2072,33,92	2077,79,72
	v) सहायक एवं/या संयुक्त उद्यम	–	–
	vi) अन्य (म्यूचुअल फंड सीपी, सीडी आदि)	9308,75,74	7417,84,57
	उप-योग :	**46603,11,41**	**44876,34,13**
II.	भारत के बाहर निवेश (सकल)		–
	घटाव : मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान	–	–
	शुद्ध	–	–
	विश्लेषण		
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरण सहित)	–	–
	ii) विदेशों में सहायक एवं/या संयुक्त उद्यम	–	–
	iii) अन्य निवेश	–	–
	उप-योग :	–	–
	कुल (I और II)	**46603,11,41**	**44876,34,13**

अनुसूची 9

अग्रिम

(₹ हजार में)

		31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
क.	i) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	399,48,52	908,09,84
	ii) नकदी ऋण ओवर ड्राफ्ट एवं माँग पर चुकौती योग्य ऋण	19450,14,35	
	iii) मीयादी ऋण	44796,52,12	45409,26,95
	कुल :	**66763,03,55**	**65767,51,14**
ख.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही-ऋण संबंधी अग्रिम सम्मिलित)	59491,09,60	59136,08,29
	ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित	2419,23,91	2270,72,71
	iii) गैर जमानती	4852,70,04	4360,70,14
	कुल :	**66763,03,55**	**65767,51,14**
ग.	I. भारत में अग्रिम		
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	25204,29,04	24907,82,00
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र	5580,52,70	5130,45,00
	iii) बैंक	28,74,26	327,21,00
	iv) अन्य	35949,47,55	35402,03,14
	उप-योग :	**66763,03,55**	**65767,51,14**
	II. भारत के बाहर अग्रिम		
	i) बैंकों से प्राप्त	–	–
	ii) अन्य से प्राप्त	–	–
	क) खरीदे एवं भुनाए गए बिल	–	–
	ख) समूहित ऋण	–	–
	ग) अन्य	–	–
	उप-योग :	**–**	**–**
	कुल (I और II)	**66763,03,55**	**65767,51,14**

अनुसूची 10

अचल आस्तियाँ

(₹ हजार में)

		31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
I.	परिसर (पट्टे पर ली गई सहित)		
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की लागत पर पुनर्मूल्यांकित	858,21,73	804,74,23
	वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन	–	–
	वर्ष के दौरान योग	12,56,51	53,47,50
		870,78,24	**858,21,73**
	घटाव: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	(,0)	(,0)
	तिथि तक मूल्य ह्रास	(187,13,69)	(170,19,56)
	उप-योग :	**683,64,55**	**688,02,17**
II.	पूंजीगत कार्य प्रगति पर	**4,05,27**	**15,16,08**
III.	अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)		
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की लागत पर	783,20,54	675,95,15
	वर्ष के दौरान योग	56,99,93	116,04,58
		840,20,47	791,99,73
	घटाव : वर्ष के दौरान कटौतियाँ	(34,10,08)	(8,79,19)
	तिथि तक मूल्य ह्रास	(629,19,33)	(571,67,96)
	उप-योग :	**176,91,06**	**211,52,58**
IV.	अमूर्त आस्तियाँ		
	सॉफ्टवेयर		
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31मार्च की लागत पर	94,27,33	70,06,84
	वर्ष के दौरान योग	1,80,58	24,20,49
		96,07,91	94,27,33
	घटाव: वर्ष के दौरान कटौतियाँ	–	–
	आज तक ऋण परिशोधन	(83,27,47)	(70,24,69)
	उप-योग :	12,80,44	24,02,64
	कुल (I+II+III+IV)	**877,41,32**	**938,73,47**

अनुसूची 11

अन्य आस्तियाँ

(₹ हजार में)

		31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)	–	–
II.	उपचित ब्याज	1094,35,11	978,15,82
III.	अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध)	713,14,91	557,14,78
IV.	लेखन सामग्री एवं स्टाम्प	8,80,63	11,12,60
V.	दावों की संतुष्टि में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियाँ	–	–
VI.	आस्थगित कर आस्तियाँ (शुद्ध)	191,58,00	461,72,00
VII.	अन्य	745,58,84	702,37,04
	कुल	**2753,47,49**	**2710,52,24**

अनुसूची 12

आकस्मिक देयताएं

(₹ हजार में)

		31.03.2015 तक	31.03.2014 तक
I.	बैंक पर दावे, जिन्हें यह कर्ज नहीं मानता	8,78,98	3,87,15
II.	आंशिक भुगतान किए गए निवेशों हेतु देयता	30,45,28	33,20,98
III.	वायदा विनिमय करारों के कारण देयता	2163,68,30	5012,06,27
IV.	घटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ (नकदी मार्जिन का शुद्ध) :		
	क) भारत में	422,77,49	2517,93,87
	ख) भारत के बाहर	2670,14,10	1038,88,69
	ग) बैंक गारंटी लागू किन्तु अप्रदत्त (भारत में)	4,63,83	4,70,26
V.	स्वीकृतियाँ, परांकन एवं अन्य दायित्व (नकदी मार्जिन का शुद्ध)	1089,68,07	1276,54,07
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है	60,17,56	21,11,72
	कुल :	**6450,33,61**	**9908,33,01**

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(₹ हज़ार में)

		अनुसूची	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
I.	आय			
	अर्जित ब्याज	13	10180,47,77	10599,29,03
	अन्य आय	14	1746,91,15	1206,87,10
	कुल :		**11927,38,92**	**11806,16,13**
II.	व्यय			
	खर्च हुआ ब्याज	15	7689,81,55	8036,47,12
	परिचालनगत व्यय	16	1809,62,82	1707,94,61
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		2171,95,33	3275,18,80
	कुल :		**11671,39,70**	**13019,60,53**
III.	लाभ			
	इस वर्ष शुद्ध लाभ		255,99,22	(1213,44,40)
	कुल :		**255,99,22**	**-(1213,44,40)**

31.03.2015 तक के तुलन पत्र का एक भाग

पी.श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संजय आर्य
कार्यपालक निदेशक

पार्वती बी सुंदरम	**ए. के. डोगरा**	**प्रत्यूष सिन्हा**	**रेणुका मुद्रो**	**संजीब पति**
निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक	निदेशक

संजय कुमार
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का लाभ-हानि लेखा

(₹ हजार में)

	अनुसूची	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
IV.	विनियोजन :		
	सांविधिक आरक्षित में अंतरण	63,99,81	–
	आरक्षित पूंजी मे अंतरण	1,14,67	–
	प्रस्तावित लाभांश :	–	–
	ईक्विटी	–	–
	पी एन सी पी एस	–	–
	लाभांश पर कर	–	–
	राजस्व आरक्षित में अंतरण	190,84,75	-(1213,44,40)
	तुलन-पत्र में अग्रेषित जमाराशि	–	–
	कुल :	**255,99,22**	**-(1213,44,40)**
	प्रति शेयर मूल्य एवं मिश्रित आय (रू.) (अवार्षिककृत)	3.78	(28.68)

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार

कृते मेसर्स राममूर्ति (एन) एंड को
सनदी लेखाकार
एफआरएन 002899एस

सी. ए. सुरेंद्र नाथ भारती
भागीदार
एमआरएन. 023837

नंदी एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 309090ई

सी. ए. मदन नंदी
भागीदार
एमआरएन. 016369

कृते मेसर्स पी.सी.बिंदल एंड कं
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003824एन

सी. ए. बिरेंदर के मैनी
भागीदार
एमआरएन. 088730

एस.पी.एम.आर एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 007578एन

सी. ए. प्रमोद कुमार महेश्वरी
भागीदार
एमआरएन. 085362

दिनांक : 07.05.2015
स्थान : कोलकाता

अनुसूची 13

अर्जित ब्याज

(₹ हज़ार में)

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा	7040,82,88	7816,56,02
II.	निवेश पर आय	3048,20,72	2597,61,73
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशि पर तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज	90,16,79	141,08,58
IV.	अन्य	1,27,38	44,02,70
	कुल :	**10180,47,77**	**10599,29,03**

अनुसूची 14

अन्य आय

(₹ हज़ार में)

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली	202,81,05	202,46,55
II.	घटाव : निवेशों के विक्रय पर हानि	1168,64,72	534,51,54
	घटाव : निवेशों के विक्रय पर हानि	(90,30)	(8,53,70)
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ	-	-
	घटाव: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि	-	-
IV.	जमीन, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ	65,25	5,97
	घटाव : जमीन, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय से हानि	(7,23)	(1,81)
V.	विनिमय लेन-देन पर लाभ	97,64,10	155,97,93
	घटाव : विनिमय लेन-देन पर हानि	-	-
VI.	भारत में/भारत के बाहर अनुषंगी कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय	-	-
VII.	विविध आय	278,13,56	322,40,62
	कुल :	**1746,91,15**	**1206,87,10**

अनुसूची 15

व्यय किए गए ब्याज

(₹ हज़ार में)

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
I.	जमाराशियों पर ब्याज	7253,65,70	7569,14,43
II.	भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज Bank borrowings	82,52,74	94,12,18
III.	अन्य	353,63,11	373,20,51
	कुल :	**7689,81,55**	**8036,47,12**

अनुसूची 16

परिचालनगत व्यय

(₹ हज़ार में)

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान	1038,28,51	1014,34,35
II.	किराया, कर एवं बिजली	139.94,44	125,52,25
III.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	26,41,21	30,00,85
IV.	विज्ञापन एवं प्रचार	5,61,73	10,45,15
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्य-ह्रास	105,71,96	84,77,90
	घटाव : पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से अंतरण	–	(15,59,24)
		105,71,96	**69,18,66**
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय	1,15,69	1,99,92
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय (शाखा के लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)	14,60,23	14,59,54
VIII.	विधि प्रभार	8,15,21	5,25,20
IX.	डाक-व्यय, तार टेलीफोन आदि	23,53,71	23,19,99
X.	मरम्मत और रख-रखाव	33,87,74	17,70,59
XI.	बीमा	103,38,11	111,18,22
XII.	अन्य व्यय	308,94,28	284,49,89
	कुल :	**1809,62,82**	**1707,94,61**

अनुसूची 17

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष की मुख्य लेखा नीतियाँ

1. **वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार**

संलग्न वित्तीय विवरणियां परम्परागत लागत के आधार पर तैयार की गई हैं और अन्यथा उल्लेख किए हुए को छोड़कर, लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा के अनुरूप और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परिपाटी (जी ए ए पी) लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी प्रयोज्य अधिदेशात्मक लेखा मानकों (ए.एस)/मार्गदर्शी नोटों/उदघोषणाओं और भारतीय बैंकिंग उद्योग में विद्यमान चलन के अनुरूप है ।

2. **प्राक्कलन का उपयोग**

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की तिथि तक रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं तथा रिपोर्टिंग अवधि के आय व्यय पर विचार करने के उद्देश्य से प्रबंधन को प्राक्कलन एवं अनुमान करना होता है। प्रबंधन यह समझता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं तर्क सम्मत है ।

3. **आय और व्यय निर्धारण**

3.1 यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो राजस्व और व्यय का हिसाब उपचय के आधार पर किया गया है ।

3.2 अनर्जक आस्तियों पर आय का हिसाब उपचय के आधार पर किया गया है और अनर्जक आस्तियों पर वसूली के आधार पर किया गया है। इस वर्ष वसूली हुई राशि प्रथमतः अवमानक आस्तियों पर आय के रूप में विनियोजित की गई है । संदिग्ध, हानि आस्तियों और दायर मुकदमा के अधीन तथा डिक्री हो चुके खातों से हुई वसूली/प्राप्त राशि को प्रथमतः बकाया शेष स्वरूप विनियोजित किया गया ।

3.3 जिन अग्रिमों पर आय वसूली नहीं हो सकी और जिन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है उनको प्रत्यावर्तित कर दिया गया है ।

3.4 कमीशन (सरकारी लेन देन एवं बैंक एक्सचेंजों को छोड़कर) विनिमय, दलाली, दावा, लॉकर किराया और शेयरों पर लाभांश से प्राप्त आय का हिसाब नकद के आधार पर किया गया ।

3.5 पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि को भी नकद के आधार पर हिसाब किया गया है ।

4. **विदेशी मुद्रा लेन-देन**

4.1. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को छोड़कर प्रत्येक मुद्रा में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यांकन, तुलन पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित स्पॉट दर पर किया गया है। बकाया वायदा विनिमय का पुनर्मूल्यांकन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित फॉरवार्ड दर पर किया जाता है । पुनर्मूल्यांकित राशि और संविदागत राशि के अंतर को यथास्थिति लाभ या हानि के रूप में चिह्नित किया गया है ।

4.2. आय एवं व्यय की मदों को लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार किया गया है ।

4.3. गारंटी के साथ साथ स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य बाध्यताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ, द्वारा घोषित क्लोजिंग स्पॉट दर पर निभाया गया है ।

4.4. "विदेशी विनिमय दर पर परिवर्तनों के प्रभाव पर" ए एस 11 के अनुसार बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय का वर्गीकरण अभिन्न वैदेशिक परिचालन स्वरूप किया गया है।

4.5. आर्थिक निर्धारण हो जाने पर अभिन्न विदेशी परिचालन से संबंधित विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में दर्ज किया गया है और लेनदेन की तारीख को विदेशी मुद्रा राशि में रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के बीच लागू करते हुए किया गया है ।

4.6. परम्परागत लागत पर चलाई जाने वाली विदेशी मुद्रा गैर मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करते हुए की गई है ।

5. **निवेश**

5.1 वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म ए में निर्धारित है :-

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ

ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ

ग) शेयर
घ) डिबेंचर एवं बॉन्ड
ङ) सहायक/संयुक्त उद्यम
च) अन्य

5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक के निवेश पोर्टफोलियों की निम्नांकित श्रेणियाँ बनाई गई है :
क) "परिपक्वता तक धारित" – इसमें परिपक्वता तक धारण के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल है।
ख) "व्यापार हेतु धारित" – इसमें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल है।
ग) "बिक्री के लिए उपलब्ध" – इसमें उक्त (क) एवं (ख) से इतर निवेश शामिल है।

निवेश का वर्गीकरण अभिग्रहण के समय किया गया है :

5.3 निवेश अभिग्रहण की लागत का निर्धारण :
क) प्रतिभूतियों के अभिदान हेतु प्राप्त ब्रोकरेज, कमीशन एवं प्रोत्साहनों को प्रतिभूति की लागत से काटा जाता है।
ख) प्रतिभूतियों की प्राप्ति हेतु प्रदत्त ब्रोकरेज, कमीशन इत्यादि को राजस्व व्यय माना जाता है।
ग) बैंक द्वारा निवेश लेनदेन के बारे में निपटान तिथि का अनुसरण किया जाता है।

5.4. निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक निर्धारित आय मुद्रा बाजार तथा डेरिवेटिव्स एशोसिएसन (एफ आई एम ए डी ए) के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार बैंक द्वारा निपटान तारीख का अनुसरण किया जाता है :
क) परिपक्वता तक धारित (एचटीएम)
I) परिपक्वता तक धारित वर्ग के अंतर्गत निवेश अभिग्रहण लागत पर किया गया है। जब कभी मूल्य अंकित मूल्य / प्रतिदेय मूल्य से अधिक होता है तो प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित कर दिया जाता है।
ii) ग्रामीण आधारभूत विकास निधि, अल्पकालीन सहकारी ग्रामीण पुन:वित्त निधि, मध्यम लघु माइक्रो उद्यम पुन:वित्त निधि, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लि., ग्रामीण आवास विकास निधि, राष्ट्रीय आवास बैंक लि. माइक्रो फाइनेन्स विकास एवं इक्विटी निधि, नाबार्ड में (शेयर के रूप में वर्गीकृत) में किए गए निवेशों का मूल्यांकन वहन लागत के आधार पर किगया गया है।
iii) प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए निवेश का मूल्यांकन वहन लागत के आधार पर किया जाता है।
iv) उद्यम पूंजी में निवेश का मूल्यांकन वहन लागत के आधार पर किया जाता है।
ख) "व्यापार के लिए धारित" एवं "बिक्री के लिए उपलब्ध"

क सरकारी प्रतिभूतियाँ 1. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ 2. राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	एफ आई एम एम डी ए द्वारा प्रकाशित कीमत पर। एफ आई एम एम डीए/भा. रि. बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार आधार प्रतिफल वक्र पर उपयुक्त कीमत लागत अंतर को जोड़ते हुए परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर।
ख बट्टाकृत लिखत (ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एवं जमा प्रमाण पत्र)	वहन लागत पर
ग बॉन्ड एवं डिबेंचर	एफ आई एम एम डी ए/आर बी आई के दिशा निर्देशों के अनुसार आधारभूत प्रतिफल वक्र पर उपयुक्त ऋण विस्तृति को जोड़ते हुए परिपक्वता तक प्रतिफल (वाई टी एम) होने के आधार पर।
घ इक्विटी i) कोट की गई ii) कोट नहीं की गई	 बाजार मूल्य पर अंतिम तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं) के अनुसार विश्लेषित मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी 1 रूपए पर।
ङ अधिमानी शेयर	यदि कोट किया गया है तो बाजार मूल्य पर अथवा एफ आई एम एम डी ए/भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशानुसार आधार अर्जन वक्र पर उपयुक्त कीमत लागत अंतर (मार्क अप) को जोड़ते हुए परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर
च प्रतिभूति प्राप्ति/उद्यम पूंजी निधि	एफ आई एम डी ए/भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशानुसार शुद्ध आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर
छ म्यूचुअल फंड	यदि कोट किया हुआ है तो बाजार मूल्य पर तथा कोट नहीं किया गया है तो पुनर्खरीद मूल्य/शुद्ध आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर

5.5 व्यापार के लिए धारित श्रेणी से प्रतिभूतियों का स्थानांतरण भा.रि. बैंक के दिशा निर्देशानुसार निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया जाता है ।

5.6. व्यापार के लिए धारित एवं बिक्री के लिए उपलब्ध श्रेणी की प्रत्येक स्क्रिप मासिक आधार पर अथवा यथा प्रावधान इससे भी कम अंतराल पर बाजार के लिए चिह्नित की जाती है । प्रत्येक श्रेणी के तहत शुद्ध मूल्य ह्रास यदि है तो इसका प्रावधान किया जाता है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि ,यदि कोई है तो इसे अनदेखा किया जाता है।

5.7. लागत एवं अंकित मूल्य में अंतर होने के कारण शून्य कूपन बॉन्ड से प्राप्त आय का निर्धारण समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

5.8. किसी भी श्रेणी में निवेश की बिक्री पर हुए लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है । किन्तु परिपक्वता तक धारित श्रेणी में निवेश की बिक्री पर हुए लाभ की स्थिति में वर्ष के अंत में लाभ के बराबर राशि का विनियोजन प्रारिक्षत पूँजी खाता में किया जाता है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर अधिशेष/घाटे का हिसाब करने के लिए भारित औसत (वेटेड एवरेज) पद्धित अपनाई जाती है।

5.9. विक्रय हेतु धारित श्रेणी में धारण अवधि का हिसाब करने के लिए प्रथम आओ प्रथम पाओ (एफ आई एफ ओ) पद्धित लागू की गई है ।

5.10. सभी निवेश उपयुक्त प्रावधानीकरण/आय के अवनिर्धारण (डिरिकॉगनिशन) के अध्यधीन है । यह गैर निष्पादित निवेश (एनपीआई) वर्गीकरण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानकों के अनुरूप है । अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों से संबंधित अधिमूल्यन के बदले समंजित नहीं किया गया है ।

5.11. व्यापार अथवा बायदा व्यापार के व्युत्पन्न लेनदेन किया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसरण में मूल्यांकन किया जाता है ।

5.12. रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन के हिसाब के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विहित मानक पद्धित का बैंक द्वारा अनुपालन किया जाता है ।

6. आस्ति पुनर्निर्धारण कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियां

6.1 यदि वित्तीय आस्तियां ए आर सी/ए सी को शुद्ध बही मूल्य से ऊंची कीमत पर बेची गई है तो अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन नहीं किया गया है बल्कि उसे ए आर सी/ए सी को बेची गई अन्य वित्तीय आस्तियों से हुई कमी को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया गया है । यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य से कम कीमत पर हुई है तो उपलब्ध अधिशेष (यदि हो) को समायोजित करने के बाद उस कमी को लाभ और हानि खाते के नामे लिखा गया है ।

6.2 आस्ति पुनर्निमाण कंपनी प्रतिभूतिकरण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण बैंक खाते में ऐसे विक्रय के लिए उस आस्ति पुनर्निमाण कंपनी/प्रतिभूतिकरण कंपनी द्वारा सृजित न्यास द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य से कम कीमत पर उस ऐसी वित्तीय आस्तियों के शुद्ध मूल्य की कीमत पर किया गया है ।

6.3 बैंक बही में प्रतिभूति प्राप्तियों को गैर एस एल आर में निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुरूप गैर एस एल आर के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन, वर्गीकरण और अन्य मानदंड लागू किए गए हैं ।

6.4 एआरसी/एस सी को बेची गई बट्टा कृत आस्तियों के मामले में नकदी आगम को आय माना गया है ।

7. अग्रिम

7.1. अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक आस्तियों के आधार पर किया गया है तथा उन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप प्रावधान किया गया है ।

7.2. अनर्जक आस्ति का उल्लेख प्रावधानों और ऋण गारंटी संस्थाओं से प्राप्त दावे के रूप में किया गया है । अर्जक आस्तियों हेतु प्रावधानों को अन्य देयताएं प्रावधान के अंतर्गत दिखलाया गया है ।

7.3 अर्जक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयता एवं प्रावधान शीर्ष के तहत प्रदर्शित है ।

7.4. अग्रिमों को पुनर्गठन एवं तत्संबंधी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिदेश के अनुरूप किया गया है ।

8. अचल आस्तियां और मूल्यह्रास

8.1. परिसर (इसमें पट्टे पर लिया गया परिसर भी शामिल हैं) और अन्य अचल आस्तियां तथा चल रहे पूंजीगत कार्य को परंपरागत लागत पर लिया गया है । पुनर्मूल्यांकित की स्थिति में यह पुनर्मूल्यांकित राशि के रूप में उल्लिखित है और बढ़ी हुई कीमत को पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित में जमा किया गया है ।

8.2 पट्टे पर ली गई आस्तियों को पट्टे की अवधि के लिए परिशोधन किया गया है ।

8.3. कंप्यूटर और स्वचालित टेलर मशीन (ए टी एम) के अतिरिक्त अन्य आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची के अंतर्गत, 5% अवशिष्ट मूल्य रखने के बाद किया गया है ।

प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित से सामान्य प्रारक्षित को आस्ति के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्य ह्रास राशि के बराबर राशि अंतरित की गई है ।

8.4. कंप्यूटरों, स्वचालित टेलर मशीन (ए टी एम) एवं सॉफ्टवेयरों पर मूल्यह्रास का हिसाब उसकी अभिग्रहण तिथि से आनुपातिक आधार पर सीधी रेखा पद्धित से 33.33 प्रतिशत की दर से भा.रि.बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार किया गया ।

8.5. अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों) पर यदि कोई अनर्जक हानि हुई है, तो उसे अनर्जक आस्तियों पर लेखांकन मानक ए.एस 28 के अनुरूप चिह्नित किया गया है ।

9. सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन

ए.एस-12 के अनुसार प्राप्त सरकारी अनुदान/ सहायकी को बही मूल्य तक पहुंचाने के संबंध में आस्तियों के सकल मूल्य में कटौती के रूप में किए गए अनुदान/दिखाकर तुलन पत्र प्रस्तुत किया गया है । लाभ एवं हानि खाते में अनुदान/सहायकी को मूल्यह्रास अस्तियों के उपयोगी जीवन काल पर मूल्यह्रास प्रभार में कटौती के द्वारा किया गया है ।

राजस्व प्रकृति से प्राप्त किए सराकारी अनुदान सहायकियों को लाभ एवं हानि खाते में उसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त संबंधित लागत, यदि कोई हो, तो उसमें कटौती करते हुए स्वीकृत किया गया है, अन्यथा उपयुक्त को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यदि प्राप्त हो, अन्य आय के अंतर्गत दर्शाया गया है ।

10. कर्मचारियों की सुविधाएं

10.1 कर्मचारियों के लाभों की पहचान "कर्मचारी लाभ" के अंतर्गत ए.एस-15 के अनुसार की गई है ।

10.2 कर्मचारियों को दी जाने वाली अल्पावधिक सुविधाओं अर्थात अवकाश किराया रियायत एवं चिकित्सा सहायता की माप लागत पर की गई है ।

10.3 कर्मचारियों को दी जाने चाली दीर्घावधिक सुविधाएं तथा सेवानिवृत्ति के बाद की सुविधाएं जैसे आनुतोषिक, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण की माप वार्षिक तृतीय पक्ष बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धित द्वारा बट्टा आधार पर की गई है ।

10.4 जिन कर्मचारियों ने भविष्य निधि योजना का विकल्प दिया है उनका निर्धारित अंशदान एक मान्यता प्राप्त न्यास में डाल दिया जाता है । जिन्होंने पेंशन का विकल्प दिया है, उनकी पेंशन निधि का अंशदान बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होता है ।

10.5 तुलन पत्र में दीर्घावधि कर्मचारी सुविधाएं वर्तमान दायित्वों को दर्शाती हैं जिन्हें अतीत के गैर मान्यता प्राप्त सेवा लागत के लिए समायोजित (यदि कुछ है तो) किया हुआ है और जैसे कि योजना आस्ति के उचित मूल्य से कम करके (जहां भी लागू होना योग्य है) लाभ हानि लेखा में मान्यता प्राप्त स्तर तक बीमांकिक लाभ हानि के रूप में दर्शाया गया है ।

10.6 पेंशन सुविधा सहित दीर्घावधि कर्मचारी सुविधाओं से संबंधित संक्रमणकालीन देयता को पांच वर्ष में सीधी रेखा आधार पर एक व्यय के रूप में दर्शाया गया है ।

10.7 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुरूप सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प की सुविधा दुबारा देने और उपादान सीमा बढ़ोत्तरी विवेकपूर्ण नियामक आचरण संबंधी व्यय में पांच वर्ष के लिए परिशोधन किया जा रहा है ।

11. करारोपण

कर के हिसाब के अंतर्गत आय पर कर का प्रावधान ए एस 22 के अनुसार चालू एवं आस्थगित करों दोनों के लिए किया गया है ।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्तियां

प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्तियों पर ए एस 29 के अनुसार बैंक निम्नांकित को मान्यता देता है :

(क) प्रावधानों को तभी चिह्नित किया जाता है तब पूर्ववर्ती घटना के परिणाम स्वरूप कोई वर्तमान दायित्व रहता है और यह संभव है कि आर्थिक सुविधाओं से युक्त संसाधनों का कोई प्रवाह किसी दायित्व के लिए जरूरी हो और जब दायित्व की मात्रा के लिए एक विश्वसनीय आकलन किया जा सके ।

(ख) आकस्मिक देयता मान्यता प्राप्त/पिछले घटना के संभव दायित्व है, जोकि अस्तित्व में नहीं है और पूरी तरह बैंक के नियंत्रण में एक या एक से अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं की घटना/ गैर घटना की पुष्टि करता है। आकस्मिक देयता मान्यता प्राप्त /खुलासा अतीत की घटनाओं से एक वर्तमान दायित्व है, क्योंकि दायित्व या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान व्यवस्थित करने के लिए आर्थिक लाभ समाविष्ट संसाधनों का बहिर्वाह के सुदूर संभावना से मान्यता प्राप्त नहीं है ।

(ग) आकस्मिक आस्तियां वित्तीय विवरण में मान्यता प्राप्त नहीं है ।

13. **शुद्ध लाभ**

निम्नलिखित के लेखांकन के बाद ही शुद्ध लाभ किया गया है :

(क) कराधान का प्रावधान

(ख) मानक आस्तियों पर प्रावधान करना

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार अनर्जक आस्तियों एवं मूल्यह्रास पर प्रावधान

(घ) अन्य सामान्य तथा आवश्यक प्रावधान करना ।

31.03.2015 को यह अनुसूची– 17 का अंश है

पी.श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संजय आर्य
कार्यपालक निदेशक

पार्वती वी सुंदरम निदेशक	**ए. के. डोगरा** निदेशक	**प्रत्यूष सिन्हा** निदेशक	**रेणुका मुद्गो** निदेशक	**संजीव पति** निदेशक

संजय कुमार
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार

कृते मेसर्स राममूर्ति (एन) एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन 002899एस	**नंदी एंड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार एफआरएन 309090ई	**कृते मेसर्स पी.सी.बिंदल एंड कं** सनदी लेखाकार एफआरएन 003824एन	**एस.पी.एम.आर एंड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार एफआरएन 007578एन
सी. ए. सुरेंद्र नाथ भारती भागीदार एमआरएन. 023837	**सी. ए. मदन नंदी** भागीदार एमआरएन. 016369	**सी. ए. विरेंदर के मैनी** भागीदार एमआरएन. 088730	**सी. ए. प्रमोद कुमार महेश्वरी** भागीदार एमआरएन. 085362

दिनांक : 07.05.2015
स्थान : कोलकाता

अनुसूची 18 :

टिप्पणियां जो 31 मार्च 2015 को को समाप्त वर्ष का लेखा का अंश है

1. विदेशी शाखाओं, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों के शेष की पुष्टि / समाधान, नोस्ट्रो खातों, ड्राफ्ट देय, समाशोधन अंतर, अंतर कार्यालय समायोजन आदि का कार्य प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में, उपरोक्त की मंजूरी / समायोजन लंबित, वित्तीय विवरणों पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होने की संभावना नहीं है।

2 .1 पूंजी

क)

विवरण	बासेल-III समाप्त वर्ष		बासेल-II समाप्त वर्ष	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
i) आम इक्विटी टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	7.52	6.54	NA	NA
ii) टियर 1 पूंजी अनुपात (%)	7.52	6.54	7.77	7.26
iii) टियर 2 पूंजी (%)	3.05	3.27	3.65	4.20
iv) कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	10.57	9.81	11.42	11.46
v) बैंक की इक्विटी पूंजी में भारत सरकार की हिस्सेदारी का प्रतिशत	82.00%	88.00%	82.00%	88.00%
vi) जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि (रूपय करोड़ में)	300.00	700.00	300.00	700.00
vii) जुटाई गई टियर 1 पूंजी की राशि; जिनमें से	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
-पीएनसीपीएस:				
-पीडीआई				
viii) जुटाई गई टियर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से:(रूपये करोड़ में)	शून्य	500.00	शून्य	500.00
- ऋण पूंजी लिखतः	शून्य	500.00	शून्य	500.00
- अधिमान शेयर पूंजी लिखतः	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

ख) वर्ष के दौरान, दिनांक 18 अगस्त, 2014 को सम्पन्न वार्षिक आम बैठक में संकल्प द्वारा इसके शेयरधारकों की मंजूरी के साथ, बैंक ने सेबी आईसीडीआर विनियम 2009, यथा संशोधित के अध्याय vii के अन्तर्गत अधिमानी आवंटन के जरिए कुल रु 274.77 करोड़ की भारत सरकार द्वारा धारित प्रत्येक रु 1.00,000/ के कुल 80,000 (पीएनसीपीएस) में से शाश्वत गैरसंचयी अधिमान शेयरों (पीएनसीपीएस) के 27,477 (सत्ताईस हजार चार सौ सतहत्तर) संख्या के रुपानंतरण द्वारा भारत सरकार को प्रति शेयर रु 25.50 (रुपये पच्चीस और पचास पैसे मात्र) के प्रीमियम पर प्रत्येक रु 10/ (रुपये दस मात्र) के 7,74,00,000 (सात करोड़ चौहत्तर लाख) इक्विटी शेयरों का आवंटन किया है।

ग) वर्ष के दौरान, बैंक ने सेबी आईसीडीआर विनियम 2009, यथा संशोधित के अध्याय vii के अन्तर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को अधिमान्य आधार पर रु 300 करोड़ के समकक्ष प्रति शेयर रु 25.50 (रुपये पच्चीस और पचास पैसे मात्र) के प्रीमियम पर प्रत्येक रु 10/ (रुपये दस मात्र) के 8,45,07,042 (आठ करोड़ पैंतालीस लाख ब्यालिस) इक्विटी शेयरों का आवंटन किया है।

घ) वर्ष के दौरान, दिनांक 13 मार्च, 2015 को सम्पन्न असाधारण आम बैठक में संकल्प द्वारा इसके शेयरधारकों की मंजूरी के साथ, बैंक ने सेबी आईसीडीआर विनियम 2009, यथा संशोधित के अध्याय vii के अन्तर्गत प्रत्येक रु1,00,000/ के पीएनसीपीएस के 52,523 यूनिटों के रुपांतरण के द्वारा भारत सरकार को रु 525,22,99,969.50 (पांच सौ पच्चीस करोड़ बाईस लाख निन्यान्बे हजार नौ सौ उन्नहत्तर और पचास पैसे मात्र) के समकक्ष प्रति शेयर रु 32.75 (रुपये बत्तीस और पच्चहत्तर पैसे मात्र) के प्रीमियम पर प्रत्येक रु 10/ (रुपये दस मात्र) के 12,28,60,818 (बारह करोड़ अट्ठाइस लाख साठ हजार आठ सौ आठ) इक्विटी शेयरों का आवंटन किया है।

2.2 निवेश

₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
1 निवेशों का मूल्य		
i) निवेशों का सकल मूल्य	46797.66	45127.50
क) भारत में	46797.66	45127.50
ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	194.55	251.16
क) भारत में	194.55	251.16
ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
iii) निवेशों का शुद्ध मूल्य		
क) भारत में	46603.11	44876.34
ख) भारत से बाहर	शून्य	शून्य
2 निवेशों पर मूल्यह्रास विषयक प्रावधानों का उतार-चढ़ाव		
i) आरंभिक शेष	251.16	195.28
ii) जोड़ : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	69.98	122.04
iii) घटाव : वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान का बट्टाखाताकरण / प्रतिलेखन	126.59	66.16
iv) अंतिम शेष	194.55	251.16

2.2.1 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के रूप में):

₹ करोड़ में

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान दैनिक औसत बकाया	31.03.2015 तक बकाया
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां				
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	15.00	1929.00	262.78	584.00
	(200)	(1500.00)	(327.95)	(0.00)
ख) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
प्रत्यावर्तित रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियाँ				
क) सरकारी प्रतिभूतियाँ	25.00	8700.00	474.77	140.00
	(1.00)	(4781.00)	(680.21)	(1133.01)
ख) कारपोरेट ऋण प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

कोष्ठक में विगत वर्ष के आंकड़े दिए गए ह

2.2.2 गैर-एस एल आर निवेश संविभाग

(i) गैर-एस एल आर निवेशों के जारीकर्ता संघटन ₹ करोड़ में

क्र.सं	जारीकर्ता	राशि	निवी नियोजन की सीमा	निम्न श्रेणी की प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा	अश्रेणीकृत प्रतिभूतियों की सीमा	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	1282.75	1282.75	0.00	0.00	14.66
		(1280.06)	(1280.06)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
2	वित्तीय संस्थाएं	3357.62	3357.62	0.00	0.00	3357.62
		(3062.96)	(3062.96)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
3	बैंक	5570.54	5570.54	0.00	36.97	40.82
		(4021.80)	(4021.80)	(0.00)	(36.97)	(0.00)
4	निजी कंपनियां	1491.52	1491.52	0.00	20.00	53.70
		(1558.27)	(1558.27)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
5	अनुषंगी/संयुक्त उद्यम	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
6	अन्य (एमएफ/सीपी/सीडी)	74.78	74.78	0.00	0.00	59.38
		(103.92)	(103.92)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
7	मूल्यह्रास /एनपीआई हेतु प्रावधान	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00
		(251.16)	(251.16)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	कुल (1 से 6) - (7)	**11582.66**	**11777.21**	**0.00**	**56.97**	**3526.18**
		(9775.85)	**(10027.01)**	**(0.00)**	**(36.97)**	**(0.00)**

कोष्ठक में विगत वर्ष के आंकड़े दिए गए हैं

(ii) अनर्जक गैर-एस एल आर निवेश: ₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	181.70	60.01
वर्ष के दौरान वृद्धि	59.28	121.79
उपर्युक्त अवधि के दौरान कमी/ह्रास	41.44	0.10
अंतिम शेष	199.54	181.70
किए गए कुल प्रावधान	**110.63**	**96.82**

2.2.3 परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी की बिक्री एवं अंतरण

(क) वर्ष के दौरान, 257.48 करोड़ रुपए (पिछले वर्ष 47.12 करोड़ रुपए) की बही मूल्य की प्रतिभूति को एचटीएम श्रेणी से बिक्री की गई.

(ख) निदेशक मंडल के अनुमोदन से, वर्ष (20.04.2014) की शुरुआत में बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार स्क्रिप वार बिक्री के लिए उपलब्ध वर्ग के परिपक्वता तक धारित रु 325.00 करोड़ (रु 327.07 करोड़ के बही मूल्य) के राज्य सरकार के प्रतिभूतियों और रु 325.00 करोड़ रुपए (रु 324.72 करोड़ के बही मूल्य), के प्रतिभूतियों का अंतरण किया है ।

(ग) वर्ष के आरम्भ में, एचटीएम श्रेणी (मुक्त हस्तांतरण को छोड़कर) के निवेश से 5 बही मूल्य से कम की प्रतिभूतियों को बिक्री एवं हस्तांतरण नहीं किया गया.

2.2.4 विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेन

बांग्लादेश (बीडीटी 23,04,536.20 जो भारतीय रूपये 15.81 लाख के बराबर है) की मुद्रा को छोड़कर प्रत्येक मुद्रा में तुलन पत्र की तारीख पर पुनर्मूल्यन कर विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएन (एफईडीएआई) द्वारा घोषित क्लोजिंग स्पोट दर के अनुसार मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, बकाया वायदा विनिमय संविदा को छोड़कर, हाजिर दरों की अनुपलब्धता के कारण अनुमानिक मूल्य आंका गया है ।

2.3 व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स)

2.3.1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप

₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
(i)	स्वैप व्यवस्था का आनुमानिक मूलधन	शून्य	शून्य
(ii)	करार के अंतर्गत यदि काउंटर पार्टियाँ बाध्यतायें पूरी करने में चूक जाती हैं तो उससे होने वाली हानि	शून्य	शून्य
(iii)	स्वैप करने पर बैंक द्वारा मांगे गए संपार्श्विक	शून्य	शून्य
(iv)	स्वैप से उत्पन्न ऋण जोखिम का सकेंद्रीकरण	शून्य	शून्य
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	शून्य	शून्य

2.3.2 विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्नी

₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
(i)	वर्ष के दौरान बकाया विनिमय व्यापार संबंधी ब्याज दर व्युत्पन्नों का आनुमानिक मूलधन (लिखतवार)	शून्य	शून्य
(ii)	बकाया विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्नों का आनुमानिक मूलधन (लिखितवार)	शून्य	शून्य
(iii)	बकाया अल्प प्रभावी विनिमय व्यापारकृत व्युत्पन्नों का आनुमानिक मूलधन (लिखतवार)	शून्य	शून्य
(iv)	बकाया एवं अल्प प्रभावी विनिमय व्यापारकृत ब्याजदर व्युत्पन्नों का चिह्नित बाजार मूल्य (लिखतवार)	शून्य	शून्य

2.3.3 व्युत्पन्नों में जोखिम निवेशों का प्रकटीकरण :

क. गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंक ने व्यापार (अंतरपणन) और बचाव के उद्देश्य से मुद्रा वायदे में व्युत्पन्नी लेनदेन किया है।

ख) व्युत्पन्नी लेनदेनों के जोखिम प्रबंधन संगठन के तीन कार्य क्षेत्र हैं, अर्थात –

i) लेनदेनों के लिए फ्रौन्ट ऑफिस;

ii) जोखिम प्रबंधन एवं रिपोर्टिंग के लिए मिड–ऑफिस और

iii) निपटान, लेखा–समाधान एवं लेखांकन के लिए बैक ऑफिस

ग) मिड – ऑफिस द्वारा जोखिम उपाय, रिपोर्टिंग एवं निगरानी कार्य किए जाते हैं। निदेशक मंडल बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आर एम सी बी ओ डी) के माध्यम से व्युत्पन्नी लेनदेन समेत बैंक के समग्र जोखिम उपाय, निगरानी एवं रिपोर्टिंग कार्य के पर्यवेक्षण के लिए सर्वोच्च इकाई है। बैंक आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति, एलको, परिचालनात्मक जोखिम प्रबंधन समिति (ओ आर एम सी) तथा निवेश विषयक आंतरिक समिति (आई सी आई) के माध्यम से जोखिम प्रबंधन की आंतरिक रूप से निगरानी करता है।

घ) बोर्ड ने एकीकृत ट्रेजरी नीति का अनुमोदन किया जिसमें ऋण जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम एवं व्युत्पन्नी लेनदेन संबंधी विपणन जोखिम से बचाव करने / उसे कम करने हेतु अंतर्निहित बचाव उपायों की पहचान की गई है। ग्राहकों से संबंधित व्युत्पन्नी लेनदेन काउंटरपार्टी बैंकों से समान रकम एवं समान अवधि के लिए दुतरफा आधार पर प्रारक्षित है तथा ऐसे लेनदेन के लिए बैंक को कोई बाजार जोखिम नहीं होता है। हालांकि समीक्षाधीन वर्ष में बैंक ने अपने पोर्टफोलियों के बचाव हेतु किसी व्युत्पन्नी उत्पाद का इस्तेमाल नहीं किया है।

ङ) यह नीति बचाव एवं गैर–बचाव लेनदेनों, आय पहचान के लिए लेखांकन तथा विशिष्ट संविदाओं के लिए मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करती है। आय निर्धारण विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार ए एस–11 तथा समय–समय पर भा. रि. बैंक / एफ ई डी ए आई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। एकीकृत ट्रेजरी नीति भी ऋण जोखिम कम करने के लिए विभिन्न सीमाएँ निर्धारित करती है, जैसे–ग्राहक स्तर की सीमाएँ, व्यापार सदस्य स्तर की सीमाएँ, शुद्ध मुक्त स्थिति सीमाएँ।

ख) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष		31.03.2014 को समाप्त वर्ष	
		मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी	मुद्रा व्युत्पन्नी	ब्याज दर व्युत्पन्नी
(i)	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन की राशि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) बचाव हेतु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार हेतु	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बाजार स्थिति के लिए चिह्नित (1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) आस्ति (+)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) देयता (-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	ऋण निवेश (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100* पीवी 01)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) बचाव व्युत्पन्नों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार व्युत्पन्नों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	वर्ष के दौरान देखी गई 100* पीवी 01 का अधिकतम एवं न्यूनतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) बचाव पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2.4 आस्ति गुणवत्ता

2.4.1 अनर्जक आस्तियां

₹ करोड़ में

क्र.सं.	विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
(i)	शुद्ध अग्रिम का शुद्ध अनर्जक आस्ति (%)	6.22%	7.18%
(ii)	अनर्जक आस्तियों (सकल) में उतार-चढ़ाव		
क)	आरंभिक शेष	7118.01	2963.82
ख)	वर्ष के दौरान वृद्धि/योग	4087.17	8007.30
ग)	वर्ष के दौरान कमी	4652.27	3853.11
घ)	अंतिम शेष	6552.91	7118.01
(iii)	शुद्ध अनर्जक आस्तियों में उतार-चढ़ाव		
क)	आरंभिक शेष	4664.11	1969.98
ख)	वर्ष के दौरान वृद्धि/योग	3308.86	6065.87
ग)	वर्ष के दौरान कमी	3891.59	3371.74
घ)	अंतिम शेष	4081.38	4664.11
(iv)	अनर्जक आस्तियों के प्रावधान में उतार-चढ़ाव (मानक आस्तियों के प्रावधान को छोड़कर)		
क)	आरंभिक शेष	2399.24	971.93
ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	792.12	1908.68
ग)	अतिशय प्रावधान को बट्टे खाते में डालना/प्रतिलेखन	760.68	481.37
घ)	अंतिम शेष	2430.68	2399.24

2.4.2 खातों के विवरण

पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (31.03.2015 तक की स्थिति)

₹ करोड़ में

क्रम सं.	पुनर्गठन के प्रकार		सीडीआर तंत्र के तहत					एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र के तहत					अन्य					कुल				
	आस्ति का वर्गीकरण / ब्यौरा		मानक	अव मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
1	वित्तीय वर्ष के दौरान अप्रैल तक पुनर्गठित खाता (प्रारम्भिक शेष)	उधारकर्ताओं की संख्या	21	3	9	0	33	94	493	1829	2	2718	2398	1805	5599	6	9808	2813	2301	7437	8	12559
		खातों की संख्या	2473.91	503.08	206.20	0	3183.19	123.20	50.20	103.25	0.01	276.66	2259.44	72.40	505.20	43.26	2880.30	4856.55	625.68	814.65	43.27	6340.15
		उस पर प्रावधान	243.42	60.14	7.67	0	311.23	2.23	0.56	1.68	0	4.47	117.15	5.24	3.84	0	126.59	363.16	65.94	13.19	0	442.29
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्गठित	उधारकर्ताओं की संख्या	23	1	0	0	24	29	3	0	0	32	32	1	0	0	33	84	5	0	0	89
		खातों की संख्या	2209.78	71.33	1.48	0	2282.59	51.31	20.12	0.11	0	71.54	1966.20	102.28	0.42	0	2068.87	4227.30	193.73	2.01	0	4423.00
		उस पर प्रावधान	150.11	13.08	0	0	163.19	1.48	1.07	0	0	2.55	73.39	7.01	0	0	80.40	224.98	21.16	0	0	246.14
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में उन्नयन	उधारकर्ताओं की संख्या	3	-1	-2	0	0	29	-23	-6	0	0	187	-109	-78	0	0	219	-133	-86	0	0
		खातों की संख्या	222.95	-155.80	-67.15	0	0	0.76	-0.36	-0.40	0	0	28.52	-5.03	-23.49	0	0	252.23	-161.19	-91.04	0	0
		उस पर प्रावधान	30.73	-24.42	-6.31	0	0	0.04	-0.02	-0.02	0	0	2.28	-0.25	-2.03	0	0	33.05	-24.69	-8.36	0	0
4	वित्तीय वर्ष के अन्त में पुनर्गठित अग्रिम जिसमें उच्च प्रावधान रुक गया है और अथवा अतिरिक्त जोखिम भारित किया गया है उसे अगले वित्त वर्ष के आरम्भ पुनर्गठित मानक अग्रिम के रूप में प्रदर्शित करने आवश्यकता न हो	उधारकर्ताओं की संख्या	0				0	0				0	0				0	0				0
		खातों की संख्या	0				0	0				0	0				0	0				0
		उस पर प्रावधान	0				0	0				0	0				0	0				0

पुनर्गठित खातों का एकत्रीकरण (31.03.2015 तक की स्थिति)

₹ करोड़ में

क्रम सं.	पुनर्गठन के प्रकार आस्ति का वर्गीकरण ब्योरा		सीडीआर तंत्र के तहत					एसएमई ऋण पुनर्गठन तन्त्र के तहत					अन्य					कुल				
			मानक	उप मानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों का निम्नकरण	उधारकर्ताओं की संख्या	-5	3	2	0	0	-44	38	6	0	0	-176	170	6	0	0	-225	211	14	0	0
		खातों की संख्या	-318.66	238.73	79.93	0	0	-49.05	45.21	3.84	0	0	-355.89	351.20	4.69	0	0	-723.60	625.14	88.46	0	0
		उस पर प्रावधान	-21.96	10.26	11.70	0	0	-1.07	1.07	0	0	0	-21.19	21.19	0	0	0	-44.22	32.52	11.70	0	0
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों के शेष में बंद करना / कम करना / बड़े खाते में डालना	उधारकर्ताओं की संख्या	1	1	3	0	5	71	76	288	0	435	414	327	819	1	1561	486	404	1110	1	2000
		खातों की संख्या	74.51	100.10	75.42	0	250.03	15.42	2.35	46.62	0	64.39	67.00	10.78	159.69	43.14	280.61	156.93	113.23	281.73	43.14	595.03
		उस पर प्रावधान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	वित्तीय वर्ष में 31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष के पुनर्गठित खाते (लेखाबंदी आंकड़े)	उधारकर्ताओं की संख्या	14	4	8	0	52	342	51	1920	2	2315	2063	201	6012	5	8281	2445	256	7940	7	10648
		बकाया राशि	4583.31	307.22	366.66	0	5257.19	111.26	64.89	108.08	0.01	284.24	3781.40	453.63	391.58	0.13	4626.71	8475.94	825.74	866.32	0.14	10168.14
		उस पर प्रावधान	379.59	23.34	11.70	0	414.63	3.59	2.16	1.41	0	7.16	143.84	28.27	4.18	0	176.29	527.02	53.77	17.29	0	598.08

*मानक पुनर्गठित अग्रिम के आकड़े को छोड़कर उच्च प्रावधानीकरण या जोखिम भार को आकृष्ट नहीं करता है (यदि लागू हो तो)

बैंक प्रबंधन द्वारा प्रमाणित संकलित और छूट सहित हैं।

मानक आस्ति रु10 लाख से अधिक और एन पी ए रु 1 करोड़ से अधिक 31.03.2015 तक एन पी वी पद्धति द्वारा पुनर्गठित आस्ति पर आर्थिक मात्रा का त्याग किया गया । शेष आस्तियों के लिए आर्थिक त्याग बकाया शेष कर 5 प्रतिशत की दर से किया गया ।

2.4.3 आस्ति पुनर्निर्माण के लिए प्रतिभूतिकर्ता/पुनर्गठन कंपनी को बेची गई आस्तियों/वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
क) खातों की संख्या	शून्य	शून्य
ख) एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (कुल प्रावधान)	शून्य	शून्य
ग) कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य
घ) विगत वर्षों में अंतरित खातों के संबंध में वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिफल	शून्य	शून्य
ङ) शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ (हानि)	शून्य	शून्य

विवरण	अंतर्निहित रूप में बैंक द्वारा बेचा एनपीए के समर्थन से		अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / अंतर्निहित रूप में गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचा एनपीए के समर्थन से		कुल	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
सुरक्षा निवेश प्राप्तियों का बही मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2.4.4 खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा

क) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
1. (क) वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2. (क) इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की सं.	शून्य	शून्य
(ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य

ख) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा

₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
1. वर्ष के दौरान बेचे गए खातों की सं.	शून्य	शून्य
2. कुल बकाया	शून्य	शून्य
3. प्राप्त कुल प्रतिफल	शून्य	शून्य

2.4.5 मानक आस्तियों पर प्रावधान

₹ करोड़ में

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
मानक आस्तियों पर प्रावधान	1060.09	734.27

2.5 व्यवसाय अनुपात

₹ करोड़ में

मदें	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
(i) कार्यशील निधियों के सापेक्ष ब्याज-आय का प्रतिशत	8.43%	8.66%
(ii) कार्यशील निधियों के सापेक्ष गैर-ब्याज आय का प्रतिशत	1.42%	0.99%
(iii) कार्यशील निधियों के सापेक्ष परिचनलागत लाभ का प्रतिशत	1.99%	1.69%
(iv) आस्तियों पर प्रतिलाभ	0.21%	(0.99%)
(v) प्रति कर्मचारी व्यवसाय (जमा + अग्रिम) (₹ करोड़ में)	11.53	10.67
(vi) प्रति कर्मचारी लाभ / हानि (₹ लाख में)	15.98	12.50

2.6 आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियों एवं देयताओं की कुछ मदों की परिपक्वता-ढांचा*

₹ करोड़ में

आस्तियां/ देयताएं	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 माह तक	3 माह से अधिक व 6 माह तक	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
जमा	1413.17	2079.53	1425.33	1674.73	5655.58	5914.02	9876.22	21526.62	11192.06	48060.35	**108817.60**
	(1088.96)	*(1756.68)*	*(2361.17)*	*(1642.60)*	*(9629.99)*	*(10174.61)*	*(13375.27)*	*(23255.53)*	*(11216.19)*	*(37008.71)*	***(111509.71)***
अग्रिम	337.70	3981.69	204.50	171.10	2892.05	3059.69	3952.02	27344.75	9684.68	15134.86	**66763.04**
	(456.15)	*(3828.54)*	*(166.60)*	*(266.85)*	*(2564.28)*	*(4421.24)*	*(2902.27)*	*(26414.20)*	*(11576.72)*	*(13170.25)*	***(65767.10)***
निवेश	2.94	133.76	49.14	262.91	4584.55	1111.40	1924.75	2697.77	7223.08	28612.81	**46603.11**
	(0.00)	*(269.48)*	(0.00)	*(1322.89)*	*(3586.98)*	*(3982.28)*	*(4833.66)*	*(6845.11)*	*(4394.71)*	*(19641.22)*	***(44876.34)***
उधार	4.92	260.00	324.00	0.00	300.00	210.41	200.76	812.19	369.62	1579.84	**4061.73**
	(0.00)	*(2.21)*	*(0.00)*	*(0.00)*	*(0.00)*	*(629.82)*	*(355.41)*	*(1280.96)*	*(604.31)*	*(1587.53)*	***(4460.24)***
विदेशी मुद्रा आस्तियां	160.01	923.32	113.90	84.62	729.87	892.90	1036.89	0.00	0.00	17.94	**3959.45**
	(272.83)	*(1216.45)*	*(230.47)*	*(89.72)*	*(971.51)*	*(752.34)*	*(79.34)*	*(17.95)*	*(4.70)*	*(0.00)*	***(3635.31)***
विदेशी मुद्रा देयताएं	185.88	401.91	111.75	33.09	1337.73	874.89	984.08	17.89	11.92	0.00	**3959.14**
	(573.44)	*(789.54)*	*(326.87)*	*(124.43)*	*(1018.42)*	*(722.02)*	*(64.54)*	*(0.00)*	*(0.00)*	*(17.20)*	***(3636.46)***

उपर्युक्त प्रकटीकरण बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित एवं प्रमाणित किए गए हैं
कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की स्थिति दर्शाते हैं

2.7 निवेश

2.7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश*

₹ करोड़ में

श्रेणी		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
क)	प्रत्यक्ष निवेश		
i)	आवासीय बंधक		
	आवासीय संपत्ति पर बंधक द्वारा पूर्ण रूप से जमानाती उधार जिसे उधारकर्ता द्वारा दखल किया गया है या किया जाएगा अथवा किराया पर है तो उस पर व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल होने योग्य है।	6498.93 3845.73	5390.78 3768.67
ii)	वाणिज्यिक स्थावर संपदा		
	वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं (कार्यालय भवन, खुदरा स्थल, बहु उद्देशीय वाणिज्यिक परिसरों, बहु किराएदारी वाणिज्यिक परिसरों, औद्योगिक अथवा मालगोदाम स्थल, होटल, जमीन अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण इत्यादि समेत गैर निधि आधारित (एनएफबी सीमाएं) पर बंधक द्वारा जमानती ऋण।	376.88	679.12
iii)	बंधक आधारित जमानती में निवेश (एमबीएस) तथा अन्य प्रतिभूति आधारित निवेश	शून्य	शून्य
क.	आवासीय		
ख.	वाणिज्यिक स्थावर संपदा	3227.12	2785.44
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित निवेश	10102.93	8855.34
	स्थावर संपदा क्षेत्र में कुल निवेश		
	*(बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित एवं प्रमाणित)		

2.7.2 पूंजी बाजार में निवेश*

₹ करोड़ में

विवरण		31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर एवं इक्विटी म्यूचुअल फंड जिनको कॉरपस निधि केवल कारपोरेट ऋणों में निवेशित नही है, में किए गए प्रत्यक्ष निवेश।	141.65	275.90
(ii)	शेयरों / बोन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या गैर-जमानती व्यक्तियों को शेयरों (आईपीओ/ ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बान्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों में निवेश हेतु अग्रिम।	शून्य	शून्य
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों प्राथमिक प्रतिभूतियों के रूप में ली जाती है।	2.61	3.61
(iv)	शेयरों को संपार्श्विक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों द्वारा प्रतिशत सीमा तक अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/ परिवर्तनीय बॉन्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों द्वारा अग्रिम पूर्ण प्रारक्षित नहीं है।	शून्य	शून्य
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां।	11.25	16.42
(vi)	शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या संसाधनों की उन्नति हेतु नई कंपनियों की इक्विटी के पक्ष के प्रोमोटरों के योगदान की पूर्ति हेतु बेजमानती आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण।	शून्य	शून्य
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के पक्ष में कंपनियों को तात्कालिक ऋण।	शून्य	शून्य
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा ली गई लिखित वचनबद्धताएं।	शून्य	शून्य
(ix)	मार्जिन व्यापार हेतु स्टॉक ब्रोकरों को वित्तपोषण।	शून्य	शून्य
(x)	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं अपंजीकृत-दोनों) हेतु सभी निवेश	72.66	76.91
	पूंजी बाजार के कुल निवेश	**228.17**	**372.84**

*(बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित एवं प्रमाणित)

2.7.3 जोखिम श्रेणी के अनुसार देशी निवेश

बैंक ने विभिन्न देशों में 31 मार्च 2014 तक के अपने जोखिम निवेश का विश्लेषण किया है तथा वैसा निवेश बैंक की कुल आस्तियों के 1% की प्रारंभिक सीमा से कम होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार इस निवेश के लिए किसी प्रावधान की आवश्यकता नहीं है।

जोखिम श्रेणी के हिसाब से देशी निवेश की स्थिति निम्नांकित है :

₹ करोड़ में

जोखिम श्रेणी	31.03.2015 को निवेश (शुद्ध)	31.03.2015 को किए गए प्रावधान	31.03.2014 को निवेश (शुद्ध)	31.03.2014 को किए गए प्रावधान
नगण्य	129.33	0.00	455.08	0.00
निम्नस्तरीय	29.55	0.00	36.32	0.00
सामान्य	6.59	0.00	56.98	0.00
उच्च	0.00	0.00	0.00	0.00
बहुत अधिक	0.00	0.00	0.00	0.00
नियंत्रित	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण बाह्य	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**165.47**	**0.00**	**548.38**	**0.00**

2.7.4 बैंक द्वारा अतिक्रमित एकल उधारकर्ता सीमा (एस बी एल)/ समूह उधारकर्ता सीमा (जी बी एल) का विवरण:

₹ करोड़ में

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	निवेश की उच्चतम सीमा		स्वीकृत सीमा		बकाया	
		31.03.2015	31.03.014	31.03.2015	31.03.014	31.03.2015	31.03.014
(क)	एकल उधारकर्ता						
(i)	सीमप्लेक्स इंफ्रास्टक्चर लि.	942.08	1091.94	1,025.00	1,175.00	782.81	740.23
(ख)	समूह उधारकर्ता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

** बैंक की वर्तमान उधार नीति के अनुसरण में, निवेश की उच्चतम सीमा को भंग करना, निदेशक मंडल द्वारा दिनांक 30.05.2014 को आयोजित उनके बैठक में अनुमोदित किया गया था ।

2.7.5 गैर-जमानती अग्रिम :

₹ करोड़ में

विवरण	2014-15	2013-14
अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकारों, अनुज्ञापत्रों, प्राधिकारी आदि पर किए गए प्रभार की एवज में अग्रिम बकाया की कुल राशि	141.83	108.53
ऐसे अमूर्त समपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	200.47	172.06

2.8 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया दण्ड

क) धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 13 के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक / एफआईयू ने रु 0.06 करोड़ का जुर्माना लगाया है ।

3. भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के संदर्भ में लेखांकन मानकों (ए एस) के अनुसार प्रकटीकरण

3.1. ए एस 5 इस अवधि में शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन

3.1.1 वर्ष के लाभ और हानि में पूर्व अवधि में लगाया गया प्रभार 2.93 करोड़ रुपए के मूल्यह्रास में भी शामिल है।

3.1.2 बैंक ने कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची द्वितीय की आवश्यकताओं के अनुसार तय की संपत्ति का उपयोगी जीवन की पहचान की है और उसी के अनुसार अचल संपत्ति पर मूल्यह्रास प्रदान की गई है।

इसके अलावा, 10.60 करोड़ रुपए के अतिरिक्त मूल्यह्रास जो संक्रमणकालीन प्रावधान के कारण पहली बार आवेदन से उत्पन्न होने वाले प्रभाव के समायोजन से अनुसूची द्वितीय में सामान्य रिजर्व को प्रभार लगाया गया है।

3.1.3 14.82 करोड़ रुपए के अतिरिक्त मूल्यह्रास को पुनः मूल्यांकित संपत्ति के लाभ और हानि में खाते में प्रभार किया है और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार अतिरिक्त मूल्यह्रास के बराबर की राशि को समान्य रिजर्व के पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से स्थानांतरित किया गया है।

3.2 ए एस 9 राजस्व मान्यता

राजस्व का निर्धारण अनुसूची 17 में प्रकटीकरण लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है ।

3.3 ए एस 10 अचल आस्तियां के लिए लेखांकन

3.3.1 अचल आस्तियां प्रकटीकरण लेखा अनुसूची 17 में लेखांकन नीतियों के अनुसार किया गया है।

3.3.2 कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार दिनांक 01.04.2014 से प्रभावी अनुसूची के तहत संक्रमणकालीन प्रावधानों।

क) मौजूदा आस्तियों का वहन राशि को परिशोधन या संपत्ति की शेष उपयोगी जीवन तक मूल्यह्रास करते 5% अवशिष्ट के रूप में रखना।

ख) जिन आस्तियां के शेष उपयोगी जीवन नहीं के बराबर है, वहां आय बनाए रखने के लिए प्रारम्भिक शेष में मान्यता दिया जा सकता है।

3.4 ए एस 1 2 सरकारी अनुदान

वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार से रू 0.76 करोड़ के निम्नांकित सब्सिडी / अनुदान / प्रोत्साहन प्राप्त हुआ:

(रू करोड़ में)

		2014 - 15		2013 - 14	
क्रमांक	ब्योरे	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
1.	सरकारी अनुदान / सब्सिडी	0.62	0.15	शून्य	0.48

3.5 ए एस -15 कर्मचारी लाभ

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन का विकल्प दिए जाने एवं उपदान (ग्रेच्यूटी) सीमा में वृद्धि के कारण भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डी बी ओ डी. बी पी. बी. सी. 80/21.04.018/2010-11 दिनांक 09 फरवरी 2011 के प्रावधानों के अनुसार रू. 447.31 करोड़ की राशि वित्तीय वर्ष 2010-2011 से प्रभावी 05 वर्षों की अवधि में चुकाई जा रही है। तद्नुसार रू. 89.46 करोड़ लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित किए गए हैं जो 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष की आनुपातिक राशि है। (विगत वर्ष 89.46 करोड़)। 31 मार्च 2015 तक अपरिशोधित देयता रू शून्य करोड़ है। (विगत वर्ष रू 89.47करोड़ था)।

नवम्बर 2012 से प्रभावी प्रस्तावित वेतन संशोधन के निपटान को लंबित रखते हुए रु 290 करोड़ का तदर्थ प्रावधान दिनांक 31 मार्च, 2015 को किया गया। इसके अलावा, वृद्धिशील पेंशन दायित्व के लिए 124.75 करोड़ रुपये का प्रावधान अनुमान के आधार पर वेतन संशोधन के लिए किया गया है।

₹ करोड़ में

क)	बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	पेंशन	उपदान	अन्य लाभ *
	वर्ष के प्रारंभ तक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	3148.70	477.94	173.49
	ब्याज लागत	238.05	34.13	12.63
	चालू सेवा लागत	303.99	22.58	40.00
	प्रदत्त लाभ	346.06	102.70	31.31
	बाध्यताओं पर बीमांकित हानि / (लाभ)	198.49	34.71	(35.70)
	वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	3543.16	466.66	159.11
ख)	योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन			
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	2890.41	451.56	173.39
	योजना आस्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	267.36	42.99	16.51
	नियोजक का अंशदान	620.87	87.40	00.06
	प्रदत्त लाभ	346.06	102.70	31.31
	बाध्यताओं पर बीमांकित हानि / (लाभ)	12.81	(2.67)	(0.95)
	वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का उचित मूल्य	3445.40	476.59	157.69
ग)	पूर्ववर्ती वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का वर्तमान आकलित मूल्य			
	वर्ष के अंत तक योजना आस्ति का उचित मूल्य	3445.40	476.59	157.69
	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निधि रहित शुद्ध देयता	(977.68)	9.93	(1.42)
घ)	लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त व्यय			
	चालू सेवा लागत	303.99	22.58	40.00
	ब्याज लागत	238.05	34.13	12.63
	योजना आस्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	267.36	42.99	16.51
	वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकिक (लाभ) / हानि	185.68	37.37	(34.75)
	लाभ और हानि लेखा में निर्धारित कुल व्यय	460.35	51.09	1.38
ङ)	तुलन पत्र की तिथि को मुख्य बीमांकिक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)			
	बट्टा दर	8.00%	8.00%	8.00 %
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर	9.25%	9.52%	9.52%
	प्रयोग की गई पद्धति	परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति		

* अन्य लाभों में अर्जित छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, अस्वस्थता छुट्टी एवं एल एफ सी शामिल है।

नोट : उपर्युक्त विवरण बीमा आकलनकर्ता (एक्चुअरी) की रिपोर्ट पर आधारित है।

3.6 ए एस 17 खंड रिपोर्टिंग

बैंक के परिचालनों को दो प्रमुख व्यावसायिक खंडों में विभाजित किया गया है ट्रेजरी परिचालन और बैंकिंग परिचालन प्रासंगिक सूचना विहित प्रपत्र में नीचे दी गई है ।
भाग क: व्यवसाय खंड

₹ करोड़ में

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी परिचालन		बैंकिंग परिचालन						कुल	
			कार्पोरेट / थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन			
विवरण	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15	31.03.14
	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष	को समाप्त वर्ष
राजस्व	4306	3265	5064	5776	2440	2544	115	177	11925	11762
परिणाम	1372	94	1427	2114	909	954	115	177	3824	3339
अनावंटित व्यय									1396	1278
परिचालन लाभ									2428	2061
आयकर									198	(3428)
असाधारण लाभ / हानि									-	-
शुद्ध लाभ / (हानि)									2560	(1213)
अन्य सूचना									-	-
खंड आस्तियाँ	46743	49010	46986	45867	19777	19900	-	-	113505	114777
अनावंटित आस्तियाँ									9521	10328
कुल आस्तियाँ									123026	125105
खंड देयताएँ	46743	49010	46986	45867	19777	19900	-	-	113505	114777
अनावंटित देयताएँ									9521	10328
कुल देयताएँ									123026	125105

भाग ख : भौगोलिक खंड – चूँकि बैंक की विदेश में कोई शाखा नहीं है, इसलिए भौगोलिक खंड में रिपोर्ट अप्रयोज्य है।

3.7 ए एस-18 संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (प्रबंधन द्वारा संकलित)

3.7.1 संबंधित पार्टियों के नाम एवं बैंक के साथ उनका संबंध

सहयोगी

क्रम.सं.	नाम	
1.	असम ग्रामीण बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2.	बंगीय ग्रामीण विकास बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3 .	मणिपुर ग्रामीण बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
4.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक

क्रम.सं.	नाम	पदनाम
1.	श्री पी. श्रीनिवास	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2.	श्रीमती अर्चना भार्गव *(20.02.2014 तक)	भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
3.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक
4.	श्री संजय आर्य	कार्यपालक निदेशक
5.	प्रत्यूष सिन्हा	निदेशक
6.	मिहिर कुमार	निदेशक
7.	किरण बी वडोदरिया	निदेशक
8.	पियुष कांति घोष	निदेशक
9.	संजीब पति	निदेशक
10.	पार्वती वी सुन्दरम	निदेशक
11.	संजय कुमार	सीएफओ
12.	विक्रमजित सोम	कंपनी सचिव
13.	ए के डोगरा	निदेशक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार :

क्रम संख्या	नाम	के रिश्तेदार :
1.	उमा घोष	पीयूष कांति घोष
2.	अनूप घोष	पीयूष कांति घोष
3.	अमर्त्य घोष	पीयूष कांति घोष
4.	लोपामुद्रा सोम	बिक्रमजीत सोम
5.	आहना सोम	बिक्रमजीत सोम
6.	नंदिनी सोम	बिक्रमजीत सोम
7.	शिवप्रसाद सोम	बिक्रमजीत सोम

3.7.2 संबंधित पार्टी के प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

मदें / संबंधित पार्टी	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार	कुल
उधार	शून्य	शून्य	शून्य
जमा	0.76	0.30	1.06
जमा राशि का नियोजन	शून्य	शून्य	शून्य
अग्रिम	0.11	शून्य	0.11
निवेश: सामान्य शेयर	200 नंग	शून्य	200 नंग
सामान्य शेयर	शून्य	100	100
गैरवित्त पोषित प्रतिबद्धता	शून्य	शून्य	शून्य
उठाए गए लीजिंग / एचपी व्यवस्था	शून्य	शून्य	शून्य
प्रदान की गई लीजिंग / एचपी व्यवस्था	शून्य	शून्य	शून्य
अचल संपत्तियों की खरीद	शून्य	शून्य	शून्य
अचल संपत्तियों की बिक्री	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज का भुगतान	0.03	शून्य	0.03
प्राप्त ब्याज	0.0032	0.03	0.0032
प्रदान की जानेवाली सेवाएँ	शून्य	शून्य	शून्य
प्राप्त होनेवाली सेवाएँ:		शून्य	
- पारिश्रमिक #	0.89		0.89
- बैठक शुल्क	0.06		0.06
प्रबंधन संविदा	शून्य	शून्य	शून्य

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के लिए अदा किए गए पारिश्रमिक:

क्रम संख्या	नाम	पद	मद	वर्ष 31.03.2015 को समाप्त होने वाला वर्ष (रू मे रु)	वर्ष 31.03.2014 समाप्त हो गया (रू में रु)
1.	श्री पी श्रीनिवास	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी	वेतन और भत्ते	5,06,301 .00	शून्य
2.	श्रीमती अर्चना भार्गव (20.02.2014 तक)	पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	वेतन और भत्ते	शून्य	18,21,802.00
3.	श्री दीपक नारंग	कार्यपालक निदेशक	वेतन और भत्ते	21,94,130 .00	15,88,334.00
4.	श्री संजय आर्य	कार्यपालक निदेशक	वेतन और भत्ते	21,16,054 .00	15,95,737.00
5.	श्री पीयूष कांति घोष	निदेशक	वेतन और भत्ते	10,62,700.00	8,66,457.00
6.	संजीव पति	निदेशक	वेतन और भत्ते	6,52,171.00	5,94,486.00
7.	श्री संजय कुमार	सीएफओ	वेतन और भत्ते	13,79,618.70	12,56,473.15
8.	श्री विक्रमजित सोम	कंपनी सचिव	वेतन और भत्ते	9,95,429.25	9,07,767.60

नकदी आधार पर कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन राशि सहित ।

नोट: क) ए एस18 के पैरा 9 को ध्यान में रखते हुए सहायकों के साथ लेनदेन को प्रकट नहीं किया गया है जो राज्य नियंत्रित उद्यमों को अन्य राज्य नियंत्रित उद्यमों से संबंधित पार्टियों के साथ किए गए लेन देन के बारें में किसी भी प्रकार के प्रकटीकरण से छूट प्रदान करता है ।

(ख) संबंधित पार्टियों की / से किसी बकाया राशि का बट्टाखाता / प्रतिलेखन नहीं किया गया ।

(ग) संबंधित पार्टियों के बकाया के संबंध के कोई प्रावधान अपेक्षित नहीं है ।

3.8 पट्टा (एएस 19) (प्रबंधन द्वारा संकलित)

क) पट्टा किराए का निर्धारण संबंधित वर्ष में लाभ और हानि खाते के व्यय के रूप में की जाती है

ख) परिचालित पट्टे के लिए भविष्य में भुगतानयोग्य पट्टा किराया (प्रबंधन द्वारा संकलित एवं प्रमाणित)

(रु करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण		तक 31.03.2015	31.03.2014
क	1 वर्ष से अधिक नहीं		58.92	56.46
ख	1 वर्ष से अधिक किंतु 5 साल से अधिक नहीं		201.66	205.92
ग	5 वर्ष से अधिक		182.16	201.62
		कुल	**442.74**	**464.04**
लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित राशि			76.85	60.75

i) भावी पट्टा किराया एवं किराए में वृद्धि का निर्धारण सहमत शर्तों पर होता है ।

ii) शर्त की समाप्ति पर सामान्यतया बैंक को पूर्व निर्धारित आगामी अवधि के लिए पट्टे को बढाने का विकल्प रहता है ।

3.9 20 प्रति शेयर आय (ए एस 20)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
इक्विटी शेयर धारकों के लिए कराधान के बाद उपलब्ध शुद्धलाभ / हानि (₹करोड़ में)	255.95	(1213.44)
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	67,77,93,389	42,30,46,755
प्रतिशेयर (रूपये) मूल एवं हल्की आय (₹)	3.78	(28.68)
प्रतिशेयर (रूपये) सामान्य मूल्य (₹)	10.00	10.00

3 .10 (ए एस 21) समेकित वित्तीय विवरण / (ए एस 23) समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखा

बैंक को कोई सहायक संस्था नहीं है और इसलिए ए एस 21 और ए एस 23 लागू नहीं होता ।

3 .11 आय पर करों का लेखा (ए एस 22)

(क) वर्ष के दौरान आयकर के प्रावधान नीचे दी गई है : (रु करोड़ में)

ब्योरे	31.03.2015 को समाप्त वर्ष	31.03.2014 को समाप्त वर्ष
टैक्स का प्रावधान	339. 26	शून्य

(ख) आस्थगित कर आस्तियों / देयताओं के मुख्य संघटक निम्नानुसार हैं : (रु करोड़ में)

विवरण	31.03.2015 को समाप्त वर्ष में	31.03.2014 को समाप्त वर्ष में
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	263.61	461.72
कर्मचारी लाभ	143.03	82.51
अन्य वस्तुएं	120.58	379.21
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	शून्य	शून्य
आस्थगित कर देयताएँ	72.03	72.03
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	शून्य	शून्य
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (8) के तहत विशेष आरक्षित	220.00	220.00

3.12 28 आस्तियों की हानि (ए एस 28)

स्थायी आस्तियों की कोई उल्लेखनीय हानि नहीं हुई है । अतः प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है ।

3.13 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियाँ (ए एस 29)

लेखा के अंश वाले नोट के उपर्युक्त स्थानों पर महत्वपूर्ण प्रावधानों में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है ।

4. अतिरिक्त प्रकटीकरण

4.1 प्रावधान एवं आकस्मिक व्यय

'लाभ एवं हानि लेखा में व्यय' शीर्ष के अंतर्गत प्रदर्शित 'प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं' का विश्लेषण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2015	31.03.2014
निवेश पर मूल्य ह्रास के लिए प्रावधान	(70.43)	88.52
अनर्जक आस्तियों (ऋण एवं अग्रिम) हेतु प्रावधान	844.87	1960.59
मानक आस्ति हेतु प्रावधान	325.82	200.76
आयकर हेतु प्रावधान	*339.26	(342.77)
अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताएँ		
- कर्मचारियों के लाभ हेतु प्रावधान (ए एस-15) -	628.37	1207.51
- गैर निष्पादित निवेश के लिए प्रावधान	20.11	56.36
- अस्थायी प्रावधान	(52.75)	(51.97)
- अन्य प्रावधान	136.70	156.19
कुल	**2171.95**	**3275.19**

*पिछले वर्षों के संबंध में 78.85 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान के उलट सहित वर्ष के दौरान आयकर के लिए प्रावधान ।

4.2 अस्थायी प्रावधान (काउंटर साइक्लिकल प्रावधानीकरण बफर)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	को समाप्त वर्ष	
		31.03.2015	31.03.2014
क)	प्रारंभिक शेष खाते में अस्थायी प्रावधान	105.51	157.48
ख)	वर्ष के दौरान किए गए अस्थायी प्रावधान की मात्रा	शून्य	शून्य
ग)	लेखांकन के लिए वर्ष के दौरान किए गए ड्राडाउन	52.75	51.97
घ)	अस्थायी प्रावधान खाते में शेष राशि	52.76	105.51

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर.संख्याबीपी.बीसी.79/21.04.048/201415 दिनांक 30 मार्च, 2015 के अनुसार, 31.12.2014 के रूप में हुई बैंक अपनी काउंटरसाइक्लिकल / अस्थायी प्रावधान का 50% का उपयोग किया। भारतीय रिजर्व बैंक के उक्त परिपत्र के अनुसार रू 105.51 करोड़ का अस्थायी प्रावधान में से 52.75 करोड़ 31.12.2014 तक रखा गया जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार गैर निष्पादित परिसंपत्तियों के लिए विशेष प्रावधान बनाने के लिए उपयोग किया गया है।

4.3 रिजर्व से आहरण द्वारा द्वारा कमी

वर्ष के दौरान रिजर्व से कोई ड्रा डाउन किया गया था।

4.4 शिकायतों का प्रकटीकरण:

क) ग्राहक शिकायतें:

क्रम सं.	विवरण	संख्या
(क)	वर्ष के प्रारंभ तक लंबित शिकायतों की संख्या	521
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	35186
(ग)	वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	35190
(घ)	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	517

ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

क्रम सं.	विवरण	संख्या
(क)	वर्ष के प्रारंभ तक अकार्यान्वित अधिनिर्णयों	0
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय	2
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों	2
(घ)	वर्ष के अंत तक अकार्यान्वित अधिनिर्णयों	0

4.5. बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासन पत्र (एल ओ सी) का प्रकटीकरण

क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान क्रेताओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंक ने रू. 5187.84 करोड़ (विगत वर्ष में रु. 3122 करोड़) की राशि के 378 (विगत वर्ष में 458) एल ओ सी जारी किए।

ख) 31.03.2015 तक रू. 300.47 करोड़ (विगत वर्ष में रु. 1043.28 करोड़) के 194 (विगत वर्ष में 204) बकाया एल ओ सी है।

4.6. प्रावधान कवरेज अनुपात (पी सी आर)

31.03.2015 तक बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पी सी आर) 58.50% है जिसका संगणन बैंक द्वारा किए गए कुल तकनीकी बट्टा खाताकरण को ध्यान में रखकर किया जाता है।

4.7. बैंकएश्योरेंश व्यवसाय : ₹ करोड़ में

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03. 2015	31.03. 2014
जीवन बीमा व्यवसाय	0.87	6.23
गैर-जीवन बीमा व्यवसाय	0.99	3.78
म्यूचुअल फंड	शून्य	शून्य
अन्य	शून्य	शून्य

4.8 जमाओं, अग्रिमों, जोखिम एवं एन पी ए का सकेंन्द्रीकरण

4.8.1 जमाओं का सकेंन्द्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2015	31.03.2014
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	5380.65	10633
बैंक के कुल जमाओं के सापेक्ष बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं के जमा का प्रतिशत	4.94%	9.54%

4.8.2 अग्रिमों का सकेंद्रीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2015	31.03.2014
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	11767.46	12195.52
बैंक के कुल अग्रिम के सापेक्ष बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत	17.04%	18.54%

4.8.3 निवेशों का सकेंन्द्रीकरण (₹ करोड़ में)

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2015	31.03.2014
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों का कुल निवेश	16225.81	18977.46
ऋणकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल निवेश की तुलना में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों के निवेश का प्रतिशत	15.08%	16.65%

4.8.4 **एन पी ए का सकेंन्द्रीकरण :**

₹ करोड़ में

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2015	31.03.2014
शीर्ष चार एन पी ए खातों का कुल निवेश	933.79	1031.04

4.9 क्षेत्रवार एन पी ए

₹ करोड़ में

क्रम सं.	क्षेत्र	31.03.2015 को समाप्त वर्ष			31.03.2014 को समाप्त वर्ष		
		कुल बकाया अग्रिमों	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम करने के लिए सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिमों	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम करने के लिए सकल एनपीए का प्रतिशत
क.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र						
1.	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	8594.61	1322.96	15.39	9724.81	1285.45	13.22
2.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	5962.15	862.28	14.46	5476.89	885.27	16.16
3.	सेवाएं	6381.97	883.43	13.84	5760.66	914.56	15.88
	खुदरा व्यापार	2539.47	487.81	19.21	2651.06	610.26	23.02
	अन्य	3842.50	395.62	10.30	3109.60	304.30	9.79
4.	व्यक्तिगत ऋण	5478.72	162.54	2.97	5333.31	208.17	3.90
	उप कुल (क)	**26417.45**	**3231.21**	**12.23**	**26295.67**	**3293.45**	**12.52**
ख.	**गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र**						
1.	कृषि और संबद्ध गतिविधियों	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	**उद्योग**	24020.93	2627.17	10.93	24606.39	2995.54	12.17
	- लौह एवं इस्पात	5005.35	758.99	15.16	4920.60	1027.81	20.89
	- पावर	9484.11	-	-	9664.66	25.31	0.26
	- अन्य	9531.47	1868.18	19.60	10021.13	1942.42	19.38
3.	सेवाएं	10656.21	460.82	4.32	10554.33	569.97	5.40
	- एनबीएफसी	6010.08	-	-	5270.12	-	-
	- अन्य की तुलना एनबीएफसी वित्त और बैंकिंग	3255.86	2.10	7.31	2785.44	-	-
	- अन्य	1420.27	458.72	32.30	2498.77	569.97	22.81
4.	व्यक्तिगत ऋण	6572.24	233.54	3.55	5023.51	259.05	5.16
	उप कुल (ख)	**41249.38**	**3321.53**	**8.05**	**40184.23**	**3824.56**	**9.52**
ग.	**खाद्य ऋण (एफसीआई)**	**1403.05**	**शून्य**	**शून्य**	**1501.81**	**शून्य**	**शून्य**
	उपकुल (सी)	**1403.05**	**शून्य**	**शून्य**	**1501.81**	**शून्य**	**शून्य**
	कुल (ए बी सी)	**69069.88**	**6552.74**	**9.49**	**67981.71**	**7118.01**	**10.47**

4.10 एनपीए का संचरण

₹ करोड़ में

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2015	31.03.2014
1 अप्रैल, 2013/2014 को सकल एन पी ए	7118.01	2963.82
वर्ष के दौरान योग (नये एन पी ए)	4087.17	8007.30
उप-योग (क)	11205.18	10971.12
घटाव:		
(i) उन्नयन	2655.01	2287.53
(ii) वसूलियाँ (उन्नयित खातों से की गई वसूलियों के अतिरिक्त)	1236.58	1084.21
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	708.99	428.61
(iv) ऊपर के (iii) के अतिरिक्त बट्टे खाते	51.69	52.76
उप-योग (ख)	4652.27	3853.11
31 मार्च, 2014/2015 को सकल एन पी ए (क-ख)	6552.91	7118.01

4.11 तकनीकी बट्टेखाते डालने का स्टॉक एवं तत्पश्चात् वसूली

₹ करोड़ में

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2015	31.03.2014
1अप्रैल, 2014/15 को प्रारम्भिक खाते का तकनीकी एवं बट्टे खाते	2650.10	2347.22
जोड़: वर्ष के दौरान तकनीकी / विवेकपूर्ण बट्टेखाते	708.99	428.61
उप-योग (क)	3359.09	2775.83
घटाव: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी एवं विवेकपूर्ण बट्टेखाते में वसूली (ख)	77.81	125.73
31 मार्च 2014/2015 शेष राशि	3281.48	2650.10

4.12 विदेशी आस्तियाँ, एन पी ए एवं राजस्व :

₹ करोड़ में

विवरण	को समाप्त वर्ष	
	31.03.2015	31.03.2014
कुल आस्तियाँ (नोस्ट्रो रकम)	25.45	348.85
कुल एन पी ए	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	2.47	6.16

4.13 तुलन पत्र बाह्य एस पी वी प्रायोजित (जिनको लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित करने की आवश्यकता है)

₹ करोड़ में

31.03.2015 को समाप्त वर्ष एस पी वी प्रायोजित का नाम		31.03.2014 को समाप्त वर्ष एस पी वी प्रायोजित का नाम	
देशी	विदेशी	देशी	विदेशी
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.14. अपरिशोधित पेंशन और ग्रेच्युटी देयताएं

भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र सं. डीबीओडी.बीपी.बीसी.80 / 21.04.018 / 201011 दिनांक 9 फ़रवरी 2011 के प्रावधानों के संदर्भ ग्रेच्युटी की सीमा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और कर्मचारियों को पेंशन विकल्प के पुनः खुलने पर, रु 447.31 करोड़ वित्तीय वर्ष 2010-11 से प्रभावी पांच साल की अवधि में परिशोधित किया जाना था। 31 मार्च 2015 तक परिशोधित दायित्व, शून्य (पिछले वर्ष रु 89.47 करोड़ रुपये) था ।

4.15 क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप

वर्ष 2014-15 साथ ही साथ वर्ष 2013-14 में बैंक ने किसी भी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को आरंभ नहीं किया है ।

4.15 अंतः समूह ऋण जोखिम

₹ करोड़ में

क्रम सं.	अंतः समूह ऋण जोखिम का विवरण	तक	
		31.03.2015	31.03.2014
1	अंतः समूह ऋण जोखिम की कुल राशि	30755.33	34585.28
2	शीर्ष 20 अंतः समूह ऋण जोखिम की कुल राशि	20110.68	21019.40
3	उधारकर्ताओं / ग्राहकों पर बैंक के कुल जोखिम से अंतः समूह ऋण जोखिम का प्रतिशत।	28.55%	30.34%
4	यदि कोई है तो उस पर नियामक कार्रवाई और अंतः समूह ऋण जोखिम की सीमा के उल्लंघन का विवरण।	शून्य	शून्य

4.16 शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ) के जमाकर्ता के हस्तांतरण

₹ करोड़ में

विवरण	तक	
	31.03.2015	31.03.2014
डीईएएफ को अंतरित आरंभिक शेष राशि	–	–
जोड़ : वर्ष के दौरान डीईएएफ को अंतरित राशि	43.73	–
घटाव : दावों की ओर डीईएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	0.29	–
डीईएएफ को अंतरित अंतिम शेष राशि	43.44	–

4.17 अनहेज्ड विदेशी मुद्रा जोखिम

भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र सं.डीबीओडी सं.बीसी.85/21.06200/2001314 दिनांक 15.01.2014 के अनुसार रु 24,82,831.00 की राशि तक अनहेज्ड विदेशी मुद्रा निवेश के तहत वृद्धिशील प्रावधान हेतु प्रावधान किया गया। यह यूएफसीई दृष्टिकोण जून 2014 को पहली बार पहली लागू हुआ। मार्च 2015 में यूएफसीई जोखिम के लिए धारित पूंजी शून्य है क्योंकि इस संबंध में एक भी घटना सामने नहीं आई है, जहां एक निवेश वृद्धिशील पूंजी अपेक्षा हेतु योग्य पाया गया हो ।

4.18 चलनिधि कवरेज अनुपात*

4.18.1 प्रकटीकरण

₹ करोड़ में

		31.03.2015 को समाप्त वर्ष		31.03.2014 को समाप्त वर्ष	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति					
1.	**कुल उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)**		**19542.76**		**लागू नहीं**
	नकदी बाह्य प्रवाह				
2.	**छोटे व्यवसाय के ग्राहकों, जिनमें से खुदरा जमा और जमा:**	**82700.08**	**4880.35**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
(i)	स्थिर जमा	67793.25	3389.66	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	घटाव स्थिर जमा	14906.83	1490.69	लागू नहीं	लागू नहीं
3.	**असुरक्षित थोक निधीकरण, जिनमें स:**	**10475.77**	**6602.90**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
(i)	परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षों)	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	गैर परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षों)	10475.77	6602.90	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	असुरक्षित ऋण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4.	**सुरक्षित थोक निधीकरण**		लागू नहीं		**लागू नहीं**
5.	**अतिरिक्त आवश्यकताओं, जिनमें से**	**3312.61**	**587.83**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
(i)	व्युत्पन्न जोखिम और अन्य जमानत के आवश्यकताओं से संबंधित बाह्य प्रवाह	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
(ii)	ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बाह्य प्रवाह	शून्य	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
(iii)	क्रेडिट और तरलता की सुविधायें	3312.61	587.83	लागू नहीं	लागू नहीं
6.	अन्य संविदात्मक दायित्वों के निधीकरण	**336.33**	**336.33**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
7.	अन्य दल के निधीकरण के दायित्वों	**4525.52**	**226.28**	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
8.	कुल नकदी बाह्य प्रवाह		12633.69	लागू नहीं	लागू नहीं
नकदी अंतर्वाह प्रवाह					
9.	सुरक्षित ऋण (जैसे रेपो रिवर्स)	311.33	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं
10.	पूरी तरह से प्रदर्शन कर जोखिम से अंतर्वाह प्रवाह	560.25	280.13	लागू नहीं	लागू नहीं
11.	अन्य नकदी अंतर्वाह प्रवाह	2714.35	2414.35	लागू नहीं	लागू नहीं
12.	**कुल नकदी अंतर्वाह प्रवाह**	3585.93	2694.48	**लागू नहीं**	**लागू नहीं**
			कुल समायोजित मूल्य		**कुल समायोजित मूल्य**
21.	**कुल एचक्यूएलए**		19542.76		लागू नहीं
22.	**कुल शुद्ध नकदी बाह्य प्रवाह**		9939.21		लागू नहीं
23.	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**		196.62		लागू नहीं

* उपर्युक्त प्रकटीकरण बैंक प्रबंधन द्वारा अनुपालित एवं प्रमाणित किया गया है।

4.18.2 एलसीएआर के गुणात्मक प्रकटीकरण

मार्च 2015 को समाप्त तिमाही के दौरान बैंक ने पर्याप्त चलनिधि बनाए रखा जो कि बैंक के औसत चलनिधि कवरेज अनुपात से स्पष्ट होता है। यह नियामक अपेक्षा 60% की एवज में 196.62% था। पर्याप्त चलनिधि की स्थिति, उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) के कारण हुआ। उच्च स्तर के अत्यधिक एसएलआर के आधार पर एचक्यूएलए बनाया जाता है। बैंक के डेरिवेटिव्स के लिए किसी प्रकार ऋण जोखिम नहीं है, अतः इसके लिए चलनिधि जोखिम नहीं बनता चूंकी बैंक का ऋण निवेा किसी 6 विदेशी मुद्राओं के लिए बैंक के कुल व्यवसाय का 5% के नीचे था, इसलिए मुद्रावार चलनिधि का किसी प्रकार का बेमेल परिलक्षित नहीं हुआ। बैंक ने अपनी निधि अपेक्षा के लिए मुख्यतः खुदरा जमाराशि के लिए निर्भरशील रहा, इसलिए निधि के विकेन्द्रीकरण के लिए किसी प्रकार का जोखिम नहीं है।

4.19 क) पंजीकरण औपचारिकता रु3.01 करोड़ के मामले में लंबित है, डब्ल्यूडीभी 31.03.2015 को रु 2.11 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष रु 1.12 करोड़ रुपये)

ख) परिसर में पड़े संपत्ति 75.87 करोड़ रुपए (शुद्ध परिशोधन) 31.03.2015 तक (विगत वर्ष रु 76.71 करोड़)

5. पिछले वर्ष के आंकड़े को पुनः समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया जहां भी चालू वर्ष के आंकड़े से तुलना की गई।

31.03.2015 तक के तुलन पत्र का एक भाग

पी.श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संजय आर्य
कार्यपालक निदेशक

पार्वती वी सुंदरम निदेशक	**ए. के. डोगरा** निदेशक	**प्रत्यूष सिन्हा** निदेशक	**रेणुका मुद्दो** निदेशक	**संजीव पति** निदेशक

संजय कुमार
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार

कृते मेसर्स राममूर्ति (एन) एंड को सनदी लेखाकार एफआरएन 002899एस	**नंदी एंड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार एफआरएन 309090ई	**कृते मेसर्स पी.सी.बिंदल एंड कं** सनदी लेखाकार एफआरएन 003824एन	**एस.पी.एम.आर एंड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार एफआरएन 007578एन
सी. ए. सुरेंद्र नाथ भारती भागीदार एमआरएन. 023837	**सी. ए. मदन नंदी** भागीदार एमआरएन. 016369	**सी. ए. विरेंदर के मैनी** भागीदार एमआरएन. 088730	**सी. ए. प्रमोद कुमार महेश्वरी** भागीदार एमआरएन. 085362

दिनांक : 07.05.2015
स्थान : कोलकाता

	31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण				(₹ '000 में)
			समाप्त वर्ष		
		31 मार्च 2015		31 मार्च 2014	
क	परिचालनगत क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
	कर के पश्चात शुद्ध लाभ	2,559,922		(12,134,440)	
	योग : आयकर	2,200,000		-	
	घटाव : वसूलीयोग्य एमएटी	2,200,000			
	जोड़ : आस्थगित कर आस्तियां	1,981,100			
	कर पूर्व लाभ	4,541,022		(12,134,440)	
	समायोजन के लिए				
	स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	1,057,196		691,866	
	घटाव : पुनर्मूल्यन आरक्षिति से निकाली गयी राशि	(148,223)		(155,924)	
	स्थायी आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (शुद्ध)	5,802		(416)	
	निवेश हेतु मूल्यह्रास/प्रावधान (शुद्ध)	(704,252)		1,448,817	
	नामक आस्तियों के लिए प्रावधान	3,258,200		2,007,600	
	एन. पी. ए अग्रिमों के लिए प्रावधान	8,448,700		19,086,200	
	अन्य प्रावधान (शुद्ध)	10,716,885		10,209,263	
	अधीनस्थ बॉन्डों पर ब्याज	2,332,475		2,230,591	
	परिचालनगत आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तनों के पहले परिचालनगत लाभ	**29,507,805**		**23,383,557**	
	परिचालनगत आस्तियों एवं देयताओं में शुद्ध परिवर्तन हेतु समायोजन				
	निवेश में ह्रास/(वृद्धि)	(16,563,476)		(115,578,213)	
	अग्रिमों में ह्रास/(वृद्धि)	(18,403,941)		12,325,307	
	जमाओं में वृद्धि/(ह्रास)	(26,921,097)		108,581,652	
	उधार में वृद्धि/(ह्रास)	18,264,937		(9,824,669)	
	अन्य आस्तियों में ह्रास/(वृद्धि)	(1,350,625)		(2,720,831)	
	अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(ह्रास)	(9,296,488)		(3,348,651)	
	दबाव प्रारक्षित में वृद्धि/(ह्रास)	42,153		(720,278)	
		(24,720,732)		**12,097,874**	
	परिचालनगत क्रियाकलापों से एकत्रित नकदी	-		-	
	कर (चुकाया गया)/वापसी	(1,060,000)		(410,000)	
	परिचालनगत क्रियाकलापों (क) से शुद्ध नकदी		**(25,780,732)**		**11,687,874**
ख	निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
	अचल आस्तियाँ (शुद्ध)	(449,783)		(1,508,279)	
	निवेश क्रियाकलापों (ख) से शुद्ध नकदी		**(449,783)**		**(1,508,279)**
ग	वित्त पोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
	शेयर पूंजी जारी करके	(5,152,321)		1,800,412	
	शेयर प्रीमियम	8,152,321		5,199,588	
	अधीनस्थ बॉन्ड जारी करके	(22,250,000)		-	
	आईपीडीआई जारी करके	-		-	
	सरकार (पी एन सी पी एस) से पूंजी	-		-	
	अधीनस्थ बॉन्ड जारी करके	-		5,000,000	
	अधीनस्थ बॉन्डों पर ब्याज	(2,332,475)		(2,230,591)	
	उन पर प्रदत्त लाभांश एवं कर	-		(1,716,182)	
	वित्तीय क्रियाकलापों (ग) से शुद्ध नकदी		**(21,582,475)**		**8,053,227**
घ	नकदी में शुद्ध वृद्धि और नकदी तुल्य (क+ख+ग)		(47,812,990)		18,232,822
	वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य				
	नकदी शेष	4,336,022		3,574,428	
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि	58,361,750		34,891,708	
	बैंकों में शेष राशि एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	45,420,632	108,118,404	51,419,446	89,885,582
	वर्ष के अन्त में नकदी एवं नकदी तुल्य				
	नकदी शेष	5,030,200		4,336,022	
	भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि	53,125,812		58,361,750	
	बैंकों में शेष राशि एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	2,149,402	60,305,414	45,420,632	108,118,404

टिप्पणी : नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है।

यह 31.03.2015 को नकदी प्रवाह विवरणी का एक भाग है

पी.श्रीनिवास
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संजय आर्य
कार्यपालक निदेशक

पार्वती वी सुंदरम निदेशक	**ए. के. डोगरा** निदेशक	**प्रत्यूष सिन्हा** निदेशक	**रेणुका मुद्गो** निदेशक	**संजीव पति** निदेशक

संजय कुमार
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार

कृते मेसर्स राममूर्ति (एन) एंड कं सनदी लेखाकार एफआरएन 002899एस	**नंदी एंड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार एफआरएन 309090ई	**कृते मेसर्स पी.सी.बिंदल एंड कं** सनदी लेखाकार एफआरएन 003824एन	**एस.पी.एम.आर एंड एसोसिएट्स** सनदी लेखाकार एफआरएन 007578एन
सी. ए. सुरेंद्र नाथ भारती भागीदार एमआरएन. 023837	**सी. ए. मदन नंदी** भागीदार एमआरएन. 016369	**सी. ए. विरेंदर के मैनी** भागीदार एमआरएन. 088730	**सी. ए. प्रमोद कुमार महेश्वरी** भागीदार एमआरएन. 085362

दिनांक : 07.05.2015
स्थान : कोलकाता

स्तंभ 3 प्रकटीकरण 31 मार्च 2015 बासेल 3 नियमों के तहत

सारणी डीएफ1: आवेदन की गुंजाइश
बैंकिंग समूह के प्रमुख के नाम जिसके लिए यह ढांचा लागू होता है :
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

(1) गुणात्मक प्रकटीकरण :
क. समेकन के लिए विचार समूह संस्थाओं की सूची.

निगमन संस्था/ देश का नाम	लेखा समेकन संभावना के अंतर्गत क्या उक्त संस्था समाहित है (हां/नहीं)	समेकन की विधि के बारे में बताएं	नियामक समेकन संभावना के अंतर्गत क्या उक्त संस्था समाहित है (हां/नहीं)	समेकन की विधि के बारे में बताएं	समेकन की विधि में अंतर के लिए कारणों की व्याख्या करें	समेकन की केवल संभावना के अंतर्गत अगर समेकित है तो तत्संबंधी कारण की व्याख्या
शून्य						

* बैंक का कोई सहायक नहीं है और तदनुसार समेकन की आवश्यकता नहीं समूह संस्थाओं की सूची नहीं

ख. लेखांकन और समेकन के नियामक दायरे के तहत दोनों समेकन के लिए माना जाता है।

निगमन संस्था/देश का नाम	संस्था की प्रमुख गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का प्रतिशत	संस्था की पूंजी उपकरणों में बैंक के निवेश का विनियामक उपचार	कुल बैलेंस शीट संपत्ति (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)
शून्य					

लेखांकन की संभावना का समेकन और नियामक की संभावना का समेकन दोनों के तहत समेकन के लिए किसी प्रकार की समूह संस्थाओं पर विचार नहीं किया गया। बैंक के चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए सहयोगियों के रूप में माने जाते हैं ।

(2) मात्रात्मक प्रकटीकरण:
ग. समेकन के लिए विचार समूह संस्थाओं की सूची:

निगमन संस्था/देश का नाम (जैसा कि I(क) में उल्लेख किया गया है)	इकाई की प्रमुख गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)	कुल बैलेंस शीट संपत्ति (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)
शून्य			

घ. सभी सहायक कंपनियों में कुल कमी पूंजी की राशि जिसे नियामक संभावना के समेकन में शामिल नहीं किया गया है अर्थात् उसमें कटौती की गई है :

निगमन के लिए सहायक कंपनियों/ देश का नाम	इकाई की प्रमुख गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का प्रतिशत	पूंजी की कमी
शून्य				

ङ. बीमा संस्थाओं में बैंक के हितों की कुल राशि (अर्थात् मौजूदा बही मूल्य) जो जोखिम धारित है :

निगमन के लिए बीमा संस्थाओं/ देश का नाम	इकाई की प्रमुख गतिविधि	कुल बैलेंस शीट इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)	मताधिकार का अनुपात/कुल इक्विटी के अनुपात में बैंक की हिस्सेदारी का प्रतिशत	जोखिम धारित विधि बनाम पूर्ण कटौती विधि का उपयोग कर पूंजी नियामक पर मात्रात्मक प्रभाव.
लागू नहीं				

च. बैंकिंग समूह के भीतर धन का अंतरण अथवा विनियामक पूंजी पर किसी तरह का प्रतिबंध या बाधाएं : बैंक का कोई भी सहायक नहीं है इसलिए प्रयोज्य नहीं होगा ।

सारणी: डी एफ-2 :
पूंजी पर्याप्तता

गुणात्मक प्रकटीकरण :

मौजूदा और भविष्य की कार्यकलापों के समर्थ में पूंजी पर्याप्तता के निर्धारण के लिए बैंक का दृष्टिकोण बैंक ने वर्तमान और भविष्य के कारोबार की जरूरत को पूरा करने के लिए तथा पूंजी अनुकूलन बनाए रखने और प्रभावी ढंग से अपने कारोबार में जोखिम प्रोफाइल पर विचार करते हुए नियामक मानदंडों को पूरा करने के लिए एक पूर्ण परिभाषित जोखिम प्रबंधन संरचना बनाया है ।

बैसल3 पूंजी नियमों पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के द्वारा निर्धारित की गई पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के अधीन है । भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक को बासेल नियमों के तहत 31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार 9.0 प्रतिशत का सीआरएआर अनुपात और न्यूनतम टीयर 1 सीआरएआर 7.00 प्रतिशत तथा सीईटी1 अनुपात 5.5 प्रतिशत का निर्वाह करना है ।

31 मार्च 2015 की स्थिति के अनुसार स्टैंडअलोन आधार पर बैंक की कुल पूंजी पर्याप्तता अनुपात 10.57 प्रतिशत और टीयर1 अनुपात 7.52 प्रतिशत, सीईटी1 अनुपात 7.52 प्रतिशत और टीयर2 अनुपात 3.05 प्रतिशत है ।

बैंक ने बासेल3 पूंजी नियमों के अंतर्गत निर्धारित सभी न्यूनतम नियामक सीमा का पालन किया है । बासेल3 को सुचारु रूप से सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त संक्रमणकालीन व्यवस्था सहित न्यूनतम बासेल3 पूंजी अनुपात को पूरा करने और पूंजी आदि के घटकों को पूरा नियामक समायोजन के लिए अनुपालन किया गया है ।

उक्त जोखिम, व्यवसाय आदि के मूल्य में होने वाले नुकसान की सुरक्षा के लिए बैंक ने पूंजी का निर्वाह किया है ताकि जमाकर्ताओं और सामान्य लेनदारों की रक्षा की जा सके। उचित पूंजी आवंटन का व्यापक मूल्यांकन और विभिन्न जोखिमों के दस्तावेज की पुष्टि करने के लिए बैंक की एक अच्छी तरह से परिभाषित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति है । यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है जहां बैंक प्रतिकूल परिस्थितियों की अवधि के दौरान परिचालन जारी रखने के क्रम में अपनी पूंजी जरूरतों और इसके महत्व और संसाधनों को पूरा करने का प्रयास करता है । पूंजी स्तर की अपेक्षा के निर्धारण के लिए संस्थान की जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप भौतिक जोखिमों की पहचान की जाती है और उसे तय किया जाता है और अंतिम रूप दिया जाता है ।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के साथ बैंक द्वारा बासेल3 नियमों के तहत सीआरएआर की गणना के लिए निम्न विधियों को अपनाया गया है(कोलन)

ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण.
परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण.
बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि विधि.
बैंक अपनी पूंजी योजना की समीक्षा के लिए निम्नलिखित का प्रयोग करता है :

बैंक की वर्तमान पूंजी की आवश्यकता
व्यापार रणनीति के संबंध में लक्षित और अपेक्षित भविष्य की पूंजी तथा जोखिम लेने की क्षमता और पूंजी कोष जुटाने के लिए उपलब्ध विकल्प के साथ उपलब्ध व्यवस्था। व्यवसाय अनुमान के आधार पर, बैंक के निदेशक मंडल की मंजूरी के साथ पूंजी जुटाई जाती है

वर्ष के दौरान सीईटी अनुपात में सुधार हेतु, बैंक ने भारत सरकार को 27,477 बोमियादी गैर संचयी अधिमान्य शेयर (पीएनसीपीएस), प्रत्येक रु.35.50, कुल रु.274.77करोड़ की इकाइयों का रुपांतरण द्वारा, 7,74,00,000 इक्विटी शेयरों का अधिमान्य आवंटन के माध्यम से आवंटन किया है ।

इसके अलावा, दूसरी किस्त में बैंक ने भारत सरकार को शेष 52523 बोमियादी गैर संचयी अधिमान्य शेयर (पीएनसीपीएस), प्रत्येक रु.42.75, कुल रु.525.23 करोड़ की इकाइयों का रुपांतरण द्वारा, 12,28,60,818 इक्विटी शेयरों का अधिमान्य आवंटन के माध्यम से आवंटन किया है ।

अपने टीयर 1 पूंजी में वृद्धि करने के लिए, बैंक ने भारतीय जीवन बीमा को तरजीही आवंटन के आधार पर 8,45,07,042 इक्विटी शेयरों का प्रति शेयर रु.35.50 के कुल रु.300 करोड़ का आवंटन किया है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण (रुपए करोड़ में)

क)	आरडब्ल्यूए के 9 प्रतिशत की दर से ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं	
	? मानक दृष्टिकोण के अध्याधीन संविभाग :	4937.76
	? ऋण जोखिम प्रतिभूतिकरण :	0.00
ख)	बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता :	
	? मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण:	
	- ब्याज दर जोखिम :	503.85
	- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित) :	4.50
	- इक्विटी जोखिम :	40.00
ग)	परिचालन जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता :	
	? आधार संकेतक दृष्टिकोण :	525.74
घ)	आम इक्विटी टीयर 1 अनुपात (सीईटी) (प्रतिशत)	7.52
	टीयर 1 पूंजी अनुपात (प्रतिशत)	7.52
	कुल पूंजी अनुपात (प्रतिशत)	10.57

सारणी डी एफ-3
ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क) अपने तुलनपत्र में वास्तविक वित्तीय स्थिति के प्रदर्शन के लिए बैंक ने अपने अग्रिम संविभाग के लिए विवेकाधिकार मानदंड के लिए आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के साथ विगत अतिदेय और अनर्जक (लेखांकन के उद्देश्य से) के तहत परिभाषा को अपनाया है ।

अनर्जक आस्ति

भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देश के अनुसरण में बैंक ने अपने अग्रिम को अर्जक और अनर्जक ऋण (एनपीएल) में वर्गीकृत किया है । एक ऋण या अग्रिम को निम्नप्रकार की स्थिति में एनपीए माना जाएगा:

1. यदि किसी मीयादी ऋण पर मिलने वाला ब्याज और/या मूल ऋण की किस्तें 90 दिनों से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद मिलनी बंद हो जाएं।

2. यदि कोई ओवरड्राफ्ट / कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) खाता 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अनियमित (आउट ऑफ़ ऑर्डर) हो जाए

3. बिल खरीद और बिल बट्टा के मामले में यदि कोई बिल 90 दिनों से अधिक अवधि तक अतिदेय हो जाए

4. अल्पावधि फसलों के मामले में यदि मूल ऋण की किस्त या उस पर ब्याज, फसल के दो मौसम से अधिक अवधि तक अतिदेय हो जाए,

5. दीर्घावधि फसलों के मामले में यदि मूल ऋण या उसका ब्याज, फसल के एक मौसम से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाए ।

खाता को अक्षम तभी माना जाएगा जब बकाया शेष स्वीकृत सीमा/ आहरण शक्ति से अधिक होकर 90 दिनों से अधिक के लिए रहती हो । जब मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा/ आहरण शक्ति से कम है, लेकिन क्रमशः 90 दिनों के लिए ऋण खाते में तुलनपत्र की तारीख तक राशि जमा नहीं की जाती है अथवा उक्त अवधि के दौरान ब्याज प्रभार करने के लिए पर्याप्त धन राशि नहीं है उक्त खाते को अक्षम माना जाएगा ।

बैंक द्वारा तय की गई नियत तिथि पर ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय राशि से संबंधित अतिदेय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है ।

पुनः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत अनर्जक आस्ति को अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्ति में वर्गीकृत किया गया है ।

? एक अवमानक परिसंपत्ति वह है जो 12 महीनों के बराबर अथवा उससे कम अवधि के लिए एनपीए के रूप में बनी रहती है ।

? एक संदिग्ध परिसंपत्ति वह है जो 12 महीनों से अधिक अवधि के लिए एनपीए के रुप में बनी रहती है ।

? हानि आस्ति वह होता है जिसे बैंक या उनके आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा या भारतीय रिज़र्व बैंक के निरीक्षण के दौरान हानि की पहचान की गई है, लेकिन राशि पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाली गयी है ।

गैर-निष्पादित निवेश

प्रतिभूतियों के संबंध में,जिसमें ब्याज / मूलधन बकाया है और बैंक को प्रतिभूतियों से आय नहीं प्राप्त होता है
और निवेश के मूल्य पर ह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान किया गया है।

गैर निष्पादित अग्रिम (एनपीए) की तरह गैर निष्पादित निवेश (एनपीआई) एक ऐसा निवेश है जिसमें

1. ब्याज / किस्त (परिपक्वता आय सहित) बकाया है और 90 दिनों से अधिक तक चुकाया नहीं गया हो ।

2. यथोचित परिवर्तन सहित यही बात तरजीही शेयरों पर भी लागू होती है, जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है ।

3. इक्विटी शेयरों के मामले में, यदि किसी भी कंपनी के शेयरों में निवेश किया गया है और उस कम्पनी का अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध नहीं होने पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार उसका मूल्य प्रति कम्पनी रू। / माना जाता है और उन इक्विटी शेयरों को गैर निष्पादित निवेश समझा जायेगा ।

4. जारीकर्ता द्वारा लिया गया ऋण यदि बैंक के खाते में गैर निष्पादित हो जाता है तो जारीकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूति को गैर निष्पादित निवेश समझा जाता है और ऐसे निवेश को गैर निष्पादित आस्ति समझा जाता है ।

5. अग्रिम प्रकृति के डिबेंचरों / बांडों में निवेश, निवेश पर लागू होने योग्य गैर निष्पादित निवेश (एनपीआई) के मानदंडों के अधीन हैं ।

नीति और प्रक्रिया

अपनी ऋण नीति के रूप में, बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति का सुदृढ़ ढांचा बना रखा है और विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियों जैसे ऋण नीति, संपार्श्विक प्रबंधन नीति और ऋण लेखा परीक्षा नीति आदि विकसित की है। नीतियों का मुख्य उद्देश्य प्रबंधन की उम्मीद के अनुसार परिचालन को सुनिश्चित करना है और शीर्ष प्रबंधन की रणनीति को परिचालन स्तर पर सार्थक दिशाओं में ले जाना है।

नीतियाँ बड़े ऋण जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमा, ऋण संपार्श्विक, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम निगरानी और मूल्यांकन के प्रावधान व विनियामक / कानूनी अनुपालन के मानकों को निर्धारित करने के लिए है।

बैंक सकेंद्रित जोखिम का अध्ययन निम्न प्रकार से करता है :

(क) एकल और समूह उधारकर्ताओं के जोखिम ऋण सीमा को तय करके (ख) ग्रेड सीमा निर्धारण करके (ग) उद्योगवार जोखिम सीमा तय करके और (घ) अंचल में ऋण की भौगोलिक वितरण का विश्लेषण करके. सभी अंचल को चार खंडों अर्थात् उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। बैंक ने सभी शाखाओं/आंचालिक कार्यालयों में उधार खाते की रेटिंग को समझने के लिए रेटिंग/स्कोरिंग मॉडल संचालित किया है जो ऋण लेने और तदनुसार कार्यान्वित सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े ऋण जोखिम को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन में ऋण जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, माप, निगरानी और नियंत्रण शामिल हैं।

ऋण जोखिम की पहचान और समीक्षा की प्रक्रिया में, बैंक ने ऋण जोखिम के वर्गीकरण मानकों को विकसित करने और उसे परिष्कृत करने पर अधिक बल दिया है ताकि काउंटर पार्टी जोखिम की समीक्षा की जा सके और विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत जोखिम जैसे वित्तीय, व्यापार, उद्योग, परिवोजना एवं प्रबंधन जोखिम आदि को ध्यान में रखकर किया गया है, जिनमें प्रत्येक के लिए अलग से अंक बनाए गए है।

ऋण जोखिम की माप की तहत ऋण जोखिम की सीमा निश्चित की जाती है ताकि पोर्टफोलियो को बेहतरीन ढंग से स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त हो सके जैसे कंपनियों, कंपनी समूहों, उद्योगों, जमानती के प्रकार और भूगोल विविध आयामों के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके. बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम की एकाग्रता से बचाने के लिए, बैंक में व्यक्तिगत और समूह उधारकर्ता, उद्योग ऋण जोखिम सीमा और पूंजी बाजार, अचल संपत्ति जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विवेकपूर्ण निवेश से संबंधित मानक आंतरिक मार्गदर्शन निर्धारित किए गए हैं. बैंक ऋण सुविधा की मंजूरी के लिए अच्छी तरह से परिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधिकार संरचना का पालन करता है।

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलू जैसे मूल्यांकन, कीमत निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकारी, प्रलेखीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी, ऋण समीक्षा, ऋण सुविधाओं का नवीकरण, ऋण के संबंध में विभिन्न समस्याओं का निराकरण, ऋण समीक्षा तंत्र आदि के संबंध में प्रक्रिया और नियंत्रण करता है ।

नियमित अंतराल पर बड़े बड़े उद्योगों के पोर्टफोलियो का विश्लेषण किया जाता है ताकि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो पर उद्योग विशेष या क्षेत्र विशेष के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके और तत्कालीन बाजार की स्थिति का भी अध्ययन किया जा सके। पोर्टफोलियो के विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न पहलू शामिल हैं जैसे आस्ति की गुणवत्ता; निवेश के मानदंड का अनुपालन, जोखिम का स्तर जैसे अल्प,अधिक,और तदनुरूपी प्रतिफल और एनपीए स्तर आदि ।

निदेशक मंडल द्वारा विधिवत् अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति को भी लागू किया गया है । नीति के अनुरूप बैंकिंग बही में नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम, ऋण जोखिम, पूंजी पर्याप्तता पर प्रभाव और बैंक की लाभप्रदता पर प्रभाव से संबंधित यह परीक्षण छमाही आधार पर किया जाता है । बैंक की यह पूंजी समय समय पर विश्लेषित ऐसी तनाव स्थितियों में पर्याप्त पाई गई ।

बड़े उधारकर्ता खातों के लिए बैंक जोखिम वर्गीकरण बदलाव (रिस्क रेटिंग माइग्रेशन) पर विश्लेषण करता है । यह भारतीय रिजर्व बैंक/बैंक के बोर्ड द्वारा निर्धारित ऋण जोखिम के मानदंड की छमाही समीक्षा भी करता है । बैंक ने उधारकर्ता खातों की रेटिंग के लिए सॉफ्टवेयर आधारित ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल भी तैयार किया है।

इसके अतिरिक्त बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से ऋण जोखिम कम करने की तकनीक एवं संपार्श्विक प्रबंधन की नीति भी लागू की है जिसके अंतर्गत बैंक के हित के संरक्षण के लिए प्रतिभूतियों का पूरा ब्यौरा और इन प्रतिभूतियों के प्रशासन से संबंधित ब्यौरे का उल्लेख किया गया है। ये प्रतिभूतियाँ ऋण जोखिम कम करने के उपाय पर काम करती है।

परिमाणात्मक प्रकटीकरण : (रुपए करोड़)

	निधि आधारित	गैर निधि आधारित	कुल
(ख) कुल सकल ऋण जोखिम	69069.92	4948.13	74018.05
(ग) ऋण जोखिम का भौगोलिक वितरण			
विदेश में	शून्य	शून्य	शून्य
देश में	69069.92	4948.13	74018.05

(घ) उद्योग के प्रकार ऋण जोखिम वितरण

(रुपए करोड़ में)

कोड	उद्योग के नाम	निधि आधारित बकाया	गैर निधि बकाया आधारित बकाया
1	कोयला	0.00	0.00
2	खनन सहित कोयला	66.01	12.08
3	लौह एवं इस्पात	5005.35	329.25
4	धातु उत्पाद	80.02	0.61
5	सभी इंजीनियरिंग	1625.44	122.11
5.1	इसमें से इलैक्ट्रॉनिक्स	293.93	4.70
5.2	इसमें से अन्य को	1331.51	117.4
6	बिजली	0.00	0.00
7	कपड़ा	1512.57	121.82
7.1	इसमें से सूती कपड़ा	254.26	113.79
7.2	इसमें से जूट कपड़ा	45.66	2.36
7.3	इसमें से अन्य कपड़ा	1212.65	5.68
8	खाद्य संसाधन	1291.70	60.42
8.1	इसमें से चीनी	25.56	0.30
8.2	इसमें से चाय	172.88	1.01
8.3	इसमें से वनस्पति तेल और वनस्पति	50.96	0.21
8.4	इसमें से अन्य	1042.30	58.90
9	तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	338.85	1.52
10	कागज और कागज उत्पाद	95.64	4.61
11	रबड़ और रबर उत्पाद	190.08	25.60
12	मूलभूत सुविधाएं	14408.47	1148.36
12.1	इसमें से बिजली	9484.11	410.69
12.2	इसमें से दूरसंचार	971.68	1.75
12.3	इसमें से सड़कों और बंदरगाहों	2831.27	572.08
12.4	इसमें से अन्य मूलभूत सुविधाएं	1121.41	163.84
13	सीमेंट	821.93	17.16
14	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	214.09	2.54
15	रत्न और आभूषण	435.79	54.82
16	निर्माण	1027.61	302.93
17	पेट्रोलियम	134.09	12.22
18	ट्रकों सहित ऑटोमोबाइल	603.87	0.29
19	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	27.78	0.14
20	रसायन, रंजक, पेंट्स आदि	1146.07	52.65
20.1	इसमें से उर्वरक	233.02	0.00
20.2	इसमें से पेट्रो रसायन	599.75	46.32
20.3	इसमें से ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	313.02	6.33
21	एनबीएफसी	6128.48	23.40
22	अन्य उद्योग	831.51	110.28
23	अवशिष्ट अन्य अग्रिम (सकल अग्रिमों का बकाया)	33084.57	2545.31
24	**कुल**	**69069.92**	**4948.13**

निम्नलिखित उद्योगों में 31.03.2015 तक निधि आधारित और गैर निधि आधारित ऋण जोखिम कुल निधि एवं गैर निधि आधारित ऋण जोखिम का 5% से अधिक था ।

निधि आधारित (एफबी) ऋण जोखिम			गैर निधि आधारित (एनएफबी) ऋण जोखिम		
क्र.सं	उद्योग का नाम	कुल एफ बी का %	क्र.सं	उद्योग का नाम	कुल एन एफ बी का %
1	बिजली	13.73	1	सड़क और पोर्ट	11.56
2	एनबीएफसी	8.87	2	बिजली	8.30
3	लौह एवं इस्पात	7.25	3	निर्माण	6.12
			4	लौह एवं इस्पात	6.65

(ङ) आस्तियों का अवशिष्ट सांविदिक परिपक्वता का अलग अलग विवरण

	दिन 1	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीने तक	3 महीनों से अधिक और 6 महीने तक	6 महीनों से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
अग्रिम	338	3982	204	171	2892	3059	3952	27345	9685	15135	66763
निवेश	3	134	49	263	4584	1111	1925	2698	7223	28613	46603
विदेशी मुद्रा आस्तियां	160	923	114	84	730	893	1037	0	0	18	3959

(च) अनर्जक आस्तियों की राशि (सकल)

श्रेणी	राशि (रु. करोड़ में)
अव-मानक	2221.07
संदिग्ध – 1	1964.77
संदिग्ध – 2	2068.34
संदिग्ध – 3	261.20
हानि	37.53
कुल	**6552.91**
(छ) शुद्ध एनपीए	4081.38
(ज) एनपीए अनुपात	(%)
(क) सकल अग्रिमों के लिए सकल एनपीए	9.49
(ख) शुद्ध अग्रिमों के लिए शुद्ध एनपीए	6.22
(झ) सकल एनपीए में उतार चढ़ाव	(रू करोड़)
(क) वर्ष की शुरुआत में प्रारंभिक शेष	7118.01
ख) 31 मार्च 2015 तक वृद्धि	4087.17
ग) 31 मार्च 2015 तक कटौती	4652.27
घ) मार्च, 2015 की समाप्ति तक इति शेष (क+ख+ग)	6552.91

(ञ) एनपीए के प्रावधान में उतार चढ़ाव

	(रू करोड़)
(क) वर्ष की शुरुआत में प्रारंभिक शेष	2399.24
(ख) 31 मार्च 2015 तक किया गया प्रावधान	792.12
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे-खाते डालना / पुनर्सकन खाते	760.68
(घ) वर्ष के अंत में इति शेष (क+ख-ग)	2430.68

	(रू करोड़)
(ट) गैर निष्पादित निवेश की राशि	199.54

	(रू करोड़)
(ठ) गैर निष्पादित निवेश के लिए रखे गए प्रावधान की राशि	110.63

(ड) निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों में उतार चढ़ाव

	(रू करोड़)
(क) वर्ष की शुरुआत में प्रारंभिक शेष	154.34
(ख) वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	0.00
(ग) अतिरिक्त प्रावधानों का बट्टे खाते डालना/ पुनर्सकन खाते	70.43
(घ) वर्ष के अंत में इति शेष (क+ख-ग)	83.91

सारणी डीएफ-4

ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियो के लिए

बेसल मानदंडों पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक सौआरएआर के गणना के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मान्यता प्राप्त निम्न घरेलू बाह्य केडिट रेटिंग एजेंसियों (ईसीआरए) के बाहरी रेटिंग का उपयोग कर रहा है :

1. केयर (सीएआरई), 2. क्रिसिल (सीआरजाईएसआईएल), 3. इक्रा (आईसीआरए), 4. भारतीय रेटिंग (पहले फिच इंडिया के नाम से प्रसिद्ध), 5. ब्रिकवर्क (बीआरआईसीकेडब्ल्यूओआरके) और स्मेरा (एसएमईआरए)

इक्रा (ईसीआरए) द्वारा समनुदेशित रेटिंग का उपयोग निम्न निवेश के लिए किया जाता है :

- अल्पावधि ऋण (एसटीएल) अर्थात् एक वर्ष से कम के संविदात्मक परिपक्वता निवेश (नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट एवं परिक्रामी (रिवॉल्विंग) ऋणों को छोड़कर) हेतु समनुदेशित अल्पावधि रेटिंग पर विचार किया गया है ।
- दीर्घावधि ऋण (टीएल) अर्थात् एक वर्ष से अधिक के संविदात्मक परिपक्वता और घरेलू नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट और परिक्रामी ऋण के लिए दीर्घावधि रेटिंग पर विचार किया गया है ।

सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध रेटिंग को इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा परिकल्पित मैपिंग प्रक्रिया के अनुसार ही मैप्ड किया जाता है ।

नए पूंजी पर्याप्तता ढांचा के अनुसार जोखिम भारिता की गणना के उद्देश्य से बैंक बाह्य रेटिंग का उपयोग कर रहा है । बैंक एक आंतरिक रेटिंग मॉडल का उपयोग करते हुए आंतरिक रुप से अपने ग्राहकों की भी रेटिंग करता है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण :

नीचे दी गई सारणी, तीन प्रमुख जोखिम बकेटों में विशिष्ट प्रावधान के निवल ऋण निवेशों (निधि एवं गैर निधि दोनों के लिए) के लिए बैंक के सकल बकाया राशि को स्पष्ट कर रहा है:

		(रू करोड़)
मानकीकृत दृष्टिकोण के अध्यधीन जोखिम कम करने के बाद निवेश राशि के लिए निम्नांकित तीन मुख्य जोखिम खंडों तथा वे जिनकी कटौती होनी है, में बैंक का बकाया (श्रेणीकृत एवं अश्रेणीकृत)	• 100 जोखिम भार से कम	33815.47
	• 100 जोखिम भार	15928.31
	• 100 जोखिम भार से अधिक	14977.75

सारणी डीएफ-5

ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

क. ऋण जोखिम कम करने के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा में निम्नांकित मदें शामिल हैं :

- वे नीतियाँ और पद्धति और इसका एक संकेत कि वह कहाँ तक इनका उपयोग तुलनपत्र तैयार करते समय करता है। **संपार्श्विक** मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ।

नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक ने निम्नांकित प्राथमिक उद्देश्य से ऋण जोखिम कम करने की तकनीक एवं **संपार्श्विक** प्रबंधन पर नीति बनाई है । (क) बेसेल-II एवं -III के मानदंडों / भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऋण जोखिम को कम करना तथा उपयुक्त **संपार्श्विकों** के निर्धारण के प्रति जागरूकता बढ़ाना , (ख) बेसेल-II एवं -III के मानदंडों/ भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग निर्देशों के दृष्टिकोण के अनुरूप पूंजी प्रभार की गणना में ऋण जोखिम को कम करने के लाभ को अनुकूलतम बनाना। इस नीति में **संपार्श्विकों** का मूल्यांकन भी किया गया है। इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है जिससे जोखिमों के विरूद्ध **संपार्श्विकों** के पूर्ण समंजन (उपयुक्त काट छाँट के बाद) की अनुमति मिलती है और यह **संपार्श्विक** मूल्य को आरोपित करते हुए जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से कम करते हुए मिलती है ।

बैंक द्वारा लिए गए **संपार्श्विक** के मुख्य प्रकारों का वर्णन:

- मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत बैंक द्वारा ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में निर्धारित संपार्श्विकों के सामान्य प्रकार हैं : (क) बैंक जमा (ख) एनएससी / केवीपी (ग) जीवन बीमा पॉलिसी ।

•गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी के मुख्य प्रकार तथा उनकी साख योग्यता:
सीआरएआर की संगणना हेतु बैंक द्वारा न्यूनीकरण के लिए मान्य गारंटियाँ निम्नांकित है:

- केंद्रीय सरकार गारंटी
- राज्य सरकार
- सीजीटीएमएसई
- सीजीसी

- अपनाए गए न्यूनीकरण के अंतर्गत जोखिम संकेंद्रण विषयक सूचना (बाजार अथवा साख):

बैंक द्वारा न्यूनीकरण (मिटिगेशन) के लिए प्रयुक्त **संपार्श्विक** आसानी से वसूली योग्य वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं और बाजार की अस्थिरता का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में संकेंद्रण जोखिम के लिए फिलहाल कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(₹ करोड़)

ख) अलग अलग प्रकटीकृत ऋण जोखिम पोर्टफोलियो हेतु कुल निवेश (बाद में जहाँ लागू होने योग्य, ऑन एंड ऑफ बैलेंसशीट नेटिंग) जो काट छाँट के बाद पात्र वित्तीय **संपार्श्विक** समर्थित हैं	64721.53
ग) अलग अलग प्रकटीकृत प्रत्येक पोर्टफोलियो हेतु कुल निवेश (बाद में जहाँ लागू होने योग्य है, ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग) जो गारंटी द्वारा/ऋण व्युत्पन्नों द्वारा समर्थित है (भा.रि.बैंक द्वारा विशेष रूप से जब भी अनुमति दी गई है)	3143.54

सारणी डीएफ 6

निवेशों का प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण :

बैंक ने किसी भी प्रतिभूतीकरण गतिविधि की शुरूआत नहीं की है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण : शून्य

सारणी डीएफ 7
व्यापार बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

बाजार जोखिम को संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे बैंक को बाजार को प्रभावित करने वाली वस्तुओं में परिवर्तन/गतिमयता जैसे ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, ईक्विटी मूल्यों तथा वस्तु मूल्य में उतार चढ़ाव से हानि हो सकती है। बैंक के निवेश से व्यापार बही (एएफएस तथा एचएफटी दोनों श्रेणियों) में निवेश (ब्याज संबंधित लिखतों एवं शेयरों) तथा विदेशी मुद्रा से जोखिम उत्पन्न हो सकता है । बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है उपार्जन एवं ईक्विटी पर होने वाली हानि के प्रभाव को कम करना।

बैंक में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन नीति को लागू किया है । उद्योग की उत्तम परंपरा के अनुरूप जोखिम प्रबंधन एवं इसकी रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित होती है जैसे कि आशोधित अवधि, अधिकतम अनुमत निवेश, शुद्ध खुली स्थिति सीमा , अंतर सीमा, जोखिम पर मूल्य(वीएआर) इत्यादि।

मात्रात्मक प्रकटीकरण (रू करोड़)

(ख) निम्नलिखित के लिए पूंजी आवश्यकता	
• ब्याज दर जोखिम :	503.85
• ईक्विटी स्थिति जोखिम :	4.50
• विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम :	40.00

सारणी डीएफ 8
परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

आंतरिक प्रक्रिया अपर्याप्त होने अथवा आंतरिक प्रक्रिया में व्यक्तियों तथा प्रणाली या बाहरी घटनाओं से हुई चूक से उत्पन्न हानि संबंधी जोखिम परिचालन जोखिम है । परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल होता है किंतु रणनीतिक जोखिम एवं साख जोखिम शामिल नहीं है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति का निर्माण किया है । बोर्ड द्वारा अपनाई गई समर्थित नीतियों के परिचालन जोखिम से संबंधित ये बातें हैं: (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा, (ख) अपने ग्राहकों को जानें (केवाईसी) , (ग) काले धन को वैध बनाने के विरूद्ध (एएमएल) तथा (घ) आईटी व्यवसाय निरंतरता तथा आपदा वसूली नीति आदि ।

बैंक द्वारा अपनाए गए परिचालन जोखिम प्रबंधन में संगठनात्मक ढाँचा एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन से संगठनात्मक ढाँचा एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए विस्तृत प्रक्रिया अपनाई गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है दैनिंदन जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन पद्धित को मजबूती से एकाकार करना। यह काम जोखिम की प्रभावी पहचान करके, समीक्षा करके, उसकी मॉनिटरिंग करते हुए और नियंत्रण कायम करके/परिचालनगत जोखिम को कम करके और परिचालनगत जोखिम निवेश तथा तथ्यात्मक परिचालनगत जोखिम की सूचना समय रहते देकर किया गया है। बैंक में परिचालन जोखिम को व्यापक एवं सुव्यवस्थित आंतरिक नियंत्रण ढाँचा के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है।

पूंजी प्रभार की गणना

भा.रि. बैं. द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी निर्धारण के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण अपनाया है । इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत जोखिम धारित आस्तियों तक पहुंचने के लिए औसतन तीन वर्षों का सकल आय लिए जाने का विचार किया गया है ।
तदनुसार, 31.03.2015 तक परिचालन जोखिम हेतु रू 525.74 करोड़ पूंजी की आवश्यकता थी।

सारणी डीएफ 9
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आई आर आर बी बी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

ब्याज दर जोखिम का तात्पर्य है , आंतरिक और बाहरी कारणों से बैंक की शुद्ध ब्याज आय तथा आस्ति एवं देयता के मूल्य में उतार चढ़ाव । आंतरिक कारकों में बैंक की आस्ति एवं देयता की संरचना , गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमा राशियों की पुनर्मूल्यन अवधि, उधार राशि, ऋण की राशि एवं निवेश शामिल होता है। बाहरी कारकों में शामिल हैं सामान्य आर्थिक स्थितियाँ । ब्याज की बढ़ती या घटती दर बैंक के तुलनपत्र पर अपना असर डालती हैं। ब्याज दर में जोखिम बैंक के तुलन पत्र में आस्ति और देयता दोनों के लिए प्रचलित है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए एल सी ओ) आवधिक रूप से जोखिम और प्रतिफल, निधियन और अभिनियोजन, बैंक की उधार एवं जमा दर का निर्धारण तथा बैंक के निवेश क्रिया कलापों की निगरानी एवं नियंत्रण का काम करती है ।

बैंक, जोखिम दृष्टिकोण पर उपार्जन एवं अवधि अंतराल की विधि के जरिए बदलती ब्याज दर से जुड़े जोखिम की पहचान करता है ।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) प्रबंधन पद्धति के अनुसार आईआरआरबीबी की माप के लिए बहती घटती दर जोखिम पर अर्जन और आर्थिक मूल्य (या प्रबंधन द्वारा उपयोग किया गया संशोधित माप) में अर्जन वृद्धि (कमी) का आधार निम्नलिखित है:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम

(₹ करोड़)

विवरण	स्थिति	कुल
1. जोखिम पर उपार्जन (ई ए आर)	200 बीपीएस की वृद्धि	106.44
	200 बीपीएस की कमी	106.44
जोखिम पर इक्विटी का आर्थिक मूल्य	200 बीपीएस की वृद्धि	291.00
	200 बीपीएस की कमी	291.00

टेबल डीएफ-10

काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम से संबंधित निवेश के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम एक लेन देन करने के लिए प्रतिपक्ष लेन देन के नकदी प्रवाह के अंतिम निपटान से पहले डिफॉल्ट और डेरिवेटिव और प्रतिभूतियों वित्तपोषण लेनदेन के लिए जोखिम का प्राथमिक स्रोत है हो सकता है कि जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है।

लेन देन का बाजार मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है यानी ऋण जोखिम के लिए जोखिम एकतरफा है और केवल उधार बैंक हानि के जोखिम का सामना कर रहा है, जहां एक ऋण के माध्यम से ऋण जोखिम के लिए एक बैंक के जोखिम के विपरीत, प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम प्रकृति में द्विपक्षीय है लेन देन के लिए प्रतिपक्ष और अंतर्निहित बाजार कारकों के आंदोलन के साथ समय के साथ बदलती या तो प्रतिपक्ष क्रेडिट जोखिम के लिए बैंकों को जोखिम अपनी काउंटरपार्टी क्रेडिट रिस्क पॉलिसी के अंतर्गत कवर किया जाता है. बैंकों तदनुसार केवाईसी मानदंडों, संतोषजनक निपटने, पार्टी के लिए किसी भी व्युत्पन्न उत्पादों को विस्तार देने से पहले पार्टी की ऋण पात्रता और लेन देन में अपेक्षित ऋण जोखिम न्यूनीकरण के स्तर का फैसला किया ।

गुणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़)

विवरण	अनुमानित राशि	मौजूदा ऋण निवेश
ओटीसी अनुबंध	7220.53	373.93

स्तंभ-3 प्रकटीकरण 31 मार्च 2015
बेसल के नियमों के तहत

टेबल डीएफ11

31.03.2015 तक पूंजी संरचना

(रुपए करोड़ में)

बासेल-III आम प्रकटीकरण टेम्पलेट नियामक समायोजन के संक्रमण के दौरान इस्तेमाल किया जाएगा (अर्थात् 1अप्रैल, 2013 से 31 दिसंबर, 2017 तक) सामान्य इक्विटी टीयर 1: लिखत एवं आरक्षित			राशि बासेल-III पूर्व उपचार से संबंधित	संदर्भ सं
1.	सीधे जारी विशेषक सामान्य शेयर पूंजी एवं संबंधित अधिक स्टॉक (शेयर प्रिमियम)	2918.33	-	ए1 +बी1
2.	आमदनी प्रतिधारित	-		
3.	अन्य संचित व्यापक आय (एवं अन्य प्रारक्षित)	2315.63	-	
4.	सी ई टी 1 के चरणबद्ध तरीके से हट कर जारी पूंजी (यह केवल गैर संयुक्त स्टॉक कम्पनियों पर लागू)	-	-	
	सार्वजनिक क्षेत्र 1 जनवरी 2018 तक पूंजी प्रदत्त करेगी	-	-	
5.	अनुषंगी एवं तृतीय पक्ष द्वारा जारी आम शेयर पूंजी (राशि सी ई टी 1 समूह में अनुमत)	-	-	
6.	सामान्य इक्विटी टीयर 1 विनियामक समायोजक पूर्व पूंजी :	-	-	
	सामान्य इक्विटी टीयर 1: पूंजी विनियामक समायोजक			
7.	विवेकपूर्ण मूल्यनिर्धारण समायोजन	0.00	-	
8.	सुनाम (कुल कर देयताएं से संबंधित)	0.00	-	
9.	बंधक सेवाएं अधिकार के अलावा अमूर्त	7.68	5.12	एल2
10.	आस्थगित कर आस्तियां	**114.95**	76.63	एम3
11.	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित	0.00	-	
12.	प्रत्याशित हानि के लिए प्रावधानों में कमी	0.00	-	
13.	प्रतिभूति बिक्री पर लाभ	0.00	-	
14.	ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मूल्य देयताएं में लाभ	0.00	-	
15.	परिभाषित लाभ पेंशन निधि कुल देयताएं	0.00	-	
16.	अपने शेयरों में निवेश (अगर पहले से ही रिपोर्ट किए गए तुलन पत्र पर चुकता पूंजी निबल किया हो)	0.00	-	
17.	आम इक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	-	
18.	बैंकिंग की पूंजी में निवेश, वित्तीय और बीमा संस्थाओं विनियामक समेकन दायरे से बाहर है, जहां बैंक जारी शेयर पूंजी का 10% से अधिक का मालिक नहीं है जहां, पात्रता कुल शॉर्ट पोजिशन के (प्रारंभिक राशि 10% सीमा से ऊपर)	0.00	-	
19.	बैंकिंग के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश, विनियामक समेकन के दायरे से बाहर है कि वित्तीय और बीमा संस्थाओं, पात्रता कुल शॉर्ट पोजीशन को (प्रारंभिक राशि 10% सीमा से ऊपर)	0.00	-	
20.	बंधक सेवाएं अधिकार (प्रारंभिक राशि 10% सीमा से ऊपर)	0.00	-	
21.	अस्थायी मतभेद से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (प्रारंभिक राशि 10% से ऊपर सीमा, संबंधित कर देयताएं का कुल)	0.00	-	
22.	प्रारंभिक राशि 15% सीमा से अधिक	0.00	-	

23	जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं के आम स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	-	
24	जिनमें से: बंधक सेवाएं अधिकार	0.00	-	
25	जिसमें से: अस्थायी मतभेद से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर संपत्ति	0.00	-	
26.	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26क + 26ख + 26ग + 26घ)	0.00	-	
26.क	जिसमें से : असमेकित गैर वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	-	
26.ख	जिसमें से : अधिकांश स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00	-	
		0.00	-	
26.ग	जिसमें से : असमेकित बीमा सहायक की इक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	-	
26.घ	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन फंड व्यय	0.00	-	
	आम इक्विटी टीयर 1 में लागू विनियामक समायोजन के पूर्व बेसल-III उपचार के अधीन राशियों के संबंध में	0.00	-	
	जिसमें से : वर्तमान अवधि में परिचालन हानि	0.00	-	सी1
27	आम इक्विटी टीयर 1 में विनियामक समायोजन अपर्याप्त अपर टीयर 1 और टियर 2 के कटौती को कवर करने के कारण लागू	90.75	-	
28	**आम इक्विटी टीयर 1 में कुल विनियामक समायोजन**	**213.38**	-	
29	**आम इक्विटी टीयर 1 पूंजी (सी ई टी 1) (628)**	**5020.58**	-	
अतिरिक्त टीयर 1: लिखत				
30	सीधे जारी योग्यता अतिरिक्त टीयर 1 लिखत के साथ साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष (31+32)	0.00	-	ए2
31	जिनमें से : लेखा मानक में लागू वर्गीकृत इक्विटी (बेमीयादी संचयी अधिमान शेयर)	0.00	-	
32	जिनमें से : लेखा मानक में लागू वर्गीकृत देयताएं (बेमीयादी ऋण लिखत)	0.00	-	
33	अतिरिक्त टीयर 1से अलगअलग खेपों में सीधे जारी पूंजी लिखत	0.00	-	
34	अतिरिक्त टीयर 1 लिखत सहायकों द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित (एवं सी ई टी 1 लिखत जो पाँचवें पंक्तिमें नहीं जोड़ा गया) (अनुमति राशि समूह एटी1)	0.00	-	
35	जिसमें से : सहायकों द्वारा खेप में जारी लिखत	0.00	-	
36.	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी विनियामक समायोजन से पूर्व	0.00	-	
अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी : विनियामक समायोजन :				
37	अपने अतिरिक्त टीयर 1 लिखत में निवेश	0.00	-	
38	अतिरिक्त टीयर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता	9.00	-	जे1
39	बैंकिंग की पूंजी में निवेश, वित्तीय और बीमा संस्थाओं विनियामक समेकन दायरे से बाहर हैं जहां बैंक जारी शेयर पूंजी का 10% से अधिक का मालिक नहीं है जहां, पात्रता कुल शॉर्ट पोजिशन के (प्रारंभिक राशि 10% सीमा से ऊपर)	0.00	-	
40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश जो, विनियामक समेकन के दायरे (पात्रता कुल शॉर्ट पोजिशन) से बाहर हैं	0.00	-	

41	राष्ट्रीय उल्लेखित विनियामक समायोजन (41क+41ख)	0.00	-	
41क	असमेकित बीमा सहायक कंपनियों द्वारा अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में निवेश	0.00	-	
41ख	अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी में कमी मुख्यतः स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं जो बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00	-	
	अतिरिक्त टीयर 1 के लिए लागू विनियामक समायोजन पूर्व बेसल 3 उपचार के अधीन राशियों के संबंध में	81.75	-	
	जिसमें से: अमूर्त बंधक सेवाएं अधिकार के अलावा (कुल कर देयता संबंधित)	5.12	-	एल3
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियाँ	76.63	-	एम4
	जिसमें से: पेंशन फंड व्यय के लिए अपरिशोधित खर्च	0.00	-	
	जिसमें से: वर्तमान अवधि में परिचालित हानि	0.00	-	सी2
	जिसमें से: पीएंसीपीएस को चरणबद्ध	0.00	-	ए3
	जिसमें से: एसोसिएट्स (आरआरबी) के गैर आम इक्विटी पूंजी साधन में निवेश	0.00	-	जे3
42	अतिरिक्त टीयर 1 के कारण अपर्याप्त टीयर 2 के लिए कटौती को कवर करने के लिए लागू विनियामक समायोजन	0.00	-	सी1
43	**अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी के लिए कुल विनियामक समायोजन**	0.00 **90.75**	-	
44	**अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)**	**0.00**	-	
44क	**पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना अतिरिक्त टियर 1 पूंजी**	**0.00**	-	
45	**टियर 1 पूंजी(टी1 = सीईटी1 + एटी1) (पंक्ति 29 + पंक्ति 44ए)**	**5020.58**	-	
टियर 2 पूंजी: यंत्र और प्रावधान				
46	सीधे योग्यता टियर 2 उपकरणों के साथ साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष जारी	500.00	-	डी4
47	सीधे टियर 2 से समाप्त पूंजी उपकरण विषय जारी	1025.00	-	डी4
48	सहायक कंपनियों द्वारा टियर 2 उपकरण (पंक्ति 5 या 34 में सीईटी 1 और एटी 1 उपकरण संलग्न नहीं है) जारी और तीसरी पार्टियों द्वारा आयोजित	0.00	-	
49	जिनमें से : सहायक कंपनियों द्वारा जारी उपकरण समापन का विषय है	0.00	-	
50	प्रावधान और रिवैल्यूएशन आरक्षित	800.40	-	टेम्पलेट संदर्भ. सं.-50
51	**नियामक समायोजन से पहले टियर 2 पूंजी**	2325.40	-	
टीयर 2 पूंजी: विनियामक का समायोजन:				
52	टियर 2 उपकरणों में स्वयं के निवेश	0.00	-	
53	टियर 2 उपकरणों में पारस्परिक प्रतिधारिता	1.20	-	जे2
54	बैंकिंग पूंजी, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं में निवेश बाहरी विनियामक समेकन, कुल पात्र खरीद से अधिक बिक्री की गुंजाइश है, जहां संस्था की सामान्य शेयर पूंजी (10 सीमा से अधिक राशि) में बैंक का अपना 10 से अधिक जारी न होना।	0.00	-	
55	बैंकिंग पूंजी, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं में महत्वपूर्ण निवेश बाहरी विनियामक समेकन की गुंजाइश है (कुल पात्र खरीद से अधिक बिक्री)	0.00	-	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट नियामक समायोजन (56क+56ख)	0.00	-	

56क	जिनमें से : सहायक कंपनियों के असमेकित टियर 2 पूंजी में निवेश	0.00	-
56ख	जिनमें से : बहुमत स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं की टियर 2 पूंजी में कमी, जिनको बैंक द्वारा समेकित नहीं किया गया।	0.00	-
	पूर्व बेसल-III प्रबंध के अनुसार राशि के संदर्भ में टियर 2 पर विनियामक समायोजन लागू होगा।	289.99	-
	जिनमें से : टीयर 2 बांड चरण से बाहर	232.50	-
57	**टीयर 2 पूंजी के लिए कुल नियामक समायोजन**	**291.19**	-
58	**टियर 2 पूंजी (टी 2)**	**2034.21**	-
58क	**पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना टियर 2 पूंजी**	**2034.21**	-
58ख	टियर 2 पूंजी के रूप में गिना अत्यधिक अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी	0.00	-
58ग	**पूंजी पर्याप्तता पंक्ति के लिए कुल टीयर 2 पूंजी स्वीकार्य (58ए+पंक्ति 58बी)**	**2034.21**	-
59	**कुल पूंजी (टीसी= टी1+टी2) (पंक्ति 45+पंक्ति 58सी)**	**7054.79**	-
60	**कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियां (60ए+60बी+60सी)**	**66798.28**	-
60क	जिनमें से : कुल ऋण जोखिम भारित परिसंपत्तियां	54864.02	-
60ख	जिनमें से : कुल ऋण जोखिम भारित परिसंपत्तियां	6092.75	-
60ग	जिनमें से : कुल परिचालन जोखिम भारित परिसंपत्तियां	5841.51	-
पूंजी अनुपात			
61	आम इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों का प्रतिशत के रुप में)	7.52	-
62	टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों का प्रतिशत के रूप में)	7.52	-
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित परिसंपत्तियों का प्रतिशत के रूप में)	10.57	-
64	संस्थाओं को विशिष्ट रुप से प्रतिरोधक (पूंजी परिवर्तन सहित न्यूनतम सीईटी 1 और काउंटर आवर्ती प्रतिरोधक की आवश्यकता, जो जोखिम परिसंपत्तियों का एक प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है) की आवश्यकता है ।	5.5	-
65	जिनमें से : पूंजी संरक्षण बफ़र आवश्यकता	0.00	-
66	जिनमें से : बैंक को विशिष्ट रुप से काउंटर आवर्ती प्रतिरोधक की आवश्यकता	0.00	-
67	जिनमें से : जी एसआईबी बफ़र आवश्यकता	0.00	-
68	बफ़र्स को पूरा करने के लिए उपलब्ध आम इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों का प्रतिशत के रूप में)	2.02	-
राष्ट्रीय न्यूनतम (अगर बेसल-III से अलग)			
69	राष्ट्रीय आम इक्विटी टियर 1 का न्यूनतम अनुपात (अगर बेसल -III के न्यूनतम से अलग)	5.50	-
70	राष्ट्रीय टियर 1 का न्यूनतम अनुपात (अगर बेसल -III के न्यूनतम से अलग)	7.00	-
71	राष्ट्रीय कुल पूंजी का न्यूनतम अनुपात (अगर बेसल -III के न्यूनतम से अलग)	9.00	-
प्रारंभिक से कम की राशि में कटौती (जोखिम भार से पहले)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश।	0.00	-
73	वित्तीय संस्थाओं के आम स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	-
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0.00	-
75	अस्थायी मतभेद से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर संपत्ति (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0.00	-

टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर लागू कैप्स				
76	मानकीकृत दृष्टिकोण (पिछले कैप के आवेदन करने हेतु) से निवेश जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने पात्रता हेतु प्रावधान	533.07	-	टेम्पलेट संदर्भ. सं.-50
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर कैप	800.40	-	
78	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण (पिछले कैप के आवेदन करने हेतु) से निवेश जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने पात्रता हेतु प्रावधान ।	0.00	-	
79	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टीयर 2 में कैप शामिल करने हेतु प्रावधान	0.00	-	
	बाहरी व्यवस्था के अंतर्गत पूंजी उपकरणों (मात्र 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2022 तक लागू)			
80	बाहरी व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान केप सीईटी 1 उपकरणों	लागू नहीं		
81	कैप के कारण सीईटी 1 से असमाहित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	लागू नहीं		
82	बाहरी व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान कैप एटी 1 उपकरणों	लागू नहीं		
83	कैप के कारण एटी 1 से असमाहित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	लागू नहीं		
84	बाहरी व्यवस्था के अंतर्गत वर्तमान कैप टी 2 उपकरणों	लागू नहीं		
85	कैप के कारण टी 2 से असमाहित राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद कैप पर अतिरिक्त)	लागू नहीं		

टेम्पलेट के लिए नोट्स :

विवरण टेम्पलेट की संख्या	विवरण	₹ करोड़
10	संचित हानि के साथ जुड़े आस्थगित कर	122.63
	आस्थगित कर आस्तियाँ (संचित हानि के साथ जुड़े लोगों को छोड़कर) आस्थगित कर दायित्व का शुद्ध	68.95
	कुल पंक्ति के रूप में संकेत 10	**191.58**
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेश को पूंजी से पूरी तरह नहीं घटाया गया है और इसके बजाय, कटौती को 10 सीमा के अंतर्गत विचाराधीन रखने पर बैंक की पूंजी के परिणाम में वृद्धि होगी।	0.00
	जिसमें से : टियर 1 पूंजी में आम इक्विटी की वृद्धि	0.00
	जिसमें से : टियर 1 पूंजी में अतिरिक्त वृद्धि	0.00
	जिसमें से : टियर 2 पूंजी में वृद्धि	0.00
26ख	यदि असमेकित गैर वित्तीय सहायक संस्थाओं के शेयर पूंजी में निवेश को घटाया नहीं गया है तो इस कारण जोखिम बढता है ।	0.00
	(i) टियर 1 पूंजी में आम इक्विटी की वृद्धि	0.00
	(ii) जोखिम भारित परिसंपत्तियों में वृद्धि	0.00
44क	पूंजी पर्याप्तता हेतु अत्यधिक अन्य टीयर 1 पूंजी की गणना नहीं की जाती है (जैसा कि पंक्ति 44 और 44ए में अन्य टीयर 1 और स्वीकार्य अन्य टीयर 1 में भेद उल्लिखित है)	0.00
	जिनमें से: पंक्ति 58बी के तहत टियर 2 पूंजी के रूप में माना जाता है जो अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	0.00
50	टियर 2 पूंजी में शामिल योग्य प्रावधानों	533.07
	टियर 2 पूंजी में शामिल योग्य रिवैल्यूएशन रिजर्व	267.33
	पंक्ति की कुल 50	**800.40**
58क	पूंजी पर्याप्तता हेतु अत्यधिक अन्य टीयर 2 पूंजी की गणना नहीं की जाती है (जैसा कि पंक्ति 58 और 58ए में अन्य टीयर 2 पूंजी और टीयर 2 में भेद उल्लिखित है)	0.00

टेबल डीएफ 12
पूंजी समायान अपेक्षा की संरचना (चरण1)

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र 31.03.2015 तक	समेकन के नियामक दायरे के तहत तुलन पत्र 31.03.2015 तक
नियामक समेकन और लेखांकन के बीच कोई अंतर नहीं है			
क	**पूंजी और देयताएं**		
	चुकता पूंजी	839.52	839.52
	आरक्षित और अधिशेष	4988.52	4988.52
	अल्पसंख्यक हित		
	कुल पूंजी	**5828.04**	**5828.04**
ख	**जमा**	108817.60	108817.60
	जिनमें से		
	बैंकों से जमा	3022.32	3022.32
	ग्राहकों की जमा राशि	36811.11	36811.11
	अन्य जमा	68984.17	68984.17
ग	**उधार राशियां**	**4061.73**	**4061.73**
	जिनमें से		
	भारतीय रिजर्व बैंक से	584.00	584.00
	बैंकों से	4.92	4.92
	अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से	3472.81	3472.81
	अन्य	0.00	0.00
	पूंजी लिखत	0.00	0.00
घ	अन्य देनदारियों और प्रावधान	**4320.21**	**4320.21**
	कुल	**123027.58**	**123027.58**

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र 31.03.2015 को	समेकन के नियामक दायरे के तहत तुलन पत्र 31.03.2015 को
नियामक समेकन और लेखांकन के बीच कोई अंतर नहीं है			
ख)	आस्तियां		
i)	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और जमा शेष	5815.60	5815.60
	बैंक के बैलेंस एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	214.94	214.94
ii)	निवेश:	**46603.11**	**46603.11**
	जिनमें से		
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	35020.45	35020.45
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00
	शेयर	201.56	201.56
	डिबेंचर और बांड	2072.34	2072.34
	सहायक कंपनियाँ / संयुक्त उद्यम / एसोसिएट्स	0.00	0.00
	अन्य (वाणिज्यिक पत्रों, म्युचुअल फंड आदि)	9308.76	9308.76
iii)	ऋण और उधार	**66763.04**	**66763.04**
	जिनमें से		
	बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	399.49	399.49
	ग्राहकों के लिए ऋण एवं अग्रिम	66363.55	66363.55
iv)	स्थायी संपत्तियाँ	**877.41**	**877.41**
v)	अन्य सम्पत्तियाँ	**2753.48**	**2753.48**
	जिनमें से		
	सद्भावना और अमूर्त आस्तियाँ		
	आस्थगित कर संपत्ति	191.58	191.58
vi)	समेकन पर सद्भावना	0.00	0.00
vii)	लाभ और हानि खाते में डेबिट शेष	0.00	0.00
	कुल परिसंपत्तियां	**123027.58**	**123027.58**

डीएफ-12 : पूंजी की संरचना समाधान आवश्यकताएँ (चरण 2)

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय विवरणियों में तुलन पत्र 31.03.2015 को	नियामक संभावनाओं के समेकन के तहत तुलन पत्र 31.03.2015 को	संदर्भ सं.
क)	पूंजी और देयताएं	123027.58	123027.58	
I)	चुकता इक्विटी पूंजी	839.52	839.52	ए
	क) जिनमें से सीईटी1 के लिए पात्र राशि	839.52	839.52	ए1
	ख) जिनमें से एटीआई के लिए पात्र राशि	0.00	0.00	ए2
	जिनमें से एटीआई से कटौती की गई राशि	0.00	0.00	ए3
	आरक्षित और अधिशेष	4988.52	4988.52	बी
	जिनमें से सीईटी1 के लिए पात्र राशि : शेयर प्रीमियम	2078.82	2078.82	बी1
	जिनमें से सीईटी1 के लिए पात्र राशि : सांविधिक राजस्व प्रारक्षित और पूंजी प्रारक्षित	2315.63	2315.63	बी2
	जिनमें से टीयर 2 के लिए पात्र राशि: पुनर्मूल्यांकन आरक्षित 55% की दर से बट्टाकृत	594.07	267.33	बी3
	जिनमें से पूंजी जो सशर्त नहीं है	0.00	326.74	बी4
	लाभ और हानि खाते में शेष	0.00	0.00	सी
	जिनमें से : सीईटी 1 से कटौती	0.00	0.00	सी 1
	जिनमें से : एटी 1 से कटौती	0.00	0.00	सी 2
	कुल पूंजी	**5828.04**	**5828.04**	
ii)	जमाराशियां	108817.60	108817.60	
	जिनमें से			
	बैंकों से जमा	3022.32	3022.32	
	ग्राहकों की जमा राशि	36811.11	36811.11	
	अन्य जमा	68984.17	68984.17	
iii)	उधार :	4061.73	4061.73	डी
	जिनमें से			
	भारतीय रिजर्व बैंक से	584.00	584.00	डी 1
	बैंकों से	4.92	4.92	
	अन्य एजेंसियों और संस्थानों से	3472.81	3472.81	डी2
	जिनमें से पूंजी लिखत	2525.00	2525.00	डी3
	टीयर 2 के लिए पात्रता राशि	0.00	1525.00	डी4
	बासेल-III के अनुसार विनियामक पूंजी जो कि पूंजी के रूप में योग्य नहीं है	0.00	1000.00	डी5
	जिनमें से अन्य	947.81	947.81	डी6
	अन्य उधार	0.00	0.00	डी7
iv)	अन्य देयताएं और	**4320.21**	**4320.21**	ई
	जिनमें से			
	सद्भावना से संबंधित डीटीएलएस	0.00	0.00	
	अमूर्त संपत्ति से संबंधित डीटीएलएस	0.00	0.00	
	कुल पूंजी और देयताएं	**123027.58**	**123027.58**	

(रुपए करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय विवरणियों में तुलन पत्र 31.03.2015 को	नियामक संभावनाओं के समेकन के तहत तुलन पत्र 31.03.2015 को	संदर्भ सं.
ख)	**आस्तियां**	**123027.58**	**123027.58**	
I)	आरबीआई के पास नकद और जमा शेष	5815.60	5815.60	
	बैंकों के पास शेष और अल्प सूचना पर राशि	214.94	214.94	
	कुल	**6030.54**	**6030.54**	
ii)	निवेश:	**46603.11**	**46603.11**	एफ
	जिनमें से			
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	35020.45	35020.45	जी
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	0.00	0.00	एच
	शेयर	201.56	201.56	आई
	डिबेंचर और बांड	2072.34	2072.34	जे
	जिनमें से : एटीआई की पारस्परिक प्रतिधारिता	15.00	15.00	जे1
	जिनमें से : टीयर 2 की पारस्परिक प्रतिधारिता	2.00	2.00	जे2
	जिनमें से : अन्य बैंकों की गैर आम इक्विटी पूंजी लिखतों में निवेश	57.49	57.49	जे3
	सहायक कंपनियों / संयुक्त उद्यम / एसोसिएट्स	0.00	0.00	
	अन्य (वाणिज्यिक पत्रों, म्युचुअल फंड आदि)	9308.76	9308.76	के
iii)	ऋण और अग्रिम	**66763.04**	**66763.04**	
	जिनमें से			
	बैंकों को ऋण और अग्रिम	399.49	399.49	
	ग्राहकों कि दिए गए ऋण और अग्रिम	66363.55	66363.55	
iv)	स्थायी आस्तियां	**877.41**	**877.41**	एल
	जिनमें से अमूर्त आस्तियां	12.80	12.80	एल 1
	जिनमें से सीईटी1 से कटौती	0.00	7.68	एल 2
	जिनमें से एटीआई से कटौती	0.00	5.12	एल 3
v)	अन्य आस्तियां	**2753.48**	**2753.48**	एम
	जिनमें से			
	क) सद्भावना और अमूर्त आस्तियां	0.00	0.00	एम 1
	ख) आस्थगित कर आस्तियां (डी टी एल का निवल)	191.58	191.58	एम 2
	जिनमें से सीईटी से कटौती	0.00	114.95	एम 3
	जिनमें से एटीआई से कटौती	0.00	76.63	एम 4
vi)	समेकन पर सद्भावना	0.00	0.00	एम 5
	कुल आस्तियां	**123027.58**	**123027.58**	

आम इक्विटी टीयर1 पूंजी : लिखत और आरक्षित				
क्रम सं.	विवरण	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई नियामक पूंजी के घटक	स्टेप 2 से समेकन की नियामक संभावना के तहत संदर्भ सं./तुलन पत्र के पत्रों पर आधारित स्रोत	संदर्भ सं.
1	सीधे आम शेयर योगदान (और गैर संयुक्त शेयर कंपनियों के लिए बराबर) पूंजी के साथ साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष जारी	2918.33	ए1+बी1	
2	बरकरार कमाई	0.00		
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित)	0.00		
4	सीईटी1 से अलग प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी के शर्तांधीन (गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए ही लागू)	0.00		
5	आम शेयर पूंजी सहायक कंपनियों द्वारा जारी किए गए और तीसरा पक्ष द्वारा आयोजित (समूह सीईटी1 में अनुमोदित की गई राशि)	0.00		
6	नियामक समायोजन से पहले आम इक्विटी टीयर 1 पूंजी	5233.97		
7	विवेकाधिकार मूल्यांकन समायोजन	0.00		
8	सद्भावना (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0.00		

सारणी डी एफ13 : नियामक पूंजी के लिए सांचे की प्रमुख विशेषताएं बेमीयादी गैर संचयी अधिमान शेयर (पीएनसीपीएस)

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	युनिक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी,आईएसआईएन या प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएन६95ए04013	आईएन६695ए04013	आईएन६695ए04013
3	लिखत के शासी कानून विनियामक उपचार	लागू भारतीय कानूनों और नियामक आवश्यकताओं पूंजी लिखत	लागू भारतीय कानूनों और नियामक आवश्यकताओं पूंजी लिखत	लागू भारतीय कानूनों और नियामक आवश्यकताओं पूंजी लिखत
4	संक्रमणकालीन बेसल-III के नियम	एटीआई	एटीआई	एटीआई
5	संक्रमणकालीन के बाद बासेल-III के नियमों	अयोग्य	अयोग्य	अयोग्य
6	एकल/समूह/समूह और एकल में योग्य	एकल	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर 1	टीयर 1	टीयर 1
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (रु करोड़ में, 31.3.2015 तक)	0.00	0.00	0.00
9	प्रति लिखत का मूल्य	प्रति शेयर रु1.00 लाख	प्रति शेयर रु 1.00 लाख	प्रति शेयर रु 1.00 लाख
10	लेखा वर्गीकरण	अधिमानी पूंजी	अधिमानी पूंजी	अधिमानी पूंजी
11	जारी करने की मूल तारीख	15-04-2009	01-04-2010	04-06-2010
12	बेमीयादी या दिनांकित	सतत	सतत	सतत
13	मूल परिपक्वता की तारीख	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
14	पर्यवेक्षी अनुमोदन के पूर्व जारीकर्ता की मांग के शर्ताधीन	नहीं	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक मांग दिनांक, आकस्मिक मांग दिनांक और मोचन राशि	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
16	परवर्ती मांग दिनांक, यदि लागू हो कूपन/लाभांश	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
17	निश्चित या अस्थिर लाभांश/कूपन	अस्थिर कूपन	अस्थिर कूपन	अस्थिर कूपन
18	कूपन दर और किसी भी संबंधित सूचकांक	प्रासंगिक तारीखों पर हर साल रेपो 100 बीपीएस फिर से समायोजित किया जाए	प्रासंगिक तारीखों पर हर साल रेपो 100 बीपीएस फिर से समायोजित किया जाए	प्रासंगिक तारीखों पर हर साल रेपो 100 बीपीएस फिर से समायोजित किया जाए
19	एक लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	नहीं	नहीं	नहीं
20	पूरी तरह से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	अस्तित्व हेतु उठए गए चरण या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	नहीं		
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह या आंशिक रूप से	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण के दर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय हैं, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार उल्लिखित करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हैं, तो जारीकर्ता का लिखत किसमें रूपांतरण हुआ, उल्लिखित करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
30	अवलिखित की विशेषता	नहीं	नहीं	नहीं
31	यदि अवलिखित, अवलिखित के उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि अवलिखित, पूरी तरह या आंशिक रूप से	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि अवलिखित, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अवलिखित अस्थायी है, इसे पुरा करने के तंत्र का ब्योरा	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में परतंत्रता पदानुक्रम की स्थिति (लिखत को अविलम्ब वरिष्ठ को उल्लेखित करें)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
36	गैर अनुपालित संक्रमण विशेषताएं	हां	हां	हां
37	यदि हां, गैर अनुपालित विशेषता को उल्लेखित करें	अवशेषी विशेषता हानि नहीं	अवशेषी विशेषता हानि नहीं	अवशेषी विशेषता हानि नहीं

सीरीज 1: आईपीडीआई

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	युनिक पहचानकर्ता (जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई 695ए09095
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी साधन
4	संक्रमणकालीन बेसल-III के नियम	अयोग्य
5	उत्तर संक्रमणकालीन बेसल-III के नियम	अयोग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर 1 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (रू करोड़ में, 31.03.2015 को)	0.00
9	लिखत के सम मूल्य	रू 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधार ली गई रकम
11	जारी करने की मूल तारीख	05.12.2012
12	मीयादी या दिनांकित	मीयादी
13	मूल परिपक्वता की तारीख	05.12.2022, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी से.
14	जारीकर्ता के कॉल बशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी के अनुमोदन हो	हां
15	वैकल्पिक कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन राशि	05.12.2022, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व मंजूरी से.
16	यदि लागू हो तो अनुवर्ती कॉल तारीख	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	मीयादी या फ्लोटिंग लाभांश / कूपन	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	9.27 (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूरी तरह से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	हां
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरित	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह या आंशिक रूप से	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण के दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को उल्लिखित करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत के जारीकर्ता के ब्योरा दें	लागू नहीं
30	मूल्यह्रासन की विशेषताएं	नहीं
31	यदि अवलिखित, अवलिखित उत्प्रेरित	लागू नहीं
32	यदि अवलिखित, पूरी तरह या आंशिक रूप से	लागू नहीं
33	यदि अवलिखित, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलिखित, अवलिखित तंत्र का का ब्योरा दें	लागू नहीं
35	परिसमापन में परतंत्रता पदानुक्रम की स्थिति (लिखत को अविलम्ब वरिष्ठ को उल्लिखित करें)	बैंक के अन्य लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालित संक्रमण विशेषताएं	हां
37	यदि हाँ, गैर अनुपालित विशेषताएं को उल्लिखित करें	पूर्णत: असंगठित, ह्रानि अवशोषी विशेषता नहीं

सीरीज 1: अपर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	युनिक पहचानकर्ता (जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी , आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई 695ए09061
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी साधन
4	संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	टीयर 2
5	उत्तर संक्रमणकालीन बेसल III के नियम	अयोग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल
7	लिखत के प्रकार	टियर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (रू करोड़ में, 31.03.2015 को)	402.50
9	लिखत के सममूल्य	रू 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधार ली गई रकम
11	जारी करने की मूल तारीख	18.06.2007
12	असंचयी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तारीख	18.06.2022
14	जारीकर्ता के कॉल बशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी के अनुमोदन हो	हां
15	वैकल्पिक कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन राशि	18.06.2017
16	अनुवर्ती कॉल की तारीख, यदि लागू हो	नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	मौयादी या फ्लोटिंग लाभांश / कूपन	मौयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	10.65 (10वें वर्ष के अंत तक कॉल विकल्प प्रयोग नहीं किया जाता है तो 50 बीपीएस की वृद्धि करें)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूरी तरह से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	हां
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरित	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूरी तरह या आंशिक रूप से	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण के दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है, परिवर्तनीय लिखत के प्रकार को उल्लिखित करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो लिखत के जारीकर्ता के व्योरा दें	लागू नहीं
30	मूल्यह्रासन की विशेषताएं	नहीं
31	यदि अवलिखित, अवलिखित उत्प्रेरित	लागू नहीं
32	यदि अवलिखित, पूरी तरह या आंशिक रूप से	लागू नहीं
33	यदि अवलिखित, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी अवलिखित, अवलिखित तंत्र का का व्योरा दें	लागू नहीं
35	परिसमापन में परतंत्रता पदानुक्रम की स्थिति (लिखत को अविलम्ब वरिष्ठ को उल्लिखित करें)	बैंक के अन्य लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालित संक्रमण विशेषताएं	हां
37	यदि हाँ, गैर अनुपालित विशेषताएं को उल्लिखित करें	हानि अवशोषी विशेषता नही

लोअर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण

क्र.सं.	लोअर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण	सीरीज-II	सीरीज-III
1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनिक पहचानकर्ता (जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई 695ए09020	आईएनई 695ए09038
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत	पूंजी लिखत
4	संक्रमण बेसल III के नियम	टीयर 2	टीयर 2
5	उत्तर संक्रमण बेसल III के नियम	अयोग्य	अयोग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 पूंजी लिखत	टीयर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (रू. करोड़ में, 31.03.2015 को)	0.00	20.00
9	लिखत के सममूल्य	रू 10.00 लाख प्रति बॉण्ड	रू 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधार ली गई रकम	उधार ली गई रकम
11	जारी करने की मूल तारीख	15.02.2005	29.03.2006
12	असंचयी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तारीख	15.05.2015	29.04.2016
14	जारीकर्ता के कॉल बशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी का अनुमोदन हो	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि	नहीं	नहीं
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन	कूपन
17	मीयादी या फ्लोटिंग लाभांश / कूपन	मीयादी	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक लोअर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण	7.40% (वार्षिक)	8.00% (अर्द्ध वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं	लागू नहीं
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्णतः या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रुपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, रुपान्तरण लिखत का प्रकार स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय हैं, तो रुपान्तरण लिखत के जारीकर्ता को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
30	मूल्यह्रासन की विशेषता	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेखन है तो, अवलेखन का उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि मूल्यह्रास है तो, पूर्णतः या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि मूल्यह्रास है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्यह्रास है तो, आलेख तंत्र का विवरण दें	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थ पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के ठीक पूराने लिखत के प्रकार को स्पष्ट करें)	बैंक के अन्य लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	बैंक के अन्य लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालित संक्रमित विशेषताएं	हां	हां
37	यदि हां, तो गैर अनुपालित विशेषताए बतलाएं	हानि रहित अवशोषक विशेषताएं	हानि रहित अवशोषक विशेषताएं

क्र.सं.	लोअर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण	सीरीज-IV	सीरीज-V
1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनिक पहचानकर्ता (जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई 695g09046	आईएनई 695g09053
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत	पूंजी लिखत
4	संक्रमण बेसल 3 के नियम	टीयर 2	टीयर 2
5	उत्तर संक्रमण बेसल 3 के नियम	अयोग्य	अयोग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 पूंजी लिखत	टीयर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (रु.करोड़ में, 31.03.2015 तक)	40.00	40.00
9	लिखत के सममूल्य	रू 10.00 लाख प्रति बॉण्ड	रू 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधार ली गई रकम	उधार ली गई रकम
11	जारी करने की मूल तारीख	16.08.2006	27.03.2007
12	असंचयी या संचयी	संचयी	संचयी
13	मूल परिपक्वता की तारीख	16.08.2016	27.04.2017
14	जारीकर्ता के कॉल वशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी के अनुमोदन हो	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक कॉल की तारीख,आकस्मिक कॉल की तारीख और मोचन राशि	नहीं	नहीं
16	अनुवर्ती कॉल की तारीख, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन	कूपन
17	मौजूदी या फ्लोटिंग लाभांश / कूपन	मौजूदी	मौजूदी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	9.25% (अर्ध वार्षिक)	10.00% (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं	लागू नहीं
20	पूर्णत: विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	चढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, रूपांतरण लिखत का प्रकार स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो रूपांतरण लिखत के जारीकर्ता को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
30	मूल्यह्रास की विशेषता	नहीं	नहीं
31	यदि अवलेख है तो, अवलेख का उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि मूल्यह्रास है तो, पूर्णत: या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि मूल्यह्रास है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्यह्रास है तो, अवलेख तंत्र का विवरण दें	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थ पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के ठीक पुराने लिखत के प्रकार को स्पष्ट करें)	बैंक के अन्य लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	बैंक के अन्य लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैरअनुपालित संक्रमित विशेषताएं	हां	हां
37	यदि हां, तो गैरअनुपालित विशेषताएं बतलाएं	हानि रहित अवशोषक विशेषताएं	हानि रहित अवशोषक विशेषताएं

क्र.सं.	लोअर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण	सीरीज-VI यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	सीरीज-VII यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
1	जारीकर्ता		
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे सीयूएस आईपी, आईएसआईएन या निजी अवस्थापन के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	आईएनई695ए09079	आईएनई695ए09087
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत	पूंजी लिखत
4	संक्रमित बेसल 3 के नियम	टीयर 2	टीयर 2
5	उत्तरसंक्रमित बेसल 3 के नियम	अयोग्य	अयोग्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल	एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 पूंजी लिखत	टीयर 2 पूंजी लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्य राशि (रु करोड़ में, 31.03.2015 तक)	150.00	140.00
9	लिखत का सममूल्य	रु 10.00 लाख प्रति बॉण्ड	रु 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधार	उधार
11	जारी करने की वास्तविक तारीख	25.03.2009	28.12.2011
12	असंचयी या दिनांकित	दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तारीख	25.03.2019	28.12.2021
14	जारीकर्ता के कॉल वशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी के अनुमोदन हो	नहीं	नहीं
15	वैकल्पिक कॉल की तारीख, आकस्मिक कॉल की तारीख और मोचन राशि	नहीं	नहीं
16	अनुवर्ती कॉल की तारीख, यदि लागू हो	लागू नहीं	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन	कूपन
17	सीयादी या अस्थिर लाभांश / कूपन	सीयादी	सीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	9.30 (वार्षिक)	9.20 (अर्द्ध वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं	लागू नहीं
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	नहीं	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय	अपरिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्णतः या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, रूपांतरण के लिखत का प्रकार स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो रूपांतरण लिखत के जारीकर्ता को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं
30	मूल्यह्रास की विशेषता	नहीं	नहीं
31	यदि मूल्यह्रास है तो मूल्यह्रास का उत्प्रेरक	लागू नहीं	लागू नहीं
32	यदि मूल्यह्रास है तो, पूर्णतः या आंशिक	लागू नहीं	लागू नहीं
33	यदि मूल्यह्रास है तो, स्थायी या अस्थायी	लागू नहीं	लागू नहीं
34	यदि अस्थायी मूल्यह्रास है तो, आलेखित तंत्र का विवरण दें	लागू नहीं	लागू नहीं
35	परिसमापन में अधीनस्थ पदानुक्रम में स्थिति (लिखत के ठीक पूर्ववर्ती लिखत के प्रकार को स्पष्ट करें)	बैंक के अन्य लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ	बैंक के अन्य लेनदारों और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालित संक्रमित विशेषताएं	हां	हां
37	यदि हां, तो गैर अनुपालित विशेषताएं बताएं	हानि सहित अवशोषक विशेषताएं	हानि सहित अवशोषक विशेषताएं

क्र.सं.		सीरीज-VIII लोअर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
1	जारीकर्ता	
2	विशिष्ट पहचानकर्ता (जैसे सीयूएस आईपी, आईएसआईएन या निजी अवस्थापन के लिए वैकल्पिक पहचानकर्ता)	आईएनई695ए09103
3	लिखत के कानूनी शासी	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत
4	संक्रमित बेसल 3 के नियम	टीयर 2
5	उत्तरसंक्रमित बेसल 3 के नियम	शून्य
6	एकल / समूह / समूह और एकल में योग्य	एकल
7	लिखत का प्रकार	टीयर 2 पूंजी लिखत
8	विनियामक पूंजी में मान्य राशि (रु करोड़ में, 31.03.2015 तक)	500.00
9	लिखत का सममूल्य	रु. 10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की वास्तविक तारीख	25.06.2013
12	असंचयी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तारीख	25.06.2023
14	जारीकर्ता के कॉल वशर्ते पूर्व पर्यवेक्षी के अनुमोदन हो	लागू नहीं
15	वैकल्पिक कॉल की तारीख, आकस्मिक कॉल की तारीख और मोचन राशि	लागू नहीं
16	अनुवर्ती कॉल की तारीख, यदि लागू हो	लागू नहीं
	कूपन / लाभांश	कूपन
17	सीयादी या अस्थिर लाभांश / कूपन	सीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	8.75 (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	लागू नहीं
20	पूर्णतः विवेकाधीन, आंशिक विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	बढ़ाने का अस्तित्व या अन्य प्रोत्साहन का मोचन करना	नहीं
22	असंचयी या संचयी	गैर संचयी
23	परिवर्तनीय या अपरिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण उत्प्रेरक	लागू नहीं
25	यदि परिवर्तनीय, पूर्णतः या आंशिक	लागू नहीं
26	यदि परिवर्तनीय, रूपांतरण दर	लागू नहीं
27	यदि परिवर्तनीय, अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	लागू नहीं
28	यदि परिवर्तनीय है तो, रूपांतरण के लिखत का प्रकार स्पष्ट करें	लागू नहीं
29	यदि परिवर्तनीय है, तो रूपान्तरण लिखत के जारीकर्ता को स्पष्ट करें	लागू नहीं
30	मूल्यह्रास की विशेषता	हां
31	यदि मूल्यह्रास है तो मूल्यह्रास का उत्प्रेरक	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय पीओएनवी ट्रिगर की घटना पर
32	यदि मूल्यह्रास है तो, पूर्णतः या आंशिक	पूरी तरह या आंशिक रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तब पीओएनवी ट्रिगर की घटना पर
33	यदि मूल्यह्रास है तो, स्थायी या अस्थायी	स्थायी/अस्थायी रूप से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा तय पीओएनवी ट्रिगर की घटना पर

क्र.सं.	लोअर टीयर 2 अधीनस्थ ऋण	सीरीज -VIII
34	यदि मूल्यह्रास अस्थायी है, तो इसे पुरा करने का तंत्र का आलेख	भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी के साथ पीओएनएस पर बैंक निम्न में से कोई भी कारवाई कर सकता है (क) अस्थायी / स्थायी बट्टे खाते में डालने के मामले में, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र से पूंजी नहीं दिया गया हो। (ख) स्थायी बट्टे खाते में डालने के मामले में, जिसे सार्वजनिक क्षेत्र से पूंजी दिया गया हो।
35	परिसमापन में परतंत्रता पदानुक्रम की स्थिति (लिखत के ठीक पुराने लिखत के प्रकार को स्पष्ट करें)	अन्य लेनदारों और बैंक के जमाकर्ताओं का दावा के अधीनस्थ ।
36	गैर अनुपालित संक्रमण की विशेषताएं	नहीं
37	यदि हां, गैर अनुपालित विशेषताएं उल्लेखित करें	लागू नहीं

टेबल डीएफ-14
विनियामक पूंजी लिखत की पूरी नियम और शर्तें

लिखत	पूरी नियम और शर्तें	
बेसिलादी गैर संचयी अधिमान शेयर(पीएनसीपीएस)	पीएनसीपीएस @रिपो+100 बेसिस पॉइंट के आधार के रूप में सरकार ने तीन चरणों में रु800.00 करोड़ की राशि प्रदान की गई है। 52,523 पीएनसीपीएस जिसकी राशि रू.525.23 करोड़ था, को इक्विटी में दूसरे और अंतिम स्थानरण के बाद बैंक के पास 31.03.2015 को कोई पीएनसीपीएस नहीं है।	
बेसिलादी ऊपरी लिखत (पीडीआई) सीरीज-I गैरजमानती, गैर परिवर्तनीय, अधीनस्थ बेसिलादी ऋण लिखत टियर 1 बांड	आबंटन की तारीख	05.12.2012
	मोचन की तिथि	05.12.2022 भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ
	कार्यकाल (महीनों)	बेसिलादी
	निर्गमित का आकार (रु. करोड़ में)	300. 00
	कूपन दर (वार्षिक)	9.27%
	रेटिंग	क्रिसिल द्वारा ए और केयर द्वारा ए
	पुट और स्टेपअप अप विकल्प नहीं. भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बाद बैंक द्वारा 10 वर्षों के बाद.	
अपर टियर 2 बांड, सीरीज-I गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर 2 बांड	1. विशेष विशेषताएं :	
	आवंटन की तारीख	18.06.2007
	मोचन की तिथि	18.06.2022
	कार्यकाल (महीनों)	180
	निर्गमित का आकार (रु करोड़ में)	575.00
	कूपन दर (वार्षिक)	10.65%
	रेटिंग	इक्रा द्वारा ए और केयर द्वारा ए
	2. पुट और स्टेपअप अप विकल्प नहीं. भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बाद बैंक द्वारा 10 वर्षों के बाद. 3. वृद्धि का विकल्प: बैंक अगर 10 साल के बाद कॉल विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, तो 5 वर्ष की शेष अवधि के दौरान 50 बीपीएस का बांड स्टेपअप विकल्प लेगा । 4. परिपक्वता पर आवधिक ब्याज और मूलधन के भुगतान पर लिक्विडेनक्लाज, यदि सीआरएआर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम विनियामक सीआरएआर के नीचे है तो , भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं.	

लिखत	पूरी नियम और शर्तें	
लोअर टियर 2 बांड, सीरीज-II	आबंटन की तारीख	15.02.2005
	मोचन की तिथि	15.05.2015
	कार्यकाल (महीने)	123
गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर 2 बांड	निर्गमित का आकार (रु. करोड़ में)	300.00
	कूपन दर (वार्षिक)	7.40%
	रेटिंग	केयर द्वारा ए+ और इक्रा द्वारा ए+
	प्रमुख विशेषताएं :	
	1. सामान्य वनीला बांड बिना किसी प्रमुख विशेषता के अर्थात् क्रय या विक्रय विकल्प आदि । 2. भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं ।	
लोअर टियर 2 बांड, सीरीज -III	प्रमुख विशेषताएं :	
	आबंटन की तारीख	29.03.2006
	मोचन की तिथि	29.04.2016
	कार्यकाल (महीनें)	121
गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर 2 बांड	निर्गमित का आकार (रु. करोड़ में)	100.00
	कूपन दर (वार्षिक)	8.00%
	रेटिंग	केयर द्वारा ए+ और इक्रा द्वारा ए+
	1. सामान्य वनीला बांड बिना किसी प्रमुख विशेषता के अर्थात् क्रय या विक्रय विकल्प आदि । 2. भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं ।	
लोअर टियर 2 बांड, सीरीज -IV	प्रमुख विशेषताएं :	
	आबंटन की तारीख	16.08.2006
	मोचन की तिथि	16.08.2016
	कार्यकाल (महीने)	120
गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर 2 बांड	निर्गमित का आकार (रु. करोड़ में)	200.00
	कूपन दर (वार्षिक)	9.25%
	रेटिंग	केयर द्वारा ए+ और इक्रा द्वारा ए+
	1. सामान्य वनीला बांड बिना किसी प्रमुख विशेषता के अर्थात् क्रय या विक्रय विकल्प आदि । 2. भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं ।	
लोअर टियर 2 बांड, सीरीज-V	आबंटन की तारीख	27.03.2007
	मोचन की तिथि	27.04.2017
	कार्यकाल (महीनें)	121
गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर 2 बांड	निर्गमित का आकार (रु. करोड़ में)	100.00
	कूपन दर (वार्षिक)	10.10%
	रेटिंग	केयर द्वारा ए+ और इक्रा द्वारा ए+
	प्रमुख विशेषताएं :	
	1. सामान्य वनीला बांड बिना किसी प्रमुख विशेषता के अर्थात् क्रय या विक्रय विकल्प आदि । 2. भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं ।	

लिखत	पूरी नियम और शर्तें	
लोअर टियर 2 बांड, सीरीज-VI	आवंटन की तारीख	25.03.2009
	मोचन की तिथि	25.03.2019
गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर 2 बांड	कार्यकाल (महीने)	120
	निर्गमित का आकार (रु करोड़ में)	250.00
	कूपन दर (वार्षिक)	9.30%
	रेटिंग	केयर द्वारा एA+ और इक्रा द्वारा एA+
	प्रमुख विशेषताएं :	
	1. सामान्य वनीला बांड बिना किसी प्रमुख विशेषता के अर्थात् क्रय या विक्रय विकल्प आदि ।	
	2. भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं ।	
लोअर टियर 2 बांड, सीरीज -VII	आवंटन की तारीख	28.12.2011
	मोचन की तिथि	28.12.2021
गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर 2 बांड	कार्यकाल (महीने)	120
	निर्गमित का आकार (रु करोड़ में)	200.00
	कूपन दर (वार्षिक)	9.20%
	रेटिंग	केयर द्वारा एA+ और क्रिसिल द्वारा एए-
	प्रमुख विशेषताएं :	
	1. सामान्य वनीला बांड बिना किसी प्रमुख विशेषता के अर्थात् क्रय या विक्रय विकल्प आदि ।	
	2. भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं ।	
लोअर टियर 2 बांड, सीरीज-VIII	आवंटन की तारीख	25.06.2013
	मोचन की तिथि	25.06.2023
गैरजमानती, प्रतिदेय गैर परिवर्तनीय अधीनस्थ अपर टियर 2 बांड	कार्यकाल (महीने)	120
	निर्गमित का आकार (रु करोड़ में)	500.00
	कूपन दर (वार्षिक)	8.75%
	रेटिंग	क्रिसिल द्वारा एए- एवं इकवके द्वारा एए
	प्रमुख विशेषताएं :	
	1. गैर इक्विटीपूंजी लिखत के लिए लागू लिखत के अधीन हानि अवशोषी विशेषताएं सुविधाओं के अधीन है।	
	2. ट्रिगर घटना के घटित होने पर जिसे गैर व्यवहार्यता के प्वाईंट (पीओएनवी) कहा जाता है, भारतीय रिजर्व बैंक के विकल्प पर लिखत को या तो स्थायी रूप से बट्टे खाते में डाला जा सकता है या अस्थायी रूप से बट्टे खाते में डाला जा सकता है।	
	3. सभी जमाकर्ताओं एवं बैंक के आम उधारकर्ताओं और जमाकर्ताओं के अधीनस्थ दावे, टीयर पूंजी में समावेश हेतु योग्य लिखतों में निवेशकों के दावे की तुलना में उक्त लिखत में निवेशकों के दावे पहले होंगे।	

Annual Report
2014-15

BOARD OF DIRECTORS

Shri Pethuri Srinivas
Chairman & Managing Director

Shri Deepak Narang
Executive Director

Shri Sanjay Arya
Executive Director

A. K. Dogra
Nominee-Govt. of India

Smt. Parvathy V Sundaram
Nominee-Reserve Bank of India

Smt. Renuka Muttoo
Part-time Non-official Director

Pratyush Sinha
Shareholder Director

Shri Sanjib Pati
Workman Employee Director

CHIEF GENERAL MANAGER

Shri Ambarisha Nanda

Shri Sasi Sekhar Mishra

GENERAL MANAGERS

Shri Debashish Mukherjee

Shri Naresh Kumar Kapoor

Shri Vikas Sitaram Khutwad

Shri Sanjay Kumar

Shri B. K. Patnaik

Shri Rathin De

Shri Manash Dhar

Md. Abdul Wahid

Shri Umesh Kumar Roy

Shri V. Sundaresan

Smt. Sunanda Basu

Company Secretary, Compliance Office & Secretary to the Board of Directors

Bikramjit Shom

Registrar & Share Transfer Agent:

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-13 Pannalal Silk Mills Compound
L B S Road, Bhandup (W)
Mumbai – 400078

Statutory Central Auditors:

M/s. Ramamoorthy (N) & Co.
M/s. P. C. Bindal & Co.
M/s. S P M R & Associates
M/s. Nundi & Associates

Registered Office Address:

United Bank of India
United Tower
11 Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700001

Website
www.unitedbankofindia.com
E-mail
investors@unitedbank.co.in

BRIEF HISTORY OF THE BANK

"Mighty Oaks from little acorns grow" holds true for United Bank of India. A small bank, Comilla Banking Corporation Ltd established in Comilla district in the then eastern part of undivided India, was established in 1914. It grew with chequered history to become United bank of India in 1950 with amalgamation of other three banks viz Comilla Union Bank Ltd. (Estd. in 1922), Hooghly Bank Ltd. (Estd. in1932) and Bengal Central Bank Ltd. (Estd. in 1918). The bank was headquartered at 4, Clive Ghat Street (now N.C. Dutta Sarani), Kolkata-700001 which later shifted to its present location at 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata-700 001.

The Bank was nationalized along with 13 other Banks on July 19, 1969. Subsequently, Cuttack Bank Ltd., Tezpur Industrial Bank Ltd., Hindustan Mercantile Bank Ltd. and Narang Bank of India Ltd. were merged with the Bank.

United Bank of India has grown from strength to strength. Starting from a network of 174 branches and a business of ₹ 259 crore in 1969 at the time of nationalization, the Bank, at present, has more than 2000 branches/offices and more than 3.64 crore customers with a total business of ₹ 1.78 lac crore. The Bank spread its international presence by establishing representative office in Dhaka, Bangladesh in 2010 and later at Yangoan, Myanmar. The Bank's international operations are supported by wide network of more than 616 Correspondent relationships opened with overseas Banks.

United Vision

To emerge as a dynamic, techno savvy, customer- centric, progressive and financially sound premier bank of our country with pan India presence, sharply focused on business growth and profitability, with due emphasis on risk management in an environment of professionalism, trust and transparency, observing highest standards of corporate governance and corporate social responsibilities, meeting the expectations of all its stakeholders as well as the aspirations of its employees.

Essentially, Pursuit of Excellence is going to be core philosophy and driving force for the bank.

Performance at a glance :

- Operating Profit up by 17.76%
- Net profit increased to Rs. 256 Crore against loss of Rs. 1213 Crore in last year.
- Non-Interest Income up by 44.75%
- The Cost to Income Ratio of the Bank for FY14-15 stood at 42.70% improving from 45.31% for the FY14.
- Cost of Deposit stands at 6.88% against 7.13% for FY 2013-14.
- CASA up by 10.97%
- Capital Adequacy at 10.57%; Tier 1 at 7.52 %
- CASA stood at 42.5% of Total Deposit

PERFORMANCE AT A GLANCE

Amount in ₹ Crore

Parameters	2012-13	2013-14	2014-15
No. of Branches	1929	2001	2004
Capital	1174.71	1354.75	839.52
Equity	374.71	554.75	839.52
PNCPS	800	800	0
Reserve & Surplus	4709.01	3927.91	4988.52
Capital Adequacy			
Basel II	11.66%	11.46%	11.42%
Basel III	9.01%	9.81%	10.57%
Gross Profit	2050	2061.74	2427.94
Net Profit	391.9	-1213.44	255.99
Total Deposit	100651	111510	108818
Average Deposit	87791	106010	105410
Per Cent Increase	15.15%	20.75%	-0.57%
Gross Advances	69708	67982	69070
Average Gross Advances	60962	72208	65920
Per Cent Increase	14.09%	18.45%	-8.71%
Total Business	170359	179492	177888
Per Cent Increase	11.35%	5.36%	-0.89%
Investments	33463	44876	46798
Advances to Priority Sector	25604	28950	28651
Per Cent of Net Credit / ANBC	40.09%	40.10%	40.48%
Total Staff	15479	16499	15192
Business Per Employee	10.83	10.67	11.51

MESSAGE TO SHAREHOLDERS

Dear Shareholders,

It is a matter of immense pleasure and pride to present the Annual Report for the year 2014-15 while the Bank completed its 65 years of service to Nation. I am delighted to report that during the year 2014-15, United Bank of India not only displayed its resilience to extreme challenges and volatilities in the Indian economy, but also reassured stability and soundness in the nationalized banking segment in terms of overall business performance.

Moreover, I'm pleased to inform you that with your unstinted support and with our continuous efforts and strong dedications by improving the all-round performance of the Bank, the Reserve Bank of India has removed the Prompt Corrective Action restrictions imposed on the Bank.

It is appropriate at the outset to review the business environment within which your Bank operated during the year under review.

Economic Environment:

Global Economy: Global growth remained tepid in 2014-2015. Developed economies remained susceptible to the risk of deflation and inflationary pressures subsided in key Emerging Market Economy (EME). Global commodity prices continued to decline during FY 2014-15. Financial markets remained volatile in major economies. Most of the economies continued to decelerate due to subdued external demand, political uncertainties and domestic side constraints.

Indian Economy: The year bygone was eventful and challenging for both the economy and banking industry. The Reserve Bank of India remained committed to keep the economy on a disinflationary course to rein in expectations and impart credibility to its inflation targets, and subsequently embark on a rate easing cycle with policy rate cuts. The RBI has frequently conducted overnight variable rate Reverse Repo auctions in the current month to drain excess liquidity. In the Fourth Bi-Monthly Monetary Policy Statement, the RBI maintained the limit for liquidity to be provided under 7-day and 14-day term repos at 0.75% of NDTL of the banking system, and overnight liquidity under the LAF at 0.25% of Bank-wise NDTL. The RBI would continue with daily one-day term repos and reverse repos to smoothen liquidity. Comfortable liquidity conditions enabled banks to transmit the recent reductions in the policy rate into their lending rates, thereby improving financing conditions for the productive sectors of the economy. Along with initiatives announced in the Union Budget to boost investment in infrastructure and to improve the business environment, these factors provided confidence to private investment and, together with the conducive outlook on inflation, delivered real income gains to consumers and lower input cost advantages to corporate.

Uncertainty surrounding the arrival and distribution of the monsoon and unanticipated global developments are the two major risks to baseline growth projections. Assuming a normal monsoon, continuation of the cyclical upturn in a supportive policy environment, and no major structural change or supply shocks, output growth for 2015-16 is projected at 7.8%, higher by 30 bps from 7.5% in 2014-15, but with a downward bias to reflect the still subdued indicators of economic activity. The industrial sector, and in particular, manufacturing appears to be regaining momentum, with the growth of production in positive territory. While basic goods production has been expanding, capital goods output has been relatively lumpy and volatile, and more positive readings are needed to be confident about a durable pick-up in investment demand. The persisting contraction in consumer durables production for over two years could be reflecting the underlying weakness in consumption demand as well as higher imports. Mixed signals are coming from the service sector. While the national accounts statistics seem to suggest that consumption demand for services is robust relative to the demand for goods, and purchasing managers perceive activity expanding on new orders, various coincident indicators of services sector activity including railway and port traffic, domestic and international passenger traffic, international freight traffic, tourist arrivals, motorcycle and tractor sales as well as bank credit and deposit growth remain subdued.

Performance of the Bank:

The financial year 2014-15 was equally challenging for United Bank of India (UBI). We have been through a journey of redefining our business strategies in these testing times. During FY15, we have streamlined businesses, taken necessary measures to improve the capital ratio and most importantly I'm happy to announce that your Bank has turned around with net profit figures of Rs. 255.99 crore in March 2015 from the loss of Rs.1213.45 cr in March 2014.

Key performance indicator in FY 2014-15:

- Your Bank's Total Business stood at Rs.1,77,888 crore as on 31.03.2015.
- Total deposits registered a negative growth of 2.41% and stood at Rs.1,08,818 crore primarily due to shedding its high cost deposits and aggressively promoting its retail deposit.

- Your Bank shed its high cost preferential rate deposits in a significant manner to the tune of Rs.1,483 crore as on March 2015 from Rs.7,975 crore as on March 2014.
- The share of CASA in total deposit improved from 36.98% in March 2014 to 42.05% at the end of March 2015.
- Total Advances stood at Rs.69,070 crore at the end of March 2015 registering a marginal growth of 1.60% as a reflection of RBI's restrictions coupled with sluggish credit growth in Banking sector
- The priority sector advances remained the Bank's strength in which your Bank met all its targets.
- Your bank's Operating profit for the FY'15 increased to Rs. 2428 crore as compared to Rs. 2062 crore in FY'14, registering a growth of 17.76%.
- Cash recovery from NPA stood at a level of Rs.1237 crore as against Rs.1084 crore in FY 2014, while upgraded assets amounted to a better level of Rs.2655 crore versus Rs.2288 crore in FY 14.
- Gross NPA come down from Rs.7118 crore (Mar'14) to Rs.6553 crore (Mar'15).
- Net NPA come down to Rs.4081 crore in Mar 15 from Rs.4664 crore in March 2014.
- Gross NPA ratio stood at 9.49% in Mar'15 declining from 10.47% in Mar'14.
- Your Bank's Return on Assets (ROA) improved substantially from (-)0.99% in March 2014 to 0.21% in March 2015.
- Capital Adequacy ratio improved from 9.81% in March 2014 to 10.57 % in March 2015 with Tier 1 ratio of 7.52%.
- Bank has successfully implemented **AEPS 'On-US' and 'Off-US'** Issuer/Acquirer Transaction through Bank Mitras. Hence, any customer having Aadhaar linked account can carry out transaction through MicroATM of Bank Mitras.
- The Bank had earned a total trading profit of Rs.1168 Cr during the year as compared to Rs.526 Cr during the previous year due to favourable market conditions.
- The Bank's overseas presence covered two countries namely Myanmar and Bangladesh with one Representative Office each at Dhaka, Bangladesh and Yangon, Myanmar. Indo-Myanmar trade is routed through our Bank.
- Twenty banks of Bangladesh maintain thirty (30) Vostro accounts in USD and EUR currency and thirteen(13) banks in Myanmar maintain sixteen(16) Vostro accounts in EUR,USD,SGD with our Bank.
- The Bank's International operations are well supported by a wide network of more than 616 Correspondent relationships opened with overseas Banks with 25 Nostro accounts in ten (10) Currencies maintained abroad.
- Bank has disbursed Rs.7283 crore during the FY 2014-15 under Agriculture against a target of Rs.8292 crore recording an achievement of target to the tune of 88%. Lending to Agriculture Sector stands at Rs.9073 crore as on 31st March 2015 which is about 13% of ANBC. Direct Agriculture stands at Rs.5898 crore (8.36% of ANBC). Bank is sustainably achieving target under Indirect Agriculture every year which is 4.5% ANBC.
- Bank has successfully organized sensitization programmes for issuance of Kisan Credit Card (KCC) under revised scheme having composite credit limit for 5 years taking care of all types of needs of the farming community towards production, investment, maintenance of farm equipments, consumption as well as annual price escalation. The Bank has issued 150019 fresh KCCs during 2014-15 with credit limits of Rs.751 crore. As on 31.03.2015 the outstanding number of KCCs issued was 542790 with aggregate outstanding of Rs.2043.59 crore. In line with the Government guidelines on issuance of Rupay based ATM enabled cards to all the KCC holders, Bank has issued 2.24 lakh ATM cards to the KCC holders till 31.03.2015 which is 65% of eligible KCC holders (excluding illiterate, unwilling and NPA KCC holders).
- Bank has credit linkages with 87799 SHGs with an outstanding balance of Rs.333.67 crore. In the financial year 2014-15, 5808 no. of SHGs have been credit linked with a loan limit of Rs.30 crore. Bank has been implementing NRLM programme for SHGs by providing initial credit limit of Rs.1 lakh on 1st grading of SHGs as per the decision of SLBC, West Bengal.
- Bank has so far set up 12 RSETIs in the states of West Bengal, Assam and Tripura to impart training to the prospective entrepreneurs from the downtrodden community of the society. During the FY 2014-15 these institutes have imparted training to 10673 rural youths/women of which 75% trainees have been settled by establishing own economic venture. Out of the total self employed trainees about 85% belong to women and weaker sections communities. These institutes are providing post training support (Escort service) including arrangement of loan from our bank branches to enable the trainees to set up their own venture.
- Bank has also set up 38 Financial Literacy Centre (FLCs) in the states of West Bengal, Assam, Tripura and Manipur to extend financial literacy and credit counseling services to the poorer section of the society. In the Financial Year 2014-15, these FLCs are conducting regular Outdoor Activities for imparting financial literacy.

- Lending to weaker section reached to Rs.7350 crore as on 31 March 2015 which is 10.42% of ANBC against the stipulated target of 10%. Lending to Weaker Section always remains Bank's thrust area as majority of the rural and semi urban populace in the East and North Eastern parts of the country belong to this segment.
- Bank's lending to Minority Communities reached to Rs.4285 crore as at end of March 2015 which is 15% of PSL conforming to the stipulation. Apart from extending finance Bank has also taken all the necessary actions towards financial literacy etc. as per recommendation of the Sachar Committee.
- Your bank has taken a green initiative by consolidating few physical servers into virtual environment for non-critical applications. By enabling virtual services, Bank has reduced the power consumption, carbon footprint and thereby enabling better server management in the Data Centre.

During the FY 2014-15, with the approval from the Govt. of India and the approval of the Shareholders, your Bank converted its PNCPS of Rs. 800 crore in to Equity capital in two tranches. Apart from this, to augment the Common Equity Capital position, your Bank raised Rs. 300cr by issuing 8,45,07,042 no of equity shares on the basis of preferential allotment to LIC of India.

Key Strategic Initiatives during FY 2014-15:

- Your Bank strategically shed high cost deposits to reduce overall cost of Deposit. As a result, share of preferential rate deposits fell from 7.15% to 1.36%. The Bank is concentrating more on core deposit base by aggressively promoting its retail deposit products.
- Credit Monitoring process has been significantly strengthened and the system for "Early detection of stressed accounts" has been implemented so as to undertake timely follow-up actions.
- Existing Retail Loan Hub set up has been strengthened by opening a Centralized Retail Loan Hub at Kolkata. As on 31st March 2015, the Bank had 24 Retail Loan Hubs operational across India.
- In the process to centralize the loan processing activities, one Centralized Credit Processing Centre (CCPC) and one MSME loan processing Hub has been opened at Kolkata.
- For business expansion, 5 new Branches were added to the existing branch network taking the total no. of branches to 2004 and 312 new ATMs were added during the FY 2014-15.

Social Initiatives:

- As on 31st March 2015, 13250 villages were covered under the Bank's Financial Inclusion drive. 4252 Bank Mitras are now operating under the Sub Service Area (SSA) approach. Your Bank has set up 2,681 Ultra Small Branches across the country to support this initiative.
- Under Prime Minister Jan Dhan Yojana (PMJDY), your bank has covered 51.47 lakh of unbanked households, opened 38.60 lakh accounts and issued 30.63 lakh RuPay cards.

Awards and accolades:

- Your Bank has bagged 'Award of Excellence' for outstanding performance under different Key parameters of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Honourable Union Minister MSMEs, Govt. of India, Shri Kalraj Mishra presented the Award to the Bank on 25th March 2015 in New Delhi.

Bank's Corporate Goal & Strategy

The Bank is expected to benefit from the improvement in domestic economic environment and Corporate business sentiments. The Bank will grow its business sustainably while capitalizing on the opportunities.

Your Bank believes that focusing on these core aspects of banking should help it in not only achieving a significant business growth but also improve its profitability and soundness indicator.

Lastly, I express my sincere thanks to the Bank's valued Shareholders and customers for their continued patronage & cooperation and seek their continued support and co-operation in future. I am also thankful to our promoter, Government of India, Regulators, Reserve Bank of India, SEBI, Stock Exchanges and others for their valuable guidance and support. I also acknowledge the valuable support and cooperation received from the Directors on the Board of the Bank. I wish to place on record, the deep appreciation of the valuable contribution of the staff, at all levels, without which the progress achieved, would have been unattainable.

P. Srinivas
Managing Director & CEO

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the 64th Annual Report of the Bank along with the Audited Balance Sheet, Profit and Loss Account and the report on Business and Operations for the year ended March 31, 2015 (FY – 2014-15).

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS

I. ECONOMIC ENVIRONMENT

Global Economy:

Global economic recovery remained tepid during FY 2014-15 with most Emerging Market Economy (EME) experiencing slowdown. While Advance Economy (AEs) remain susceptible to the risk of deflation, inflationary pressures subsided in key EMEs giving leeway for easing monetary policy. Global commodity prices continued to decline during FY 2014-15. Financial markets were buoyant but volatile in pricing the policy developments in major economies. In one hand, most EMEs continue to decelerate due to subdued external demand, political uncertainties and domestic supply-side constraints and on the other hand despite ultra accommodative monetary policies pursued for a considerable period, AEs continued to languish during FY 2014-15.

Indian Economy:

The Indian Economy in 2014-15 has emerged as one of the largest Economies with a promising economic outlook on the back of controlled inflation , rise in Domestic Demand , increase in investments, decline in oil prices and reforms among other.

Gross Domestic Product:

The Central Statistics Office (CSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation had estimated the growth of GDP at 7.4 per cent for 2014-15 (base 2011-12) as compared to the growth rate of 6.9 per cent in 2013-14.

The highlights of the forecast of GDP for FY 2014-15 (base year 2011-12) released by Ministry have been summarized below:

The GDP for of 2014-15 was estimated at Rs.106.57 lakh crore, as against Rs.99.21 lakh crore in 2012-13, showing a growth rate of 7.4 per cent as compared to growth of 6.9% in FY 2013-14.

Agriculture:

The 'Agriculture, Forestry & Fishing' sector is likely to grow at 1.1% in its gross value Added (base year: 2011-12) as against PY growth rate of 3.7%.

Industry:

The estimated growth in the "manufacturing , mining and quarrying , electricity, gas and water supply, and construction is estimated to be 6.8 %, 2.3% and 4.5% respectively during 2014-15 as compared to growth of 5.3%, 5.4%, 4.8% and 2.5% respectively in 2013-14.

The Sector which is estimated to register growth rate of over 7% are Financial, Real Estate and professional services, Trade, Hotels Transport, communications and services related to Broadcasting , Public administration, Defence & other services, electricity , gas, water supply & other utility services.

Sectoral growth of Credit:

As per the sectoral deployment of credit data released by the RBI, incremental non-food credit registered a moderate growth of 8.6% in 2014-15 as compared to 14.3% during 2013-14. The credit growth in different sectors during 2013-14 were as follows:

- Credit to agriculture and allied activities increased by 15.0 per cent during 2014-15, as compared with 13.5 per cent increase during 2013-14.
- Credit to industry increased by 5.6 per cent during 2014-15 down from an increase of 13.1 per cent during 2013-14. Deceleration in credit growth to industry was observed in all major sub-sectors, barring construction.

- Credit to the services sector increased by 5.6 per cent during 2014-15, lower than the increase of 16.1 per cent during 2013-14, with deceleration observed in all major sub-sectors.
- Credit to NBFCs increased by 6.4 per cent during 2014-15 as compared with an increase of 13.2 per cent during 2013-14.
- Personal loans increased by 15.4 per cent during 2014-15 as compared with increase of 15.5 per cent during 2013-14.

Inflation:

The annual rate of inflation as measured by the Wholesale Price Index (WPI) stood at a series low of -2.3% in March 2015 as compared to 6% during the corresponding month of previous year and -2.1% in February 2015 recording a y-o-y disinflation for the fifth consecutive month. The decline in the inflation on Y-o-Y basis was on account of moderation in the prices of all the categories of the WPI.

Primary Articles: (20.1% Weight)

The Food Inflation has recorded a sharp decline at 6.31% in March 2015 compare to 9.57% in March 2014 on account of moderation in the prices of tea, moong (6% each), coffee and egg (4% each), rice and pork (3% each), jowar and barley (2% each) and fish-marine, fruits & vegetables, condiments & spices and beef & buffalo meat (1% each). However, the price of arhar, poultry chicken, mutton, fish-inland and maize moved up by 3% each and ragi, bajra and gram price up by 2% each and masur and milk up by 1% each.

The Non Food Articles group having weight age of 4.26% has decline by 7.12% compared to positive of 4.87% in the March 2014. The decline in the Non Food Article is on account of lower price of flower, fodder (7 %), gingelly seed, guar seed and castor seed (4% each), raw silk (3%), coir fibre (2%) and raw rubber, soyabean and linseed (1% each).

Fuel & Power: (14.9% Weight)

The Fuel & Power index inflation moderated in almost all of its constituents by recording a negative growth compare to March 2014. The sharp decline in the Fuel & Power inflation was on account of decline in the prices of High Speed Diesel & Petrol reported a negative growth of -17.7%.

Manufactured Products: (64.97%)

The Manufactured Product WPI index has shown a continuous decline in trend from 2.50% in Oct. 2014 to 1.90% in November 2014 to 1.44% in December 2014, 1.05% in Jan 2015 and 0.33% in Feb 2015 to -0.19 in March 2015. Out of the Manufactured Product basket, prices of Food products, Brewerages, Textile, Wood & Wood Product, Leather, Rubber & Plastic and Chemical & Chemical Products has shown moderating trend which has lead to moderation in Manufactured index.

CPI:

The annual rate of inflation as measured by the Consumer Price Index (CPI) declined to 5.2% in March 2015 in y-o-y terms from 5.4% in February 2015 benefitting from an easing of food inflation, even as core-CPI remained steady at 1.14% (Mar'15) vis-à-vis 4.15% (Feb'15).

Average Inflation FY 2014-15:

The Average WPI declined in 2014-15 to 3.4% (April-Dec) vis-à-vis 6% in 2013-14 (base year 2004-05) as fuel has witnessed a sharp decline in prices. The WPI inflation even breached the psychological level of 0% in November, 2014 and January, 2015.

The decline was caused by lower food and fuel prices on account of fall in international crude prices. During the first quarter of 2014-15, WPI headline inflation stood at 5.8% as mainly food and fuel prices were high. In the second and third quarters of 2014-15, WPI inflation declined to 3.9% and 0.5% respectively. WPI food inflation which remained high at 9.4% during 2013-14 moderated to 4.8% during April-December, 2014 following a sharp correction in vegetable prices and moderation in prices of cereals and eggs, meat and fish.

External Sector:

The robust external sector outcome is witnessed due to correction in the international prices of crude petroleum in the second half of the financial year 2014-15, build up of foreign exchange reserve (USD328.7 billion at the end-January 2015 and stable exchange rate movement.

Total exports during 2014-15 was US $ 310533.87 million as against US $ 314415.73 mn registering a growth of -1.23%. Similarly total imports during FY 2014-15 declined by 0.59% (US $ 447548.33 mn) as against US $ 450213.63 million in FY 2013-14.

The fall in international crude prices translated into a sizable saving on account of POL imports, despite a pick-up in import volumes in Q3. Oil imports during 2014-15 were valued at US $ 138261.66 mn which was 16.09 per cent lower than the oil imports of US $ 164770.33 million in the corresponding period last year. Gold imports also moderated, coming off the seasonal cum pent-up demand spurt in September-November. However, non-oil non-gold import growth remained firm and in positive territory, extending a run that began in May. Total Non-oil imports during April-March, 2014-15 were valued at US $ 309286.67 mn which was 8.35% higher than the level of such imports valued at US $ 285443.30 mn in FY 2013-14.

The trade deficit for April-March, 2014-15 was estimated at US $ 137014.46 million which was higher than the deficit of US $ 135797.90 million during April-March, 2013-14.

The estimate of the current account deficit (CAD) for 2014-15 is currently placed at 1.3 per cent of GDP, significantly lower than earlier projections. The CAD has been comfortably financed by net capital inflows, mainly in the form of buoyant portfolio flows but also supported by foreign direct investment inflows and external commercial borrowings.

II. MONETARY AND BANKING DEVELOPMENTS

The first bi-monthly Monetary Policy review for 2014-15 in April 2014 was formulated in an environment of slower growth in external economy like the US, the UK and Japan, continuing sluggishness in the Euro area and a subdued pick-up in emerging and developing economies besides domestic factors like risk stemming from a less-than-normal monsoon due to possible el nino effects, uncertainty on the setting of minimum support prices for agricultural commodities and the setting of other administered prices (fuel, fertiliser and electricity). The then Policy stance by Reserve Bank of India was intended to firmly focus on keeping the economy on a disinflationary glide path that is intended to hit 8 per cent CPI inflation by January 2015 and 6 per cent by January 2016.

The year 2014-15 saw the following key policy measures announced by the RBI

A. Changes in CRR, SLR and Repo Rate during the year:

Date	CRR	SLR	Repo	Rev. Repo	MSF	Bank Rate
01.04.2014	4.00% (since 09.02.2013)	23.00% (since 11.08.2012	8.00% (since 28.01.2014)	7.00% (since 28.01.2014)	9.00% (since 28.01.2014)	9.00% (since 28.01.2014)
14.06.2014	4.00%	22.50%	8.00%	7.00%	9.00%	9.00%
09.08.2014	4.00%	22.00%	8.00%	7.00%	9.00%	9.00%
15.01.2015	4.00%	22.00%	7.75%	6.75%	8.75%	8.75%
03.02.2015	4.00%	21.50%	7.75%	6.75%	8.75%	8.75%
04.03.2015	4.00%	21.50%	7.50%	6.50%	8.50%	8.50%

B. Apart from the above monetary policy announcements, the RBI also announced the following development and regulatory policies during the financial year 2014-15;

1. Guidelines on implementation of Counter Cyclical Capital buffer

RBI issued final guidelines on implementation of CCCB on 05.02.2015 with immediate effect. The Guidelines state that activation of CCCB will takes place when circumstances warrants which would normally be pre-announced with a lead time of 4 quarters. RBI has indicated that the main indicator of CCCB activation will be Credit to GDP gap which will be used in conjunction with GNPA growth.

2. New Depository Receipt Scheme

A new scheme called 'Depository Receipts Scheme, 2014' (DR Scheme, 2014) for investments under ADR/GDR have been notified by the Central Government effective from December 15, 2014 which provides for repeal of extant guidelines for Foreign Currency Convertible Bonds and Ordinary Shares (Through Depositary Receipt Mechanism) Scheme, 1993 except to the extent relating to foreign currency convertible bonds.

3. Re-Repo in Government Securities.

RBI in February 2015 permitted Scheduled commercial banks and Primary Dealers (PDs) maintaining subsidiary general ledger (SGL) account with the Reserve Bank of India re-repo in Government securities including state development loans and Treasury Bills, acquired under reverse repo subject to appropriate control measures and development of IT infrastructure in Feb 2015. Re-repo by Mutual funds & Insurance Companies maintaining SGL accounts with RBI are also permitted subject to approval from their respective Regulators.

4. Guidelines on Licensing of Payment Bank.

RBI released guidelines for Licensing of payment banks in November 2014 with the objectives to further financial inclusion by providing (i) small savings accounts and (ii) payments/remittance services to migrant labour workforce, low income households, small businesses, other unorganised sector entities and other users.

5. Guidelines on Licensing of Small Finance banks in Private Sector.

RBI in November 2014 released guidelines for Licensing of Small finance banks with minimum Capital requirement of Rs 100cr to further financial inclusion by (a) provision of savings vehicles, and (ii) supply of credit to small business units; small and marginal farmers; micro and small industries; and other unorganised sector entities, through high technology-low cost operations. There will not be any restriction in the area of operations of small finance banks.

OUTLOOK FOR 2015-16

The global financial conditions looks easy in FY 2015-16 and are being reflected in financial asset prices, However, the outlook for global growth remains moderate, held back by still-weak demand. The near-term outlook is improving slowly, Advance Economies (AEs) are yet to fully recover from the aftereffects of the global financial crisis. The Emerging Market Economies (EMEs) face the challenge of addressing persistent negative output gaps and falling growth potential, which yields a more subdued near-term outlook for them. In fact,the sluggish global recovery over the course of 2014 and 2015 so far has warranted successive downward adjustments to forecasts the world over, raising concerns of 'secular stagnation'.

As per IMF report on Global Economic Outlook, Global growth is projected to increase slightly from 3.4 per cent in 2014 to 3.5 per cent in 2015 and further rise to 3.8 per cent in 2016.. Growth in emerging markets is expected to decline to 4.3 per cent in 2015 from 4.6 per cent in 2014 before accelerating to 4.7 per cent in 2016. Growth in advanced economies, on the other hand, is expected to strengthen to 2.4 per cent in 2015 and 2016, from 1.8 per cent in 2014. Growth in the Euro Area is expected to rise slightly to 1.5 per cent in 2015 and 1.6 per cent in 2016, from 0.9 per cent in 2014. Growth in the US is expected to accelerate to 3.1 per cent in 2015 and 2016 from 2.4 per cent in 2014.

Lower growth in major emerging markets outside Asia and the further tightening of international financial conditions to impact Asia's

growth prospects. Slower growth in China, at 6.8 per cent and 6.3 per cent, respectively in 2015 and 2016 will also affect growth. Accordingly, Asia is expected to grow at 5.6 per cent and 5.5 per cent, respectively in 2015 and 2016 as per a forecast published by IMF.

In India, the post election recovery of confidence and lower oil prices offer an opportunity to the government to pursue structural reforms. According to the IMF India's GDP growth is expected to strengthen from 7.2 per cent in 2014 to 7.5 per cent in 2015 and 2016. As the economy will benefit from recent policy reforms, a consequent pickup in investment and lower oil prices. Lower oil prices will raise real disposable incomes, particularly among poorer households, and help drive down inflation.

Inflation is expected to remain close to target in 2015. Consumer price inflation is expected to increase slightly to 6.1 per cent in 2015 from six per cent in the previous year and then decline to 5.7 per cent in 2016 as per IMF.

India's current account deficit (CAD) is expected to improve slightly to 1.3 per cent in 2015 from 1.4 per cent a year ago.

FINANCIAL PERFORMANCE

Bank's performance during the year was delimited by setting of priorities for gaining desired results in the fields of asset quality and recovery of bad assets. The main performance indicators of growth, profitability, efficiency, productivity, and solvency are as under:

The Bank has registered an Operating Profit of 2427.94 crore during the financial year 2014-15 compared to Rs. 2061.74 crore in the financial year 2013-14, registering a growth of Rs.366.20 crore (17.76%). Bank managed its asset portfolio well and earned a Net Profit of Rs. 256 Crore in FY 2014-15 compared to a Net Loss of Rs(-)1213.45 crore in FY 2013-14. **Gross Profit per Employee increased from Rs.12.50 lakh as on Mar'14 to Rs.15.98 lakh as on Mar'15.**

Key Financial Ratios (%)	March 2014	March 2015
Cost of Funds	7.23	6.38
Yield on Funds	9.44	8.44
Cost of Deposits	7.14	6.88
Yield on Advances	10.83	10.80
Yield on Investments	8.00	8.04
Spread as a % of AWF	2.10	2.07
Net Interest Margin (NIM)	2.28	2.21
Operating Expenses to AWF*	1.40	1.50
Return on Avg. Assets (RoAA)	-0.99	0.21
Return on Equity	-35.56	5.16
Business per Employee (Rs. In Crore)	10.67	11.51
Net Profit per Employee (Rs. In Lakh)	-7.35	1.69
Book Value	84.88	59.20

*AWF Average Working Fund

Income and Expenditure Analysis

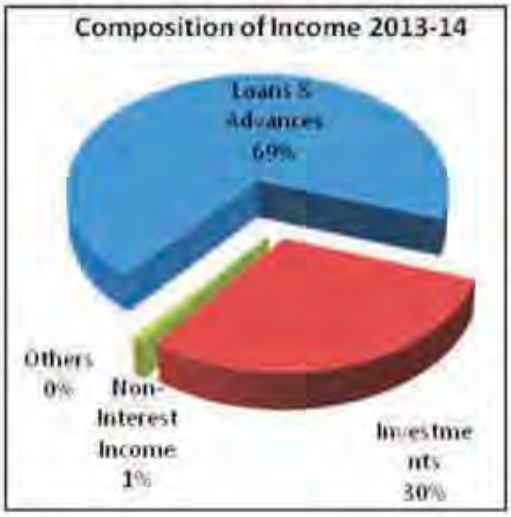

Interest income of the Bank reached Rs.10180.48 crore in 2014-15 compared to Rs.10599.29 crore earned during the year 2013-14. Interest income being a direct function of growth in advances suffered a decline due to restrictions imposed on fresh sanctions and disbursements by RBI under Prompt Corrective Action. Non-interest income increased by Rs.540.04 crore (44.75%) from Rs. 1206.87crore in the financial year 2013-14 to Rs.1746.91 crore in the financial year 2014-15. The Yield on Advances marginally declined to 10.80% as at March 2015 compared to 10.83% as at March 2014.

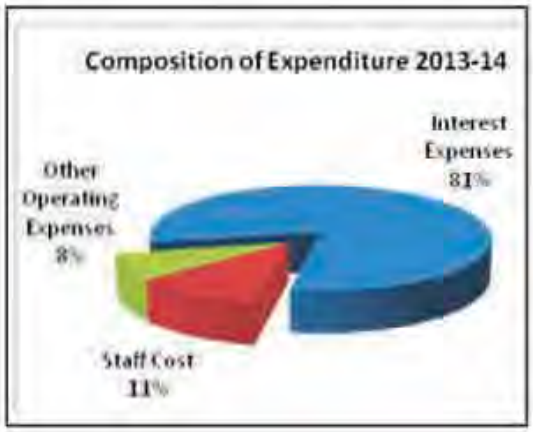

Interest Expenditure declined by Rs.346.65 crore to Rs.7689.82 crore in 2014-15 compared to Rs.8036.47 crore in 2013-14. Lower interest expenditure was ensure by continuous shedding of high cost deposit which declined by 81.4% from Rs.7975 crore to Rs.1483 crore. The Cost of Deposit came down from 7.14% in 2013-14 to 6.88% in 2014-15. The Bank contained its increase in operating expenses at 5.95% amounting to Rs.1809.63 crore.

BUSINESS GROWTH

Deposits

Deposits of the Bank reached Rs. 108818 crore as on 31st March, 2015. Bank's Savings deposits grew by 11.03 per cent and Demand Deposit grew by 10.74% in 2014-15 compared to last year. Share of CASA deposits to total deposits increased from 36.98% as on March 31, 2014 to 42.05% as on March 31, 2015. With a view to reduce the cost of deposits, the Bank shed a substantial amount of bulk deposits including certificate of deposits. Bulk Deposit (Deposit of Rs.1 crore and above) came down from Rs.15602 crore to Rs.5970 crore.

The Bank's customer acquisition campaign resulted in growth of customer base of the Bank from 3.05 crore as at March 2014 to **3.60 crore** as at March 2015.

Advances

After registering a decline for continuous three quarters, the total credit portfolio of the Bank has started looking up owing to relaxation of restrictions on advances in the last quarter of the current fiscal. Gross Advances of the Bank increased by Rs.1088 crore (1.60%) and reached Rs.69070 crore as on March 31, 2015. **Credit deposit** ratio improved from 60.96% as on March 2015 to 63.47% as on March 31, 2014. Bank achieved the PRISEC Advance target of 40% of ANBC. Intensive marketing of retail credit products brought considerable growth in Retail Advances.

Bank's non-food credit increased from **Rs.66480** crore to **Rs.67667** crore, while food credit came down from Rs.1502 crore as on March 31, 2014 to Rs.1403 crore at the end of March, 2014.

Total Business

During 2014-15, the total business of the Bank reached Rs.177887 at the end of the current financial year 2014-15.

Productivity, as measured by **business per employee,** increased from Rs.10.67 crore as on 31.03.2014 to **Rs.11.51 crore** as on 31.03.2015.

Retail Lending Operations (FY 2014-15)

Retail Credit has been one of the focus areas of the Bank during the FY 2014-15. Bank has laid special thrust on sanctioning of Retail Loans like Housing Loan and Mortgage Loan which were the major engines of growth under Retail Credit comprising of 63.27% of total Retail Credit Portfolio of Rs.12050.95 Crore.

Performance during FY 2014-15:

Retail Credit witnessed a positive growth of Rs. 1694.13 Crore from Rs. 10356.82 Crore as on March 31st, 2014 to Rs. 12050.95 Crore as on March 31st, 2015 (Y-o-Y growth of 16.36%). The growth during the period was primarily accounted for by

- Housing Loan 16.15%
- Mortgage Loan 48.21%

- Housing Loan had shown a positive growth during the FY 2014-15. It registered a growth of Rs. 708.06 Crore (16.15%) from Rs. 4384.68 Crore as on 31.03.2014 to Rs. 5092.74 Crore as on 31.03.2015.
- The Mortgage Loan registered substantial growth to reach Rs. 2531.70 Crore as on 31.03.2014 compared to Rs.1708.16 Crore as on 31.03.2015 recording a growth of 48.21 % during the period.

Retail Loans like Housing, Mortgage & Education were offered at very competitive rate of interest with various customer friendly features in line with the objectives of Govt. of India. Housing Loan and special Education Loan for premier institutes were offered at Base Rate.

During the Financial Year, the Bank has extended interest subsidy scheme to eligible Education Loan borrowers as per Govt. guidelines.

All claims made by student borrowers have been lodged in time and amounts received credited to their respective accounts. As on date No claim is pending with the Bank.

The online application facility for Retail Loans like Housing and Education has been extended to prospective applicants.

The position of Retail Loans of the Bank is as under:

(₹ in crores)

Type of Loan	FY '13-14	FY '14-15	Growth	% Growth
Housing Loan	4384.68	5092.74	708.06	16.15
Mortgage Loan	1708.16	2531.70	823.54	48.21
Car Loan	649.27	513.03	(136.24)	(20.98)
Education Loan	530.78	488.72	(42.06)	(7.92)
Other Retail	3083.93	3424.76	340.83	11.05
Total Retail Credit	**10356.82**	**120 50.95**	**1694.13**	**16.36**

Retail Loan Hubs

With a view to promote hassle free credit delivery with reduced Turn Around Time (Max 06 days), Bank has set up 24 Retail Hubs all over the country. In these Retail Hubs, Retail Credit proposals are processed electronically. During FY 2014-15, these 24 Retail Hubs functioning in 21 Regions of the Bank across the country have sanctioned 5373 Retail Credit proposals amounting to Rs.756.93 Crore.

(₹ in crores)

No. of Retail Hubs	Type of Loan Sanctioned	FY 2014-15	
		No.	Amount
24	All Retail Credit	5373	756.93

(₹ in crores)

No. of Retail Hubs	Type of Loan Sanctioned	FY 2014 - 15	
24 (incl. Centralized	Mortgage Based Retail Credit	No.	Amount
Retail Hub)		4637	678.82

TREASURY AND INTERNATIONAL OPERATIONS

The investment portfolio of the Bank increased from Rs.45127 Cr as on 31.03.2014 to Rs.46798 Cr as on 31.03.2015 registering a growth of 3.70%. The SLR investment portfolio decreased from Rs.35100 Cr as on 31.03.2014 to Rs.35020 Cr as on 31.03.2015. Portfolio modified duration increased to 4.62 as at March 2015 compared to 4.11 a year ago. The modified duration of the Available for Sale (AFS) portfolio has also increased to 3.59 as at March 2015 from 1.96 as at March 2014.

The Bank had earned a total trading profit of Rs.1168 Cr during the year as compared to Rs.526 Cr during the previous year.

The average return on investment during the year 14-15 was 8.94% against 8.05% during previous year and Yield on Investment increased from 8.00% as on 31.03.2014 to 8.04% as on 31.03.2015.

Foreign Exchange Business turnover of the Bank aggregated to Rs.10111 Cr comprising of Rs.3057 Cr under exports, Rs.2440 Cr under Imports and Rs.4614 Cr under remittances as on March 2015.

Outstanding export credit of the Bank stood at Rs.1096 Cr as at March, 2015. Bank earned Exchange income of Rs.97 Cr during the year 2014-15.

The Bank's overseas presence covered two countries namely Myanmar and Bangladesh with one Representative Office each at Dhaka, Bangladesh and Yangoan, Myanmar. Indo-Myanmar trade is routed through our Bank. Twenty Banks of Bangladesh maintain thirty five (35) Vostro accounts in USD and EUR and fourteen (14) banks in Myanmar maintain twenty one (21) Vostro accounts in EUR, USD, SGD with our Bank. Global IME Bank Ltd,Nepal & Myanmar Economic Bank Ltd ,Myanmar are maintaining Vostro accounts in INR with our Bank.

The Bank's International operations are well supported by a wide network of more than 616 Correspondent relationships opened with overseas Banks with 24 Nostro accounts in ten (10) Currencies maintained abroad.

OTHER SERVICES

Merchant Banking Division managed Bank's first-ever issue of Basel-III compliant Tier II bonds for Rs.500 Crore on 25.06.2013 amongst PSU banks. Bank holds certificate of Registration issued by SEBI on Banker to an Issue, Debenture Trustee and Merchant Banker under which it continues to discharge defined duties and responsibilities as per regulatory norms.

The Bank has a Corporate Agency Agreement with both Life and Non Life Insurance companies under its Bancassurance arm. Bank has made a Tie up arrangement with Life Insurance Corporation of India for selling Life Insurance policies which was officially launched on 1st December 2014. During the period December'14 to March'15, Bank has sold 3158 policies with a premium amount of Rs. 24.09 Crore.
The Bank has earned a commission of Rs. 2.62 Crore from Life Insurance segment and Rs. 3.25 Crore from the Non Life Insurance segment during the FY 2014-15.

Bank is providing the service of Foreign Inward Money Transfer from overseas locations working as a Sub agent of Western Union, Moneygram & Xpress Money. During the FY 2014-15 Bank has earned a commission of Rs.10.55 Lac from this segment.

Government Transaction Department undertakes different types of Government Business Activities as follows:

- Collection of Central Government Revenues viz. Direct and Indirect Taxes (CBDT, CBEC, Service Tax and Customs) through physical mode by Authorized branches and through e-mode (Internet Banking) by all branches of the Bank.
- Collection of State Revenues and Taxes (Sales Tax, VAT, Professional Tax etc), both on line and off line.
- Mobilization of Govt deposits (PPF, SCSS, Savings Bond, Inflation Linked Index Bonds etc.)
- Sukanya Samriddhi Accounts & KVP (under implementation)

- Handling of Govt Fund (Departmentalized Ministries' Accounts, State Govt Treasury Operation)
- Payment of School Teachers' Salary and different types of pension (Central Govt, State Govt and different autonomous organizations).
- National Pension System (NPS) and Swavalamban (NPS-Lite) for enrollment of unorganized sector people into the scheme for getting old age annuity / Pension.

The Bank has been authorized to act as Point of Presence (POP) by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) and 1093 Branches have been registered as Point of Presence-Service Provider (POP-SP) in Central Record keeping Agency (CRA) system for implementation of subscribers' registration process in National Pension System (NPS) for all citizens of India.

The Bank has also been authorized to act as Aggregator by PFRDA in January, 2013 and 1473 branches of the Bank have been registered as NPS lite Collection Centers (NL-CCs) in Central record keeping agency system for implementation of subscribers' registration process in NPS lite / Swavalamban Yojana for unorganized sector and economically disadvantaged people. The Bank has registered 11616 subscribers under NPS lite / Swavalamban Yojana.

Central Pension Processing Centre (CPPC) at H.O. is handling disbursement of monthly Pension to nearly 1.00 lac Central Civil, Telecom, Political, Railway and Defence Pensioners amounting to Rs. 115 Cr. (approx) and getting reimbursement within next working day. Claiming of reimbursement of Railway Pension by the CPPC has also been taken over from the Nodal Branches with effect from 25th. June, 2014.

To facilitate dissemination of relevant information to the Pensioners, "Pensioners' Charter" has been displayed in Bank's website and also in all pension disbursing branches. On-line pension grievance redressal mechanism is available on Bank's website. Pensioner's pay slip for all the Central Govt. Pensioners has been customized and available in Bank's Portal.

CPPC is now uploading e_scroll in CPAO website on daily basis, instead of sending hard copies. Defence e_scroll and Lump sum Recovery Scroll is also in final stage. Life Certificate submitted digitally by the Pensioners at large, having Aadhar Card Registration Number, through Jeevan Pramaan portal of the Govt. are now being downloaded by the Bank manually and customization for necessary integration with NIC portal have been completed, tested and under deployment at the production server. With effect from December, 2014, all the new PPOs received from different Treasuries viz. CPAO, Defence, Postal and Telecom are being preserved at CPPC after necessary completion of all data entry in the system, instead of sending the same to the Branches, as provided in the CPAO guidelines.

Total Turnover in respect of Government Business handled by the Bank and Agency Commission earned on such business during the financial year amounted to Rs.43,030.22 crore and Rs.81.31 crore respectively. Agency commission earned from Government business during financial year 2014-15 are as follows:

BUSINESS TYPE	Turn Over Commission (TOC) Earned (Rs. crore)	
	2013 -14	2014 -15
TAX	2.27	2.42
PENSION	15.90	18.60
SCHOOL SALARY	40.67	52.29
TREASURY	6.21	6.67
PPF, SCSS, BOND &SDS	0.41	0.48
DMA	0.76	0.85
TOTAL	**66.22**	**81.31**

ASSET QUALITY AND RISK MANAGEMENT

The FY 2014-15 started with severe pressure on asset quality. At the beginning of FY the NPA of the Bank were at Rs.7118 cr. at 10.47% of Gross Advances. The Bank was subjected to close monitoring by RBI through monthly PCA and certain restrictions on lending were imposed.

The Bank took the challenge and with constant follow up with the recalcitrant borrowers, monitoring of stressed assets and tough measures in hard account, the Bank was able to bring down the NPA level to Rs.6553cr i.e.9.49% of gross advances, despite sluggish

growth in national economy. The major steps taken by the Bank for recovery of stressed assets during the year were a liberalized limited period offer of one time settlement (OTS) for NPAs with outstanding balance below Rs.5 lac, declaration of some big NPA borrowers as Willful Defaulter, Publication of general public notice with photographs of promoters in the local newspapers. To create general awareness among the public the Bank took the initiative by putting up silent road shows and peaceful demonstrations before the establishments of defaulting borrowers.

The PCA has since been withdrawn during the last quarter of FY 2014-15 and lending restrictions have been withdrawn by RBI. The Bank has again come on the growth path to redeem the lost glory.

Asset Quality

The Bank has been complying with RBI guidelines relating to Income Recognition, Asset Classification and Provisioning in percentage terms, gross NPA Ratio of the Bank stood at 9.49% as on 31.03.2015 as against 10.47% at the end of the previous year. In absolute terms Gross NPA stood at Rs.6553 cr. as on 31.03.2015. The Net NPA ratio of the Bank stood at 6.22% as on 31.03.2015 against 7.18% as on 31.03.2014. In absolute terms, the Net NPA stood at Rs.4081cr. as on 31.03.2015. The Bank could contain the fresh slippages during the FY 2014-15 to Rs.4087cr as against Rs.8007cr during the FY 2013-14. The cash recovery during the year was Rs.1237cr and the upgradation during the year was Rs.2655cr. The provision coverage ratio of the Bank has improved to 58.50% as on 31.03.2015 as against 52.25% as on 31.03.2014. The recovery in technically written off accounts was Rs.61cr during the year 2014-15.

The Bank has a comprehensive Recovery Policy duly approved by the Board covering all avenues for recovery and reduction of NPAs like One time settlement (OTS), sale of charged assets, sale to Asset Reconstruction companies (ARC) etc. The Bank came out with liberalized guidelines during the year for recovery of small value NPA accounts having outstanding balance below Rs.5 lac. The Bank did not prefer to go for sale of NPA to ARCs during the FY 2014-15.

Capital & Reserves

Networth of the Bank was assessed at Rs. 5029.58 crore as on March 31, 2015. Total paid-up capital of the Bank was Rs. 839.52crore and reserves and surplus was Rs. 4988.48 crore. The Government shareholding in the Bank stood at 82% at March 2015.

(₹ in crores)

Composition of Capital	March 2014		March 2015	
	Basel -II Norms	Basel -III Norms	Basel -II Norms	Basel -III Norms
Risk Weighted Assets	60060	61007	65882	66798
Tier 1 Capital	4359	3987	5117	5021
Of which CET1 Capital	NA	3987	NA	5021
Tier 1 Ratio (%)	7.26	6.54	7.77	7.52
Of which CET1 ratio (%)	NA	6.54	NA	7.52
Tier 2 Capital	2523	1994	2404	2034
Tier 2 Ratio (%)	4.20	3.27	3.65	3.05
Total Capital	6882	5981	7521	7055
CRAR (%)	11.46	9.81	11.42	10.57

Capital Adequacy Ratio under Basel-III norms assessed at 10.57% with Tier-1 Ratio at 7.52% as at March 2015. Capital Adequacy Ratio under Basel-II norms assessed at 11.42% with Tier-1 Ratio at 7.77% as at March 2015. The Bank has adequate headroom available under both Tier-1 and Tier-2 options to raise capital to support business growth momentum.

Risk Management

Capital Adequacy framework and future strategies

The Bank has an Integrated Risk Management system to ensure that the risks assumed by it are within the defined risk appetites and are adequately compensated. To address the various risks to which the Bank is exposed to, the Bank has a robust Risk Management Architecture in the Bank comprising Risk Management Structure, Risk Management Polices and Risk Management Implementation and Monitoring Systems.

Risk Management Structure:

The overall responsibility of setting the Bank's risk appetite and effective risk management rests with the Board of Directors, apex level management of the Bank. Bank has constituted a Board level Committee named as Risk Management Committee of Board of Directors (RMCBOD) to monitor the implementation of the Risk Management systems of the Bank. There are other internal committees of Top Executives like Credit Risk Management Committee (CRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Asset Liability Management Committee (ALCO) to supervise various risk management functions and activities of the Bank.

Bank's Asset Liability Management Committee (ALCO) is a decision making unit responsible for the strategic management of interest rate and liquidity risks. ALCO met 15 times during the year to review various issues namely interest rates scenario, product pricing for both deposits and advances, desired maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for Bank funds, fixation of Bank's Base Rate, cash flows of the Bank, profit planning and overall balance sheet management.

The Operational Risk Management Committee (ORMC) has the responsibility of monitoring the operational risk of the Bank and the responsibility of evaluating and taking necessary steps for mitigation of operational risk by designing and maintaining an explicit operational risk management process. It also ensures that the norms, policies and guidelines laid down in Operational Risk Management Policy are strictly adhered to. ORMC met 11 times to discuss various issues from operational risk point of view.

The Credit Risk Management Committee (CRMC) monitors various credit risk aspects relating to credit policy, procedures and to analyse, manage and control credit risk on a bank wide basis The Committee met 8 times during the year to discuss various issues from operational risk point of view.

Risk Management Policies:
To address various risks like credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, forex risk and other Pillar-2 risks, the Bank has formulated various risk management policies to identify, manage and mitigate such risks that the Bank is exposed to. The major policies formulated and approved by the Board of Directors of the Bank to address such risks are Lending Policy, Policy on ICAAP, Operational Risk Management Policy, Business Line Mapping Policy, Asset Liability Management Policy, Investment Policy, Disclosure Policy, Credit Audit Policy, Stress Testing Policy, and Policy on Credit Risk Mitigation Technique & Collateral Management etc.

Credit Risk:

To address the Credit risk, Bank has formulated a Lending Policy which lays down policy guidelines for Credit Management covering all areas of operation where credit Risk is involved. The policy enables the Bank to enhance the risk management capabilities by undertaking lending decisions guided by the policy framework for a steady and healthy growth in its loan portfolio.

The Bank has set various prudential limits to individual borrowers, group borrowers, entry level exposure norms, substantial exposure limits, benchmark financial ratios, borrower standards, exposure limits/ceilings to industries, sensitive sectors, rating category etc in alignment with RBI directives. The Board has reviewed such limits during the year.

During the year, analysis of various exposure norms has been undertaken on half yearly basis to ensure Bank's various exposures are within the exposure limits/ceilings fixed by RBI/ Bank's Board.

Bank has made its loan appraisal function independent of Risk Rating function. Internal risk rating of loan accounts is carried through a software based rating model to assess the credit proposal and rating of a borrower.

During the year, Bank conducted the credit portfolio analysis on quarterly interval, to study the impact of a particular industry / sector on the credit portfolio of the Bank and adopt strategies to improve the quality of credit portfolio and reduce the potential adverse impact of concentration risk.

During the year, Bank has also undertaken the rating migration analysis of its borrowers on half yearly interval to analyze the stability rate, up gradation rate, down gradation rate and default rate for a one year, two years, three years and four years time horizons and appropriate corrective actions are initiated to protect the portfolio quality.

The Bank has put in place a Loan Review Mechanism to improve the quality of loan assets and to ensure adherence to the policies, procedures and other statutory requirements. The Bank also undertakes on-site credit audit for accounts having credit limit over Rs.40.00 lacs to improve the quality of credit portfolio.

Market Risk:

For management of Market Risk, the Bank has given emphasis on measuring, monitoring and managing liquidity, interest rates, foreign exchange and equity risk of the Bank. The Market Risk in trading book is monitored and managed as per appropriate control mechanism in place. Market position, funding patterns, duration, counterparty limits and various sensitive parameters are also monitored by the Bank on regular basis. The advanced Risk Management tools such as Value at Risk (VaR), Earnings at Risk (EaR), Net Overnight Open Position Limits (NOOPL) and modified duration limits are used in managing Market Risk.

The Bank measures and monitors liquidity risk for all items of balance sheet through structural liquidity statements and stock ratios on regular basis. The Bank also monitors its interest rate risk through interest rate sensitivity gap reports.

The Bank has formulated and reviewed its Investment Policy to set operating guidelines for its treasury functions. The Bank has also put in place an Asset Liability Management Policy to address the liquidity risk, interest rate risk etc. These policies comprise management practices, procedures, prudential risk limits, review mechanisms and reporting systems etc. These policies are reviewed periodically in line with changes in financial and market conditions.

Bank has an "Integrated Treasury Management System (ITMS)" software to monitor its investment and treasury portfolio on an ongoing basis along with automated computation of capital charge for Market Risk as well as strengthening the internal control system of investment portfolio of the Bank.

Operational Risk:

The Bank has framed an Operational Risk Management Policy for managing the Operational Risk in an effective manner. The Bank has also formulated Business Line Mapping Policy for mapping various products, activities, and income into different business lines.

Bank's Operational Risk Management Committee (ORMC) has the responsibility of monitoring the operational risk of the Bank. ORMC also reviews the operational risk loss event data, new products, process and systems adopted by the Bank and provides suggestions for taking corrective/preventive measures to strengthen the internal systems and procedures.

Basel-II and Basel-III Compliance:

In line with guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has successfully migrated to Basel-II framework w.e.f 31st March 2009 by adopting Standardized Approach (SA) for Credit Risk, Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk and Standardized Duration Approach (SDA) for Market Risk for computing the capital adequacy ratio.

The Bank has also followed Basel-III capital regulation norms w.e.f 1st April 2013 in line with RBI guidelines. The Bank has been computing the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) on both under Basel-III and Basel-II norms at quarterly interval.

To comply with Pillar 2 guidelines of RBI, the Bank has formulated a Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) for the assessment of all material risks the Bank is exposed to and the risk management processes which are put in place to manage and mitigate those risks and also to evaluate its capital adequacy commensurate with such risks.

In line with the ICAAP policy, the Bank prepares the ICAAP Document on yearly basis and submits to RBI after internal validation and approval by the Board of Directors of the Bank. The ICAAP document of the Bank for 2014-15 has been submitted to RBI.

The Bank has reviewed its capital requirement both under Basel-II and Basel-III norms and taken necessary steps for strengthening its capital base. The Bank also reviewed its ICAAP on quarterly basis for monitoring both risks and capital requirement of the Bank.

In line with RBI guidelines and as per the Stress Testing Policy of the Bank, the Bank conducted Stress Testing analysis on quarterly interval on various risks like Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Forex Risk and Credit Risk and assessed the impact on capital adequacy and profitability.

For skill development in Risk Management area, the Bank also nominates its officers on regular basis for various trainings/seminars on Risk Management conducted by reputed institutions like CAFRAL, NIBM, IBA, IDRBT, CAB etc.

PRIORITY SECTOR ADVANCES

Bank's lending to the Priority Sector has reached to Rs.28561 crore as at 31st March 2015 which is 40.48 % of ANBC. To ensure attaining the targeted level (40% of ANBC) after issuance of revised guidelines on Priority Sector Advances by Reserve Bank of India, Bank has taken several steps, viz. engaging Collateral Management Companies for Pledge Financing, extending finance to large size units of Dairy, Poultry, Plantation, Hi-Tech Agriculture etc.

Agriculture Lending:

Bank has disbursed Rs.7283 crore during the FY 2014-15 against a target of Rs.8292 crore recording an achievement of target to the tune of 88%. Lending to Agriculture Sector stands at Rs.9073 crore as on 31st March 2015 which is about 13% of ANBC. Direct Agriculture stands at Rs.5898 crore (8.36% of ANBC). Bank is sustainably achieving target under Indirect Agriculture every year which is 4.5% ANBC.

Lending to Weaker Section:

Lending to weaker section reached to Rs.7350 crore as on 31 March 2015 which is 10.42% of ANBC against the stipulated target of 10%. Lending to Weaker Section always remains Bank's thrust area as majority of the rural and semi urban populace in the East and North Eastern parts of the country belong to this segment.

Lending to Minority Community:

Bank's lending to Minority Communities reached to Rs.4285 crore as at end of March 2015 which is 15% of PSL conforming to the stipulation. Apart from extending finance Bank has also taken all the necessary actions towards financial literacy etc. as per recommendation of the Sachar Committee.

Kisan Credit Card:

Bank has successfully organized sensitization programmes for issuance of Kisan Credit Card (KCC) under revised scheme having composite credit limit for 5 years taking care of all types of needs of the farming community towards production, investment, maintenance of farm equipments, consumption as well as annual price escalation. The Bank has issued 150019 fresh KCCs during 2014-15 with credit limits of Rs.751 crore As on 31.03.2015 the outstanding number of KCCs issued was 542790 with aggregate outstanding of Rs.2043.59 crore. In line with the Government guidelines on issuance of Rupay based ATM enabled cards to all the KCC holders, Bank has issued 2.24 lakh ATM cards to the KCC holders till 31.03.2015 which is 65% of eligible KCC holders (excluding illiterate, unwilling and NPA KCC holders).

Self Help Group:

Bank has credit linkages with 87799 SHGs with an outstanding balance of Rs.333.67 crore. In the financial year 2014-15, 5808 no. of SHGs have been credit linked with a loan limit of Rs.30 crore. Bank has been implementing NRLM programme for SHGs by providing initial credit limit of Rs.1 lakh on 1st grading of SHGs as per the decision of SLBC, West Bengal.

Corporate Social Responsibility Initiatives:

CSR has been assuming greater importance in the corporate world, including the banking sector. Over the years, we at United Bank of India, have integrated CSR principles with the Bank's financial, promotional and development assistance to the Priority Sector, industrial growth, infrastructure development, as well as our own internal functioning through good corporate governance practices. Our CSR pillars are Sustainable Banking, Environment, Social Commitments, Human Resources Development and Stakeholders Engagements.

As a part of corporate social responsibility the bank has undertaken the following activities:

United Bank Rural Self-Employment Training Institute (UBRSETI)

Bank has so far set up 12 RSETIs in the states of West Bengal, Assam and Tripura to impart training to the prospective entrepreneurs from the downtrodden community of the society.

During the FY 2014-15 these institutes have imparted training to 10673 rural youths/women of which 75% trainees have been settled by establishing own economic venture. Out of the total self employed trainees about 85% belong to women and weaker sections communities. These institutes are providing post training support (Escort service) including arrangement of loan from our bank branches to enable the trainees to set up their own venture.

Till the Financial Year 2014-15, Bank has submitted claim for Rs.1,00,62,805/- against training related expenditure incurred for BPL candidates by the United RSETIs of which till 31.03.2015 Bank has received reimbursement of Rs. 68,32,886/-.

FLCC

Bank has also set up 38 Financial Literacy Centre (FLCs) in the states of West Bengal, Assam, Tripura and Manipur to extend financial literacy and credit counseling services to the poorer section of the society. In the Financial Year 2014-15, these FLCs are conducting regular Outdoor Activities for imparting financial literacy.

United Bank Socio-Economic Development Foundation (UBSEDF)

United Bank Socio Economic Development Foundation (UBSEDF) was established on 30th March 2007 with the objective of promoting and carrying out social and economic developmental activities and rendering assistance to weaker and under privileged section of the society in terms of decision taken by the Board of Directors of the Bank. Bank has extended financial assistance in 66 various welfare activities involving a total sum of Rs.188 Lakh towards its CSR activities till 31.03.2015. During the financial year 2014-15, Bank has disbursed Rs.63.20 Lakh for 7 no. of projects to be executed by the respective organizations towards cause of the society.

MSME LENDING

Performance of the MSME Sector of the loan is furnished below:

(₹ in crores)

	As on 31.03.14		As on 31.03.15		Y-o-Y
	No	O/s	No	O/s	Growth
Micro	234888	7259	221214	8287	14.16
Small	14807	4225	14235	4058	(3.95)
MSE	249695	11484	235449	12345	7.50

Bank achieved Y-o-Y growth of 7.50% under MSE sector as on 31.03.2015.

1. **Strategies to attain of MSME Target**

Initiatives to increase flow of credit to MSME Sector:

- Keeping in view the MSE target of Rs 14400 Crores for this financial year , and the corresponding NPA, our entire attempt is focused on building a quality portfolio, acquiring high quality assets and effecting recovery in NPA and preventing fresh slippages.
- To reduce the turnaround time and to create quality asset portfolio a Centralised MSME – Loan Processing Centre (MSME-LPC) has been set up at Kolkata under control and supervision of MSME department. The MSME –LPC will process and sanction the eligible loan proposals of Rs 1.00 Cr and above received from all the locations across country. Additional MSME-LPC may be opened at various nodal centers depending upon performance and volume of proposals.
- The Regions have been advised to fix targets for MSE lending. MSME specialized branches and branches having potentiality of MSME advance including those located in close proximity to industrial area/clusters have been advised to focus on procuring new business from the entrepreneurs.
- The Region wise and branch wise targets under MSME sector with quarterly breakup were fixed. Regular follow up is being done on weekly basis at Head Office.

- 87 Branches having potentiality of MSME finance has been designated as specialized SME branches at Districts where we are Lead Bankers and nearer to Clusters.
- Regular interface with the MSME Associations/ Tie-up with NSIC and participation in their promotional programmes / workshops / seminars and EDP programmes.
- Officers dealing with MSME loans are provided training on regular basis for hassle free sanction of eligible loan proposals
- Tie-up with Credit Rating agencies for rating of MSME units at concessional rate. Incentives in the form of Interest reduction for highest and 2nd highest rated MSME units.
- Bank has adopted cluster based approach for MSME financing.
- Bank has encouraged collateral free loan to MSE sector up to Rs.10.00 lakh.

Lead Bank Scheme

The Bank is the Convener of State Level Bankers's Committee(SLBC) in the State of West Bengal and Tripura. It has assumed lead Bank responsibility in 34 number of districts spread over four States; 10 districts in West Bengal,12 districts in Assam, 4 districts in Manipur and 8 districts in Tripura.

As Lead Bank of the State, the Bank has been actively involved in formulation and finalization of Annual Credit Plan (ACP) for the State which is embedded in the Lead Bank Scheme and has been taking up suitable action plans for implementation of different socio economic activities keeping close liaison with Reserve Bank of India, NABARD and State Government Authorities.

The year 2014-15 had been eventful for the Bank as SLBC Convener for both West Bengal and Tripura.

The SLBC meetings organized in Tripura State have been attended by dignitaries like Shri Manik Sarkar, Hon'ble Chief Minister and Shri Badal Choudhury, Hon'ble Finance Minister of the State, Regional Director, RBI and Principal Secretaries of Line Department of the State.

Dr. Amit Mitra, Hon'ble Finance Minister of West Bengal, Regional Director, RBI, CGM, NABARD, Director, DFS, MoF, GoI and the Principal Secretaries of Line Departments of the State attended all the SLBC meetings organized in the West Bengal State during the year 2014-15.

Under leadership of the Bank the following achievements took place during the year in the State of West Bengal & Tripura:

- In both the States, under leadership of the Bank as SLBC Convener, the **Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana**, a comprehensive Financial Inclusion Plan was launched in a befitting manner on 28th August 2014. In West Bengal, **Dr.Najma Heptulla, Hon'ble Minister for Minority Affairs, GoI was the chief guest of the inauguration function of PMJDY** . Under overwhelming response of the masses and tireless efforts the Banks under leadership of United Bank of India, both the State of West Bengal & Tripura achieved 100% saturation covering more than 90% of the households.

- The Annual Credit Plan for 2015-16 for both West Bengal & Tripura were finalized on the basis of PLP prepared by NABARD and formally launched in the SLBC meetings held on 16.03.2015 and 20.03.2015 respectively to make effective right **from 1st April, 2015.**

Financial Inclusion

Financial inclusion is an innovative concept which makes alternative techniques to promote the banking habits of the people. To bring about comprehensive financial inclusion of all the households in the country, Hon'ble Prime Minister launched a National Mission on Financial Inclusion Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana(PMJDY) on 28th August'2014. The plan envisages universal access to banking facilities with at least one basic banking account for every household, financial literacy, access to credit, insurance and pension facility.

Bank has successfully implemented financial inclusion and has covered all the un-banked households so as to step up inclusive growth. The customers are being provided with basic banking services and also the insurance and pension products. The Bank Mitras would play a vital role for implementation of a comprehensive financial inclusion, therefore, Bank has made their remuneration more attractive and performance linked.

Coverage of villages through Bank Mitras:

13250 villages are now covered & serviced through **Bank Mitras**. Out of which, 1816 villages are having population of more than 2000 and 11434 villages are having population of less than 2000.

4252 Bank Mitras (BC Agents) are now operating under Sub Service Area (SSA) approach. All the Bank Mitras are functioning through fixed point locations in **'Online'** mode.

Coverage of un-banked households:

51.47 lakh un-banked households have been covered under Prime Minister Jan Dhan Yojana(PMJDY).

Opening of Accounts and issuance of RuPayDebit Card:

38.69 lakh accounts have been opened under PMJDY. As against the above, **30.63 lakh** RuPay Debit Cards have been issued.

Deposit mobilization:

Under PMJDY, Bank has mobilized **Rs.1465.06 crore** CASA deposit which translates into Rs.3786/- average balance per account.

Aadhaar Seeding:

In order to ensure chanelising of Govt. subsidies directly into the account of the beneficiaries, **13.15 Lakh** PMJDY Accounts have been Aadhaar linked.

Aadhaar Enabled Payment Services (AEPS):

Bank has successfully implemented **AEPS 'On-US' and 'Off-US'** Issuer/Acquirer Transaction through Bank Mitras. Hence, any customer having Aadhaar linked account can carry out transaction through MicroATM of Bank Mitras.

eKYC has been activated at the Branch as well as Bank Mitra level.

Direct Benefit Transfer:

For DBT/DBTL, Bank is undertaking both Account based and Aadhaar based APBS transactions.

Financial Literacy:

For augmenting Financial Literacy, Bank has prepared a short film in vernacular and has also radio jingles which are being played during the account opening camps. Besides, 34 LDM offices, 12 R-SETIs of the Bank are regularly organizing awareness and sensitization camps. Branches are also organizing Literacy camps in the villages at a regular interval.

ORGANIZATION & SUPPORT SERVICES

Branch Network

RBI has imposed restriction on opening of branch vide their letter no. DBS.CO.PSBMD III NO.90/14.01.052/2013-14 dated 14.02.2014 under Prompt Corrective Action (PCA).

However, Five (5) branches were opened during 2014-15 with the special permission from RBI vide their letter no.BAPD.8382/22.03.026/2014-15 dt. December 05,2014.

Two (2) Metro branches viz. Nehru Place & Daryaganj E.C under New Delhi Region were merged with Corporate Finance Branch, New Delhi.

With the opening of 5 branches and merging of 2 branches during the year 2014-15, the total number of branches stands at 2004 as on 31.03.2015 spreading across the country. The bank has 4 Extension Counters & 35 Regional offices across the country.

Population group-wise Composition of Total Branch Network:

Location	Number of Branches (% of total)	
	31.03.2014	31.03.2015
Metropolitan	332 (16.59%)	330 (16.47%)
Urban	461 (23.04%)	463 (23.10%)
Semi -Urban	409 (20.44%)	411 (20.51%)
Rural	799 (39.93%)	800 (39.92%)
Total	**2001**	**2004**

Geographical location-wise Composition of Total Branch Network-

Location	Number of Branches (% of total)	
	31.03.2014	31.03.2015
Eastern Region	1168 (58.37%)	1169 (58.33%)
North Eastern Region	351(17.54%)	352 (17.56%)
Western Region	85 (4.25%)	85 (4.24%)
Northern Region	125 (6.25%)	123 (6.14%)
Southern Region	118 (5.90%)	121 (6.05%)
Central Region	154 (7.69%)	154 (7.68%)
Total	**2001**	**2004**

The Bank has 149 specialized branches, catering to the specific clientele segment.

Categories of Specialised Branches	31.03.2015
1. MSME	87
2. Asset Recovery Management	4
3. Retail Hub	26
4. MSME Loan Proc. Hub	1
5. Corporate Finance Branch	4
6. Service Branch	19
7. Women Branch	5
8. Treasury Branch	1
9. Central Pension Processing Centre	1
10. Cash Management Service Hub	1
T O T A L	**149**

Out of total 2004 branches as on 31.03.2015, 884 (44.11%) are located in 85 Minority Concentration Districts (MCDs) throughout the country.

The Bank has 35 Regional Offices across the country.

InfoTech Initiatives

Core Banking Solutions (CBS):

All branches are covered under Core Banking Solution (Finacle). Core Banking Data base has been upgraded to higher version to improving the performance of the system. As part of its Business Continuity Plan (BCP), Bank conducts periodic DR (Disaster Recovery) Drills.

Network :

Bank has implemented WAN optimization solution in all Branches to improve network performance. Bank has implemented VSAT links as second backup at selected single centre Branches to provide network connectivity in situations like cable cut, Exchange failure etc. Also, Bank has implemented High Speed Data connectivity using 3G at selected branches using latest mobile technology.

Payment Systems:

All branches of the Bank and sponsored RRB are enabled for interbank fund transfer through Next Generation RTGS and NEFT using Straight Thorough Processing (STP). RTGS/NEFT facilities are also available through Internet Banking for Retail and Corporate customers. Our Mobile Banking customer can also avail NEFT facility. The SWIFT services are seamlessly being offered for worldwide inter-bank financial communication through one 'A' Category AD Branch and 39 'B' Category AD Branches. During the year, Bank has successfully conducted DC-DR drill for RTGS/NEFT and SWIFT as a part of Business Continuity Planning (BCP). Letter of Credit (LC) is issued through SFMS.

Bank Website and Intranet:

Bank's Intranet portal is used extensively for information sharing, knowledge management and online examinations. Bank has implemented Grievance online, Housing loan, Car loan, Personal Loan on Bank's website as per directions of Ministry of Finance. These applications enable customers to make all requests online and keep online tracking.

Self-service Kiosk:

A new technology initiative of self-service kiosk services has been deployed in the selected branches. The services offered for Passbook printing, Cash deposit and Cheque deposit services.

Mail Messaging System:

Corporate Mail Messaging System with centralized archival solution covering all offices is in place.

SOC & IT Security:

With the growing dependence on IT systems and exponential increase in transactions through electronic delivery channels, Bank has identified Information Security as the key area for sustenance of business. RBI guidelines on Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds are taken as the guiding principles for management of Information Security in the Bank. Bank is actively pursuing to mitigate gaps to fully comply RBI guidelines. Bank has engaged professional agency for providing Anti-Phishing, Anti-Pharming, Anti-Trojan and Anti-Malware Managed Services for Bank Websites. Bank has implemented Security Operations Centre (SOC) by integrating all critical devices deployed in data center and disaster recovery center for 24x7 monitoring and recording of logs. SOC provides the centralized view of Information Security status and command centre for IS Security operations.

Biometric:

Department of Financial services, Ministry of Finance directed all the Public Sector Banks to introduce biometric log-in for employees

of the Bank to prevent incidences of authentication frauds. Bank has implemented Biometric Authentication Solution across all its branches.

CMS:

Bank has launched U-Connect an integrated portal for online registration for dematerialization of shares and a unique trading platform. Bank has signed agreement with Kotak so that Bank's customer can avail Trading facilities on line.

CTS:

Bank has implemented CTS solution at all three Grid viz. Southern Grid, Western Grid, Northern Grid covering 67 centers and 551 branches. Also, a centralized inward cheque processing centre has been operational in Kolkata for handling all inward clearing instruments under Southern Grid. In Western Grid and Northern Grid also, Inward Cheque handling has been centralized at Mumbai and Delhi Service Branch respectively. Scanning hub for outward instruments also had been city / Area wise centralized.

Virtualisation:

Bank has taken a green initiative by consolidating few physical servers into virtual environment for non-critical applications. By enabling virtual services, Bank has reduced the power consumption, carbon footprint and thereby enabling better server management in the Data Centre.

Alternate Delivery Channels

To provide efficient and convenient customer service, Bank has forayed in to all popular alternate channels of banking available in the market, which are available round the clock. The status of the channels as on 31.03.15 is as under:

ATMs: A total of 312 ATMs have been deployed in the FY 14-15, thereby taking the total ATM count to 1912. Bank card holders are having access to all NFS / VISA ATMs in the country and abroad.

Debit cards: Bank is issuing debit cards of both RuPay & VISA. The total debit card base stood at 50.40 lac. The cards are enabled for transactions at ATMs, shops & at e-commerce sites. The cards are also enabled for payment of on-line tax for the state of West Bengal. Besides, customers can also register themselves for internet & Mobile Banking services by visiting Bank's website " www.unitedbankofindia.com". Bank is also issuing chip based cards for international transaction by customers.

Internet Banking: A total of 2.25 lac customers have been registered for internet banking through which they can perform a host of activities such as account view, funds transfer, bill payments, tax payments, opening of term deposits etc on round the clock basis from the comfort of their home / office. PPF module has also been introduced, wherein internet banking registered customers can manage their PPF accounts on-line including making deposits in the account. Other value added services like Aadhar / LPG ID seeding , e-filing of tax are also available.

Mobile Banking: Mobile Banking is slated to be the most prominent banking channel in the coming days. A lot of facilities have been added including IMPS (P2P, P2A, P2M) based funds transfer, mobile recharge etc. Customers can also book Railway tickets through IMPS based merchant facility. The service is available in all modes depending upon the convenience of customer, i.e. Application based, SMS based, WAP based and USSD. The USSD product, i.e NUUP (National unified USSD platform) of NPCI has also been introduced, through which customers with basic mobile handsets can access mobile banking services. The total registration base stood at 0.55 lac. The look and feel of the application has also been changed to give a better customer experience.

SMS based Account balance: Customers can know their account balance at any point of time through SMS by giving a missed call at 9015431345.

Missed Call Term Deposit: Bank has also launched a unique product, wherein customers can make a term deposit for Rs.10,000/- for a period of 12 months by giving missed call at 08470820820.

Centralised Payment Hub

The Bank has set up a Centralised Payment HUB at Head Office to handle high volume of transaction of different payment system in a secured, efficient and reliable manner. The Centralised Payment HUB has started its operation w.e.f. 03.11.2014.

The department is catering the following services:-

- NACH Debit
- NACH Credit
- ABPS (Aadhar Bridge Payment System)
- Mandate Management System of NPCI as Destination Bank
- DBTL (Direct Benefit Transfer to LPG Customers)
- ECS Credit as Sponsor Bank centrally at CPH, H.O. (migrated from RBI to NACH on 17.02.2015 which was earlier being processed by branches / service branch before coming on NACH platform)
- ECS Debit as Sponsor Bank including Mandate Management System to be migrated from RBI to NACH platform on or before 30.06.2015
- CMS (Cash Management Services)
- CMS Payment Services
  - Corporate Bulk Payment
  - GePG (Government e-Payment Gateway)
- CMS Collection Services
  - Indo Nepal Remittance Service
  - Centralized Mandate Based Direct Debit Service
  - Corporate Cash & Cheque Collection Service
- ASBA (Application Supported By Blocked Amount)
  - Core ASBA
  - Syndicate ASBA
  - e-ASBA (through e-banking / Net banking platform)

Manpower Profile

The total Staff strength of the Bank stood at 15192 as on March 31, 2015 as against 16499 last year.

Category of Employees	March 2014	March 2015
Total No. of Employees	16499	15192
Officers	7550	7355
Clerks	6306	5428
Sub -Staff	2643*	2409*

*Excludes part-time employee

The total staff strength comprises of 48.42% Officers, 35.72% Clerks and 15.86% Sub-Staff. Women employees numbering 2991 constitute 19.69% of the Bank's total staff strength.

During the Year 2014-15, the Bank could not go in for recruitment due to imposition of Prompt Corrective Action (PCA) by RBI. However the norm has been relaxed very recently and the recruitment process for recruitment of 700 POs & 500 Clerks has been initiated for filing up the vacancies to meet effectively succession planning process & man power management for smooth running of the organisation.

Inter cadre and inter scale promotions were successfully conducted during the FY 2014-15 and in total 621 numbers of employees were promoted to next higher cadre/scale.

Training / Human Resource Development (HRD)

Banking technologies are evolving at a rapid pace and Competence Development is the prime need of the bank by reinforcing the traditional banking skills with the new technology based skills. Major steps have been initiated to augment the capacity of the in house training system both quantitatively and qualitatively. Presently the Bank is having one Staff Training College at Kolkata and four Regional Training Centres at Guwahati, Bhubaneswar, Delhi and Mumbai where full time faculties are posted to conduct regular courses throughout the year. For the specialized subject like Government Transaction and Cash Management, Effective Delivery of Rural Credit, Micro Enterprises Development, Forex etc., training has been arranged during the year under the auspices of reputed institutes like RBI, IIBF Mumbai, BIRD, IDRBT, NIRD, IIBM Guwahati, FEDAI etc.

Special Training Programmes were conducted with focus on creation of talent pool of officers in critical areas like Credit, Risk Management, Financial Inclusion, Management Development, Fraud Analysis, Forex etc. During the year total 179 training programmes were conducted with 4543 employee participants comprising 3773 officers & 770 clerks of the Bank attended in-house training.

As per Govt of India guidelines, pre-promotion training for employees belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes were conducted for 325 employees at Staff Training College, Kolkata, Regional Training Centers and other different locations. Bank has also conducted in-company Training Programmes during the year wherein 25 officer employees have participated. Bank had sent 86 officer employees for 53 different external training programmes. During the year Bank had sent 3 senior officers/top executives for 3 different overseas training programmes.

Employee Welfare

As a welfare measure, considering the aspect of health care for working employees along with dependent members of their families as also the retired employees of the Bank along with their spouse, the Bank has renewed the existing Mediclaim insurance schemes. During the year the Insurance limit of excess loss policy has been enhanced to 2.50 lakh from existing 1.50 lakh for both retired and & serving employees with a very small amount of premium to be paid by the employees. During the year the Bank has entered into tie-up arrangements with 10 new hospitals, clinic etc. taking the total number of such arrangements to 90 Hospitals and Diagnostic Centers located all over India to meet hospitalization / health check-up / diagnostic requirements of employees / retired employees at a concessional / competitive rate. The Bank has also renewed the tie up arrangement with Peerless Hospital & BK Roy Research centre, Apollo Gleneagles Hospital, Ruby General Hospital, B.P. Poddar and Desun hospital & Eye Institute at Kolkata

Reservation Policy in respect of SC and ST

The Bank has been meticulously following the government guidelines for reservation in employment/zone of consideration in promotion in respect of specific reserved categories. There is no backlog vacancy in any cadre in direct recruitment. However, there exist shortfall vacancies of 13 in SC & 45 in ST category in officer's cadre and 13 in SC & 29 in ST category for clerical cadre. There also exists shortfall vacancies of 2 in SC, 30 in ST category for subordinate cadre.

The representation of SC and ST employees in total staff stood at 2795 (18.39%) and 1029 (6.77%) respectively as on 31.03.2015.

During the year, 151 employees belonging to SC/ST category were promoted to next higher cadre. They constituted 24% of the total number of promotions, wherever reservation is applicable, effected during the year. The Bank had organized pre-promotion training programmes for the eligible employees from reserved categories prior to holding inter-cadre promotions in different cadres.

Dependents of 9 deceased employees belonging to SC/ST category who died while in service were paid ex-gratia lump-sum amount to the tune of Rs. 55.00 lakh in aggregate during the financial year. Quarterly meetings between the Top Management and SC/ST Employees Welfare Council of the Bank were held on regular basis during the year. Complaints received from individuals/organizations on SC/ST matters were looked into for early redressal of grievances.

Employee Grievance Redressal Mechanism

A two tier Grievance Redressal Committee for staff members to look into the grievance of the employees has been constituted on 05.02.2015. The 1st tier committee comprising 3 members in the rank of DGM will look into the grievance and convey the decision within 21 days of receipt of the grievance from the employee and 2nd tier review committee comprising 3 members in the rank of GM will review the cases of the aggrieved employee not satisfied with the decision of the 1st tier committee. During the year only 4 grievances are received and the grievances have been redressed at 1st tier committee level and decision of the committee has been communicated.

Customer Orientation

The bank has taken several initiatives to remain customer friendly through providing prompt service, bringing in diversified technology supported products/services, responding to customer queries/ suggestions and redressal of customer complaints. The 'Code of Commitment to Customers' issued by BCSBI is made available at bank's website and also sent to all the Regions in west Bengal in the form of printed booklet in Bengali & English. In order to improve the quality of customer service, a Toll free contact facility at Customer Service Department is provided to facilitate the customer to represent their grievances/suggestions. The Toll free facility is made available from 8 AM to 10 PM. For ATM related issues, a separate Toll free contact facility at Head Office is provided to facilitate the customer. Notably the bank has implemented online grievance redressal through the bank's website, where the customers can track the status of their complaints also. The bank is going to introduce 'Missed Call facility' likely to be commenced very shortly after getting a unique, specialized and memorable Mobile no. The system will record the incoming call number and generate a prompt immediately, based on which the officials of CSD will call back and record the conversations in brief under a unique reference number generated by the system.

In order to facilitate quicker and fair non-discriminatory redressal of grievance, bank has introduced "**Comprehensive Complaint Management System"(CCMS)** by leveraging technology. Under this system the complaints received by Branches, Regional Offices and Departments at Head Office have to be uploaded/ entered by the concerned Branch/Regional Office/Head office Department in the "On Line Grievance Redressal" portal, available at Intranet link and the status of redressal/settlement is also to be uploaded on Real Time Basis. The complaint lodged by the customer online will be added by the system in the outstanding data base of CCMS.

The Comprehensive Complaint Management System will help us to track the status of each complaint and to take a comprehensive look with regard to the total complaints received by the bank during the period and status thereof. The necessary follow-up measures would be taken immediately for expeditious disposal of the complaints and grievances. The system enables to classify the nature of complaints along with the products and services to which the complaints are related. The analysis of data will help the bank management to take appropriate action to improve front line service directly which includes updating customer service standard, improving communication, providing additional training to staff on product and services, taking remedial action for systemic issues etc.

In financial year 2014-15 percentage of customer complaint redressal was 98.55%. All complaints were redressed within stipulated period. Moreover, during the close of the year as on 30.06.2014 of BO, our bank's outstanding complaints were "ZERO" as declared by the secretary, BO during the nodal officer's meeting. As far as cases referred to Banking Ombudsman is concerned, the percentage redressal of complaints was 96.07%. During the year Banking Ombudsman had awarded 2 nos. Awards which were compiled by the bank within the stipulated time frame of the guidelines of BO. The bank has implemented 112 of 116 recommendations of Damodaran Committee accepted by Indian Bank's Association.

For customer awareness, the bank has actively participated and organized a number of outreach programmes in association with Banking Ombudsman (West Bengal & Sikkim) during the financial year 2014-15. During the year BCSBI had also organized a customer meet at national library, Bhasha Bhawan, Alipore, Kolkata in association with our bank which was attended at large by all the Nationalized, private and other scheduled banks and their customers with a total strength of presence of approximately 400 plus.

Internal Control

Internal Inspection of all the operational units of the Bank is carried out on a continuous basis to ensure effectiveness of internal control mechanism and to provide high quality counsel to management on the effectiveness of risk management and internal controls including regulatory compliance by the Bank.

The Audit & Inspection department at the apex level along with its extended arms of seven Regional Inspection Units (RIUs) and a team of Internal Inspectors / External Auditors at field level are continuously engaged in inspection of Branches / Offices of the Bank as per Board approved Inspection & Audit Policy, for evaluating the level of implementation and adherence to the prescribed procedures and norms, and also for identification, measurement and mitigation of risks involved in different functional areas. In order to align with changing scenario of the Banking System, Inspection Process is updated and necessary changes are incorporated in Inspection & Audit Policy of the Bank from time to time. To achieve these objectives, various types of Audits like Risk Based Internal Audit, Concurrent Audit, Information System Audit, Snap Audit, Revenue Audit, Credit Audit, and Management Audit of Regional Offices are conducted.

Risk Based Internal Audit (RBIA) of branches is carried out to focus on effective Risk management and internal controls in respect of areas of potential risks and to play an important role in safeguarding the Bank from various risks. During the year 2014-15, RBIA of 1426 branches has been conducted.

Concurrent Audit by external audit firms is conducted in branches/offices to ensure accuracy, authenticity and due compliance with Internal Systems, Procedures and guidelines of the Bank. During the year 2014-15, 472 branches have been covered under Concurrent Audit covering total deposit of 54% and total advance of 87% of the Bank as a whole.
With the increased technology adoption by Bank, the complexities within the IT environment have given rise to considerable technology related risks. The Information System Audit is conducted to mitigate and effectively manage these technological risks. The Information System Audit has been conducted in 204 branches during the year 2014-15 covering 51% of Bank's business and 16 Regional Offices. Information System Audit is also conducted for Bank's IT Infrastructure.

Know Your Customer (KYC)

The Bank took several measures for effective implementation of Know Your Customer (KYC) and Anti Money Laundering (AML) guidelines and for ensuring KYC compliance by all the operational units.

To ensure compliance of KYC/AML, following steps have been undertaken.

- Submission of Cash Transaction Reports(CTRs), Suspicious Transaction Reports (STRs), Non-Profit Organisation Transaction Reports(NTRs), Cross Boarder Wire Transfer Reports(CWTRs), Counterfeit Currency Note Reports(CCRs) are filed with FIU-IND at stipulated periodicity.
- Capturing of KYC document details in CBS system.
- Risk Profiling of Customers through system.
- Unique Customer Identification Code (UCIC) exercise has been completed for all existing customer-ids on the basis of PAN, Passport and Aadhar numbers.

Security Arrangements:-

The Bank has taken necessary steps to strengthen the security arrangement in branches by installing security gadgets from time to time in conformity to the guidelines issued by the Reserve Bank of India. Additional security gadgets / services provided at our Bank's branches are as follows:-

- In order to further strengthen the security of the branches all the branches would be equipped with CCTV surveillance system. All the currency chest branches have already been equipped with CCTV system. In addition CCTV System has also been already provided in 751 non currency chest branches. Total 835 branches have been covered with the CCTV Surveillance. The purchase formalities for the CCTV are nearing completion and soon order for purchase would be placed.
- As an additional safety measure all the Currency Chest branches within the jurisdiction of Kolkata Police have been brought under the Integrated Security Solution (ISS) which has a control monitor at Lalbazar Police Control Room for directly viewing of the activities inside the currency chests in case of a distress.
- In order to implement the Reserve Bank of India Clean note policy all the branches are being equipped with (1+1) pocket Desk Top Authenticator cum Sorter to help the branch to identify the Forged Indian Currency Notes (FICN) at the counter itself. This will also enable the branches to sort the currency notes in to issuable and non issuable currency notes for redistribution amongst the customers and members of public. The purchase formalities are complete and the machines are under trail and soon the purchase order would be placed for supply and installation in all the branches of the bank.
- The Security Department regularly conducts awareness training classes for all officers & SWO at the staff training college on detection and impounding of FICN and features of genuine Indian Currency notes.
- Security Officers posted at Regional Offices have participated actively in the Recovery Drive of the Bank in year 2014-15.
- During year 2014-15 the security department pursued and recovered about Rs.20.50 lac of the old insurance claim dues for the money lost during crime against the bank at different branches, pending with the Insurance Company.

- In order to regulate and monitor visitors to the Bank's Head Office a Computerized Visitors' Management System has been installed at the Main Entrance gate of the Head Office.

Premises

Purchase: Purchased and Furnished of 10 nos. of 3-Bedroom-Hall Kitchen flats at Nager Bazar, Dum Dum, Kolkata.

Construction: Bank's own multi-storied building was constructed at Bank's Commercial Plot192D, Block-B, Sector-52, NOIDA, UP having total construction area of **6249.42 sft** spread across Basement, Stilt, Upper Ground Floor, 1st Floor and 2nd Floor. Bank also constructed G+1 Bidhannagar Branch Building having total construction area of **4207.59 sft**

Upgradation: Old and obsolete Oil Circuit Breakers were replaced with vacuum Circuit Breakers and 6th Floor package Air-Conditioning Plant was upgraded.

Miscellaneous: Centralised Retail HUB was set up at H.O. Energy Audit of Head Office Building was conducted

The major ongoing projects are

- Initiated the process of construction of Bank's Data Center at Bank's Land at Plot No. 179, Block-IB, Sector-III, Salt Lake, Kolkata.
- Construction of Boundary wall around newly acquired commercial land at New Town, Rajarhat having an area of 2.548 Acre.
- Up-gradation of Central A.C. Plant H.O. in a phased manner
- External Restoration, Repair and Painting work of Head Office Building
- Installation of Photo-Voltaic Grid connected 100KWp Solar Plant at H.O. and STC, Kolkata
- Modification of existing Water Treatment Plant, its Triennial Overhauling, Annual Maintenance and its Day-to-Day Operation at Bank Officer's quarters at Shantikunj Apartment, Bansdroni, Kolkata.
- Renovation of the Main Entrance Lobby of Head Office for upliftment & modernization of Ambience
- Phase-Wise conversion of normal light fittings with energy efficient LED fittings.
- Initiative taken for implementation of "SWACHH BHARAT" Mission. Cleaning of immediate vicinity of office premises, Distribution of dust-bins amongst the vendors located around H.O. and increasing their awareness towards cleaner surroundings.

Implementation of Official Language

With a view to create an atmosphere in the Bank, many steps have been initiated to promote the Official Language Policy of the Government. Conference, workshop and awareness programmes were arranged at Head Office of the Bank from time to time. For effective implementation of Hindi, computer training in Hindi and regular training of Hindi **Praveen & Pragya** courses were organized. In addition to this many Regional Offices of the Bank were inspected to review the position of implementation of Hindi.

During the period the quarterly meetings of the Official Language Implementation Committee were held at Head Office and performance of implementation of Official Language of different departments were reviewed. **Hindi Day** was celebrated on **14thSeptember, 2014** at Head Office. With a view to create awareness among the employees, different **Hindi Competitions** were organized and prizes were distributed to the winners.

Regional Rural Banks (RRBs)

The Bank has four sponsored RRBs namely Assam Gramin Vikash Bank(AGVB) in Assam, Bangiya Gramin Vikash Bank (BGVB) in West Bengal, Tripura Gramin Bank (TGB) in Tripura and Manipur Rural Bank (MRB) in Manipur operating in 53 districts with total numbers of 1162 branches as on 31.03.2015. All the four sponsored RRBs have posted net profit during the financial year and total Net profit stands at Rs 163.64 Crores (Pre -audited)

The combined aggregate business position(Pre audited) of the RRBs are as follows:

Parameters	Position as on		Growth % during the year ended on	
	31.03.14	31.03.15	31.03.14	31.03.15
Total No of Branches	1144	1162	3.15	1.57
Total Business	28,814	32,267	16.38	11.98
Deposit	19,060	21,674	16.71	13.71
Advance	9,753	10,593	15.72	8.61

All of our RRBs are providing NEFT, RTGS,SMS and Debit Card facility to their customers by sponsored Bank's gateway. Under PMJDY 3515 SSA & 293 Wards have been allotted to four RRBs which was covered 100% . Total house hold 271054 in wards & 4671880 house holds in SSA were covered.

Awards/ Accolades

United Bank of India has bagged 'Award of Excellence' for outstanding performance under different Key parameters of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Honourable Union Minister MSMEs, Govt. of India, Shri Kalraj Mishra presented the Award to the Bank on 25th March 2015 in New Delhi.

Compliance

Based on the RBI guidelines and as part of its ongoing sound practices, the bank has also set up a Compliance Department whose role is to co-ordinate the identification of compliance issues, assess and mitigation of compliance risk. Board has adopted Compliance Policy for the Bank. In activity wise areas like deposit and services, advances, KYC-AML, BCSBI Codes , compliance issues are identified and remedial measures are taken therefore. Role, responsibility as regards compliance functions is defined for every tier in the Bank. A reporting system has also been introduced to ensure compliance of regulatory and statutory compliance issues through:

(i) Self- certification,
(ii) Random testing through Designated Compliance Officers.
(iii) Quarterly statement by the Branches and Regional Offices, indicating the compliance status of all circulars received from RBI, IBA & Govt. of India.
(iv) Quarterly statement with details of Compliance rules covering the important areas.

Under Corporate Governance, the MD & CEO / Executive Director periodically reviews compliance reports to ensure timely submission of regulatory returns by the different departments of the Head office to the GOI / RBI on regular basis and adherence to all applicable provisions of law, rules and guidelines.

Corporate Governance:

The Report of the Board of Directors on Corporate Governance is start from Page No.-177 of this Annual Report.

Proposed Dividend:

In view of the loss of the past year, inadequate profit of the current financial year and the need for consolidation and conservation of capital your Board abstained from recommending any dividend for 2014-15.

The report of the Board of Directors on Corporate Governance is given from page no. 177.

Acknowledgement

The Board of Directors wishes to place on record its appreciation to the patronage and cooperation received from all the stakeholders. The Board also likes to place on record the valuable guidance and excellent support extended by the Reserve Bank of India, Government of India, State Government of West Bengal, other regulatory agencies and all other State level financial institutions. The Board of Directors appreciates the commendable services of the employees at all levels.

For & on behalf of the Board of Directors

Date: May 7th 2015
Place: Kolkata

Petluri Srinivas
Managing Director & Chief Executive Officer

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF UNITED BANK OF INDIA ON CORPORATE GOVERNANCE 2014 - 15

1. Introduction

The Bank endeavours to attain highest standard of Corporate Governance and remains committed to its responsibilities towards all its Stakeholders including Customers, Shareholders, Employees, General Public, Society, Patrons, the Government and Regulators. The Bank has adopted the best practices in terms of disclosure, transparency, business ethics that is aimed at adding to the intrinsic value of the stakeholders of the Institution.

2. Bank's philosophy on Code of Governance

In United Bank of India, the fundamental philosophy of Corporate Governance is guided by the Bank's obligations to its responsibilities and value creation through effective management and control. The Bank's policies and practices are not only consistent with statutory requirements, but also all-encompassing to honour its commitments to take the organization to the next level.

The Bank defines Corporate Governance as a systematic process by which an organization is directed and controlled to maintain a set of well defined ethical standards and at the same time enhance its wealth generating capacity. The Bank on one hand is extremely mindful about shareholder's values while on the other hand responsibly upholds the needs of the economy, national priorities and corporate growth. It recognizes high standards of ethical values, financial discipline and integrity in achieving excellence in all fields of activities. The Bank seeks to proclaim corporate excellence by -

- Upholding shareholder's values within the principles and legal framework of the Nation;
- Extending best of facilities and services to the customers;
- Proclaiming congenial environment for employees, customers and the society at large;
- Ensuring proactive management, free from any bias.

Thus the Bank considers itself a Trustee to the Stakeholders and acknowledges the fiduciary responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth. The Bank adopts this through nimble & transparent corporate strategies, proactive business plans, effective policies, efficient and simplified procedures, rigid ethical standards, strict legal responsibilities and overall professional approach in managing its affairs.

3. Board of Directors

The Board is constituted in accordance with The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "ACT") read with Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "SCHEME").

3.1 Composition of Board of Directors as on March 31, 2015

Type of Directorship	No. of Directors	Description of Directorship
Executive	3	Managing Director & Chief Executive Officer and Executive Directors
Non-Executive	5	Govt. of India Nominee, Reserve Bank of India Nominee, Workman Director, Part-time Non Official Director and Shareholder Director
Total	**8**	

The Directors have been contributing by sharing their diversified knowledge, vast experience and proven expertise in their respective areas of specialization for the development of the Bank.

3.2 Particulars of Board of Directors as on March 31, 2015 :

Sl. No.	Name (DIN)		No. of Equity Shares held	Other Director-ship	Membership in Board level Committees	Chairmanship of Board level Committees	Nature of Appointment / Remarks
1.	**Sri. Petluri Srinivas** DIN: 02836590	Managing Director & Chief Executive Officer	Nil	Nil	11	11	Appointed Wholetime Director under section 9(3)(a) of the Act on 31.12.14 up to 30.06.2016 i.e. the age of his superannuation or until further order, whichever is earlier.
2.	**Sri. Deepak Narang** DIN: 03272814	Executive Director	Nil	Nil	9	-	Appointed Wholetime Director under section 9(3)(a) of the Act on 01.03.12 up to 31.03.2015 i.e. the age of his superannuation or until further order, whichever is earlier.
3.	**Sri. Sanjay Devdutt Arya** DIN: 03420686	Executive Director	Nil	Nil	10	-	Appointed Wholetime Director under section 9(3)(a) of the Act on 18.06.12 up to 30.09.2016 i.e. the age of his superannuation or until further order, whichever is earlier.
4.	**Sri. A. K. Dogra** DIN:07074297	Government Representative	Nil	Nil	10	2	Nominated as Government of India Representative under section 9(3)(b) of the Act on 25.11.2014 until further order.
5.	**Smt. Parvathy V Sundaram** DIN:07005574	RBI Nominee	Nil	Nil	7	-	Nominated as RBI Nominee under section 9(3)(c) of the Act on 13.03.14 until further order.

Sl. No.	Name (DIN)		No. of Equity Shares held	Other Director-ship	Membership in Board level Committees	Chairmanship of Board level Committees	Nature of Appointment / Remarks
6.	**Sri. Sanjib Pati** DIN: 07018133	Workmen Employee Director	Nil	Nil	2	-	Nominated under section 9(3)(e) of the Act on 06.05.2013 for 3 years or until he ceases to be a Workmen Employee of the Bank or until further order, whichever is earlier.
7.	**Smt. Renuka Muttoo** DIN: 07005568	Part-time Non-official Director	100	Nil	9	-	Nominated under section 9(3)(h) of the Act on 24.01.2014 for 3 years or until further order, whichever is earlier.
8.	**Sri. Pratyush Sinha** DIN: 07018125	Shareholder Director	100	Nil	5	3	Elected by the shareholders other than the Central Government under section 9(3)(i) of the Act on 13.09.2013 to hold office for 3 years from 14.09.2013 to 13.09.2016.

- Sri. Bikramjit Shom, Assistant General Manager & Company Secretary acts as the Secretary to the Board of Directors.
- None of the Directors are related inter-se.
- All directors other than the Shareholder Director are appointed/ nominated by the Central Government. Terms and Conditions of appointment, roles & responsibilities, salary & remunerations of all directors are governed by the Central Government rules & regulations. Non-executive directors are entitled to Sitting Fees only.

3.3 Particulars of Directors Appointed / Nominated during the year (Chronologically):

Sl.No.	Name of Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Assumption of office
01.	Sri. A. K. Dogra	Govt. Representative	Non-Executive	25.11.2014
02.	Sri. Petluri Srinivas	MD & CEO	Executive	31.12.2014

3.4 Particulars of Directors Retired/ Vacated office during the Year (Chronologically):

Sl.No.	Name of Director	Designation	Nature of Directorship	Date of Retirement/ Vacation of office
01.	Sri. Hiranya Bora	Non-official Director	Non-Executive	04.04.2014
02.	Sri. Sunil Goyal	Non-official Director under CA Category	Non-Executive	21.07.2014
03.	Sri. Mihir Kumar	Govt. Representative	Non-Executive	25.11.2014
04.	Sri. Kiran B Vadodaria	Non-official Director	Non-Executive	27.11.2014
05.	Sri. Pijush Kanti Ghosh	Officer Employee Director	Non-Executive	18.12.2014
06.	Sri. Deepak Narang	Executive Director	Executive	31.03.2015

3.5 Board Meetings

During the year under review, 9 Board Meetings were held on following dates as against a minimum of 6 meetings prescribed under Clause 12 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

05.05.14	30.05.14	14.08.14	22.09.14	21.10.14	07.11.14	18.12.14	10.02.15	23.03.15

The details of attendance of the Directors at the Board Meetings held during their respective tenure are as under:

Sl.No.	Name of Director	Meetings held during the period of their tenure	Meetings Attended	Leave of Absence
1.	Sri. Petluri Srinivas	2	2	-
2.	Sri. Sanjay Arya	9	9	-
3.	Sri. A. K. Dogra	3	2	1
4.	Smt. Parvathy V Sundaram	9	9	-
5.	Sri. Sanjib Pati	9	9	-
6.	Smt. Renuka Muttoo	9	8	1
7.	Sri. Pratyush Sinha	9	6	3
Directors who retired / vacated office during the F.Y.				
1.	Sri. Hiranya Bora	-	-	-
2.	Sri. Sunil Goyal	2	2	-
3.	Sri. Mihir Kumar	6	4	2
4.	Sri. Kiran B Vadodaria	6	3	3
5.	Sri. Pijush Kanti Ghosh	7	7	-
6.	Sri. Deepak Narang	9	9	-

4. Committees of the Board

In line with the requirements of Ministry of Finance, RBI and the Listing Agreement, the Board has constituted the under-mentioned Committees of Directors. These Committees monitor the activities falling within their terms of reference and as per guidelines.

Management Committee	Committee to Review High Value Frauds	High Powered Committee	Election Committee
Audit Committee	Customer Service Committee	IT Sub Committee of Board	Recovery Committee
Stakeholders' Relationship Committee	Directors' Promotion Committee	Special Committee to monitor officers above 55 yrs.	HR Steering Committee
Risk Management Committee	Remuneration Committee	Nomination Committee	Review Committee of Willful Defaulters

4.1 Management Committee of the Board

4.1.1 The Management Committee of the Board is constituted pursuant to the Clause-13 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 read with the Directives of the Ministry of Finance, Government of India.

4.1.2 During the year under review, the Management Committee of the Board (MCB) met 15 times on the following dates:

26.04.14	30.05.14	27.06.14	17.07.14	14.08.14	16.09.14	22.09.14	21.10.14
21.11.14	18.12.14	26.12.14	22.01.15	20.02.15	03.03.15	24.03.15	

4.1.3 Composition of the Committee and Attendance of the Director Members :

Sl. No.	Name	Directorship	Period of Membership	No. of meetings held	No. of meetings attended	Leave of absence
1.	Sri. Petluri Srinivas	MD & CEO (Chairman)	From 31.12.14	4	4	-
2.	Sri. Sanjay Arya	Executive Director	Whole Year	15	15	-
3.	Smt. Parvathy V Sundaram	RBI Nominee	Whole Year	15	13	2
4.	Sri. Sanjib Pati	Workmen Employee Director	From 05.11.14	7	7	-
5.	Sri. Pratyush Sinha	Shareholder Director	From 28.09.14 to 27.03.15	8	6	2
6.	Smt. Renuka Muttoo	Non-official Director	From 28.03.15	-	-	-
Directors who retired / vacated office during the F.Y.						
1.	Sri Sunil Goyal	Part-time Non-official Director under CA category	Up to 21.07.14	4	4	-
2.	Sri. Kiran B Vadodaria	Part-time Non-official Director	Up to 27.09.14	7	3	4
3.	Sri. Pijush Kanti Ghosh	Officer Employee Director	From 05.05.14 to 04.11.14	7	7	-
4.	Sri. Deepak Narang	Executive Director	Up to 31.03.15	15	15	-

4.1.4. Functions of Management Committee

Management Committee of the Board considers various business matters of material significance like large credit proposals (above ₹ 250 cr. individual/group exposure), new deposit schemes, compromise/write-off (above ₹ 1 Cr.), sanction of capital and revenue expenditures viz. advertisement & publicity, premises, investments, donations etc. The committee also reviews the performances in key areas like risk management, NPA movement, Treasury operations etc. and such other important matters as are referred to it by the Board.

4.2 Audit Committee of the Board

4.2.1. As per the Reserve Bank of India directives and having regard to the fundamentals of Corporate Governance, the Bank has constituted an Audit Committee of the Board (ACB). The Bank originally formed its ACB on June 26, 1995 which was reconstituted from time to time.

4.2.2. As per RBI requirement the meetings of the Audit Committee should ordinarily be held at least once in a quarter and not less than six times a year. During the year the Audit Committee met 10 times on the following dates -

11.04.14	26.04.14	05.05.14	31.05.14	14.08.14
11.10.14	07.11.14	19.12.14	10.02.15	23.03.15

4.2.3 Composition of the Committee and Attendance of the Director Members:

Sl. No.	Name	Directorship	Period of Membership	No. of meetings held	No. of meetings attended	Leave of absence
1.	Sri. Pratyush Sinha	Shareholder Director (Chairman)	Whole Year	10	4	6
2.	Sri. Sanjay Arya	Executive Director	Whole Year	10	10	-
3.	Sri. A. K. Dogra	Government Representative	Form 25.11.14	3	2	1
4.	Smt. Parvathy V Sundaram	RBI Nominee	Whole Year	10	10	-
5.	Smt. Renuka Muttoo	Part-time Non-official Director	Whole Year	10	9	1
Directors who retired / vacated office during the F.Y.						
1.	Sri. Hiranya Bora	Part-time Non-official Director	Up to 04.04.14	-	-	-
2.	Sri Sunil Goyal	Part-time Non-official Director under CA category	Up to 21.07.14	4	4	-
3.	Sri. Mihir Kumar	Government Representative	Up to 25.11.14	7	5	2
4.	Sri. Kiran B Vadodaria	Part-time Non-official Director	Up to 27.11.14	7	3	4
5.	Sri. Deepak Narang	Executive Director	Up to 06.08.14	4	4	-

- Sri. Deepak Narag, Executive Director remained present in the meetings of the Audit Committee as permanent invitee post 06.08.14.
- Sri. Bikramjit Shom, Assistant General Manager & Company Secretary acts as the Secretary to the Audit Committee of the Board of Directors.

4.2.4 **The functions of Audit Committee include the following:**

- Overseeing Bank's financial reporting process and ensuring correct, adequate and credible disclosure of financial information.
- Reviewing with the Management, Quarterly, Half-Yearly and Annual Financial Statements with special emphasis on accounting policies and practices, compliance to accounting standards and other legal requirements concerning financial statements, qualification in the audit report if any, compliance with the clauses of the Listing Agreements and other legal requirements concerning financial institutions, related party transaction, etc.
- Reviewing the findings of investigation by the concurrent auditors, revenue auditors, internal inspectors in matters where fraud is suspected or irregularity or failure of internal control systems is observed and suggesting ways and means to strengthen control mechanisms.
- Interaction and Analysis of Bank's performance with the Statutory Central Auditors before the finalisation of the periodic accounts and reports, focusing on the changes in accounting policies and practices, discussion on Audit Report and audit qualifications if any, LFAR etc;
- Detailed analysis of the findings in the Annual Financial Inspection (AFI) conducted by RBI or such other Audits if any, conducted by the Regulators.
- Looking into the reasons for substantial defaults in the payments to the depositors, shareholders, stakeholders, debenture holders and creditors, if any.
- Reviewing with the management, the performance of Statutory Auditors, concurrent and revenue auditors and adequacy of internal control system, discussing with the auditors significant findings and follow up thereon.
- Giving special focus on the follow up on:
  a) Inter Branch Adjustment Accounts
  b) Un-reconciled long standing entries in Inter Branch Accounts & NOSTRO Accounts.
  c) Arrears in balancing of books at various branches.
  d) Frauds and
  e) Major areas of housekeeping.

4.3 Stakeholders' Relationship Committee

4.3.1 The Stakeholders' Relationship Committee was formed, as prescribed under Clause 49 of the Listing Agreement, with a view to safeguard the interest of all stakeholders and investors of the Bank.

4.3.2 During the year the Committee met 4 times on the following dates:

05.05.14	22.09.14	21.10.14	20.02.15

4.3.3 Composition of the Committee and Attendance of the Director Members:

Sl. No.	Name	Directorship	Period of Membership	No. of meetings held	No. of meetings attended	Leave of absence
1.	Sri. Pratyush Sinha	Shareholder Director (Chairman)	Whole Year	4	4	-
2.	Sri. Sanjay Arya	Executive Director	Whole Year	4	4	-
3.	Smt. Renuka Muttoo	Part-time Non-official Director	Whole Year	4	2	2
Directors who retired / vacated office during the F.Y.						
1.	Sri. Deepak Narang	Executive Director	Up to 31.03.15	4	4	-

- Sri. Bikramjit Shom, Assistant General Manager & Company Secretary acts as the Secretary to the Stakeholders' Relationship Committee of the Board of Directors.

4.3.4 The functions of the Committee are as follows:-

a) Monitoring grievance redressal mechanism put in place by the Bank and monitoring of activities in this regard from time to time.
b) Speedy disposal of transfer, sub-division, rematerialisation and consolidation of shares and revalidation of warrants.

4.4 Risk Management Committee:

4.4.1 The RMCBOD was formed in September 2004 pursuant to a RBI directive with the objective of devising a robust Risk Management Policy and gradually advancing to the Integrated Risk Management environment.

4.4.2 During the year under review, the Committee met thrice on the following dates:

14.08.14	19.12.14	10.02.15

4.4.3 Composition of the Committee and Attendance of the Director Members:

Sl. No.	Name	Directorship	Period of Membership	No. of meetings held	No. of meetings attended	Leave of absence
1.	Sri. Petluri Srinivas	MD & CEO (Chairman)	From 31.12.14	1	1	-
2.	Sri. Sanjay Arya	Executive Director	Whole Year	3	3	-
3.	Sri. A. K. Dogra	Government Representative	From 25.11.14	2	1	1
4.	Smt. Parvathy V Sundaram	RBI Nominee	Whole Year	3	3	-
Directors who retired / vacated office during the F.Y.						
1.	Sri. Mihir Kumar	Government Representative	Up to 25.11.14	1	-	1
2.	Sri. Deepak Narang	Executive Director	Up to 31.03.15	3	3	-

4.4.4 Functions of the Committee are as follows -

The Bank, as a part of its Risk Management Policies has in place, ICAPP Policy, Disclosure Policy, Operation Risk Management Policy, Business Line Mapping Policy, Stress Testing Policy, Credit Risk Mitigation and Collateral Management Policy, Asset Liability Management Policy and Credit Audit Policy, which are approved and periodically reviewed by the Board. The Bank has in place Committees of Executives by the names Credit Risk Management Committee (CRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Asset Liability Management Committee (ALCO) which meet at regular intervals to assess, ascertain, analyze risks associated with the operations, market, credit, and liquidity related to overall business and recommend risk mitigation measures. The Minutes of the Meetings of these Committees are placed before this Committee.

The functions include :-

a) Devising a robust Risk Management Policy and developing a comprehensive strategy for Integrated Risk Management and capital conservation and to oversee functioning of different Risk Management Committees of Executives in the Bank.
b) Framing guidelines for risk measurement.
c) Managing and reporting in all the areas of risk.
d) Ensuring that risk mitigation processes encompassing people, systems, operations, limits and controls is consistent with the Bank's overall policy.
e) Ensuring implementation of strong financial models and the effectiveness of all systems used to calculate risk.

4.5. Special Committee to Review High Value Frauds

4.5.1 With a view to provide focused attention on monitoring frauds involving amounts of Rs.1 Crore and above, a Committee of the Board has been constituted in terms of the guidelines of Reserve Bank of India.

4.5.2 During the year under review, the Committee met twice on the following dates:

21.10.14	23.03.15

4.5.3 Composition of the Committee and Attendance of the Director Members:

Sl. No.	Name	Directorship	Period of Membership	No. of meetings held	No. of meetings attended	Leave of absence
1.	Sri. Petluri Srinivas	MD & CEO (Chairman)	From 31.12.14	1	1	-
2.	Sri. Sanjay Arya	Executive Director	Whole Year	2	2	-
3.	Sri. A. K. Dogra	Government Representative	From 25.11.14	1	1	-
4.	Smt. Renuka Muttoo	Non official Director	Whole Year	2	2	-
Directors who retired / vacated office during the F.Y.						
1.	Sri. Mihir Kumar	Government Representative	Up to 25.11.14	1	1	-
2.	Sri. Pijush Kanti Ghosh	Officer Employee Director	Up to 18.12.14	1	1	-
3.	Sri. Deepak Narang	Executive Director	Up to 31.03.15	2	2	-

4.5.4 Functions of the Committee -

- Identifying systemic lacunae if any, that facilitated perpetration of frauds and putting in place the measures to plug the same.
- Monitoring progress of police/CBI investigations and recovery positions.
- Ensuring that staff accountability is examined at all levels in all cases of frauds, and staff-side actions if required, is completed quickly.
- Reviewing the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds.

4.6 Board Level Customer Service Committee:

4.6.1 Customer Service Committee has been formed pursuant to directives of RBI, with a focus to improve the standards of customer service in the Bank and to maintain the high standards of customer satisfaction.

4.6.2 The Committee met once on 14.08.14.

4.6.3 Composition of the Committee and Attendance of the Director Members:

Sl. No.	Name	Directorship	Period of Membership	No. of meetings held	No. of meetings attended	Leave of absence
1.	Sri. Petluri Srinivas	MD & CEO (Chairman)	From 31.12.14	-	-	-
2.	Sri. Sanjay Arya	Executive Director	Whole Year	1	1	-
3.	Smt. Parvathy V Sundaram	RBI Nominee	Whole Year	1	1	-
Directors who retired / vacated office during the F.Y.						
1.	Sri. Deepak Narang	Executive Director	Up to 31.03.15	1	1	-

4.6.4 The Functions of the Customer Service Committee-

- Overseeing the functioning of the Bank's Adhoc Committee on Procedures and performance Audit on Customer.
- Review of Comprehensive Deposit Policy, incorporating issues such as the treatment of operations of a depositor's account after his death, product approval process, annual survey of depositor satisfaction and triennial audit of such services;
- Introducing from time to time innovative measures for enhancing the quality of customer service;
- Endeavouring enrichment of customer satisfaction level across all categories;

4.7 Directors' Promotion Committee

4.7.1 A Special Committee was formed in terms of Regulation 19(2) of the United Bank of India (Officers') Service Regulations, 1982 to review the disciplinary cases of executives in SMG Scale-VI and above. The Committee also conducts promotions of top executives (Scale VII) of the Bank.

4.7.2 There was no meeting of the Committee held during the financial year.

4.7.3 The Composition of the Committee is as under -

Sl. No.	Name	Directorship	Period of Membership
01.	Sri. P. Srinivas	MD & CEO (Chairman)	From 31.12.14
02.	Sri. A. K. Dogra	Government Representative	From 25.11.14
03.	Smt. Parvathy V Sundaram	RBI Nominee	Whole Year
Directors who retired / vacated office during the F.Y.			
1.	Sri. Mihir Kumar	Government Representative	Up to 25.11.14

4.7.4 Functions of the Committee -

- Conducting Promotion of employees from 'Top Executive Grade - VI' to 'VII' after due assessment of all parameters of performance and potential of concerned candidates and overseeing disciplinary proceedings involving officers.

4.8 Remuneration Committee

4.8.1 The Remuneration Committee has been formed in terms of Ministry of Finance Notification F. No. 20/1/2005 - BO-I dated March 9th 2007, to deliberate on the Performance Linked incentives of whole-time directors of Public Sector Banks, subject to achievement of broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix, based on the statement of intent on goals and qualitative parameters and benchmarks based on various compliance reports during the previous year.

4.8.2 The Committee met once on 23.03.15.

4.8.3 Composition of the Committee and Attendance of the Director Members:

Sl. No.	Name	Directorship	Period of Membership	No. of meetings held	No. of meetings attended	Leave of absence
1.	Sri. A. K. Dogra	Government Representative (Chairman)	From 25.11.14	1	1	-
2.	Smt. Parvathy V Sundaram	RBI Nominee	Whole Year	1	1	-
3.	Smt. Renuka Muttoo	RBI Nominee	Whole Year	1	1	-
4.	Sri. Pratyush Sinha	Shareholder Director	Whole Year	1	1	-
Directors who retired / vacated office during the F.Y.						
1.	Sri. Mihir Kumar	Government Representative	Up to 25.11.14	-	-	-

4.8.4 No Performance Linked Incentive was paid to any wholetime director for 2013-14.

4.8.5 Functions of the Committee -

- Evaluating performances of the wholetime directors of the Bank in respect of broad quantitative parameters fixed for performance evaluation matrix based on Statement of Intent on goals and qualitative parameters and benchmarks based on various compliance reports for determining eligibility of the wholetime directors to Performance Linked Incentive in respect of concerned Previous Year.

4.9 High Powered Committee:

4.9.1 This committee has been constituted to review disciplinary cases against the employees of the Bank involving both vigilance and non-vigilance cases.

4.9.2 The Committee met twice during the year under review on the following dates:

14.08.14	07.11.14

4.9.3 Composition of the Committee and Attendance of the Director Members:

Sl. No.	Name	Directorship	Period of Membership	No. of meetings held	No. of meetings attended	Leave of absence
1.	Sri. Petluri Srinivas	MD & CEO (Chairman)	From 31.12.14	-	-	-
2.	Sri. Sanjay Arya	Executive Director	Whole Year	2	2	-
3.	Sri. A. K. Dogra	Government Representative	From 25.11.14	-	-	-
4.	Smt. Parvathy V Sundaram	RBI Nominee	Whole Year	2	2	-
Directors who retired / vacated office during the F.Y.						
1.	Sri. Mihir Kumar	Government Representative	Up to 25.11.14	2	1	1
2.	Sri. Deepak Narang	Executive Director	Up to 31.03.15	2	2	-

4.9.4 Functions of the Committee -

- Monitoring the progress being made for expeditious completion of each stage of the disciplinary proceedings.
- Issuing directions for ensuring timely completion of departmental enquiries.
- Reviewing actions taken towards preventive vigilance checks.

4.10. IT Sub Committee of Board:

4.10.1 This committee has been constituted to review functioning of in-house IT-Committee of Executives, IT related activities and to issue guidelines for technical up-gradation and introduction of new IT related products.

4.10.2 The Committee met 5 times during the year under review on the following dates:

30.05.14	17.07.14	22.09.14	18.12.14	20.02.15

4.10.3 Composition of the Committee and Attendance of the Director Members:

Sl. No.	Name	Directorship	Period of Membership	No. of meetings held	No. of meetings attended	Leave of absence
1.	Sri. Pratyush Sinha	Shareholder Director (Chairman)	Whole Year	5	5	-
2.	Sri. Sanjay Arya	Executive Director	Whole Year	5	5	-
3.	Smt. Renuka Muttoo	Non-official Director	Whole Year	5	2	3
Directors who retired / vacated office during the F.Y.						
1.	Sri. Deepak Narang	Executive Director	Up to 31.03.15	5	5	-

4.10.4 Functions of the Committee -

- Reviewing functioning of in-house IT Committees of Executives.
- Reviewing functioning of CBS - Steering Committee of Executives.
- Overseeing IT - activities of the Bank and giving necessary guidance.
- Issuance of guidelines for technical upgradation and introducing new IT related products and services.

4.11. Nomination Committee

4.11.1 The Committee was constituted for the purpose of determination of the 'Fit & Proper' status, as per the prescribed RBI guidelines in this regard, of the candidates nominated by the requisite number of shareholders for the Directorship of the Bank as representative of the shareholders.

4.11.2 There being no election during the year under review, the Committee did not meet.

4.11.3 The Committee was reconstituted with the following Directors on 23.03.15 -

Sl. No.	Name	Directorship	Period of Membership
01.	Sri. A. K. Dogra	Government Representative (Chairman)	From 23.03.15
02.	Smt. Renuka Muttoo	Non official Director	From 23.03.15
03.	Sri. Sanjib Pati	Workmen Employee Director	From 23.03.15

4.11.4 Functions of the Committee

- Determining 'Fit & Proper' status of the candidates nominated to be contenders for the membership on the Board of Directors of the Bank as per prescribed criteria of Reserve Bank of India.

4.12 Special Committee to Monitor Officers above 55 Years

4.12.1 The Committee has been formed to review the employees who have attained the age of 55 years or completed a continuous period of 30 years in service, whichever is earlier.

4.12.2 The Committee met twice during the financial year on the following dates -

31.05.14	23.03.15

4.12.3 Composition of the Committee and Attendance of the Director Members:

Sl. No.	Name	Directorship	Period of Membership	No. of meetings held	No. of meetings attended	Leave of absence
1.	Sri. Petluri Srinivas	MD & CEO (Chairman)	From 31.12.14	1	1	-
2.	Sri. A. K. Dogra	Government Representative	From 25.11.14	1	1	-
3.	Smt. Renuka Muttoo	Non-official Director	From 16.03.15	1	1	-
Directors who retired / vacated office during the F.Y.						
1.	Sri. Mihir Kumar	Government Representative	Up to 25.11.14	1	-	1
2.	Sri. Kiran B Vadodaria	Non-official Director	Up to 27.11.14	1	1	-
3.	Sri. Deepak Narang	Executive Director	Up to 31.03.15	1	1	-

4.12.3 Functions of the Committee -

- Reviewing the suitability of employees in service who have either attained the age of 55 or have completed 30 years of total service in the Bank, whichever is earlier.

4.13 Election Committee of the Board of Directors

4.13.1 The Committee was formed on April 21st, 2012 as per the direction of the Ministry of Finance, Government of India vide its letter no.16/11/2012 - BO.I dated April 3rd 2012 under the chairmanship of the Chairman & Managing Director for the purpose of selection of most suitable candidates among shareholders contesting election to become Directors in other Public Sector Banks, Insurance Companies and Govt. Financial Institutions and to support them.

4.13.2 In absence of any election of Directors in any PSU/PSB the Committee did not have any meeting during the year.

4.13.3 The Committee shall be reconstituted as and when required.

4.13.4 Functions of the Committee:

- Selection of most suitable candidates among shareholders contesting election to become Directors in other Public Sector Banks, Insurance Companies and Govt. Financial Institutions and to authorize the Bank to support them.

4.14 Recovery Committee of the Board of Directors

4.14.1 The Committee was formed on December 8th 2012, as per the direction of the Ministry of Finance, Government of India vide its letter no. F.No.7/112/2012-BOA dated November 21st 2012 for the purpose of monitoring the progress in recovery on regular basis and this Committee submits its report to the Board at periodic intervals.

4.14.2 The Committee met on 3 occasions during the financial year on the following dates -

22.09.14	10.02.15	23.03.15

4.14.3 Composition of the Committee and Attendance of the Director Members:

Sl. No.	Name	Directorship	Period of Membership	No. of meetings held	No. of meetings attended	Leave of absence
1.	Sri. Petluri Srinivas	MD & CEO (Chairman)	From 31.12.14	2	2	-
2.	Sri. Sanjay Arya	Executive Director	Whole Year	3	3	
3.	Sri. A. K. Dogra	Government Representative	From 25.11.14	2	2	-
Directors who retired / vacated office during the F.Y.						
1.	Sri. Mihir Kumar	Government Representative	Up to 25.11.14	1	1	-
2.	Sri. Deepak Narang	Executive Director	Up to 31.03.15	3	3	-

4.14.4 Functions of the Committee:

- Monitoring the progress of recovery at regular intervals.
- Deliberate, discuss and decide on matters pertaining to NPA, Monitoring mechanism, formation of Recovery Strategies, Compromise, Restructuring, Recovery Strategies for Shadow Accounts etc.
- Such other matters pertaining to Recovery, Monitoring, Restructuring and NPA as may be felt expedient by the Committee.

4.15 Board Level Steering Committee on HR

4.15.1 The Committee was formed on January 20, 2011 pursuant to the recommendation of the Khandelwal Committee constituted by the Ministry of Finance for detailed study on the HR-issues in Public Sector Banks.

4.15.2 There was no meeting held during the year under review.

4.15.3 The composition of the Committee is as under -

Sl. No.	Name	Directorship	Period of Membership
1.	Sri. Petluri Srinivas	MD & CEO (Chairman)	From 31.12.14
2.	Sri. Sanjay Arya	Executive Director	Whole Year
3.	Sri. A. K. Dogra	Government Representative	From 25.11.14
4.	Prof. Debashish Bhattacharjee	Dept. of HR, IIM – Kolkata	Whole Year
5.	Prof. Deepa Mazumder	Faculty (HR), NIBM, Pune	Whole Year
Directors who retired/ vacated office during the F.Y.			
1.	Sri. Mihir Kumar	Government Representative	Up to 25.11.14
2.	Sri. Deepak Narang	Executive Director	Up to 31.03.15

4.15.4 Functions of the Committee -

- Providing guidance to the Bank on professionalization of HR functions in the Bank by building a strong and contemporary HR architecture with modern scientific systems.
- Advising the top management in developing a talented, dedicated and motivated workforce.

4.16 Review Committee on Declaration of Willful Defaulters

4.16.1 The Committee was formed on February 10, 2015 pursuant to the Master Circular of Reserve Bank of India on Willful Defaulters dated July 1, 2014 (as updated up to January 7, 2015).

4.16.2 The Committee met once during the year on 23.03.14.

4.16.3 Composition of the Committee and Attendance of the Director Members:

Sl. No.	Name	Directorship	Period of Membership	No. of meetings held	No. of meetings attended	Leave of absence
1.	Sri. Petluri Srinivas	MD & CEO (Chairman)	Since inception	1	1	-
2.	Smt. Renuka Muttoo	Non-official Director	Since inception	1	1	-
3.	Sri. Pratyush Sinha	Shareholder Director	Since inception	1	1	-

4.16.4 Functions of the Committee -

- To confirm the orders passed by the Identification Committee on Willful Defaulters headed by the Executive Director to give them finality.

5. Credit Approval Committee

5.1 The Committee has been constituted pursuant to Clause 13A of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970.

5.2 The Committee met on 9 occasions during the Financial Year on the following dates -

08.11.14	31.12.14	10.01.15	21.02.15	10.03.15	25.03.15	26.03.15	28.03.15	30.03.15

5.3 Composition of the Committee and Attendance of the Members of the Committee:

Sl. No.	Name	Directorship	Period of Membership	No. of meetings held	No. of meetings attended	Leave of absence
1.	Sri. Petluri Srinivas	MD & CEO (Chairman)	From 31.12.14	8	8	-
2.	Sri. Sanjay Arya	Executive Director	Whole Year	9	9	-
3.	Sri. Debasish Mukherjee	General Manager – Credit	Whole Year	9	8	1
4.	Sri. Sanjay Kumar	General Manager – Treasury	Whole Year	9	9	-
Members who retired / vacated office during the F.Y.						
1.	Sri. Deepak Narang	Executive Director	Up to 31.03.15	9	6	3
2.	Sri. Ambarisha Nanda	Chief General Manager in-charge of Risk Management	Up to 31.03.15	9	8	1

5.4 Functions of the Committee:

- The Committee is empowered to exercise the powers of the Board with regard to credit proposals up to Rs. 250 crore;
- Proposals for loan compromise / write-off.

6. Usage of Issue Proceeds from the Preferential Allotment

Allotment Date	Particulars of Allotment	Purpose
21.06.14	Bank allotted 7,74,00,000 equity shares to the Central Government by conversion of 27477 units of Perpetual Non-cumulative Preference shares (PNCPS) at a price of Rs.35.50 per share through Preferential Allotment under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations 2009, as amended.	Augmentation of Tier - I capital of the Bank and taking full benefit of the capital under BASEL-III norms by conversion of the PNCPS under BASEL - II norms.
28.07.14	Bank made a Preferential Allotment of 8,45,07,042 equity shares under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations 2009, as amended for Rs. 35.50 per share to Life Insurance Corporation of India for Cash.	The capital raised was utilized for the purpose of shoring up of the Common Equity and Tier - I capital of the Bank.
14.03.15	Bank allotted 12,28,60,818 equity shares to the Central Government by conversion of 52523 units of Perpetual Non-cumulative Preference shares (PNCPS) at a price of Rs.42.75 per share through Preferential Allotment under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulations 2009, as amended.	Augmentation of Tier - I capital of the Bank and taking full benefit of the capital under BASEL-III norms by conversion of the PNCPS under BASEL - II norms.

7. Changes in Accounting Treatment

Having no modification in the Accounting Policies, the treatment for charging depreciation on fixed assets has been given effect to the accounts in accordance with the provisions under the Companies Act 2013.

8. Risk Management Policy

The Bank has an Integrated Risk Management Department to assess and mitigate risk and lay down risk management policies touching upon various aspects of Bank's functioning. All risk management policies and initiatives are placed before the Board of Directors through Risk Management Committee of the Board.

9. Code of Conduct

9.1 All the Directors of the Bank are governed by the Code of Conduct prescribed by the Reserve Bank of India, and also the Code of the Conduct framed by the Bank as prescribed under Listing Agreement. All the officers in the rank of General Manager of the Bank are also governed by the Bank's Code of Conduct as prescribed in the Listing Agreement. The text of the same is available on the website of the Bank - www.unitedbankofindia.com.

9.2 All the Directors and General Managers have affirmed their compliance with the applicable Code of Conduct.

10. Sitting Fees

As per Government's letter F.No 15/1/2011 - BO I dated October 18, 2011, all Non-Wholetime Directors, other than the Government of India Nominee representative and Reserve Bank of India Nominee Director, are paid sitting fees at the rate Rs.10,000/- each for attending every Board Meeting and Rs.5000/- each for attending every Committee Meeting of the Board.

11. Compliance Officer

Sri. Bikramjit Shom, Company Secretary & Secretary to the Board is functioning as the Compliance Officer for the purpose of complying with various provisions of SEBI Act, Rules & Regulations made thereunder, Listing Agreements with Stock Exchanges, and such other rules, regulations and guidelines of such regulators as may be applicable.

12. Share Transfer System & Redressal of Investors' Grievances

Share transfers and other investor related activities are attended to and processed at the office of the Bank's Registrar and Share Transfer Agent. The Bank ensures that all transfers of shares are duly effected within the stipulated period of 15 days from the date of lodgement. The Board has constituted Stakeholders' Relationship Committee to take care of all issues pertaining to investors,

including investors' grievances. The Committee meets at regular intervals and reviews the status of Investors' Grievances besides routine deliberations pertaining to transaction in shares.

The Bank has appointed **M/s. LINK INTIME INDIA (P) Ltd.** as its Registrar & Share Transfer Agent whose duties include inter-alia processing of share transfers, addressing investors' requests, resolution of investors' grievances amongst other activities connected with the issue of Shares. For the convenience of investors, requests for the share transfers and grievances/complaints from shareholders are also accepted at the Bank's Head Office in Kolkata.

The prompt response and immediate redressal of grievances of shareholders is the utmost concern of the Bank and is ensured in totality.

12.1 Share Transfer System:

Transfers of Bank's Equity Shares are taken care of by the Registrar & Share Transfer Agent - M/s. Link Intime India (P) Ltd. In the cases of share transfer requests in physical form, as and when received by them, are scrutinized and if found in order, are processed and sent to Bank's Head Office for approval.

The lists of requests for share transfers/ dematerialisation/ rematerialisation/ split/ replacement/ consolidation etc. processed are placed before the Stakeholders' Relationship Committee of the Board for approval. The meetings of the Stakeholders' Relationship Committee are held on quarterly basis. The requisite authority has been delegated by the Committee to the officers in the ranks of General Managers and Company Secretary to issue necessary approvals to the requests for transfer/ transmission/ sub-division/ split/ rematerialisation etc. received in between two Committee Meetings and to have those cases ratified at the subsequent Committee Meeting. On receipt of the necessary approval from the Bank, M/s. Link Intime India (P) Ltd., effects the transfers, remat etc.

The Minutes of the meetings of the Stakeholders' Relationship Committee are noted by the Board of Directors.

As per Clause 47C of the Listing Agreement the Bank furnishes with the Stock Exchanges on half yearly basis the Certificate issued by the Practicing Company Secretary confirming that all the share certificates have been duly processed and delivered. Bank also files Quarterly Reconciliation of Share Capital of the Bank certified by the Practicing Company Secretary with the Stock Exchanges under Regulation 55A of the SEBI (Depositories & Participants) Regulations 2003.

12.2 Position of Investors' Grievances

The communications from the shareholders are received directly by M/s. Link Intime India Pvt. Ltd. as well as by the Bank which are then forwarded to the Registrar. During Financial Year 2014-15 the position of communications received from shareholders are as under -

Pending as on 01.04.14	Received during the year	Resolved during the year	Pending as on 31.03.15
Nil	99	99	Nil

None of the above complaints remained pending for more than a month. As on March 31, 2015, no share transfer request was pending at the Bank's end.

12.3 Position of Shares lying in Suspense Accounts

As on March 31, 2015 position of the Suspense Account created for the purpose of keeping the shares that could not be transferred to the allottee in IPO of the Bank is as under -

As on 01.04.14	Shares transferred during the Year	Balance in Suspense Account
6707	300	6407

The Bank has uploaded on its website the list of the shareholders holding the above 6407 shares lying in the Suspense Account.

12.4 Disclosure, communication and relationship with shareholders

The Bank is guided by the RBI guidelines on Related Party disclosures. The Bank has complied with the RBI guidelines in this regard. The details of Related Party Transactions of the Bank including Directors' remunerations as per AS-18 are disclosed in the Notes on Accounts (Schedule 18) to the Balance Sheet as on March 31, 2015.

The Bank has complied with all the requirements regarding capital market related matters and has not been imposed any penalty or stricture by the Stock Exchanges or SEBI during the financial year 2014-15. The Bank will conduct the Annual General Meeting in accordance with relevant requirements of law within the statutory time frame.

Information relating to the Bank is sent to the shareholders mainly through the Annual Report which includes the Chairman's address, the Directors' Report, Report on Corporate Governance, Audited Accounts, Cash Flow Statement, disclosure on Capital Adequacy etc. The shareholders are also informed about the quarterly, half-yearly and annual performances of the Bank through publication in newspapers, reporting to the stock exchanges, press releases and also through Bank's website (www.unitedbankofindia.com).

During the year the financial results of the Bank, were published in the following newspapers:

Period	Name of the Daily		Date of Publication
	English	Bengali	
Quarter ended June 2014	Business Standard	Ei Shomoy	15.08.14
Quarter/ Half Year ended September 2014	Financial Express	Ei Shomoy	08.11.14
Quarter ended December 2014	Business Standard	Ei Shomoy	11.02.15
Quarter/ Year ended March 2015	Business Standard / Mint	Ananda Bazar Patrika	08.05.15

13. Mandatory and Non-Mandatory requirements

13.1 The Bank is a body corporate regulated by The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970, Banking Regulations Act 1949, Banking Companies (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme 1970, Government and RBI notifications and guidelines issued from time to time. The Bank has complied with all the provisions of Clause 49 of the Listing Agreement subject to the aforesaid statutes, scheme, notifications and guidelines.

13.2. Bank has an approved Whistle Blower Policy in place and the same is uploaded on Bank's website. We affirm that no personnel has been denied access to the Audit Committee of the Board.

13.3 The extent of implementation of non-mandatory requirements is furnished hereunder.

	NON - MANDATORY REQUIREMENTS	COMPLIANCES
13.3.1	The Board - A non-executive Chairman may be entitled to maintain a Chairman's office at the company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his duties.	Appointment of non-executive Chairman by the Government is yet to take place. The Board of the Bank is presently chaired by the Managing Director & CEO.
13.3.2	Shareholder Rights - A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in last six-months, may be sent to each household of shareholders.	Bank's Financial Results are published in Newspapers, intimated to Stock Exchanges and also uploaded on the Bank's Website.
13.3.3	Audit Qualifications - Company may move towards a regime of unqualified financial statements.	The Bank's financial result for 2014-15 was unqualified.
13.3.4	Separate posts of Chairman and CEO - The company may appoint separate persons to the post of Chairman and Managing Director / CEO.	The positions of Chairman and Managing Director & CEO have been separated. However, the Government is yet to appoint the Chairman of the Board.

14. Shareholders' Information

14.1 During the year under review the Bank held its Annual General Meeting on Wednesday, June 18th 2014 at 10.00 a.m. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027. The following Directors were present at the Annual General Meeting -

Sri Sanjay Arya	Executive Director	Sri Sunil Goyal	Chairman - Audit Committee
Smt. Renuka Muttoo	Non-official Director	Sri Pratyush Sinha	Shareholder Director
	Sri Pijush Kanti Ghosh	Officer Employee Director	

14.2. Details of last 3 Annual General Meetings:

Date	June 28, 2012	June 21, 2013	June 18, 2014
Time	10.30 A.M.	9.30 A.M.	10.00 A.M.
Venue	Bhasha Bhavan, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata – 27	Bhasha Bhavan, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 27	Bhasha Bhavan, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 27
Special Resolution	Nil	Raising of capital up to Rs.1000 crore by way of Public Issue, Rights Issue, QIP or such other form of issue	Raising of capital up to Rs.1000 crore by way of Public Issue, Rights Issue, QIP or such other form of issue Preferential Allotment under Chapter VII of SEBI ICDR Regulations of 8,45,07042 equity shares at Rs.35.50 per share to LIC or fund(s) thereof & 7,74,00,000 equity shares at Rs. 35.50 per share to Central Government by conversion of 27477 units of PNCPS of Rs.100,000/- each.
Voting Pattern	Not Applicable	Passed with requisite majority;	Assent: 50,54,16,329 Dissent: 4,94,725 Abstain: 225 Assent: 50,54,14,809 Dissent: 4,96,245 Abstain: 225
Postal Ballot	Nil	Nil	Nil

14.3 During the year under review the Bank has held one Extra-Ordinary General Meeting of its Shareholders, on Friday, March 13th 2014 at 10.00 a.m. at Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedre Road, Alipore, Kolkata - 700027 to approve by special resolution, the Preferential Allotment of Equity Shares for cash and by conversion of Perpetual Non-cumulative Preference Shares to The President of India on behalf of Government of India. The shareholders passed the special resolution with thumping majority.

The Bank has not initiated any Postal Ballot during the year under review.

14.4 Financial Year of the Bank is from 01.04.14 to 31.03.15.

14.5 Tentative Financial Calendar for FY 2015-16

Period Ended	Tentative Result timing
June 30, 2015	End of July 2015
September 30, 2015	End of October 2015
December 31, 2015	End of January 2016
March 31, 2016	End of April 2016

14.6 Book Closure & Record Date

Purpose	Book Closure (Period)	Record Date
Annual General Meeting	11.06.14 to 18.06.14 (Both days inclusive)	Not Applicable

14.7 The Bank's shares are listed on the following Stock Exchanges:

National Stock Exchange of India Limited	BSE Limited
Exchange Plaza, Plot No. C/1, G-Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (East) Mumbai-400051	Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai -400001.
Scrip Code: UNITEDBNK	Scrip Code: 533171; Scrip Id - UNITEDBNK

The annual listing fees to both the exchanges have been paid up to date.

15. Share Related Information

15.1 Dematerialisation of Securities

The Bank's shares were compulsorily allotted in demat form in the IPO, traded on the Exchanges in dematerialised mode and can be dematerialised with National Securities Depository Ltd. and Central Depository Services (India) Ltd. The Bank has been allotted ISIN Code No.INE 695A01019 for the Dematerialised Equity Shares. However, the dematerialisation of Bank's shares is not mandatory and the shareholders can keep their shares in physical form also by conversion of their electronic holding through rematerialisation. There is normal liquidity as the shares of the Bank are dealt with on the two premier Stock Exchanges of the country i.e. BSE and NSE.

The Bank has ensured quarterly reconciliation of its share capital duly certified by the Practicing Company Secretary as required under SEBI (Depositories & Participants) Regulations 2003.

Particulars of shares in Demat form as on March 31, 2015 are as under:

Demat	No. of Holders	No. of shares	Holding%
In CDSL	28538	699982213	83.38%
In NSDL	48560	139512681	16.62%
Physical	311	21057	-
Total	**77409**	**839515951**	**100%**

There was no instance of demat being confirmed or credited in either depository beyond 21 days.

15.2 Dividend paid by the Bank during the year 2014-15

In view of the loss incurred, the Bank did not declare any dividend for the financial year 2013-14 and hence there was no dividend paid during the period under review.

15.3 Share Capital of the Bank

As per section 3(2A) of Banking Companies Acquisition and Transfer of Undertaking (Act) 1970, as amended, the Authorised Capital of the Nationalised Bank shall be ₹ 3000 crore divided into 300 crore fully paid equity shares of ₹10/- each.

The issued, subscribed and paid-up capital of the Bank is ₹ 839,51,59,510/- as on March 31st 2015, divided into 83,95,15,951 equity shares of ₹10/- each in which the Government of India holds 68,84,30,610 Equity Shares and is the major shareholder (82.003%) of the Bank.

During the year the Bank issued and allotted 20,02,60,818 equity shares of ₹10/- each at premium to the Central Government by conversion of 80000 units of Perpetual Non-cumulative Preference Shares of ₹100,000/- each through Preferential Allotment under Chapter VII of the SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations 2009.

The Bank also made Preferential Allotment under Chapter VII of the SEBI (Issue of Capital & Disclosure Requirements) Regulations 2009, 8,45,07,042 equity shares of ₹ 10/- each at premium to Life Insurance Corporation of India for cash aggregating ₹ 300,00,00,000/- (Three Hundred Crore).

Capital Structure of the Bank as on 31st March 2015 is as follows:

	₹ in Crore
Authorised Capital	3000.00
Issued, Subscribed & Paid-up Capital (83,95,15,951 equity shares of ₹10/- each)	839.52

Table 1: Category wise Distribution of Equity Shareholding as on March 31, 2015

	Category	No. of shares	Shareholding%
A	Promoters' Holding		
1	Government of India	688430610	82.003
2	Persons Acting in Concern	-	-
	Sub-Total	**688430610**	**82.003**
B	Non-Promoters' Holding		
	Institutional Investors		
	a) Mutual Funds & UTI	8963331	1.068
	b) Banks/Financial Institutions	198600	0.024
	c) Insurance Companies	103400951	12.317
	d) FIIs	574055	0.068
	Sub-Total	**113136937**	**13.477**
C	Others		
	a) Bodies Corporate	6499364	0.773
	b) Clearing Members	1120824	0.134
	c) Indian Public	27845011	3.316
	d) NRIs	961489	0.115
	e) NRN	198396	0.024
	f) Trusts	52100	0.006
	g) Office Bearers	1171403	0.140
	h) Foreign National	100	
	i) Hindu Undivided Family	5	
	j) Foreign Port Folio Investor	99712	0.012
	Sub-Total	**37948404**	**4.520**
	Grand Total	**839515951**	**100.00**

Bank has not issued any partly paid shares / convertible instruments / warrants.

Table 2: Total Foreign Shareholding as on March 31, 2015

	Particulars	No. of Shares	Shareholding%
1.	GDR & ADR holding	Nil	Nil
2.	Foreign Promoters	0	0
3.	Foreign Institutional Investors	574055	0.068
4	Foreign Mutual Funds	0	0
5.	NRIs	961489	0.115
6.	NRN	198396	0.024
7.	Foreign Banks	Nil	Nil
8.	Foreign National/OCB	100	0
9	Foreign Port Folio Investor	99712	0.012
	Total	**1833752**	**0.219**

Table 3: List of Shareholders with more than 1% shareholding as on March 31, 2015

	Name of shareholders	No. of Shares	Shareholding%	Category
1	President of India	688430610	82.003	Promoter
2.	LIC of India	101728073	12.117	Insurance Company
3	SBI Emerging Businesses Fund	8457331	1.007	Insurance Company

15.4 Market Price Data

The monthly high and low share prices on BSE and NSE for the year 2014-15:-

BSE LTD.				NSEIL			
Date	High	Date	Low	Date	High	Date	Low
10.04.2014	33.60	07.04.2014	30.40	09.04.2014	33.50	03.04.2014	29.20
26.05.2014	52.70	02.05.2014	32.30	26.05.2014	52.70	02.05.2014	32.30
11.06.2014	55.65	27.06.2014	41.80	11.06.2014	55.60	27.06.2014	42.50
04.07.2014	61.65	01.07.2014	42.50	04.07.2014	61.75	01.07.2014	42.50
01.08.2014	51.65	14.08.2014	42.20	01.08.2014	51.60	14.08.2014	42.25
01.09.2014	48.25	26.09.2014	39.30	03.09.2014	48.35	26.09.2014	39.20
09.10.2014	45.20	20.10.2014	39.85	09.10.2014	45.25	20.10.2014	39.80
07.11.2014	46.95	26.11.2014	40.75	07.11.2014	46.90	26.11.2014	40.60
05.12.2014	43.10	17.12.2014	37.05	05.12.2014	43.10	17.12.2014	37.00
02.01.2015	46.55	29.01.2015	39.90	02.01.2015	46.65	29.01.2015	39.85
03.02.2015	42.25	10.02.2015	35.60	03.02.2015	42.30	10.02.2015	35.65
04.03.2015	37.90	25.03.2015	26.85	04.03.2015	37.95	25.03.2015	26.75

Price Movement of Bank's Share vis-à-vis Index in 2014-15 :-

SENSEX

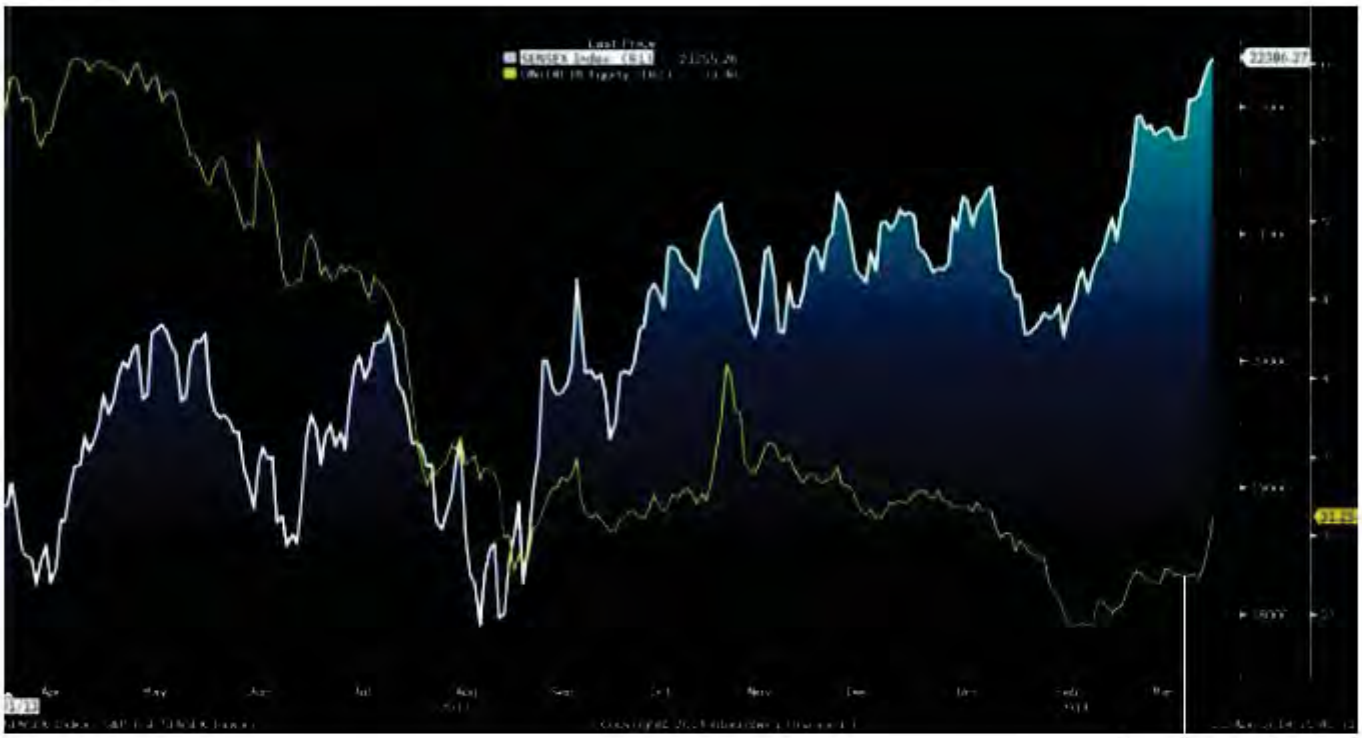

UBI

NIFTY

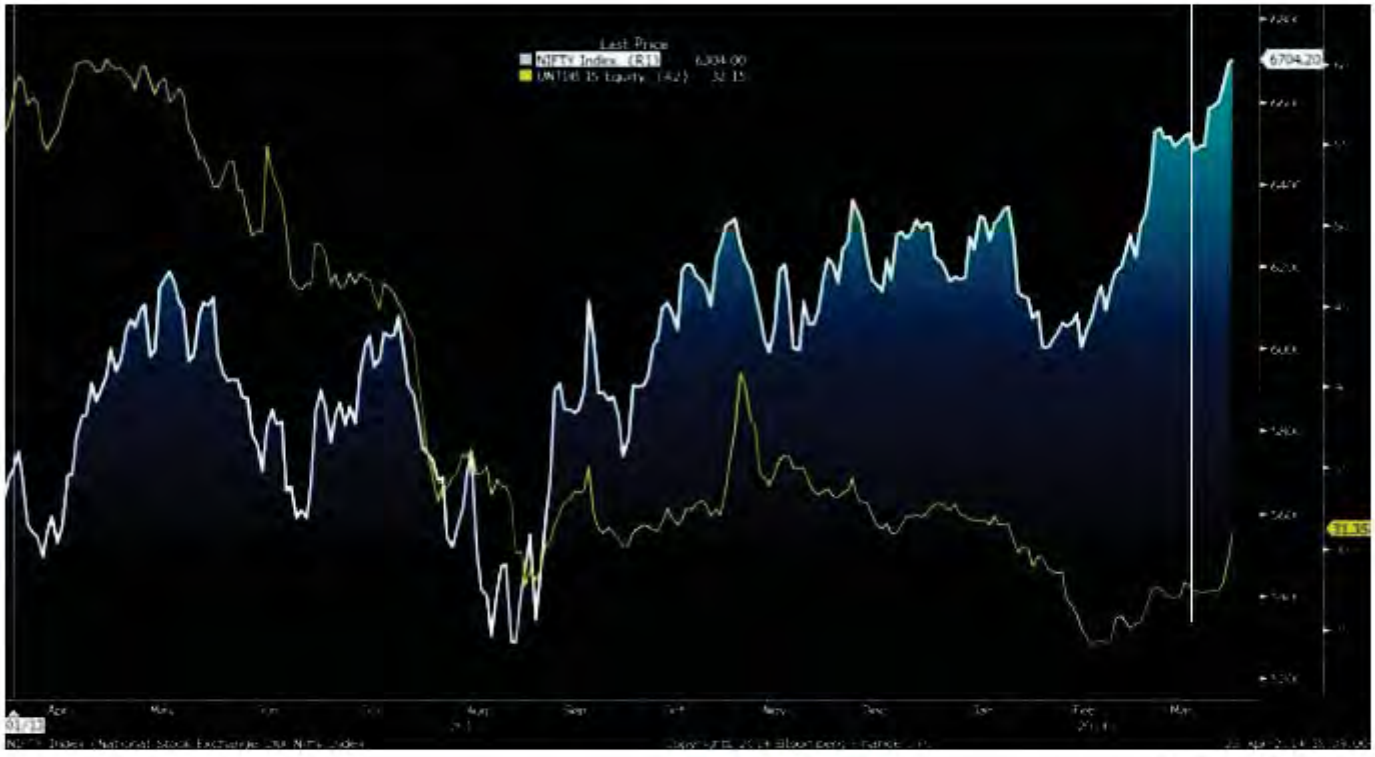

(Source: Bloomberg)

15.5. Value wise Distribution of Shareholding as on March 31, 2015

	Shareholding Range			No. of holders	Percentage	Total shares	Percentage
1	1	to	5000	76592	98.9446	22063488	2.6281
2	5001	to	10000	473	0.6110	3417073	0.4070
3	10001	to	20000	175	0.2261	2434168	0.2899
4	20001	to	30000	62	0.0801	1503649	0.1791
5	30001	to	40000	23	0.0297	820994	0.0979
6	40001	to	50000	16	0.0207	741020	0.0883
7	50001	to	100000	35	0.0452	2490407	0.2966
8	100001 & above			33	0.0426	806045152	96.0131
	Total			77409	100.0000	839515951	100.0000

15.6 There is no outstanding ADR / GDR / Warrant / Convertible Instrument as on March 31, 2015.

15.7 Addresses for Correspondence:-

Registrar & Share Transfer Agent	Share Department & Investor Grievances Cell	Company Secretary & Compliance Officer
Link Intime India (P) Ltd. (Unit: United Bank of India) 59C, Chowringhee Road 3rd Floor, Kolkata – 700020	United Bank of India Head Office, 4th Floor 11, Hemanta Basu Sarani Kolkata – 700001	United Bank of India Head Office, 5th Floor 11, Hemanta Basu Sarani Kolkata – 700001
Contact Details		
Tel: 91 33 22890540	Tel: 91 33 22483857	Tel: 91 33 22487471-76
Email:kolkata@linkintime.co.in	Email: investors@unitedbank.co.in	
	Website: www.unitedbankofindia.com	

For & on behalf of the Board of Directors

Date: May 7th 2015
Place: Kolkata

Sd/-
Petluri Srinivas
Managing Director & Chief Executive Officer

UNITED BANK OF INDIA
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700 001

DECLARATION

This is to confirm that the Bank has laid down a Code of Conduct for all Board Members and Top Management i.e. the Executives immediately below the Board level and the said Code of Conduct has been posted on the Bank's website. The Board Members and the Executives have affirmed their compliance to the Code of Conduct.

Sd/-
Petluri Srinivas
Managing Director & CEO

May 7th 2015, Kolkata

The Board of Directors
United Bank of India
Head Office
11 Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700001

CEO/CFO Certification under Clause 49V of the Listing Agreement:

We hereby certify that -

A. We have reviewed financial statements and the cash flow statement for the year and that to the best of our knowledge and belief -
   1. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;

   2. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There are, to the best of our knowledge and belief, no transactions entered into by the Bank during the year which are fraudulent, illegal or violative of the Bank's code of conduct.

C. We accept responsibility for establishing and maintaining internal controls for financial reporting and we have evaluated the effectiveness of internal control systems of the Bank pertaining to financial reporting and have disclosed to the auditors and the Audit Committee, issues pertaining to internal controls, and have taken steps to finetune the internal controls.

D. We further confirm that:

   1. There has not been any significant change in internal controls over financial reporting during the year;
   2. There has not been any significant change in accounting policies during the year;

E. We further confirm that we have brought to the notice of the Auditors and Audit Committee, instances of significant fraud brought to our notice and the involvement therein, if any, of the management or an employee having a significant role in the company's internal control system over financial reporting.

   During the year there was no case of fraud involving the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Sanjay Kumar
Chief Financial Officer

Petluri Srinivas
Managing Director & CEO

May 7th 2015, Kolkata

UNITED BANK OF INDIA
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700001

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members of United Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by United Bank of India for the year ended 31st March, 2015 as stipulated in Clause 49 of the Listing agreement of the Bank with BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Limited.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of our opinion on the financial statements of the Bank.

On the basis of the records and documents maintained by the Bank and the information and explanations given to us:

a) We certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned Listing Agreements.

b) We state that no investor grievance has been kept pending for a period exceeding 30 days against the Bank, as per the records maintained by the Stakeholders' Relationship Committee and as certified by the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank.

We further state that such compliance is neither an assurance regarding the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted upon the affairs of the Bank.

M/s. Ramamoorthy(N) & Co.
Chartered Accountants
FRN 002899S

CA Surendranath Bharathi
Partner
Membership No. 023837

M/s. Nundi & Associates.
Chartered Accountants
FRN 309090E

CA Madan Nandi
Partner
Membership No. 016360

M/s. P C Bindal & Co.
Chartered Accountants
FRN 003824N

CA Virender K. Maini
Partner
Membership No. 088730

M/s. S P M R & Associates.
Chartered Accountants
FRN 007578N

CA Pramod Kr. Maheshwari
Partner
Membership No. 085362

Date: May 7th 2015, Kolkata

Board of Directors
United Bank of India
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700001

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The President of India

Report On The Financial Statements

1. We have audited the accompanying financial statements of **UNITED BANK OF INDIA** as at **31st March, 2015**, which comprises the Balance Sheet as at **March 31, 2015**, and Profit and Loss Account and the cash flow statement for the year ended on that date, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these financial statements are the returns of 20 branches and treasury operations audited by us and 705 branches/retail hubs audited by branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued by the Reserve Bank of India. Also incorporated in the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Cash Flow statement are the returns from 35 Regional Offices, 1275 branches, 2 Staff Training Colleges, 1 Cash Management System and 1 Central Pension Processing Centre, which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.30% of gross advances, 35.45% of deposits, 6.47% of interest income and 34.10% of interest expense.

Management's Responsibility For The Financial Statements

2. Management is responsible for the preparation of these financial statements in accordance with the provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and to disclose the information as may be necessary to conform to forms 'A & B' respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949. These financial statements comply with the applicable Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. This responsibility includes the design, implementation and maintenance of internal control relevant to the preparation of the financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Auditors' Responsibility

3. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement.

4. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement in the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal control relevant to the Bank's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the bank's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

5. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

6. **Emphasis of Matter**

   6.1 In accordance with Standard of Audit (SA) 706 "Emphasis of Matter Paragraph", without qualifying our opinion, we draw attention to Note No.3.5 in Schedule 18 regarding deferment of pension and gratuity liability of the Bank to the extent of ₹ 89.46 crores pursuant to the exemption granted by the Reserve Bank of India from application of the provisions of Accounting Standard (AS)-15 on "Employee Benefits".

   We draw attention to Note 3.5 to the financial statements, pending settlement of the proposed wage revision effective from November 2012, an adhoc provision of ₹ 290 crores is held as at 31st March 2015.

Opinion

7. Subject to what is stated above, in our opinion, and to the best of our information and according to the explanation given to us and as shown by the books of the bank, and read with the Accounting Policies and the Notes on the Accounts, we report that:

(i) The Balance Sheet, is a full and fair Balance Sheet of the Bank containing all the necessary particulars, as required by the Banking Regulation Act 1949 and is properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of state of affairs of the Bank as at **31st March, 2015** and is in conformity with accounting principles generally accepted in India;

(ii) The Profit and Loss Account, shows a true balance of Profit, in conformity with accounting principles generally accepted in India, for the year covered by the account; and

(iii) The Cash Flow Statement gives a true and fair view of the cash flows for the year ended on that date.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

8. In our opinion, the Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in Forms "A" and "B" respectively of the Third Schedule to the Banking Regulation Act, 1949 and is in accordance with the provisions of section 29 of the Banking Regulation Act, 1949.
9. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraph 1 to 5 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

   (a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory.

   (b) The transactions of the Bank, which have come to our notice have been within the powers of the Bank.

   (c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

10. In our opinion, the Balance Sheet, Profit and Loss Account and Cash Flow Statement comply with the applicable Accounting Standards.

M/s. Ramamoorthy(N) & Co. Chartered Accountants FRN 002899S	**M/s. Nandi & Associates.** Chartered Accountants FRN 309090E	**M/s. P C Bindal & Co.** Chartered Accountants FRN 003824N	**M/s. S P M R & Associates.** Chartered Accountants FRN 007578N
CA Surendranath Bharathi Partner Membership No. 023837	**CA Madan Nandi** Partner Membership No. 016369	**CA Virender K. Maini** Partner Membership No. 088730	**CA Pramod Kr. Maheshwari** Partner Membership No. 085362

Date : 07.05.2015
Place : Kolkata

Balance Sheet as on 31st March, 2015

and

Profit and Loss Account for the year ended

31st March, 2015

FORM A

Covering letter of the Annual Audit Report filed with the Stock Exchanges

1.	Name of the Company/Body Corporate	United Bank of India
2.	Annual Financial Statement for the year ended	31st March 2014
3.	Type of Audit Observations	Un-qualified
4.	Frequency of Observation	Not Applicable

P. Srinivas
Managing Director & Chief Executive Officer

Pratyush Sinha
Chairman - Audit Committee

Sanjay Kumar
General Manager & CFO

As per our separate report of even date annexed

M/s. Ramamoorthy(N) & Co.
Chartered Accountants
FRN 002899S

M/s. Nundi & Associates.
Chartered Accountants
FRN 309090E

M/s. P C Bindal & Co.
Chartered Accountants
FRN 003824N

M/s. S P M R & Associates.
Chartered Accountants
FRN 007578N

Date : 07.05.2015
Place : Kolkata

AUDITED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2015

CAPITAL & LIABILITIES

(₹ in thousand)

	Schedule	As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
Capital	1	839,51,60	1354,74,81
Reserves & Surplus	2	4988,52,34	3927,90,61
Deposits	3	108817,59,89	111509,70,86
Borrowings	4	4061,72,98	4460,23,61
Other Liabilities and Provisions	5	4320,21,10	3852,35,13
TOTAL :		**123027,57,91**	**125104,95,02**

ASSETS

(₹ in thousand)

	Schedule	As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
Cash and balances with Reserve Bank of India	6	5815,60,12	6269,77,72
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	214,94,02	4542,06,32
Investments	8	46603,11,41	44876,34,13
Advances	9	66763,03,55	65767,51,14
Fixed Assets	10	877,41,32	938,73,47
Other Assets	11	2753,47,49	2710,52,24
TOTAL :		**123027,57,91**	**125104,95,02**
Contingent Liabilities	12	6450,33,61	9908,33,01
Bills for collection		2416,50,60	2880,71,07

This is the part of Balance Sheet as on 31.03.2015

P. Srinivas
Managing Director & Chief Executive Officer

Sanjay Arya
Executive Director

Parvathy V Sundram Director | **A. K. Dogra** Director | **Pratyush Sinha** Director | **Renuka Mutto** Director | **Sanjib Pati** Director

Sanjay Kumar
General Manager & CFO

As per our separate report of even date annexed

M/s. Ramamoorthy(N) & Co. Chartered Accountants FRN 002899S	**M/s. Nundi & Associates.** Chartered Accountants FRN 309090E	**M/s. P C Bindal & Co.** Chartered Accountants FRN 003824N	**M/s. S P M R & Associates.** Chartered Accountants FRN 007578N
CA Surendranath Bharathi Partner Membership No. 023837	**CA Madan Nandi** Partner Membership No. 016369	**CA Virender K. Maini** Partner Membership No. 088730	**CA Pramod Kr. Maheshwari** Partner Membership No. 085362

Date : 07.05.2015
Place : Kolkata

SCHEDULE 1

CAPITAL

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2015		As on 31.03.2014
AUTHORISED CAPITAL*		**3000,00,00**		**3000,00,00**
Equity Share Capital	-		-	
Perpetual Non Cummulative Preference Shares(PNCPS)	-		-	
ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID- UP CAPITAL 839515951 (Previous Year 554748091) Equity Shares of ₹10/- each [(including 611030610) (Previous Year 488169792) held by GOI]		**839,51,60**		554,74,81
0 (Previous Year 80000) Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) of ₹ 1,00,000/- each held by GOI		0		800,00,00
TOTAL :		**839,51,60**		**1354,74,81**

SCHEDULE 2

RESERVES & SURPLUS

(₹ in thousand)

	As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
I. Statutory Reserves		
Opening Balance	713,51,31	713,51,31
Add: Transfer from Profit & Loss Account	63,99,81	-
SUB-TOTAL :	**777,51,12**	**713,51,31**
II. Capital Reserves		
a) Revaluation Reserve		
Opening Balance	608,89,37	624,48,61
Addition during the period/year	-	-
Add/(Less) : Adjustment during the period/year	-	-
Less : Transfer to Profit & Loss Account	(14,82,23)	(15,59,24)
	594,07,14	608,89,37
b) Others		
Opening Balance	1508,49,53	1508,49,53
Add: Transfer from Profit & Loss Account	1,14,67	-
	1509,64,20	1508,49,53
SUB-TOTAL [(a) + (b)]	**2103,71,34**	**2117,38,90**
III. Share Premium		
Opening Balance	1263,58,81	743,62,93
Addition during the period/year	815,23,21	519,95,88
SUB TOTAL	**2078,82,02**	**1263,58,81**
IV. Revenue and Other Reserves		
a) Special Reserve I.T.		
Opening Balance	220,00,00	220,00,00
Less: Draw down	-	-
Add:Transfer from Profit & Loss Account.	-	-
SUB-TOTAL (a)	**220,00,00**	220,00,00
b) Revenue Reserve		
Opening Balance	-386,58,41	898,88,77
Add: Transfer from revaluation reserve	14,82,23	-
Less: Draw down for adjustment for Assets	(10,60,70)	(72,02,78)
Add: Transfer from Profit & Loss Account	190,84,75	(1213,44,40)
SUB-TOTAL (b)	**-191,52,14**	-(386,58,41)
SUB-TOTAL [(a) + (b)]	**28,47,87**	-(166,58,41)
V. Balance in Profit & Loss Account	-	-
TOTAL (I + II + III+IV+V)	**4988,52,34**	**3927,90,61**

SCHEDULE 3

DEPOSITS

(₹ in thousand)

			As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
A	I.	**Demand Deposits**		
	i)	From Banks	1261,29,43	1315,00,93
	ii)	From Others	7682,69,07	6761,67,33
	II.	**Savings Bank Deposits**	36811,10,93	33154,20,87
	III.	**Term Deposits**		
	i)	From Banks	1761,02,83	2116,02,07
	ii)	From Others	61301,47,63	68162,79,66
		TOTAL :	**108817,59,89**	**111509,70,86**
B	i)	Deposits of branches in India	108817,59,89	111509,70,86
	ii)	Deposits of branches outside India	–	–
		TOTAL :	**108817,59,89**	**111509,70,86**

SCHEDULE 4

BORROWINGS

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
I.	**Borrowings in India**		
i)	Reserve Bank of India	584,00,00	–
ii)	Other Banks	4,91,62	–
iii)	Other Institutions & Agencies #	3472,81,36	4040,83,11
II.	**Borrowings outside India**	–	419,40,50
	TOTAL :	4061,72,98	4460,23,61
	Secured borrowings included in I&II above –	–	
	# Including Subordinated Debts for Tier II Capital	2225,00,00	2225,00,00
	# Including IPDI for Tier I Capital	300,00,00	300,00,00

SCHEDULE 5

OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
I.	Bills Payable	348,79,90	372,98,77
II.	Inter-Office Adjustments (net)	67,81,58	160,72,56
III.	Interest accrued	1022,39,35	993,78,89
IV.	Contingent Provisions against Standard Assets	1060,09,00	734,27,00
V.	Deferred Tax Liability (net)	–	–
VI.	Proposed Dividend (including Dividend Tax)	–	–
VII.	Others (including provisions)	1821,11,27	1590,57,91
	TOTAL :	**4320,21,10**	**3852,35,13**

SCHEDULE 6

CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
I.	Cash in hand (including foreign currency notes)	503,02,00	433,60,22
II.	Balances with Reserve Bank of India		
	i) In Current Account	5312,58,12	5836,17,50
	ii) In Other Accounts	–	–
	TOTAL :	**5815,60,12**	**6269,77,72**

SCHEDULE 7

BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in thousand)

	As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
I. In India -		
i) Balances with Banks		
a) In Current Accounts	49,49,48	59,82,54
b) In Other Deposit Accounts	–	–
ii) Money at Call and Short Notice		
a) With Banks	140,00,00	4133,39,17
b) With other Institutions	–	–
SUB-TOTAL :	**189,49,48**	**4193,21,71**
II. Outside India -		
i) Balances with Banks		
a) in Current Accounts	25,44,54	348,84,61
b) in Other Deposit Accounts	–	–
ii) Money at Call and Short Notice	–	–
SUB-TOTAL :	**25,44,54**	**348,84,61**
TOTAL :	**214,94,02**	**4542,06,32**

SCHEDULE 8

INVESTMENTS

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
I.	**Investments in India (Gross)**	**46797,66,26**	45127,50,19
	Less : Provision for NPI, depreciation / amortisation	(194,54,85)	(251,16,06)
	NET	**46603,11,41**	**44876,34,13**
	Break-up		
	i) Government Securities	35020,44,93	35084,04,51
	ii) Other Approved Securities	–	16,43,13
	iii) Shares	201,56,82	280,22,20
	iv) Debentures and Bonds	2072,33,92	2077,79,72
	v) Subsidiaries and/or Joint Ventures	–	–
	vi) Others (Mutual Fund, CP, CD, etc.)	9308,75,74	7417,84,57
	SUB-TOTAL :	**46603,11,41**	**44876,34,13**
	Investments outside India (Gross)	–	–
	Less : Provision for depreciation	–	–
	NET	–	–
	Break-up		
i)	Government Securities (including local authorities)	–	–
ii)	Subsidiaries and/or Joint Ventures abroad	–	–
iii)	Other investments	–	–
	SUB-TOTAL :	–	–
	TOTAL (I & II)	**46603,11,41**	**44876,34,13**

SCHEDULE 9

ADVANCES

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
A.	i) Bills Purchased and Discounted	399,48,52	908,09,84
	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand	21567,02,91	19450,14,35
	iii) Term Loans	44796,52,12	45409,26,95
	TOTAL :	**66763,03,55**	**65767,51,14**
B.	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)	59491,09,60	59136,08,29
	ii) Covered by Bank / Government Guarantees	2419,23,91	2270,72,71
	iii) Unsecured	4852,70,04	4360,70,14
	TOTAL :	**66763,03,55**	**65767,51,14**
C. I.	Advances in India		
	i) Priority Sector	25204,29,04	24907,82,00
	ii) Public Sector	5580,52,70	5130,45,00
	iii) Banks	28,74,26	327,21,00
	iv) Others	35949,47,55	35402,03,14
	SUB-TOTAL :	**66763,03,55**	**65767,51,14**
	II. Advances outside India		
	i) Due from Banks	–	–
	ii) Due from Others	–	–
	a) Bills Purchased and Discounted	–	–
	b) Syndicated Loans	–	–
	c) Others	–	–
	SUB-TOTAL :	–	–
	TOTAL (I & II)	**66763,03,55**	**65767,51,14**

SCHEDULE 10

FIXED ASSETS

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
I.	**Premises (Including Leasehold)**		
	At cost/revalued as on 31st March of preceding year	858,21,73	804,74,23
	Revaluation during the year	–	–
	Additions during the year	12,56,51	53,47,50
		870,78,24	**858,21,73**
	Less:Deductions during the year	(,0)	(,0)
	Depreciation to date	(187,13,69)	(170,19,56)
	SUB-TOTAL :	**683,64,55**	**688,02,17**
II.	**Capital Work-in-Progress**	**4,05,27**	**15,16,08**
III.	**Other Fixed Assets (including Furniture & Fixture)**		
	At cost as on 31st March of preceding year	783,20,54	675,95,15
	Additions during the year	56,99,93	116,04,58
		840,20,47	791,99,73
	Less:Deductions during the year	(34,10,08)	(8,79,19)
	Depreciation to date	(629,19,33)	(571,67,96)
	SUB-TOTAL :	**176,91,06**	**211,52,58**
IV.	**Intangible Assets**		
	Software		
	At cost as on 31st March of preceding year	94,27,33	70,06,84
	Additions during the year	1,80,58	24,20,49
		96,07,91	94,27,33
	Less: Deductions during the year	–	–
	Amortisation to date	(83,27,47)	(70,24,69)
	SUB-TOTAL :	12,80,44	24,02,64
	TOTAL (I+II+III+IV)	**877,41,32**	**938,73,47**

SCHEDULE 11

OTHER ASSETS

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
I.	Inter-Office Adjustments (net)	–	–
II.	Interest accrued	1094,35,11	978,15,82
III.	Tax Paid in advance/Tax deducted at source (Net)	713,14,91	557,14,78
IV.	Stationery and Stamps	8,80,63	11,12,60
V.	Non-banking assets acquired in satisfaction of claims	–	–
VI.	Deferred Tax Assets (Net)	191,58,00	461,72,00
VII.	Others	745,58,84	702,37,04
	TOTAL	**2753,47,49**	**2710,52,24**

SCHEDULE 12

CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2015	As on 31.03.2014
I.	Claims against the bank not acknowledged as debts	8,78,98	3,87,15
II.	Liability for partly paid investments	30,45,28	33,20,98
III.	Liability on account of outstanding forward exchange contracts	2163,68,30	5012,06,27
IV.	Guarantees given on behalf of constituents (net of cash margin) :		
a)	In India	422,77,49	2517,93,87
b)	Outside India	2670,14,10	1038,88,69
c)	BG invoked but not paid (in India)	4,63,83	4,70,26
V.	Acceptances, endorsements and other obligations (net of cash margin)	1089,68,07	1276,54,07
VI.	Other items for which the Bank is contingently liable	60,17,56	21,11,72
	TOTAL :	**6450,33,61**	**9908,33,01**

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(₹ in thousand)

		Schedule	Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014
I.	**INCOME**			
	Interest Earned	13	10180,47,77	10599,29,03
	Other Income	14	1746,91,15	1206,87,10
	TOTAL :		**11927,38,92**	**11806,16,13**
II.	**EXPENDITURE**			
	Interest Expended	15	7689,81,55	8036,47,12
	Operating Expenses	16	1809,62,82	1707,94,61
	Provisions and Contingencies		2171,95,33	3275,18,80
	TOTAL :		**11671,39,70**	**13019,60,53**
III.	**PROFIT**			
	Net Profit for the year/period		255,99,22	(1213,44,40)
	TOTAL :		**255,99,22**	**-(1213,44,40)**

P. Srinivas
Managing Director & Chief Executive Officer

Sanjay Arya
Executive Director

Parvathy V Sundram	**A. K. Dogra**	**Pratyush Sinha**	**Renuka Mutto**	**Sanjib Pati**
Director	Director	Director	Director	Director

Sanjay Kumar
General Manager & CFO

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(₹ in thousand)

	Schedule	Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014
IV. APPROPRIATIONS :			
Transfer to Statutory Reserve		63,99.81	–
Transfer to Capital Reserve		1,14,67	–
Proposed Dividend :		–	–
Equity		–	–
PNCPS		–	–
Tax on Dividend		–	–
Transfer to Revenue Reserve		190,84,75	-(1213,44,40)
Balance carried forward to Balance Sheet		–	–
TOTAL :		**255,99,22**	**-(1213,44,40)**
Basic & Diluted Earning per Share (Rs.) (Not Annualised)		3.78	(28.68)

As per our separate report of even date annexed

M/s. Ramamoorthy(N) & Co.	**M/s. Nandi & Associates.**	**M/s. P C Bindal & Co.**	**M/s. S P M R & Associates.**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
FRN 002899S	FRN 309090E	FRN 003824N	FRN 007578N
CA Surendranath Bharathi	**CA Madan Nandi**	**CA Virender K. Maini**	**CA Pramod Kr. Maheshwari**
Partner	Partner	Partner	Partner
Membership No. 023837	Membership No. 016369	Membership No. 088730	Membership No. 085362

Date : 07.05.2015
Place : Kolkata

SCHEDULE 13

INTEREST EARNED

(₹ in thousand)

		Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014
I.	Interest / Discount on Advances/Bills	7040,82,88	7816,56,02
II.	Income on Investments	3048,20,72	2597,61,73
III.	Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds	90,16,79	141,08,58
IV.	Others	1,27,38	44,02,70
	TOTAL :	**10180,47,77**	**10599,29,03**

SCHEDULE 14

OTHER INCOME

(₹ in thousand)

		Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014
I.	Commission, Exchange and Brokerage	202,81,05	202,46,55
II.	Profit on sale of Investments	1168,64,72	534,51,54
	Less : Loss on sale of Investments	(90,30)	(8,53,70)
III.	Profit on revaluation of Investments	-	-
	Less : Loss on revaluation of Investments	-	-
IV.	Profit on sale of land, buildings and other assets	65.25	5,97
	Less : Loss on sale of land, buildings and other assets	(7,23)	(1,81)
V.	Profit on exchange transactions	97,64,10	155,97,93
	Less : Loss on exchange transactions	-	-
VI.	Income earned by way of dividend etc., from subsidiaries, companies and/or joint ventures abroad/in India	-	-
VII.	Miscellaneous Income	278,13,56	322,40,62
	TOTAL :	**1746,91,15**	**1206,87,10**

SCHEDULE 15

INTEREST EXPENDED

(₹ in thousand)

		Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014
I.	Interest on Deposits	7253,65,70	7569,14,43
II.	Interest on Reserve Bank of India/inter-Bank borrowings	82,52,74	94,12,18
III.	Others	353,63,11	373,20,51
	TOTAL :	**7689,81,55**	**8036,47,12**

SCHEDULE 16

OPERATING EXPENSES

(₹ in thousand)

		Year Ended 31.03.2015	Year Ended 31.03.2014
I.	Payments to and Provisions for Employees	1038,28,51	1014,34,35
II.	Rent, Taxes and Lighting	139,94,44	125,52,25
III.	Printing and Stationery	26,41,21	30,00,85
IV.	Advertisement and Publicity	5,61,73	10,45,15
V.	Depreciation on Bank's property	105,71,96	84,77,90
	Less : Transfer from Revaluation Reserve	-	(15,59,24)
		105,71,96	**69,18,66**
VI.	Directors' fees, allowances and expenses	1,15,69	1,99,92
VII.	Auditors' fees and expenses (including branch auditors' fees and expenses)	14,60,23	14,59,54
VIII.	Law Charges	8,15,21	5,25,20
IX.	Postage, Telegrams, Telephones etc.	23,53,71	23,19,99
X.	Repairs and Maintenance	33,87,74	17,70,59
XI.	Insurance	103,38,11	111,18,22
XII.	Other Expenditure	308,94,28	284,49,89
	TOTAL :	**1809,62,82**	**1707,94,61**

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2015

1. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The accompanying financial statements are prepared on historical cost basis, except as otherwise stated, following the "Going Concern" concept and conform to the Generally Accepted Accounting Principles(GAAP) in India, applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), applicable mandatory Accounting Standards (AS)/Guidance Notes/ pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevailing in the banking industry in India.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. RECOGNITION OF INCOME AND EXPENDITURE

3.1 The Revenues and Expenses are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

3.2 Income from Performing Assets is recognized on accrual basis and income from Non-Performing Assets (NPAs) is recognized on realisation. The amount realised/recovered during the year is appropriated first to income on Sub-standard Assets. Amounts realized /recovered in Doubtful and Loss Assets and Suit Filed and Decreed Accounts are first appropriated against outstanding balances.

3.3 Unrealized income on advances, classified as NPA, is reversed.

3.4 Income from Commission (except on Government Transactions and Bancassurance), exchange, brokerage, claims, locker rent and dividend on shares are accounted for on cash basis.

3.5 Performance linked incentive to whole time directors is accounted for on cash basis.

4. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

4.1. Monetary Assets and Liabilities, excluding outstanding Forward Exchange Contracts in each currency, are revalued at the Balance Sheet date at closing spot rates announced by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). Outstanding forward exchange contracts are revalued at the forward rates announced by FEDAI. The difference between the revalued amount and the contracted amount is recognized as profit or loss, as the case may be.

4.2. Income and expenditure items are recorded at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

4.3. Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are carried at the closing spot rates announced by FEDAI.

4.4. Representative Office of the Bank has been classified as 'Integral Foreign Operation' in accordance with AS-11 on "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates".

4.5. Foreign currency transactions relating to 'Integral Foreign Operation' are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount, the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

4.6. Foreign currency non-monetary items that are carried in terms of historical costs are reported using the exchange rates on the dates of transactions.

5. INVESTMENTS

5.1 For the purpose of disclosure in the Financial Statements, the investments are classified into six categories as stipulated in Form A of the third schedule to the Banking Regulation Act, 1949 as under:

a) Government Securities
b) Other approved securities
c) Shares

d) Debentures and Bonds
e) Subsidiaries/Joint Ventures
f) Others

5.2 The Investment portfolio of the Bank is categorized, in accordance with the RBI guidelines, into:
a) "Held to Maturity" comprising Investments acquired with an intention to hold till maturity;
b) "Held for Trading" comprising Investments acquired with an intention to trade;
c) "Available for Sale" comprising Investments not covered by (a) and (b) above.

Classification of an investment is done at the time of acquisition.

5.3 In determining acquisition cost of an investment:
a) Brokerage, Commission and Incentives received on subscription to securities, are deducted from the cost of securities;
b) Brokerage, Commission etc. paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses;
c) Interest accrued upto the date of acquisition/ sale of securities i.e., broken period interest is credited/ charged to Profit and Loss Account.

5.4. The Bank follows "Settlement Date" for accounting of investment transactions. Investments are valued as per RBI/ Fixed Income Money Market & Derivatives Association (FIMMDA) guidelines, on the following basis:
a) "Held to Maturity" (HTM)
i) Investments under "HTM" category are carried at acquisition cost. Wherever the book value is higher than the face value/redemption value, the premium is amortized over the remaining period to maturity.
ii) Investments in Rural Infrastructure Development Fund, Short Term Co-operative Rural Credit Refinance Fund, Medium Small Micro Enterprise Refinance Fund – Small Industries Development Bank of India Limited, Medium Small Micro Enterprise Risk Capital Fund – Small Industries Development Bank of India Limited, Rural Housing Development Fund-National Housing Bank Limited, Micro Finance Development and Equity Fund – National Agricultural and Rural Development Bank Limited (classified as shares) are valued at carrying cost.
iii) Investments in sponsored Regional Rural Banks are valued at carrying cost.
iv) Investment in venture capital is valued at carrying cost.
b) "Held for Trading" and "Available for Sale"

a) Govt. Securities 1. Central Govt. Securities 2. State Govt. Securities	At prices published by FIMMDA On Yield to Maturity (YTM) basis by adding appropriate mark-up on the Base Yield Curve as per FIMMDA/RBI guidelines.
b) Discounted Instruments (Treasury Bills, Commercial Paper and Certificate of Deposits)	At carrying cost
c) Bonds and Debentures	On (YTM) basis by adding appropriate Credit Spread on the Base Yield curve as per FIMMDA/RBI guidelines.
d) Equity i) Quoted ii) Un-quoted	At market price At break-up value, as per latest Balance Sheet (not more than one year old), otherwise at Re 1/ per company.
e) Preference Shares	At market price, if quoted or YTM basis by adding appropriate mark-up on the base yield curve as per FIMMDA/RBI guidelines.
f) Security Receipt/Venture Capital Fund	At Net Asset Value (NAV) as per FIMMDA/RBI guidelines.
g) Mutual Funds	At Market Price, if quoted and at re-purchase price/NAV if unquoted.

5.5 Shifting of securities from and to "HFT" category is done in accordance with RBI guidelines with the approval of Board of Directors.

5.6. The individual scrip in the "HFT" and "AFS" category are marked to market at monthly or at more frequent intervals, if required. Under each category, net depreciation, if any, is provided for while net appreciation, if any, is ignored.

5.7. Income from Zero Coupon Bonds, being the difference between cost and face value, is recognized on a time proportion basis.

5.8. Profit or Loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss Account. In case of profit on sale of Investments in "HTM" category, an equivalent amount is appropriated to "Capital Reserve Account" at the end of the year. For calculating the surplus / deficit on sale of securities, weighted average method is adopted.

5.9. For the purpose of calculating holding period in case of "HFT" category, First in First out (FIFO) method is applied.

5.10. Investments are subject to appropriate provisioning/ de-recognition of income, in line with the prudential norms of RBI for "Non Performing Investment" (NPI) Classification. The depreciation/provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities in accordance with RBI guidelines.

5.11. The derivatives transactions are undertaken for trading or hedging purposes and valuation has been done in accordance with RBI guidelines.

5.12. The Bank has adopted the Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions.

6. FINANCIAL ASSETS SOLD TO ASSETS RECONSTRUCTION COMPANY (ARC)/ SECURITIZATION COMPANY (SC)

6.1 In the case of financial assets sold to ARC / SC, if the sale is for a value higher than the Net Book Value (NBV), the excess provision is not reversed but utilized for meeting any shortfall on account of sale of other financial assets to ARC/SC. If the sale is at a price below the NBV the shortfall after adjusting the available surplus if any, is debited to the Profit and Loss Account.

6.2 The sale of financial assets to ARC/SC is recognized in the books of the Bank at lower of either redemption value of the Security Receipts issued by the Trust created by the ARC/SC for such sale or the net value of such financial assets.

6.3 The Security Receipts are classified as Non-SLR Investment in the books of the Bank and accordingly the valuation, classification and other norms prescribed by RBI in respect of Non-SLR Securities are applicable.

6.4 In case of written off Assets sold to ARC/ SC, the cash proceeds are recognized as income.

7. ADVANCES

7.1. Advances are classified as Performing / Non-Performing Assets and provisions thereon are made in conformity with the prudential norms prescribed by RBI.

7.2. Non-performing assets are stated net of provisions and claims received from credit guarantee institutions.

7.3 Provision held for performing assets is shown under the head "Other Liabilities and Provisions".

7.4. Restructuring of Advances and provisioning thereof have been made as per RBI guidelines.

8. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

8.1. Premises (including leasehold), other fixed assets and Capital work in progress are stated at historical cost or amount substituted for historical cost. In case of revaluation, the same are stated at the revalued amount and the appreciation is credited to "Revaluation Reserve".

8.2 Leasehold assets are amortized over the period of lease.

8.3. Depreciation on assets other than computers and Automated Teller Machines (ATMs) is provided for under written down value method, in the manner and as per the rates prescribed under Schedule II to the Companies Act, 2013 after retaining 5% residual value.

Equivalent amount of depreciation on the revalued portion of the asset is transferred to General Reserves from Revaluation Reserve each year.

8.4. Depreciation on computers, ATMs and amortization of software are accounted for on straight-line method @33.33% on pro rata basis from the date of acquisition as per RBI guidelines.

8.5. Impairment Losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with AS -28 on "Impairment of Assets".

9. ACCOUNTING FOR GOVERNMENT GRANTS

In accordance with AS-12 Government Grants/subsidies received is presented in the Balance Sheet by showing the

Grant/Subsidy as a deduction from the Gross Value of the assets concerned in arriving at the book value. The grant/subsidy is recognized in the Profit & Loss Account over the useful life of the depreciable assets by way of reduced depreciation charged.

Government Grant subsidies received, of revenue nature, is recognized in the Profit & Loss Account by reducing the related cost if received during the same financial year otherwise, the same is shown under "Other Income" if received after the close of the relevant financial year.

10. EMPLOYEE BENEFITS

10.1 Employee Benefits are recognized in accordance with AS-15 on "Employee Benefits".

10.2 Short term employee benefits namely Leave Fare Concession and Medical Aid are measured at cost.

10.3 Long term employee benefits and post-retirement benefits namely gratuity, pension and leave encashment are measured on a discounted basis under the Projected Unit Credit Method on the basis of annual third party actuarial valuations.

10.4 In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, matching contribution is made to a recognized Trust. For others who have opted for Pension Scheme, contribution to Pension Fund is based on actuarial valuation.

10.5 Long Term employee benefits recognized in the Balance Sheet represent the present value of the obligation as adjusted for unrecognized past service cost, if any, and as reduced by the fair value of plan assets, wherever applicable and actuarial gain / loss to the extent recognized in Profit and Loss Account.

10.6 The transitional liability in respect of long term employee benefits, including pension benefits, is recognized as an expense on straight line basis over a period of five years.

10.7 In terms of RBI circular, expenditure on "Re-opening of Pension option to employees of Public Sector Banks and enhancement of Gratuity limits-Prudential Regulatory Treatment" is being amortized over a period of five years.

11. TAXATION

Provision for tax is made for both current and deferred taxes in accordance with AS-22 on "Accounting for Taxes on Income".

12. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

In accordance with AS-29 on "Provisions Contingent Liabilities and Contingent Assets," the Bank recognizes:

a) Provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

b) Contingent Liability is recognized/disclosed when a possible obligation from a past event, the existence of which is confirmed by the occurrence/non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of bank. Contingent Liability is also recognized/disclosed when there is a present obligation from past events but is not recognized because of a remote possibility of outflow of resources embodying the economic benefits to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made

c) Contingent Assets are not recognized in the Financial Statements.

13. NET PROFIT

The Net Profit is arrived at after accounting for the following:

a) Provision for Taxation

b) Provision on Standard Assets

c) Provision for NPAs and Depreciation on investments as per prudential norms of RBI

d) Other usual and necessary provisions.

This is the part of Schedule - 17 as on 31.03.2015

P. Srinivas
Managing Director & Chief Executive Officer

Sanjay Arya
Executive Director

Parvathy V Sundram	**A. K. Dogra**	**Pratyush Sinha**	**Renuka Mutto**	**Sanjib Pati**
Director	Director	Director	Director	Director

Sanjay Kumar
General Manager & CFO

As per our separate report of even date annexed

M/s. Ramamoorthy(N) & Co.	**M/s. Nundi & Associates.**	**M/s. P C Bindal & Co.**	**M/s. S P M R & Associates.**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
FRN 002899S	FRN 309090E	FRN 003824N	FRN 007578N
CA Surendranath Bharathi	**CA Madan Nandi**	**CA Virender K. Maini**	**CA Pramod Kr. Maheshwari**
Partner	Partner	Partner	Partner
Membership No. 023837	Membership No. 016369	Membership No. 088730	Membership No. 085362

Date : 07.05.2015
Place : Kolkata

SCHEDULE 18

NOTES FORMING PART OF THE ACCOUNTS FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

1. Confirmation/reconciliation of balances with foreign branches, SBI and other Banks, NOSTRO Accounts, Drafts Payable, Clearing Difference, Inter office adjustments, etc. is in progress on an on-going basis. Pending final clearance/adjustment of the above, the overall impact, if any, on the Financial Statements, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

2.1 **Capital**

a)

Particulars	Basel-III Year ended		Basel-II Year ended	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
(i) Common Equity Tier 1 Capital Ratio (%)	7.52	6.54	NA	NA
(ii) Tier 1 capital ratio (%)	7.52	6.54	7.77	7.26
(iii) Tier 2 Capital ratio (%)	3.05	3.27	3.65	4.20
(iv) Total Capital ratio (CRAR) (%)	10.57	9.81	11.42	11.46
(v) Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank's equity capital	82.00%	88.00%	82.00%	88.00%
(vi) Amount of equity capital raised (₹ in Crores)	300.00	700.00	300.00	700.00
(vii) Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which	NIL	NIL	NIL	NIL
-PNCPS:				
-PDI				
(viii) Amount of Tier 2 capital raised; of which: (₹ in Crores)	NIL	500.00	NIL	500.00
-Debt capital instrument:	NIL	500.00	NIL	500.00
-Preference Share Capital Instruments:	NIL	NIL	NIL	NIL

b) During the year, with the approval of its shareholders by the resolution at the Annual General Meeting held on 18th August 2014, Bank allotted 7,74,00,000 (Seven Crore Seventy Four Lacs) equity shares of ₹10/-(Rupees Ten only) each at a premium of ₹ 25.50 (Rupees Twenty Five and Paisa Fifty only) per share to the Government of India by conversion of 27,477(Twenty Seven Thousand Four Hundred Seventy Seven) number of Perpetual Non-cumulative Preference Shares (PNCPS) out of total 80,000 (PNCPS) of ₹ 1,00,000/- each held by the Government of India aggregating to ₹ 274.77 crore through preferential allotment under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulation 2009, as amended.

c) During the year the Bank has allotted 8,45,07,042 (Eight Crore Forty Five Lac Seven Thousand Forty Two) number of Equity Shares of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each at a premium of ₹ 25.50 (Rupees Twenty Five and Paisa Fifty only) per share aggregating to ₹ 300 crore (Three Hundred Crore only) on preferential basis to Life Insurance Corporation of India (LIC of India) under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulation 2009, as amended.

d) During the year, with the approval of its shareholders by the resolution at the Extra-ordinary General Meeting held on 13th March 2015, Bank has allotted to the Government of India 12,28,60,818 (Twelve Crore Twenty Eight Lac Sixty Thousand Eight Hundred Eighteen) number of Equity Shares of ₹ 10/- (Rupees Ten only) each at a premium of ₹ 32.75 (Rupees Thirty Two and Paisa Seventy Five only) per share aggregating to ₹ 525,22,99,969.50 (Five Hundred Twenty Five Crore Twenty Two Lacs Ninety Nine Thousand Nine Hundred Sixty Nine and paise Fifty only) by conversion of 52,523 units of PNCPS of ₹ 1,00,000/- each under Chapter VII of the SEBI ICDR Regulation 2009, as amended.

2.2 Investments

₹ in crore

Particulars	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
1 Value of Investments		
i) Gross Value of Investments	46797.66	45127.50
a) In India	46797.66	45127.50
b) Outside India	NIL	Nil
ii) Provision for Depreciation	194.55	251.16
a) In India	194.55	251.16
b) Outside India	NIL	NIL
iii) Net Value of Investments		
a) In India	46603.11	44876.34
b) Outside India	NIL	NIL
2 Movement of provision held towards depreciation on investments		
i) Opening balance	251.16	195.28
ii) Add: Provisions made during the Year	69.98	122.04
iii) Less: Write-off/Write-back of excess provision during the year	126.59	66.16
iv) Closing balance	194.55	251.16

2.2.1 Repo transactions (in face value terms) :

₹ in crore

Particulars	Minimum outstanding during the year	Maximum outstanding during the year	Daily Average outstanding during the year	Outstanding as on 31.03.2015
Securities sold under Repo				
i) Government securities	15.00	1929.00	262.78	584.00
	(200.00)	(1500.00)	(327.95)	(0.00)
ii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Securities purchased under Reverse Repo				
i) Government securities	25.00	8700.00	474.77	140.00
	(1.00)	(4781.00)	(680.21)	(1133.01)
ii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

Figures in brackets represent Previous Year's figures.

2.2.2 Non-SLR Investments Portfolio

(i) Issuer composition of Non-SLR Investments:

₹ in crore

S.No.	Issuer	Amount	Extent of 'Private Placement'	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSUs	1282.75	1282.75	0.00	0.00	14.66
		(1280.06)	(1280.06)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
2	FIs	3357.62	3357.62	0.00	0.00	3357.62
		(3062.96)	(3062.96)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
3	Banks	5570.54	5570.54	0.00	36.97	40.82
		(4021.80)	(4021.80)	(0.00)	(36.97)	(0.00)
4	Private Corporates	1491.52	1491.52	0.00	20.00	53.70
		(1558.27)	(1558.27)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
5	Subsidiaries/Joint ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
6	Others (MF/CP/CD)	74.78	74.78	0.00	0.00	59.38
		(103.92)	(103.92)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
7	Provision held towards	194.55	194.55	0.00	0.00	0.00
	Depreciation / NPI	(251.16)	(251.16)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	Total (1 to 6) - (7)	**11582.66**	**11777.21**	**0.00**	**56.97**	**3526.18**
		(9775.85)	**(10027.01)**	**(0.00)**	**(36.97)**	**(0.00)**

Figures in brackets represent Previous Year's figures.

(ii) Non-performing Non-SLR Investments:

₹ in crore

Particulars	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
Opening balance	181.70	60.01
Addition during the Year	59.28	121.79
Reductions during the Year	41.44	0.10
Closing balance	199.54	181.70
Total provisions held	**110.63**	**96.82**

2.2.3 Sale and Transfers to/from Held to Maturity (HTM) Category

(a) Securities having book value of ₹ 257.48 Crores (Previous year: ₹47.12 Crores) were sold during the year from HTM Category.

(b) At the beginning of the year (02.06.2014), with the approval of the Board of Directors, the Bank has shifted securities having face value of ₹ 325.00 Crores (Book Value ₹ 324.72 crore) and State Government Securities having face value of ₹ 325.00 crore (Book Value ₹ 327.07 crore) from Held to Maturity (HTM) Category to Available For Sale (AFS) scrip wise in accordance with RBI Guidelines.

(c) The value of sales and transfer of securities to/from HTM Category (excluding the exempted transfer) did not exceed 5% of book value of the Investment in HTM Category at the beginning of the year.

2.2.4 Transactions involving Foreign Exchange

Monetary Assets and Liabilities, excluding outstanding Forward Exchange Contracts in each currency, except currency of Bangladesh (BDT 23,04,536.20 equivalent INR 15.81 lacs) which is valued at notional value due to non-availability of spot rates, are revalued at the Balance Sheet date at closing spot rates announced by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).

2.3 Derivatives

2.3.1 Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap

₹ in crore

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
(i)	The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
(ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	NIL	NIL
(iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	NIL	NIL
(iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
(v)	The fair value of the swap book	NIL	NIL

2.3.2 Exchange Traded Interest Rate Derivatives

₹ in crore

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
(i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the Year (instrument-wise)	NIL	NIL
(ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as at 31st March (instrument-wise)	NIL	NIL
(iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL
(iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL

2.3.3 Disclosures on risk exposure in derivatives

A) Qualitative Disclosures

a) The Bank has undertaken derivative transactions in currency futures for trading (arbitrage) & hedging purposes.

b) Risk management of derivative transactions has been segregated into three functional areas namely,

i) Front-Office for undertaking transaction;

ii) Mid-Office for risk management and reporting; and

iii) Back-Office for settlement, reconciliation and accounting.

c) The risk measurement, reporting and monitoring function is undertaken by the mid-office. The Board of Directors is the apex body to oversee the overall risk measurement, monitoring and reporting functions of the Bank including derivative transactions through Risk Management Committee of the Board (RMCBOD). The bank also internally monitors risk management through in-house Risk management Committee, Asset Liability Committee (ALCO), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Internal Committee on Investment (ICI).

d) Identification of underlying hedge items for hedging / mitigating credit risk, operational risk and market risk arising out of derivative transactions is done in accordance with the Board approved Integrated Treasury Policy. The customer related derivative transactions are covered with counter party banks, on back to back basis for identical amounts and tenure and the bank does not carry market risk for such transactions. However, during the year under review, bank has not used any derivative product to hedge its own portfolio.

e) The Integrated Treasury Policy prescribes accounting for hedge and non-hedge transactions, income recognition and valuation procedure for outstanding contracts. The income recognition is done as per AS-11 on "The Effects of changes in Foreign exchange Rates" and the guidelines issued by RBI / FEDAI from time to time. The integrated Treasury Policy also prescribes various limits such as Client Level Limits, Trading Member Level Limits, Net Open Position Limits for credit risk mitigation.

B. Quantitative Disclosures

₹ in crore

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.2015		Year ended 31.03.2014	
		Currency Derivatives	Interest rate Derivatives	Currency Derivatives	Interest rate Derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) For hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) For trading	NIL	NIL	NIL	NIL
(ii)	Marked to Market Positions (1)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) Asset (+)	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) Liability (-)	NIL	NIL	NIL	NIL
(iii)	Credit Exposure (2)	NIL	NIL	NIL	NIL
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) on hedging derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) on trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the Year	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) on hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) on trading	NIL	NIL	NIL	NIL

2.4 Asset Quality

2.4.1 Non-Performing Assets

₹ in crore

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
(i)	**Net NPAs to Net Advances (%)**	6.22%	7.18%
(ii)	**Movement of NPAs (Gross)**		
a)	Opening Balance	7118.01	2963.82
b)	Addition during the Year	4087.17	8007.30
c)	Reduction during the Year	4652.27	3853.11
d)	Closing Balance	6552.91	7118.01
(iii)	**Movement of Net NPAs**		
a)	Opening Balance	4664.11	1969.98
b)	Addition during the Year	3308.86	6065.87
c)	Reduction during the Year	3891.59	3371.74
d)	Closing Balance	4081.38	4664.11
(iv)	**Movement of provisions for NPAs** (excluding provisions on standard assets)		
a)	Opening Balance	2399.24	971.95
b)	Addition during the Year	792.12	1908.68
c)	Reduction during the Year	760.68	481.37
d)	Closing Balance	2430.68	2399.24

2.4.2 Particulars of Accounts Restructured

Disclosure of Restructured Accounts (As on 31.03.2015)

(₹ in crore)

Sl No	Type of Restructuring -> / Asset Classification -> / Details		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
			Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
1	Restructured Accounts as on April of the FY (Opening figures)*	No. of borrowers	21	3	9	0	33	94	493	1829	2	2718	2398	1805	5599	6	9808	2813	2301	7437	8	12559
		Amount outstanding	2473.91	593.08	206.20	0	3183.19	123.20	50.20	103.25	0.01	276.66	2239.44	72.40	505.20	43.26	2880.30	4856.55	625.68	814.65	43.27	6340.15
		Provision thereon	243.42	60.14	7.67	0	311.23	2.25	0.56	1.68	0	4.47	117.15	5.24	3.84	0	126.59	363.16	65.94	13.19	0	442.29
2	Fresh restructuring during the year	No. of borrowers	23	1	0	0	24	29	3	0	0	32	32	1	0	0	33	84	5	0	0	89
		Amount outstanding	2209.78	71.33	1.48	0	2282.59	31.31	20.12	0.11	0	71.54	1966.20	102.28	0.42	0	2068.87	4227.30	193.73	2.01	0	4423.00
		Provision thereon	159.11	13.08	0	0	163.19	1.48	1.07	0	0	2.55	73.39	7.01	0	0	89.40	224.98	21.16	0	0	246.14
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	3	-1	-2	0	0	29	-23	-6	0	0	187	-109	-78	0	0	219	-133	-86	0	0
		Amount outstanding	222.95	-155.80	-67.15	0	0	0.56	-0.36	-0.40	0	0	28.52	-5.03	-23.49	0	0	252.23	-161.19	-91.04	0	0
		Provision thereon	30.73	-24.42	-6.31	0	0	0.04	-0.02	-0.02	0	0	2.28	-0.25	-2.03	0	0	33.05	-24.69	-8.36	0	0
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers	0				0	0				0	0				0	0				0
		Amount outstanding	0				0	0				0	0				0	0				0
		Provision thereon	0				0	0				0	0				0	0				0

Disclosure of Restructured Accounts (As on 31.03.2015)

(₹ in crore)

Sl. No	Type of Restructuring ->		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification -> / Details		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
5	Down-gradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-5	3	2	0	0	-44	38	6	0	0	-176	170	6	0	0	-225	211	14	0	0
		Amount outstanding	-318.66	238.73	79.93	0	0	-49.05	45.21	3.84	0	0	-355.89	351.20	4.69	0	0	-723.60	635.14	88.46	0	0
		Provision thereon	-21.96	10.26	11.70	0	0	-1.07	1.07	0	0	0	-21.19	21.19	0	0	0	-44.22	32.52	11.70	0	0
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	1	1	3	0	5	71	76	288	0	435	414	327	819	1	1561	486	404	1110	1	2000
		Amount outstanding	74.51	100.10	75.47	0	250.07	15.42	2.35	46.62	0	64.39	67.00	10.78	159.69	43.14	280.61	156.93	113.23	281.78	43.14	595.07
		Provision thereon	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)*	No. of borrowers	14	4	8	0	52	342	51	1920	2	2315	2063	201	6012	5	8281	2445	256	7940	7	10648
		Amount outstanding	4583.31	307.22	366.66	0	5257.19	111.26	64.89	108.08	0.01	284.24	3781.40	453.63	391.58	0.13	4626.71	8475.94	825.74	866.32	0.14	10168.14
		Provision thereon	379.59	23.34	11.70	0	414.63	3.59	2.16	1.41	0	7.16	143.84	28.27	4.18	0	176.29	527.02	53.77	17.29	0	598.08

* Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable)

1. The above disclosures, including sacrifice, are as compiled and certified by the Bank's Management.

2. The quantum of economic sacrifice during the year on the restructured assets has been calculated by the NPV Method as on 31.03.2015 for Standard Assets of ₹10 lacs and above and for NPA of ₹1 crore and above. For the remaining assets, economic sacrifice has been provided @ 5% of outstanding balance

2.4.3 Details of financial assets sold to Securitization/Reconstruction Company for Asset Reconstruction

₹ in crore

Sl.No.	Particulars	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
(i)	No. of accounts	NIL	NIL
(ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	NIL	NIL
(iii)	Aggregate consideration	NIL	NIL
(iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	NIL	NIL
(v)	Aggregate gain/(loss) over net book value	NIL	NIL

Particulars	Backed by NPAs sold by the bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non- banking financial companies as underlying		Total	
	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
Book value of investments in security receipts	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

2.4.4 Details of Non-performing financial assets purchased/sold

A) Details of Non-performing financial assets purchased

₹ in crore

	Particulars	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
1.	(a) No. of accounts purchased during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate Outstanding	NIL	NIL
2.	(a) Of these, number of accounts restructured during the year	NIL	NIL
	(b) Aggregate Outstanding	NIL	NIL

B) Details of Non-performing financial assets sold

₹ in crore

	Particulars	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
1.	No. of accounts sold	NIL	NIL
2.	Aggregate Outstanding	NIL	NIL
3.	Aggregate consideration received	NIL	NIL

2.4.5 Provision on Standard Assets

₹ in crore

Particulars	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
Provision towards Standard Assets	1060.09	734.27

2.5 Business Ratios

₹ in crore

	Item	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
(i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	8.43%	8.66%
(ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.42%	0.99%
(iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	1.99%	1.69%
(iv)	Return on Assets	0.21%	(0.99%)
(v)	Business (Deposits plus advances) per employee (₹in Crore)	11.53	10.67
(vi)	Profit/(Loss) per employee (₹in Lacs)	15.98	12.50

2.6 Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities*

₹ in crore

Assets/ Liabilities	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months & up to 6 months	Over 6 months & up to 1 Year	Over 1 Year & up to 3 Years	Over 3 Years & up to 5 Years	Over 5 Years	Total
Deposits	1413.17	2079.53	1425.33	1674.73	5655.58	5914.02	9876.22	21526.62	11192.06	48060.35	**108817.60**
	(1088.96)	*(1756.68)*	*(2361.17)*	*(1642.60)*	*(9629.99)*	*(10174.61)*	*(13375.27)*	*(23255.53)*	*(11216.19)*	*(37008.71)*	***(111509.71)***
Advances	337.70	3981.69	204.50	171.10	2892.05	3059.69	3952.02	27344.75	9684.68	15134.86	**66763.04**
	(456.15)	*(3828.54)*	*(166.60)*	*(266.85)*	*(2564.28)*	*(4421.24)*	*(2902.27)*	*(26414.20)*	*(11576.72)*	*(13170.25)*	***(65767.10)***
Investments	2.94	133.76	49.14	262.91	4584.55	1111.40	1924.75	2697.77	7223.08	28612.81	**46603.11**
	(0.00)	*(269.48)*	(0.00)	*(1322.89)*	*(3586.98)*	*(3982.28)*	*(4853.66)*	*(6845.11)*	*(4394.71)*	*(19641.22)*	***(44876.34)***
Borrowings	4.92	260.00	324.00	0.00	300.00	210.41	200.76	812.19	369.62	1579.84	**4061.73**
	(0.00)	*(2.21)*	*(0.00)*	*(0.00)*	*(0.00)*	*(629.82)*	*(355.41)*	*(1280.96)*	*(604.31)*	*(1587.53)*	***(4460.24)***
Foreign Currency Assets	160.01	923.32	113.90	84.62	729.87	892.90	1036.89	0.00	0.00	17.94	**3959.45**
	(272.83)	*(1216.45)*	*(230.47)*	*(89.72)*	*(971.51)*	*(752.34)*	*(79.34)*	*(17.95)*	*(4.70)*	*(0.00)*	***(3635.31)***
Foreign Currency Liabilities	185.88	401.91	111.75	33.09	1337.73	874.89	984.08	17.89	11.92	0.00	**3959.14**
	(573.44)	*(789.54)*	*(326.87)*	*(124.43)*	*(1018.42)*	*(722.02)*	*(64.54)*	*(0.00)*	*(0.00)*	*(17.20)*	***(3636.46)***

The above disclosures are as compiled and certified by the Bank's Management.
Figures in bracket represent Previous Year's figures.

2.7. Exposures

2.7.1 Exposure to Real Estate Sector*

₹ in crore

Category	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
a) **Direct Exposure**		
i) **Residential Mortgages –**		
Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented; of which, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	6498.93 3845.73	5390.78 3768.67
ii) **Commercial Real Estate –** Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc., including non-fund based (NFB) limits)	376.88	679.12
iii) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
a. Residential	NIL	NIL
b. Commercial Real Estate	NIL	NIL
b) **Indirect Exposure**		
Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	3227.12	2785.44
Total Exposure to Real Estate Sector	10102.93	8855.34

*(The above disclosures are as compiled and certified by the Bank's Management)

2.7.2 Exposure to Capital Market*

₹ in crore

Particulars	Year ended 31.03.2015	Year ended 31.03.2014
(i) Direct Investments in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debts.	141.65	275.90
(ii) Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investments in shares (including IPOs /ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds	NIL	NIL
(iii) Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security.	2.61	3.61
(iv) Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures / units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances	NIL	NIL
(v) Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	11.25	16.42
(vi) Loan sanctioned to corporate against the security of shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	NIL	NIL
(vii) Bridge loans to companies against expected equity flows / issues	NIL	NIL
(viii) Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	NIL	NIL
(ix) Financing to stock brokers for margin trading	NIL	NIL
(x) All exposures to venture capital funds (both registered and unregistered)	72.66	76.91
Total Exposure to Capital Market	**228.17**	**372.84**

*(The above disclosures are as compiled and certified by the Bank's Management)

2.7.3 Risk Category-wise Country Exposure

The Bank has analyzed its risk exposure to various countries as on 31st March, 2014 and such exposure is less than the threshold limit of 1% of the total assets of the Bank. In terms of RBI guidelines, no provision is required for this exposure.

The position of risk category-wise country exposure is given below:

₹ in crore

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2015	Provision held as at 31.03.2015	Exposure (net) as at 31.03.2014	Provision held as at 31.03.2014
Insignificant	129.33	0.00	455.08	0.00
Low	29.55	0.00	36.32	0.00
Moderate	6.59	0.00	56.98	0.00
High	0.00	0.00	0.00	0.00
Very High	0.00	0.00	0.00	0.00
Restricted	0.00	0.00	0.00	0.00
Off Credit	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**165.47**	**0.00**	**548.38**	**0.00**

2.7.4 Details of Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limits (GBL) exceeded by the Bank

₹ in crore

Sl. No.	Name of the Borrower	Exposure Ceiling		Limit Sanctioned		Outstanding as on	
		31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014	31.03.2015	31.03.2014
A	Single Borrower						
(i)	Simplex Infrastructure Ltd.	942.08	1091.94	1,025.00	1,175.00	782.81	740.23
(B)	Group Borrower	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

*In line with Bank's extant Lending Policy, the above breach of exposure ceiling was approved by the Board of Directors' at its meeting held on 30.05.2014.

2.7.5 Unsecured Advances :

₹ in crore

Particulars	2014-15	2013-14
Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority, etc.	141.83	108.53
Estimated value of such intangible collateral securities	200.97	172.06

2.8 Penalty Imposed by RBI

a) RBI/FIU levied penalty of ₹0.06 crores under section 13 of Prevention of Money Laundering Act (PMLA), 2002.

3. Disclosures as per Accounting Standards (AS) in terms of RBI guidelines:

3.1. AS 5 - Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in the Accounting Policies

3.1.1 The depreciation includes ₹2.93 crore for prior period charged to Profit and Loss for the year.

3.1.2 The Bank has identified useful life of fixed assets as per the requirements of Schedule II of the Companies Act, 2013, and has provided depreciation on Fixed Assets accordingly.

Further, the additional depreciation of ₹10.60 crores arising due to adjustment of impact arising on the first-time application of transitional provision to schedule II has been charged to General Reserve.

3.1.3 The additional depreciation of ₹14.82 crores on revalued assets has been charged to P&L account and an amount equivalent to the additional depreciation has been transferred from revaluation reserve to General Reserve as per Companies Act, 2013.

3.2 AS 9 - Revenue Recognition

Revenue is recognized as per the Accounting Policies disclosed in Schedule 17.

3.3 **AS 10 – Accounting for Fixed Assets**

3.3.1 Accounting for Fixed Assets is done as per the Accounting Policies disclosed in Schedule 17.

3.3.2 As per the transitional provisions under Schedule II of Companies Act 2013 with effect from 01.04.2014:

a) Carrying amount of the existing assets will be amortized or depreciated over the remaining useful life of the assets keeping residual value as 5%.

b) Where the remaining useful life of the assets is nil, may be recognized in the opening balance of retained earnings.

3.4 **AS – 12 Government Grants**

During the year ₹0.76 crore has been received in the form of subsidies/grants/incentives from RBI and State Government as below:

₹ in crore

		2014 - 15		2013 - 14	
Sr.	**Particulars**	**Revenue**	**Capital**	**Revenue**	**Capital**
1.	Government Grants/Subsidy	0.62	0.15	NIL	0.48

3.5 **AS – 15 Employee Benefits**

In terms of the provisions of RBI Circular no.DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11dated 9th February, 2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits, ₹447.31crore was to be amortized over a period of five years with effect from Financial Year 2010-11. Accordingly ₹89.46 crore has been charged to the Profit and Loss account being the proportionate amount for the year ended 31st March, 2015 (₹89.46 crore for the previous year). The unamortized liability as at 31st March, 2015 stands at ₹Nil crore (Previous Year ₹89.47 crore).

Pending settlement of the proposed wage revision effective from November 2012, an adhoc provision of ₹290 crores is held as at 31st March 2015. In addition ₹124.75 crore provision has been made for incremental pension liability due to wage revision on estimation basis.

₹ in crore

		Pension	Gratuity	Other Benefits *
a)	**Change in the present value of the obligations**			
	Present value of obligation as at the beginning of the Year	5148.70	477.94	173.49
	Interest cost	238.05	34.13	12.63
	Current Service cost	303.99	22.58	40.00
	Benefits Paid	346.06	102.70	31.31
	Actuarial Loss/(Gain) on Obligation	198.49	34.71	(35.70)
	Present value of Obligations at the end of the Year	5543.16	466.66	159.11
b)	**Change in Fair Value of Plan Asset**			
	Fair Value of Plan assets at the beginning of the Year	2890.41	451.56	173.39
	Expected Return on Plan Asset	267.36	42.99	16.51
	Employer's contribution	620.87	87.40	00.06
	Benefits Paid	346.06	102.70	31.31
	Actuarial Loss/(Gain) on Obligations	12.81	(2.67)	(0.95)
	Fair Value of Obligations at the end of the Year	3445.40	476.59	157.69
c)	**Estimated Present value of Obligations as at the end of the Previous Year**			
	Fair Value of Plan Assets at the end of the Year	3445.40	476.59	157.69
	Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	(977.68)	9.93	(1.42)
d)	**Expenses Recognized in Profit and Loss**			
	Current Service Cost	303.99	22.58	40.00
	Interest Cost	238.05	34.13	12.63
	Expected return on Plan Asset	267.36	42.99	16.51
	Net Actuarial (Gain)/Loss recognized in the Year	185.68	37.37	(34.75)
	Total Expenses recognized in Profit and Loss Account	460.35	51.09	1.38
e)	**Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)**			
	Discount Rate	8.00%	8.00%	8.00 %
	Expected rate of return on Plan Assets	9.25%	9.52%	9.52%
	Method Used		**Projected Unit Credit Method**	

* Other Benefits include Privilege Leave, Casual leave, Sick Leave and LFC/LTC.

Note: The above statement is based on the report of the Actuary

3.6 AS17 - Segment Reporting

The Banks operations are classified into two primary business segments viz. "Treasury Operations" and "Banking Operations". The relevant information is given hereunder in the prescribed format:

₹ in crore

Business Segments	Banking Operations									
	Treasury Operations		Corporate/Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations		Total	
Particulars	Year ended 31.03.15	Year ended 31.03.14	Year ended 31.03.15	Year ended 31.03.14	Year ended 31.03.15	Year ended 31.03.14	Year ended 31.03.15	Year ended 31.03.14	Year ended 31.03.15	Year ended 31.03.14
Revenue	4306	3265	5064	5776	2449	2544	115	177	11925	11762
Result	1372	94	1427	2114	909	954	115	177	3824	3339
Unallocated expenses									1396	1278
Operating Profit									2428	2061
Income Taxes									198	(3428)
Extraordinary profit/loss									-	-
Net Profit / (loss)									**2560**	**(1213)**
Other Information									-	-
Segment Assets	46743	49010	46986	45867	19777	19900	-	-	113505	114777
Unallocated Assets									9521	10328
Total Assets									**123026**	**125105**
Segment Liabilities	46743	49010	46986	45867	19777	19900	-	-	113505	114777
Unallocated Liabilities									9521	10328
Total Liabilities									**123026**	**125105**

Part B: Geographical Segment – Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under geographical segment is not applicable.

3.7 Related Party Disclosures (AS-18) (*As Compiled by the management*)

3.7.1 Names of the related parties and their relationship with the Bank:

Associates:

Sl. No.	Name	
1.	Assam Gramin Vikash Bank	Regional Rural Bank
2.	Bangiya Gramin Vikash Bank	Regional Rural Bank
3.	Manipur Rural Bank	Regional Rural Bank
4.	Tripura Gramin Bank	Regional Rural Bank

Key Management Personnel:

Sl. No	Name	Designation
1	Mr.P.Srinivas	Managing Director & Chief Executive Officer
2	Mrs. Archana Bhargava *(Up to 20.02.2014)	Ex-Chairperson & Managing Director
3	Mr. Deepak Narang	Executive Director
4	Mr. Sanjay Arya	Executive Director
5	Pratyush Sinha	Director
6	Mihir Kumar	Director
7	Kiran B.Vadodaria	Director
8	Pijush Kanti Ghosh	Director
9	Sanjib Pati	Director
10.	Parvathy V Sundram	Director
11.	Sanjay Kumar	CFO
12.	Bikramjit Shom	Company Secretary
13.	A.K. Dogra	Director

Relatives of Key Management Personnel:

Sl. No	Name	Relative of:
1.	Uma Ghosh	Pijush Kanti Ghosh
2.	Anupa Ghosh	Pijush Kanti Ghosh
3.	Amartya Ghosh	Pijush Kanti Ghosh
4.	Lopamudra Shom	Bikramjit Shom
5.	Ahana Shom	Bikramjit Shom
6.	Nandini Shom	Bikramjit Shom
7.	Sibaprasad Shom	Bikramjit Shom

3.7.2 Related Party Disclosures

(₹ in crore)

Items/Related Party	Key Management Personnel	Relatives of Key Management Personnel	Total
Borrowings	Nil	Nil	Nil
Deposit	0.76	0.30	1.06
Placement of deposits	Nil	Nil	Nil
Advances	0.11	Nil	0.11
Investments : Equity Shares	200 Nos	NIL	200 Nos
Equity Shares	NIL	100	100
Non-funded commitments	Nil	Nil	Nil
Leasing/HP arrangements availed	Nil	Nil	Nil
Leasing/HP arrangements provided	Nil	Nil	Nil
Purchase of fixed assets	Nil	Nil	Nil
Sale of fixed assets	Nil	Nil	Nil
Interest paid	0.03	Nil	0.03
Interest received	0.0032	0.03	0.0032
Rendering of services	Nil	Nil	Nil
Receiving of services :		Nil	
- Remuneration#	0.89		0.89
- Sitting Fees	0.06		0.06
Management contracts	Nil	Nil	Nil

#Remuneration Paid to Key Management Personnel:

Sl. No	Name	Designation	Item #	Year ended 31.03.2015 (in ₹)	Year ended 31.03.2014 (in ₹)
1.	Mr.P.Srinivas	Managing Director & Chief Executive Officer	Salary and emoluments	5,06,301.00	Nil
2.	Mrs. Archana Bhargava *(Up to 20.02.2014)	Ex-Chairperson & Managing Director	Salary and emoluments	Nil	18,21,802.00
3.	Mr. Deepak Narang	Executive Director	Salary and emoluments	21,94,130.00	15,88,334.00
4.	Mr. Sanjay Arya	Executive Director	Salary and emoluments	21,16,054.00	15,95,737.00
5.	Mr.Pijush Kanti Ghosh	Director	Salary and emoluments	10,62,700.00	8,66,457.00
6.	Sanjib Pati	Director	Salary and emoluments	6,52,171.00	5,94,486.00
7.	Mr.Sanjay Kumar	CFO	Salary and emoluments	13,79,618.70	12,56,473.15
8.	Bikramjit Shom	Company Secretary	Salary and emoluments	9,95,429.25	9,07,767.60

Including performance linked incentive on cash basis.

Note: (a) The transactions with Associates have not been disclosed in view of Para 9 of AS-18, which exempts State Controlled Enterprises from making any disclosure pertaining to their transactions with other related parties, which are State Controlled Enterprises.

(b) No amount has been written off/written back in respect of dues from/to related parties.

(c) No provision is required in respect of dues to related parties.

3.8 Leases (AS-19) (As compiled by the Management)

a) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss Account in the year to which it relates.

b) Future Lease Rent Payable for operating lease: (As compiled and certified by Management)

(₹ in crore)

Sl. No.	Particulars	As At 31.03.2015	As At 31.03.2014
a.	Not later than 1 year	58.92	56.46
b.	Later than 1 year but not later than 5 years	201.66	205.92
c.	Later than 5 years	182.16	201.62
	Total	**442.74**	**464.04**
Amount charged to Profit & Loss Account		76.85	60.75

i) Future lease rents and escalation in the rent are determined on the basis of agreed terms.

ii) At the expiry of the initial lease term, generally the bank has an option to extend the lease for a further pre-determined period.

3.9 AS 20 - Earnings per Share

Particulars	Year ended	
	31.03.2015	31.03.2014
Net Profit/(Loss) after tax available for Equity Share Holders (₹ in crore)	255.95	(1213.44)
Weighted Average number of Equity Shares	67,77,93,389	42,30,46,755
Basic and Diluted Earnings per Share (₹)	3.78	(28.68)
Nominal Value per Share (₹)	10.00	10.00

3.10 AS 21 - Consolidated Financial Statements/AS-23-Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

The Bank does not have any subsidiary and as such, AS-21 and AS-23 are not applicable.

3.11 AS 22 - Accounting for Taxes on Income

(a) Provision for Tax during the year is given below: (₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2015	31.03.2014
Provision for Tax	339.26	NIL

(b) The major components of Deferred Tax Assets/Liabilities are as follows: (₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2015	31.03.2014
Deferred Tax Assets	263.61	461.72
Employees benefits	143.03	82.51
Other items	120.58	379.21
Depreciation on Fixed Assets	Nil	Nil
Deferred Tax Liabilities	72.03	72.03
Depreciation on fixed assets	Nil	Nil
Special Reserve u/s.36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	220.00	220.00

3.12 AS 28 - Impairment of Assets

In the opinion of the Bank, there is no indication of any material impairment of fixed assets and consequently no provision is required.

3.13 AS 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

Movements in significant Provisions and Contingent Liabilities have been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

4. **Additional Disclosures**

4.1 **Provisions and Contingencies**

The break-up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head "Expenditures in Profit and Loss Account" is as under:

(₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2015	31.03.2014
Provisions for depreciation on Investment	(70.43)	88.52
Provision towards NPA(Loans and Advances)	844.87	1960.59
Provision towards Standard Assets including Restructured Standard Asset	325.82	200.76
Provision made towards Income Tax (Including Deferred Tax)	*339.26	(342.77)
Other Provisions and Contingencies		
- Provision for Employee Benefit (AS-15)	628.37	1207.51
- Provision for Non-Performing Investments	20.11	56.36
- Floating Provision	(52.75)	(51.97)
- Provision for Others	136.70	156.19
Total	**2171.95**	**3275.19**

*Provision made towards Income Tax during the year includes reversal of excess provision of ₹ 78.85 crore relating to previous years

4.2 **Floating Provisions (Countercyclical provisioning buffer)**

(₹ in crore)

	Particulars	Year ended	
		31.03.2015	31.03.2014
a)	Opening Balance in the floating provisions account	105.51	157.48
b)	The quantum of floating provisions made during year	NIL	NIL
c)	Accounting for draw down made during the year	52.75	51.97
d)	Closing balance in the floating provisions account	52.76	105.51

Pursuant to Reserve Bank of India's (RBI's) Circular No.DBR.No.BP.BC.79/21.04.048/2014-15 dated 30th March 2015, the Bank has utilized 50% of its countercyclical/floating provisions held as at 31st December 2014. As per the said RBI Circular, an amount of ₹ 52.75 crores out of floating provision of ₹105.51 crores held as at 31st December 2014 has been utilized for making specific provisions for non-performing assets, as per the policy approved by the Board.

4.3 **Draw Down from Reserves**

There was no Draw Down from Reserves during the year.

4.4 **Disclosure of complaints**

a) **Customer Complaints**

Sl.No.	Particulars	Nos
(a)	Complaints pending at the beginning of the Year	521
(b)	Complaints received during the Year	35186
(c)	Complaints redressed during the Year	35190
(d)	Complaints pending at the end of the Year	517

b) Awards passed by the Banking Ombudsman

Sl.No.	Particulars	Nos
(a)	Unimplemented Awards at the beginning of the Year	0
(b)	Awards passed by the Banking Ombudsman during the Year	2
(c)	Awards implemented during the Year	2
(d)	Unimplemented Awards at the end of the Year	0

4.5 **Disclosure of Letter of Comforts (LoCs) issued by the Bank**

a) During the current financial year the Bank has issued 378 nos LoCs (Previous Year 458) amounting to ₹ 5187.84 crore (Previous Year ₹ 3122.00 crore) for providing Buyers Credit facility.

b) There are 194 nos (Previous Year 204) of outstanding LoCs as on 31.03.2015 amounting to ₹ 300.47 crore (Previous year ₹ 1043.28 crore).

4.6 **Provision Coverage Ratio (PCR)**

The provision coverage ratio (PCR) for the Bank as on 31st March 2015 is 58.50 %, which is calculated taking into account the total technical write offs made by the Bank.

4.7 **Bancassurance Business**

(₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03. 2015	31.03. 2014
Life Insurance Business	0.87	6.23
Non-Life Insurance Business	0.99	3.78
Mutual Funds	NIL	NIL
Others	NIL	NIL

4.8 **Concentration of deposits, Advances, Exposures and NPAs**

4.8.1 **Concentration of Deposits**

(₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2015	31.03.2014
Total Deposits of twenty largest depositors	5380.65	10633
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	4.94%	9.54%

4.8.2 **Concentration of Advances**

(₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2015	31.03.2014
Total Advances to twenty largest borrowers	11767.46	12195.52
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	17.04%	18.54%

4.8.3 **Concentration of Exposures**

(₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2015	31.03.2014
Total Exposure to twenty largest borrowers / Customers	16225.81	18977.46
Percentage of Exposure to twenty largest borrowers / customers to Total Exposure of the Bank on borrowers / customers	15.08%	16.65%

4.8.4 **Concentration of NPAs**

(₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2015	31.03.2014
Total Exposure to top four NPA accounts	933.79	1031.04

4.9 **Sector - wise NPAs**

(₹ in crore)

Sl. No.	Sector	31.03.2015			31.03.2014		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advance in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advance in that sector
A.	**Priority Sector**						
1.	Agriculture and Allied activities	8594.61	1322.96	15.39	9724.81	1285.45	13.22
2.	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	5962.15	862.28	14.46	5476.89	885.27	16.16
3.	Services	6381.97	883.43	13.84	5760.66	914.56	15.88
	- Retail Trade	2539.47	487.81	19.21	2651.06	610.26	23.02
	- Others	3842.50	395.62	10.30	3109.60	304.30	9.79
4.	Personal Loans	5478.72	162.54	2.97	5333.31	208.17	3.90
	Sub-Total(A)	***26417.45***	***3231.21***	***12.23***	***26295.67***	***3293.45***	***12.52***
B.	**Non-Priority Sector**						
1.	Agriculture and Allied activities	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
2.	**Industry**	24020.93	2627.17	10.93	24606.39	2995.54	12.17
	- Iron & Steel	5005.35	758.99	15.16	4920.60	1027.81	20.89
	- Power	9484.11	-	-	9664.66	25.31	0.26
	- Others	9531.47	1868.18	19.60	10021.13	1942.42	19.38
3.	Services	10656.21	460.82	4.32	10554.33	569.97	5.40
	- NBFC	6010.08	-	-	5270.12	-	-
	- Banking & Finance Other than NBFC	3255.86	2.10	7.31	2785.44	-	-
	- Others	1420.27	458.72	32.30	2498.77	569.97	22.81
4.	Personal Loans	6572.24	233.54	3.55	5023.51	259.05	5.16
	Sub-Total(B)	***41249.38***	***3321.53***	***8.05***	***40184.23***	***3824.56***	***9.52***
C.	**Food Credit (FCI)**	**1403.05**	**Nil**	**Nil**	**1501.81**	**Nil**	**Nil**
	Sub-Total (C)	**1403.05**	**Nil**	**Nil**	**1501.81**	**Nil**	**Nil**
	Total (A+B+C)	**69069.88**	**6552.74**	**9.49**	**67981.71**	**7118.01**	**10.47**

4.10 **Movement of NPAs**

(₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2015	31.03.2014
Gross NPAs as on 1st April, 2014/2013	7118.01	2963.82
Additions (Fresh NPAs)during the Year	4087.17	8007.30
Sub-total (A)	11205.18	10971.12
Less:		
(I) Upgradations	2655.01	2287.53
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded a/cs)	1236.58	1084.21
(iii) Technical/Prudential Write-offs	708.99	428.61
(iv) Write-offs other than those under (iii) above	51.69	52.76
Sub-total (B)	4652.27	3853.11
Gross NPAs as on 31st March, 2015/2014 (A-B)	6552.91	7118.01

4.11 **Stock of technical write-offs and recoveries made thereon**

(₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2015	31.03.2014
Opening balance of Technical/Prudential written-off accounts as at April 1, 2014/2013	2650.10	2347.22
Add: Technical/Prudential write-offs during the year	708.99	428.61
Sub-total (A)	3359.09	2775.83
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B)	77.81	125.73
Closing balance as at March 31, 2015/2014	3281.48	2650.10

4.12 **Overseas Assets, NPAs and Revenue**

(₹ in crore)

Particulars	Year ended	
	31.03.2015	31.03.2014
Total Assets (Nostro balance)	25.45	348.85
Total NPAs	NIL	NIL
Total Revenue	2.47	6.16

4.13 **Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)**

(₹ in crore)

Year Ended 31.03.2015 Name of the SPV sponsored		Year Ended 31.03.2014 Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas	Domestic	Overseas
NIL	NIL	NIL	NIL

4.14. **Unamortised Pension and Gratuity Liabilities**

In terms of the provisions of RBI Circular no.DBOD.BP.BC.80/21.04.018/2010-11dated 9th February, 2011 on Re-opening of Pension Option to Employees of Public Sector Banks and Enhancement in Gratuity Limits, ₹ 447.31crore was to be amortized over a period of five years with effect from Financial Year 2010-11. The unamortized liability as at 31st March, 2015 stands NIL (Previous Year ₹ 89.47 crore).

4.15 **Credit Default Swaps**

The Bank has not undertaken any Credit Default Swaps in the year 2014-15 as well as in the year 2013-14.

4.15A **Intra-Group Exposures**

(₹ in crore)

Sl No.	Particulars of Intra Group Exposures	As on	
		31.03.2015	31.03.2014
1	Total amount of intra-group exposures	30755.33	34585.28
2	Total amount of top-20 intra-group exposures	20110.68	21019.40
3	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	28.55%	30.34%
4	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil

4.16 **Transfer of Depositor Education and Awareness Fund (DFAF)**

(₹ in crore)

Particulars	As at	
	31.03.2015	31.03.2014
Opening balance of amounts transferred to DEAF	--	--
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	43.73	--
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	0.29	--
Closing balance of amounts transferred to DEAF	43.44	--

4.17 **Unhedged Foreign Currency Exposure**

Provision made for incremental provisioning under Unhedged Foreign Currency Exposure (UFCE) to the tune of ₹24,82,831.00 in March 2015 as per RBI Circular No.DBDO.No.BP.BC.85/21.06200/2001314 dated 15.01.2014. This approach of UFCE came to force first in June 2014. Capital held towards UFCE Risk in March 2015 is Nil as there is not a single instance where an exposure has become eligible for computing incremental capital requirement.

4.18 **Liquidity Coverage Ratio***

4.18.1 **Disclosure**

(₹ in Crore)

		31.03.2015		31.03.2014	
		Total Unweighted Value (average)	**Total Weighted Value (average)**	**Total Unweighted Value (average)**	**Total Weighted Value (average)**
High Quality Liquid Assets					
1.	**Total High Quality Liquid Assets (HQLA)**		**19542.76**		**NA**
Cash Outflows					
2.	**Retail deposits and deposits from small business customers, of which:**	**82700.08**	**4880.35**	**NA**	**NA**
(i)	Stable deposits	67793.25	3389.66	NA	NA
(ii)	Less stable deposits	14906.83	1490.69	NA	NA
3.	**Unsecured wholesale funding, of which:**	**10475.77**	**6602.90**	**NA**	**NA**
(i)	Operational deposits (all counterparties)	Nil	Nil	NA	NA
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	10475.77	6602.90	NA	NA
(iii)	Unsecured debt	Nil	Nil	NA	NA
4.	**Secured wholesale funding**		Nil		**NA**
5.	**Additional requirements, of which**	**3312.61**	**587.83**	**NA**	**NA**
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	Nil	Nil	NA	NA
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	Nil	Nil	NA	NA
(iii)	Credit and liquidity facilities	3312.61	587.83	NA	NA
6.	Other contractual funding obligations	**336.33**	**336.33**	**NA**	**NA**
7.	Other contingent funding obligations	**4525.52**	**226.28**	**NA**	**NA**
8.	**Total Cash Outflows**		12633.69		**NA**
Cash Inflows					
9.	Secured lending (e.g. reverse repos)	311.33	Nil	NA	NA
10.	Inflows from fully performing exposures	560.25	280.13	NA	NA
11.	Other cash inflows	2714.35	2414.35	NA	NA
12.	**Total Cash Inflows**	3585.93	2694.48	**NA**	**NA**
			Total Adjusted Value		**Total Adjusted Value**
21.	**TOTAL HQLA**		19542.76		**NA**
22.	**Total Net Cash Outflows**		9939.21		**NA**
23.	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		196.62		**NA**

* The above disclosures are as compiled and certified by the Bank's Management.

4.18.2 **Qualitative Disclosure around LCR**

Bank maintained adequate liquidity during the quarter ended March 2015 which is evident from the Bank's average Liquidity Coverage Ratio (LCR) was 196.62% as against regulatory requirement of 60%. The comfortable liquidity position was on account of substantial level of High Quality Liquid Assets (HQLA). HQLA could be mainly attributed to high level of excess SLR. Bank did not have any exposure to derivatives; hence there was no liquidity risk on account of the same. Since Bank's exposure to any 6 foreign currency was less than 5% of total business of the Bank, there was no significant risk of currency wise liquidity mismatch. Bank mainly depended on diversified base of retail deposits for its funding requirements thus there was no risk of concentration of funding sources.

4.19 a) Registration formalities are pending in case of two properties costing ₹ 3.01 crore, WDV as on 31.03.2015 ₹ 2.11 crore (Previous Year ₹1.12 crore).

b) Premises include leased properties amounting to ₹ 75.87 crore (net of amortization) as at 31st March 2015 (Previous Year ₹ 76.71 crore).

5. Previous Year's figures have been regrouped / rearranged wherever considered necessary to make them comparable with those of the current year.

This is the part of Schedule-18 as on 31.03.2015

P. Srinivas
Managing Director & Chief Executive Officer

Sanjay Arya
Executive Director

Parvathy V Sundram	**A. K. Dogra**	**Pratyush Sinha**	**Renuka Mutto**	**Sanjib Pati**
Director	Director	Director	Director	Director

Sanjay Kumar
General Manager & CFO

As per our separate report of even date annexed

M/s. Ramamoorthy(N) & Co.	**M/s. Nundi & Associates.**	**M/s. P C Bindal & Co.**	**M/s. S P M R & Associates.**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
FRN 002899S	FRN 309090E	FRN 003824N	FRN 007578N
CA Surendranath Bharathi	**CA Madan Nandi**	**CA Virender K. Maini**	**CA Pramod Kr. Maheshwari**
Partner	Partner	Partner	Partner
Membership No. 023837	Membership No. 016369	Membership No. 088730	Membership No. 085362

Date : 07.05.2015
Place : Kolkata

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2015

(Rs.in '000)

		For the year ended 31st March 2015		31st March 2014	
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**				
	Net Profit after Tax	2,559,922		(12,134,440)	
	Add: Income Tax	2,200,000		-	
	Less: MAT Recoverable	2,200,000			
	Add: Deffered Tax Assets	1,981,100			
	Profit before Tax	4,541,022		(12,134,440)	
	Adjustment for				
	Depreciation on Fixed Assets	1,057,196		691,866	
	Less: Amount drawn from Revaluation Reserve	(148,223)		(155,924)	
	Profit/Loss on Sale of Fixed Assets (Net)	5,802		(416)	
	Depreciation/Provision for Investments (Net)	(704,252)		1,448,817	
	Provision for Standard Assets	3,258,200		2,007,600	
	Provision for NPA Advances	8,448,700		19,086,200	
	Other Provisions (Net)	10,716,885		10,209,263	
	Interest on Subordinated Bonds	2,332,475		2,230,591	
	Operating Profit before changes in Operating Assets and Liabilities	**29,507,805**		**23,383,557**	
	Adjustment for net change in Operating Assets and Liabilities				
	Decrease/(Increase) in Investment	(16,563,476)		(115,578,213)	
	Decrease/(Increase) in Advances	(18,403,941)		12,325,307	
	Increase/(Decrease) in Deposits	(26,921,097)		108,581,652	
	Increase/(Decrease) in Borrowings	18,264,937		(9,824,669)	
	Decrease/(Increase) in Other Assets	(1,350,625)		(2,720,831)	
	Increase/(Decrease) in Other Liabilines & Provisions	(9,296,488)		(3,348,651)	
	Increase/(Decrease) in Revenue Reserve	42,153		(720,278)	
		(24,720,732)		**12,097,874**	
	Cash Generated from Operating Activities	-		-	
	Tax (Paid)/ Refund	(1,060,000)		(410,000)	
	Net Cash from Operating Activities (A)		**(25,780,732)**		**11,687,874**
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**				
	Fixed Assets (Net)	(449,783)		(1,508,279)	
	Net Cash from Investing Activities (B)		**(449,783)**		**(1,508,279)**
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**				
	Issue of Share Capital	(5,152,321)		1,800,412	
	Share Premium	5,152,321		5,199,588	
	Subordinate Bonds Issued	(22,250,000)		-	
	Issue of Innovative Perpetual Debt Instruments (IPDI)	-		-	
	Capital from Government (PNCPS)	-		-	
	Subordinated Bonds Issued	-		5,000,000	
	Interest on Subordinated Bonds	(2,332,475)		(2,230,591)	
	Dividend and tax there on paid	-		(1,716,182)	
	Net Cash from Financing Activities (C)		**(21,582,475)**		**8,053,227**
D	**Net increase in Cash and Cash equivalents (A+B+C)**		(47,812,990)		18,232,822
	Cash and Cash equivalents at the beginning of the year				
	Cash in hand	4,336,022		3,574,428	
	Balances with Reserve Bank of India	58,361,750		34,891,708	
	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	45,420,632	108,118,404	51,419,446	89,885,582
	Cash and Cash equivalents at the end of the year				
	Cash in hand	5,030,200		4,336,022	
	Balances with Reserve Bank of India	53,125,812		58,361,750	
	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	2,149,402	60,305,414	45,420,632	108,118,404

Note : The above cash flow statement has been prepared on the basis of indirect method.

This is the part of Cash Flow Statement as on 31.03.2015

P. Srinivas
Managing Director & Chief Executive Officer

Sanjay Arya
Executive Director

Parvathy V Sundram	**A. K. Dogra**	**Pratyush Sinha**	**Renuka Mutto**	**Sanjib Pati**
Director	Director	Director	Director	Director

Sanjay Kumar
General Manager & CFO

As per our separate report of even date annexed

M/s. Ramamoorthy(N) & Co.	**M/s. Nundi & Associates.**	**M/s. P C Bindal & Co.**	**M/s. S P M R & Associates.**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
FRN 002899S	FRN 309090E	FRN 003824N	FRN 007578N
CA Surendranath Bharathi	**CA Madan Nandi**	**CA Virender K. Maini**	**CA Pramod Kr. Maheshwari**
Partner	Partner	Partner	Partner
Membership No 023837	Membership No 016369	Membership No. 088730	Membership No 085362

Date : 07.05.2015
Place : Kolkata

Pillar-3 Disclosure under Basel-III Norms as on 31.03.2015

Table DF-1: SCOPE OF APPLICATION

Name of the head of the Banking group to which the framework applies: United Bank of India

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation.

Name of the entity/ Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolida-tion (yes/no)	Explain the method of consoli-dation	Whether the entity is included under Regulatory scope of consolidation (yes/no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reason if consolidated under only one of the scopes of consolidation*
NIL						

* The Bank does not have any subsidiary and as such no consolidation is required.

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation.

Name of the entity/ Country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of Bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of Bank's investments in the Capital instruments of the entity	Total balance sheet assets(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL					

There are no group entities that are considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation. The Bank has Four (4) Regional Rural Banks which are treated as associates for computation of capital adequacy ratio.

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation:

Name of the entity/country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL			

d. The aggregate amount of Capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

Name of the subsidiaries/country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of Bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk- weighted:

Name of the insurance entities /country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of Bank's holding in the total equity/ proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method.
Not Applicable				

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

Not Applicable as Bank does not have any subsidiary.

Table: DF-2: Capital Adequacy

Qualitative Disclosures:

Bank's approach to assessing the adequacy of its capital to support current and future activities.

The Bank has put in place a well defined Risk Management Architecture with due focus on Capital optimization and to effectively manage its capital to meet regulatory norms along with current and future business needs considering the risk profile in its businesses

The Bank is subject to the capital adequacy norms stipulated by the RBI guidelines on Basel-III capital regulations. As per RBI guidelines, the Bank is required to maintain a minimum CRAR ratio of 9.0%, with a minimum Tier-1 CRAR 7.00% and CET1 ratio of 5.5% under Basel-III norms as on March 31, 2015.

The total Capital Adequacy Ratio of the Bank on standalone basis as on March 31, 2015 was assessed at 10.57% with Tier-1 ratio of 7.52%. CET1 ratio of 7.52% and Tier -2 ratio of 3.05%.

Banks has complied with all the regulatory limits and minima as prescribed under Basel-III capital regulations. To ensure smooth transition to Basel-III, appropriate transitional arrangements have been provided for meeting the minimum Basel-III capital ratios, full regulatory adjustments to the components of capital etc.

Bank maintains capital to cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against losses.

Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) policy to comprehensively evaluate and document different risks and substantiate appropriate capital allocation. It's a forward looking process wherein the Bank calculates and calibrates its capital needs and resources in order to continue operations throughout a period of severely adverse conditions. The material risks are identified, measured and quantified so as to assess the level of capital required, commensurate with the institutions risk profile.

In line with the guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has adopted the following methods for computing CRAR under Basel-III norms:

Standardised Approach for Credit Risk.
Basic Indicator Approach for Operational Risk.
Standardized Duration Method for Market Risk.

Bank in its Capital Planning exercise reviews:

Current capital position of the Bank
The targeted and future required capital in terms of business strategy and risk appetite and also the options available for raising capital along with the availability of headroom.

On the basis of the business projection, Bank raises capital with the approval of Board of Directors of the Bank.

During the year for improving its CET1 ratio, the Bank allotted 7,74,00,000 equity shares to the Central Government by conversion of 27477 units of Perpetual Non-cumulative Preference shares (PNCPS) at a price of ₹ 35.50 per share aggregating ₹ 274.77cr through Preferential Allotment.

Further, in the second tranche the Bank allotted 12,28,60,818 equity shares to the Central Government by conversion of remaining 52523 units of Perpetual Non-cumulative Preference shares (PNCPS) at a price of ₹ 42.75 per share aggregating ₹ 525.23 cr through Preferential Allotment.

In order to increase its Tier 1 capital, the Bank allotted 8,45,07,042 no of equity shares on the basis of preferential allotment to LIC of India @ ₹ 35.50 per share aggregating ₹ 300 cr.

(₹ cr)

Quantitative Disclosures :

a) Capital requirements for Credit Risk @ 9% of RWA	
• Portfolios subject to Standardised Approach:	4937.76
• Securitisation Exposures:	0.00
b) Capital requirements for Market risk:	
• Standardised Duration Approach;	
- Interest Rate Risk:	503.85
- Foreign Exchange Risk (including gold):	4.50
- Equity Risk:	40.00
c) Capital requirements for Operational Risk:	
• Basic indicator approach:	525.74
d) Common Equity Tier-1 Ratio (CET) (%)	7.52
Tier 1 Capital Ratio (%):	7.52
Total Capital Ratio (%):	10.57

Table DF-3
Credit Risk: General Disclosures

Qualitative Disclosures

(a) In order to reflect the actual financial health in its balance sheet, Bank has adopted definitions of past due and impaired (for accounting purpose) in line with the prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning for the advance portfolio of the banks.

Non-Performing Assets

The Bank classifies its advances into performing and nonperforming loans (NPL) in accordance with the extant RBI guidelines.NPA is defined as a loan or an advance where:

1. Interest and / or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
2. The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days, in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/CC),
3. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
4. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
5. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An account is treated as 'out of order' if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as 'out of order'.

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Further, NPAs are classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss assets based on the criteria stipulated by RBI.

- A Sub-Standard asset is one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months.
- An asset is classified as Doubtful if it has remained in the NPA category for more than 12 months.
- A Loss asset is one where loss has been identified by the Bank or its internal or external auditors or during RBI inspection but the amount has not been written off fully.

Non-Performing Investments

In respect of securities, where interest/principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where

1. Interest/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
2. This applies mutatis-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
3. In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
4. If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
5. The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are subjected to NPI norms as applicable to investments.

- **Policy and Procedures**

The Bank has put in place well-structured Credit Risk Management system and developed various risk management policies like Lending Policy, Collateral Management Policy and Credit Audit Policy etc to address the credit risk of the Bank. The main objectives of the policies are to ensure that the operations are in line with the expectation of the management and the strategies of the top management are translated into meaningful directions to the operational level.

The Policies stipulate prudential limits on large credit exposures, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, provisioning and regulatory / legal compliance.

The Bank assesses the concentration risk by (a) fixing exposure limits for single and group borrowers (b) rating grade limits (c)

industry wise exposure limits and (d) analyzing the geographical distribution of credit across the Zones. All the Zones are categorized under four segments namely North, South, East and West. Bank considers rating of a borrowal account as an important tool to measure the credit risk associated with any borrower and accordingly implemented software driven rating/scoring models across all Branches / Zonal Offices.

Credit Risk Management encompasses identification, assessment, measurement, monitoring and control of the credit exposures.

In the processes of identification and assessment of Credit Risk, the Bank has given utmost emphasis in developing and refining the Credit Risk Rating Models to assess the Counterparty Risk, by taking into account the various risks categorized broadly into Financial, Business, Industry, Project and Management Risks, each of which is scored separately.

The measurement of Credit Risk includes setting up exposure limits to achieve a well-diversified portfolio across dimensions such as companies, group companies, industries, collateral type, and geography. For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risks, internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual and group borrower, industry-wise exposure limit, sensitive sectors such as capital market, real estate etc., are in place. The Bank follows a well defined multi layered discretionary power structure for sanction of credit facilities.

The Bank has processes and controls in place in regard to various aspects of Credit Risk Management such as appraisal, pricing, credit approval authority, documentation, reporting and monitoring, review and renewal of credit facilities, managing of problem loans, credit monitoring, loan review mechanism etc.

Portfolio analysis of major industries/sectors at regular intervals is being undertaken to study the impact of that particular industry/sector on the credit portfolio of the Bank and on the prevalent market scenario. The portfolio analysis covers various aspects including quality of assets; compliance of exposure norms; levels of risk i.e. low, medium, high with corresponding yield and NPA level etc.

Stress Testing Policy duly approved by the Board of Directors has been put in place. Stress Testing, as per the Policy, on Liquidity Risk, Interest Rate Risk in the Banking Book, Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Market Risk - impact on capital adequacy and profitability of the Bank is being conducted on Quarterly basis. The Capital maintained by the Bank is found to be adequate under such Stressed conditions as analyzed from time to time.

The Bank is conducting analysis on risk rating migration for large borrowal accounts. The Bank is reviewing various exposure norms fixed by RBI/Bank's Board on half-yearly basis. The Bank has developed a software based credit risk rating model for rating of its borrowal accounts.

Besides, the Bank has also put in place a policy on Credit Risk Mitigation Technique & Collateral Management with the approval of the Board which lays down the details of securities and administration of such securities to protect the interest of the Bank. These securities act as mitigants for the credit risk to which the Bank is exposed.

Quantitative Disclosures (₹ crore)

	Fund Based	Non Fund Based	Total
(b) Total gross credit exposures	69069.92	4948.13	74018.05
(c) Geographic distribution of exposure			
Overseas	Nil	Nil	Nil
Domestic	69069.92	4948.13	74018.05

(d) Industry Type Distribution of Exposures

(₹ crore)

Code	Name of the Industry	Fund Based Outstanding	Non- Fund Based Outstanding
1	Coal	0.00	0.00
2	Mining including coal	66.01	12.08
3	Iron & Steel	5005.35	329.25
4	Metal Products	80.02	0.61
5	All Engineering	1625.44	122.11
5.1	Of which Electronics	293.93	4.70
5.2	Of which Others	1331.51	117.4
6	Electricity	0.00	0.00
7	Textile	1512.57	121.82
7.1	Of which Cotton Textiles	254.26	113.79
7.2	Of which Jute Textiles	45.66	2.36
7.3	Of which Other Textiles	1212.65	5.68
8	Food Processing	1291.70	60.42
8.1	Of which Sugar	25.56	0.30
8.2	Of Which Tea	172.88	1.01
8.3	Of which Vegetable Oil & Vanaspati	50.96	0.21
8.4	Of which others	1042.30	58.90
9	Tobacco & Tobacco Products	338.85	1.52
10	Paper & Paper Products	95.64	4.61
11	Rubber & Rubber Products	190.08	25.60
12	Infrastructure	14408.47	1148.36
12.1	Of which Power	9484.11	410.69
12.2	Of which Telecommunications	971.68	1.75
12.3	Of which Roads & Ports	2831.27	572.08
12.4	Of which other Infra	1121.41	163.84
13	Cement	821.93	17.16
14	Leather & Leather Products	214.09	2.54
15	Gems & Jewellery	435.79	54.82
16	Construction	1027.61	302.93
17	Petroleum	134.09	12.22
18	Automobiles including Trucks	603.87	0.29
19	Computer Software	27.78	0.14
20	Chemical, Dyes, Paints etc.	1146.07	52.65
20.1	Of which Fertilizers	233.02	0.00
20.2	Of which Petro-chemicals	599.75	46.32
20.3	Of which Drugs & pharmaceuticals	313.02	6.33
21	NBFC	6128.48	23.40
22	Other Industries	831.51	110.28
23	Residuary Other Advances (to balance with Gross Advances)	33084.57	2545.31
24	**Total**	**69069.92**	**4948.13**

Fund-based and non-fund based exposure to the following industries exceeded 5% of total fund-based and total non-fund based exposure of the Bank respectively as on 31.03.2015.

Fund Based (FB) Exposure			Non-Fund Based (NFB) Exposure		
Sl	Industry Name	% of total FB	Sl	Industry Name	% of total NFB
1	Power	13.73	1	Roads & Port	11.56
2	NBFC	8.87	2	Power	8.30
3	Iron & Steel	7.25	3	Constructions	6.12
			4	Iron & Steel	6.65

(e) Residual contractual maturity break down of assets

(₹ crore)

	Day1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months & upto 6 months	Over 6 months & upto 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
Advances	338	3982	204	171	2892	3059	3952	27345	9685	15135	66763
Investments	3	134	49	263	4584	1111	1925	2698	7223	28613	46603
Foreign Currency Assets	160	923	114	84	730	893	1037	0	0	18	3959

f) Amount of NPAs (Gross)

(₹ crore)

Category	Amount
Sub-Standard	2221.07
Doubtful – 1	1964.77
Doubtful – 2	2068.34
Doubtful – 3	261.20
Loss	37.53
TOTAL	**6552.91**

(g)	Net NPAs	4081.38
(h)	NPA ratios	(in %)
	(a) Gross NPAs to Gross Advances	9.49
	(b) Net NPAs to Net Advances	6.22

(i) Movement of gross NPA

(₹ crore)

(a) Opening balance at the beginning of the year	7118.01
(b) Additions up to 31st March 2015	4087.17
(c) Reductions up to 31st March 2015	4652.27
(d) Closing balance at the end of March 2015 (a+b-c)	6552.91

(j) Movement of provision for NPAs

	(₹ crore)
a) Opening balance at the beginning of the year	2399.24
b) Provisions made up to 31st March 2015	792.12
c) Write-off / write-back of excess provisions	760.68
d) Closing balance at the end of March 2015 (a+b-c)	2430.68

	(₹ crore)
(k) Amount of Non-Performing Investments	199.54

	(₹ crore)
(l) Amount of provision held for Non-Performing Investment	110.63

(m) Movement of provisions for depreciation on Investments

	(₹ crore)
i) Opening balance at the beginning of the year	154.34
ii) Provisions made during the year	0.00
iii) Write-off / write-back of excess provisions	70.43
iv) Closing balance at the end of the year (i+ii-iii)	83.91

Table DF-4

Credit risk: Disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosure

For portfolios under the standardized approach

As per RBI guidelines on Basel norms, Bank is using the External Ratings of the following domestic External Credit Rating Agencies (ECRA) accredited by RBI for the purpose of CRAR calculation:

1. CARE 2. CRISIL 3. ICRA 4. INDIA RATINGS (earlier known as FITCH) 5. BRICKWORK and 6. SMERA.

Ratings assigned by ECRA's is used for the following exposures:

- For Short Term Loan (STL), i.e for exposures with contractual maturity of less than one year (except cash Credit, Over Draft and Revolving Credit) short term rating assigned is considered.
- For Long term Loan (LTL), i.e contractual maturity of more than one year and for domestic cash credit, overdraft and revolving credits, long term ratings are considered.

The ratings available in public domain are mapped according to mapping process as envisaged in RBI guidelines on the subject.
Bank uses external ratings for the purposes of computing the risk weights as per the new capital adequacy framework. Bank also rates its clients internally using an internal rating model.

Quantitative Disclosures:

(₹ crore)

The table below discloses the amount of the Bank's Gross outstanding for credit exposures (both fund and non-fund) net of specific provision in three major risk buckets:

(₹ crore)

For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted.	• Below 100 % risk weight:	33815.47
	• 100 % risk weight:	15928.31
	• More than 100 % risk weight:	14977.75

Table DF-5
Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

- **Policies and processes for, and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting;**
- **Policies and processes for collateral valuation and management:**

In line with the regulatory requirement, the Bank has put in place a policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management with the primary objective of a) Mitigation of credit risks & enhancing awareness on identification of appropriate collateral taking into account the spirit of Basel- II & III norms/RBI guidelines and (b) Optimizing the benefit of credit risk mitigation in computation of capital charge as per approaches laid down in Basel- II & III norms /RBI guidelines. Valuation of collaterals is also addressed in the said policy. The Policy adopts the Comprehensive Approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral.

- **Description of the main types of collateral taken by the bank:**

The main types of Collaterals usually recognized as Credit Risk Mitigants by the Bank under the Standardised Approach are (i) Bank Deposits, (ii) NSCs/KVP, (iii) Life Insurance Policies.

- **Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness:**

For computation of CRAR, the types of guarantees recognized for taking mitigation by the Bank are as follows:

- ➢ Central Government Guarantee
- ➢ State Government
- ➢ CGTMSE
- ➢ ECGC

- Information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken:

The types of collaterals used by the Bank for mitigation purpose are easily realizable financial securities and are not affected by market volatility. As such, presently no limit / ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank

Quantitative Disclosures:

(₹ crore)

(b) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.	64721.53
(c) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees / credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	3143.54

Table DF-6
Securitization Exposures: Disclosure for Standardized Approach

Qualitative Disclosures:
The Bank has not undertaken any securitization activity.

Quantitative Disclosures: NIL

Table DF-7
Market Risk in Trading Book

Qualitative disclosures

Market Risk is defined as the potential loss that the Bank may incur due to changes / movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from investments (interest rate related instruments and equities) in trading book (both AFS and HFT categories) and the Foreign Exchange positions. The objective of the Market Risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity.

The Bank has put in place Board approved Asset Liability Management Policy and Investment Policy for effective management of Market Risk in the Bank. Risk Management and reporting is based on parameters such as a Modified Duration, Maximum permissible Exposures, Net Open Position limits, Gap limits, Value at Risk (VaR) etc, in line with the industry best practices.

Quantitative disclosures

		(₹ crore)
(b)	The capital requirements for:	
	• Interest Rate Risk:	503.85
	• Equity Position Risk:	4.50
	• Foreign Exchange Risk:	40.00

Table DF-8
Operational Risk

Qualitative disclosures

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks.

The Bank has formulated Operational Risk Management Policy duly approved by the Board. Supporting policies adopted by the Board which deal with management of various areas of operational risk are (a) Information System Security; (b) Know Your Customers (KYC), (c) Anti Money Laundering (AML) and (d) IT Business Continuity and Disaster Recovery Policy etc.

The Operational Risk Management Policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures, including material operational risk losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well articulated internal control frameworks.

Calculation of Capital Charge
In line with RBI Guidelines, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital charge for Operational Risk. Under this approach average of 3 years gross income is taken into consideration for arriving at risk weighted assets.
Accordingly, the capital requirement for Operational Risk as on 31.03.2015 is ₹ 525.74 Cr.

Table DF-9
Interest rate risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

Interest rate risk refers to fluctuations in Bank's Net Interest Income and the value of its Assets and Liabilities arising from internal and external factors. Internal factors include the composition of the Bank's assets and liabilities, quality, maturity, interest rate and re-pricing period of deposits, borrowings, loans and investments. External factors cover general economic conditions. Rising or falling interest rates impact the Bank depending on Balance Sheet composition. Interest rate risk is prevalent on both the asset as well as the liability sides of the Bank's Balance Sheet.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) periodically monitors and controls the risks and returns, funding and deployment, setting Bank's lending and deposit rates, and directing the investment activities of the Bank. The Bank identifies the risks associated with the changing interest rates through Earnings at Risk approach and Duration Gap approach.

Quantitative Disclosures

(b) The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, is provided below:

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK:

(₹ cr)

Particulars	Condition	Total
1. Earnings At Risk (EAR)	Increase by 200 bps	106.44
	Decrease by 200 bps	-106.44
2. Economic Value of Equity at Risk	Increase by 200 bps	-291.00
	Decrease by 200 bps	291.00

Table DF-10
General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

- **Qualitative Disclosures**

Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions.

Unlike a Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

The Banks exposure to counterparty credit Risk is covered under its Counterparty Credit Risk Policy. Banks ensures all the due diligence are to be adhered to viz. KYC norms, satisfactory dealing, credit worthiness of the party before extending any derivative products to the party and accordingly decides the level of credit risk mitigation required in the transaction.

Quantitative Disclosures

(₹ Cr)

Particulars	Notional Amount	Current Credit Exposure
Forward Contracts	7220.53	373.93

Table DF-11

Composition of Capital- As on 31.03.2015

(₹ Cr)

	Basel-III common disclosure template to be used during the transition of regulatory adjustments (i.e from 1st April, 2013 to December 31,2017)		Amounts subject to Pre-Basel-III treatment	Ref No
Common Equity Tier 1 capital : Instruments and Reserves				
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	2918.33	-	A1 +B1
2	Retained earnings	-		
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	2315.63	-	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	-	-	
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	-	-	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	-	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**			
Common Equity Tier 1 capital: regulatory adjustments				
7	Prudential valuation adjustments	0.00	-	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	-	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	7.68	5.12	L2
10	Deferred tax assets	**114.95**	76.63	M3
11	Cash-flow hedge reserve	0.00	-	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	-	
13	Securitization gain on sale	0.00	-	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	-	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	-	
16.	Investments in own shares (if not already netted-off paid-in capital on reported balance sheet)	0.00	-	
17.	Reciprocal cross-holdings in common equity	0.00	-	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	-	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	-	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	-	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0.00	-	
22	Amount exceeding the 15% threshold1	0.00	-	

23	Of which: significant investments in the common stock of financial entities	0.00	-	
24	Of which: mortgage servicing rights	0.00	-	
25	Of which: deferred tax assets arising from temporary differences	0.00	-	
26.	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d)	0.00	-	
26.a	Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries	0.00	-	
26.b	Of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial Entities which have not been consolidated with the bank	0.00 0.00	- -	
26.c	Of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated Insurance Subsidiaries	0.00	-	
26.d	Of which: Un-amortised pension funds expenditures	0.00	-	
	Regulatory Adjustments Applied To Common Equity Tier 1 In Respect of amounts subject to Pre-Basel III Treatment	0.00	-	
	Of Which : Operating loss in the current period	0.00	-	C1
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions	90.75	-	
28	**Total regulatory adjustments to Common equity Tier1**	**213.38**	-	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1) (6-28)**	**5020.58**	-	
Additional Tier 1 Capital: Instruments				
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)	0.00	-	A2
31	Of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)	0.00	-	
32	Of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)	0.00	-	
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1	0.00	-	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT 1)	0.00	-	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	-	
36.	Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments	0.00	-	
Additional Tier-1 Capital: Regulatory adjustments:				
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments	0.00	-	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments	9.00	-	J1
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)	0.00	-	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	-	

41	National specific regulatory adjustments(41a+41b)	0.00	-	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries	0.00	-	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majorit owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	-	
	Regulatory Adjustments Applied To Additional Tier 1 In Respect of Amounts Subject To Pre-Basel 3 treatment	81.75	-	
	Of Which: Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	5.12	-	L3
	Of Which: Deferred Tax Assetsa	76.63	-	M4
	Of Which: Unamortized Expenses for Pension Fund Expenditure	0.00	-	
	Of Which: Operating Loss in the current period	0.00	-	C2
	Of Which: Phasing out of PNCPS	0.00	-	A3
	Of Which: Investment in Non common equity capital instrument of associates (RRBs)	0.00	-	J3
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions	0.00	-	C1
43	**Total regulatory adjustments to Add. Tier 1 capital**	**90.75**	-	
44	**Additional Tier 1 capital (At1)**	**0.00**	-	
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**	**0.00**	-	
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44a)**	**5020.58**	-	
Tier 2 capital: instruments and provisions				
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus	500.00	-	D4
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2	1025.00	-	D4
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)	0.00	-	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out	0.00	-	
50	Provisions & Revaluation Reserves	800.40	-	Template ref. no.-50
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**	2325.40	-	
Tier-2 Capital: Regulatory Adjustments:				
52	Investments in own Tier 2 instruments	0.00	-	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments	1.20	-	J2
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)	0.00	-	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)	0.00	-	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)	0.00	-	

56a	Of Which: Investments in the Tier 2 capital of unconsolidated subsidiaries	0.00	-
56b	Of Which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank	0.00	-
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in Respect of Amounts Subject To Pre- Basel III Treatment.	289.99	-
	Of which: Phase out of Tier-2 Bonds	232.50	-
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**	**291.19**	-
58	**Tier 2 capital (T2)**	**2034.21**	-
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**	**2034.21**	-
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital	0.00	-
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy row(58a+row58b)**	**2034.21**	-
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (row 45+row 58c)**	**7054.79**	-
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b +60c)**	**66798.28**	-
60a	*of which: total credit risk weighted assets*	54864.02	-
60b	*of which: total market risk weighted assets*	6092.75	-
60c	*of which: total operational risk weighted assets*	5841.51	-
Capital Ratios			
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.52	-
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)	7.52	-
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)	10.57	-
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)	5.5	-
65	of which: capital conservation buffer requirement	0.00	-
66	of which: bank specific countercyclical buffer requirement	0.00	-
67	of which: G-SIB buffer requirement	0.00	-
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)	2.02	-
National minima (if different from Basel III)			
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	5.50	-
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)	7.00	-
71	National total capital minimum ratio (if different from Basel III minimum)	9.00	-
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities	0.00	-
73	Significant investments in the common stock of financial entities	0.00	-
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)	0.00	-
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)	0.00	-

Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2				
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)	533.07	-	Template ref. no.-50
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach	800.40	-	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)	0.00	-	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach	0.00	-	
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	NA		
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	NA		
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA		

Notes to the Template:

Row No of template Particular	Particular	₹ Cr
10	Deferred tax associated with accumulated losses	122.63
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of deferred tax liability	68.95
	Total as indicated in row 10	**191.58**
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0.00
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	(ii) Increase in risk weighted assets	0.00
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a)	0.00
	of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0.00
50	Eligible provisions included in Tier 2 capital	533.07
	Eligible revaluation reserves included in Tier 2 capital	267.33
	Total of row 50	**800.40**
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	0.00

Table- DF 12
Composition of Capital- Reconciliation Requirements (Step-1)

(₹ Cr)

Sl. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements As on 31.03.2015	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on 31.03.2015
There is no difference between the regulatory consolidation and accounting			
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	839.52	839.52
	Reserves & Surplus	4988.52	4988.52
	Minority Interest		
	Total Capital	**5828.04**	**5828.04**
ii	**Deposits**	108817.60	108817.60
	Of which		
	Deposits from Banks	3022.32	3022.32
	Customer Deposits	36811.11	36811.11
	Other Deposits	68984.17	68984.17
iii	**Borrowings**	**4061.73**	**4061.73**
	Of which		
	From RBI	584.00	584.00
	From Banks	4.92	4.92
	From other institutions & agencies	3472.81	3472.81
	Others	0.00	0.00
	Capital instruments	0.00	0.00
iv	Other liabilities & Provisions	**4320.21**	**4320.21**
	Total	**123027.58**	**123027.58**

(₹ Cr)

Sl. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements As on 31.03.2015	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on 31.03.2015
There is no difference between the regulatory consolidation and accounting			
B	**Assets**		
i)	Cash and balances with RBI	5815.60	5815.60
	Balance with banks and money at call and short notice	214.94	214.94
ii)	Investments:	**46603.11**	**46603.11**
	Of which		
	Government Securities	35020.45	35020.45
	Other Approved Securities	0.00	0.00
	Shares	201.56	201.56
	Debentures & Bonds	2072.34	2072.34
	Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	0.00	0.00
	Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	9308.76	9308.76
iii)	Loans and advances	**66763.04**	**66763.04**
	Of which		
	Loans and advances to Banks	399.49	399.49
	Loans and advances to customers	66363.55	66363.55
iv)	Fixed Assets	**877.41**	**877.41**
v)	Other Assets	**2753.48**	**2753.48**
	Of which		
	Goodwill and intangible assets		
	Deferred tax assets	191.58	191.58
vi)	Goodwill on consolidation	0.00	0.00
vii)	Debit balance in Profit & Loss account	0.00	0.00
	Total Assets	**123027.58**	**123027.58**

DF-12: Composition of Capital- Reconciliation Requirements-STEP 2

(₹ cr)

Sl. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements As on 31.03.2015	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on 31.03.2015	Ref No.
A	**Capital & Liabilities**	123027.58	123027.58	
i)	Paid-up Equity Capital	839.52	839.52	A
	a) Of which amount eligible for CET1	839.52	839.52	A1
	b) Of which amount eligible for AT1	0.00	0.00	A2
	Of which amount deducted from AT1	0.00	0.00	A3
	Reserves and Surplus	4988.52	4988.52	B
	Of which amount eligible for CET1: Share premium	2078.82	2078.82	B1
	Of which amount eligible for CET1: Statutory Reserves, Revenue Reserves and Capital Reserves	2315.63	2315.63	B2
	Of which amount eligible for Tier 2: Revaluation Reserves discounted @ 55%	594.07	267.33	B3
	Of which Capital that is not qualified as	0.00	326.74	B4
	Balance in Profit & Loss account	0.00	0.00	C
	of which : deduction from CET-1	0.00	0.00	C1
	of which : deduction from AT1	0.00	0.00	C2
	Total Capital	**5828.04**	**5828.04**	
ii)	**Deposits**	108817.60	108817.60	
	Of which			
	Deposits from Banks	3022.32	3022.32	
	Customer Deposits	36811.11	36811.11	
	Other Deposits	68984.17	68984.17	
iii)	**Borrowings:**	4061.73	4061.73	D
	Of which			
	From RBI	584.00	584.00	D1
	From Banks	4.92	4.92	
	From other institutions & agencies	3472.81	3472.81	D2
	Of which Capital instruments	2525.00	2525.00	D3
	Amount eligible for Tier 2	0.00	1525.00	D4
	Capital that is not qualified as Regulatory Capital as per Basel-III	0.00	1000.00	D5
	Of Which Others	947.81	947.81	D6
	Other Borrowings	0.00	0.00	D7
iv)	Other liabilities & provisions	**4320.21**	**4320.21**	E
	Of which			
	DTLs related to goodwill	0.00	0.00	
	DTLs related to intangible assets	0.00	0.00	
	Total Capitasl & Liabilities	**123027.58**	**123027.58**	

(₹ cr)

Sl. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements As on 31.03.2015	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on 31.03.2015	Ref No.
B	**Assets**	**123027.58**	**123027.58**	
i)	Cash and balances with RBI	5815.60	5815.60	
	Balance with banks and money at call and short notice	214.94	214.94	
	Total	**6030.54**	**6030.54**	
ii)	Investments:	**46603.11**	**46603.11**	F
	Of which			
	Government Securities	35020.45	35020.45	G
	Other Approved Securities	0.00	0.00	H
	Shares	201.56	201.56	I
	Debentures & Bonds	2072.34	2072.34	J
	Of Which: Reciprocal Cross Holding of AT1	15.00	15.00	J1
	Of Which: Reciprocal Cross Holding of Tier 2	2.00	2.00	J2
	Of Which: Investment in Non Common Equity Capital instruments of other Banks	57.49	57.49	J3
	Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	0.00	0.00	
	Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	9308.76	9308.76	K
iii)	Loans and advances	**66763.04**	**66763.04**	
	Of which			
	Loans and advances to banks	399.49	399.49	
	Loans and advances to customers	66363.55	66363.55	
iv)	Fixed Assets	**877.41**	**877.41**	L
	Of which Intangible assets	12.80	12.80	L 1
	Of Which deduction from CET1	0.00	7.68	L 2
	Of Which deduction from AT1	0.00	5.12	L 3
v)	Other Assets	**2753.48**	**2753.48**	M
	Of which			
	a) Goodwill and intangible assets	0.00	0.00	M 1
	b) Deferred Tax Assets (Net of DTL)	191.58	191.58	M 2
	Of Which deduction from CET1	0.00	114.95	M 3
	Of Which deduction from AT1	0.00	76.63	M 4
vi)	Goodwill on consolidation	0.00	0.00	M 5
	Total Assets	**123027.58**	**123027.58**	

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) - Table on Composition of Capital- DF 11

Common Equity Tier 1 Capital: Instruments and Reserves			
Sl. No.	**Particulars**	**Component of regulatory capital reported by Bank**	**Source based on reference numbers / letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from Step-2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	2918.33	A1+B1
2	Retained earning	0.00	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	0.00	
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1(only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	5233.97	
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	

TABLE-DF-13: Main Features Template for Regulatory Capital
Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS)

1	Issuer	United Bank of India	United Bank of India	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg **identifier for private placement)**	INB695A04013	INE695A04013	INE695A04013
3	Governing law(s) of the instrument	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Applicable Indian Laws and regulatory requirements	Applicable Indian Laws and regulatory requirements
	Regulatory treatment	Capital Instrument	Capital Instrument	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	AT1	AT1	AT1
5	Post-transitional Basel-III rules	Ineligible	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier 1	Tier 1	Tier 1
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in Cr, as of 31.03.2015)	0.00	0.00	0.00
9	Par value of instrument	₹1.00 lakh per share	₹1.00 lakh per share	₹1.00 lakh per share
10	Accounting classification	Preference Capital	Preference Capital	Preference Capital
11	Original date of issuance	15-04-2009	01-04-2010	04-06-2010
12	Perpetual or dated	Perpetual	Perpetual	Perpetual
13	Original maturity date	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends			
17	Fixed or floating dividend/coupon	Floating coupon	Floating coupon	Floating coupon
18	Coupon rate and any related index	Repo+100 bps to be re-adjusted every year on relevant dates.	Repo+100 bps to be re-adjusted every year on relevant dates	Repo+100 bps to be re-adjusted every year on relevant dates
19	Existence of a dividend stopper	No	No	No
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No		
22	Noncumulative or cumulative	Noncumulative	Noncumulative	Noncumulative
23	Convertible or non-convertible	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
32	If write-down, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorbency feature	No Loss Absorbency feature	No Loss Absorbency feature

Series-I: IPDI

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A09095
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Ineligible
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo / group / group & solo	Solo
7	Instrument type	Tier 1 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in Cr, as of 31.03.2015)	0.00
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	05.12.2012
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	05.12.2022 with prior RBI approval.
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	05.12.2022 with prior RBI approval.
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.27% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, fully or partially	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank.
36	Non-compliant transitioned features	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	Fully derecognized, Does not have

Series-I: Upper Tier 2 Subordinated Debts

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A09061
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in Cr, as of 31.03.2015)	402.50
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	18.06.2007
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	18.06.2022
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	18.06.2017
16	Subsequent call dates, if applicable	No
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	10.65% (Step up by 50 bps if call option is not exercised at the end of 10th year)
19	Existence of a dividend stopper	NA
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, fully or partially	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank.
36	Non-compliant transitioned features	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss absorbency features.

Lower Tier 2 Subordinated Debts

Sl.	Lower Tier 2 Subordinated Debts	Series-II	Series-III
1	Issuer	United Bank of India	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A09020	INE695A09038
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier 2 Capital Instruments	Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ Cr, as of 31.03.2015)	0.00	20.00
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	15.02.2005	29.03.2006
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	15.05.2015	29.04.2016
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No	No
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	7.40% (annual)	8.00% (semi-annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
32	If write-down, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of theBank	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of theBank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorbency feature	No Loss Absorbency feature

Sl.	Lower Tier 2 Subordinated Debts	Series-IV	Series-V
1	Issuer	United Bank of India	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A09046	INE695A09053
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier 2 Capital Instruments	Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ Cr, as of 31.03.2015)	40.00	40.00
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	16.08.2006	27.03.2007
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	16.08.2016	27.04.2017
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No	No
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.25% (semi-annual)	10.00% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
32	If write-down, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of theBank	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of theBank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorbency feature	No Loss Absorbency feature

Sl.	Lower Tier 2 Subordinated Debts	Series-VI	Series-VII
1	Issuer	United Bank of India	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A09079	INE695A09087
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier 2	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Ineligible	Ineligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Solo	Solo
7	Instrument type	Tier 2 Capital Instruments	Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ Cr, as of 31.03.2015)	150.00	140.00
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings	Borrowings
11	Original date of issuance	25.03.2009	28.12.2011
12	Perpetual or dated	Dated	Dated
13	Original maturity date	25.03.2019	28.12.2021
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No	No
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.30% (annual)	9.20% (semi-annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No	No
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable	Not Applicable
30	Write-down feature	No	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable	Not Applicable
32	If write-down, fully or partially	Not Applicable	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of theBank	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of theBank
36	Non-compliant transitioned features	Yes	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No Loss Absorbency feature	No Loss Absorbency feature

Series - VIII : Lower Tier 2 Subordinated Debts

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A09103
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier 2
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Tier 2 Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in Cr, as of 31.03.2015)	500.00
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	25.06.2013
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	25.06.2023
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.75% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	NA
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	On occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI
32	If write-down, fully or partially	Fully or partially on occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI.
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent / Temporary on occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI.
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Bank may undertake any of the following action at the PONV with the approval of RBI. a. Temporary/permanent write-off in cases where there is no public sector injection of capital b. Permanent write-off in cases where there is public sector injection of capital.
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Table DF-14

Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Instruments	Full Terms and Conditions	
Perpetual Non Cumulative Preference Shares (PNCPS)	The Govt. had provided a sum of ₹ 800.00 Cr in three phases in the form of PNCPS @ Repo+100 basis points. After the second and final conversion of 52523 PNCPS amounting to ₹ 525.23 cr into Equity, the Bank does not have any PNCPS as on 31.03.2015.	
Perpetual Debt Instrument (PDI) Series- I Unsecured, Non Convertible, Subordinated perpetual Debt instruments- Tier 1 Bonds	Date of Allotment	05.12.2012
	Date of Redemption	05.12.2022 with prior approval of RBI
	Tenure(months)	Perpetual
	Issued Size (₹ in Cr)	300.00
	Coupon Rate (Annual)	9.27%
	Rating	A- by CARE and A by CRISIL
	Special Features: No Put and Step - up Option. Call Option by the Bank after 10 years with prior approval of RBI.	
Upper Tier -2 Bonds, Series-I Unsecured, Redeemable Non Convertible Subordinated **Upper Tier -2 Bonds**	Date of Allotment	18.06.2007
	Date of Redemption	18.06.2022
	Tenure (months)	180
	Issued Size (₹ in Cr)	575.00
	Coupon Rate (Annual)	10.65%
	Rating	A-By CARE and A- By ICRA
	Special Features: 1. No Put Option. Call Option by the Bank after 10 years with prior approval of RBI. 2. Step-up Option: If the Bank does not exercise Call Option after 10 years, the Bonds carry a step-up-option of 50 bps during the remaining period of 5 years. 3. Lock-in-clause on payment of periodic interest and even Principal at maturity, if CRAR is below the minimum regulatory CRAR, prescribed by RBI. 4. Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.	

Instruments	Full Terms and Conditions	
Lower Tier -2 Bonds, Series-II Unsecured, Redeemable Non Convertible Subordinated Lower Tier -2 Bonds	Date of Allotment	15.02.2005
	Date of Redemption	15.05.2015
	Tenure (months)	123
	Issued Size (₹ in Cr)	300.00
	Coupon Rate (Annual)	7.40%
	Rating	A+ by CARE and A+ by ICRA
	Special Features: 1. Plain vanilla Bonds with no special features like put or call option etc. 2. Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.	
Lower Tier -2 Bonds, Series-III Unsecured, Redeemable Non Convertible Subordinated Lower Tier -2 Bonds	Date of Allotment	29.03.2006
	Date of Redemption	29.04.2016
	Tenure (months)	121
	Issued Size (₹ in Cr)	100.00
	Coupon Rate (Semi-Annual)	8.00%
	Rating	A+ by CARE and A+ by ICRA
	Special Features: 1. Plain vanilla Bonds with no special features like put or call option etc. 2. Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.	
Lower Tier -2 Bonds, Series-IV Unsecured, Redeemable Non Convertible Subordinated Lower Tier -2 Bonds	Date of Allotment	16.08.2006
	Date of Redemption	16.08.2016
	Tenure (months)	120
	Issued Size (₹ in Cr)	200.00
	Coupon Rate (Semi-Annual)	9.25%
	Rating	A+ by CARE and A+ by ICRA
	Special Features: 1. Plain vanilla Bonds with no special features like put or call option etc. 2. Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.	

Instruments	Full Terms and Conditions	
Lower Tier -2 Bonds, Series-V Unsecured, Redeemable Non Convertible Subordinated Lower Tier -2 Bonds	Date of Allotment	27.03.2007
	Date of Redemption	27.04.2017
	Tenure (months)	121
	Issued Size (₹ in Cr)	100.00
	Coupon Rate (Annual)	10.10%
	Rating	A+ by CARE and A+ by ICRA
	Special Features: 1. Plain vanilla Bonds with no special features like put or call option etc. 2. Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.	
Lower Tier -2 Bonds, Series- VI Unsecured, Redeemable Non Convertible Subordinated Lower Tier -2 Bonds	Date of Allotment	25.03.2009
	Date of Redemption	25.03.2019
	Tenure (months)	120
	Issued Size (₹ in Cr)	250.00
	Coupon Rate (Annual)	9.30%
	Rating	A+ by CARE and A+ by ICRA
	Special Features: 1. Plain vanilla Bonds with no special features like put or call option etc. 2. Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.	
Lower Tier -2 Bonds, Series-VII Unsecured, Redeemable Non Convertible Subordinated Lower Tier -2 Bonds	Date of Allotment	28.12.2011
	Date of Redemption	28.12.2021
	Tenure (months)	120
	Issued Size (₹ in Cr)	200.00
	Coupon Rate (Annual)	9.20%
	Rating	A+ by CARE & AA- by CRISIL
	Special Features: 1. Plain vanilla Bonds with no special features like put or call option etc. 2. Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India.	
Tier -2 Bonds, Series- VIII Unsecured, Redeemable Non Convertible Subordinated Lower Tier -2 Bonds	Date of Allotment	25.06.2013
	Date of Redemption	25.06.2023
	Tenure (months)	120
	Issued Size (₹ in Cr)	500.00
	Coupon Rate (Annual)	8.75%
	Rating	AA- by CRISIL & AA- by BRICKWORK
	Special Features: 1. Instrument is subjected to Loss Absorbency features applicable for non equity Capital instruments. 2. Instrument, may at the option of the RBI either be permanently written off or temporarily written off on the occurrence of the trigger event called Point of Non Viability (PONV). 3. Claims of the investors in this instrument shall be senior to the claims of Investors in Instruments eligible for inclusion in Tier-1 Capital, subordinate to the claims of all Depositors and general Creditors of the Banks.	

नोट्स / Notes

नोट्स / Notes

नोट्स / Notes

उप-महाप्रबंधकगण

DY. GENERAL MANAGERS

श्री मनोज कांति मजूमदार	Shri Monoj Kanti Majumdar
श्री तापस बन्दोपाध्याय	Shri Tapas Bandopadhyay
श्री रमेश कुमार सिंघल	Shri Ramesh Kumar Singal
श्री स्वपन कुमार देब	Shri Swapan Kr Deb
श्री नबारून दे पुरकायस्थ	Shri Nabarun Dey Purkayastha
श्री परीक्षित सुबुद्धि	Shri Parikshit Subuddhi
श्री देबब्रत सिन्हा	Shri Debabrata Sinha
श्री अमरीक सिंह	Shri Amrik Singh
श्री सरोज कुमार नायक	Shri Saroj Kumar Nayak
श्री आलाहरी शेषुबाबू	Shri Alahari Seshubabu
श्री सोमनाथ दत्ता	Shri Somnath Dutta
श्री श्यामल कुमार विश्वास	Shri Shyamal Kumar Biswas
श्री सुभाशिष विश्वास	Shri Subhasis Biswas
श्री राकेश चन्द्र नारायण	Shri Rakesh Chandra Narayan
श्री विवेकानन्द विश्वास	Shri Bibekananda Biswas
श्री विनय गंदोत्रा	Shri Vinay Gandotra
श्री विनोद कुमार बब्बर	Shri Vinod Kumar Babbar
श्री के. सुधीन्द्र राज	Shri Kerani Sudhindra Raj
श्री के आर भास्करन	Shri K R Bhaskaran
श्री विश्वजीत बन्दोपाध्याय	Shri Biswajit Bandyopadhyay
श्री राजेश कुमार अरोड़ा	Shri Anurag Srivastava
श्री सुधीर कुमार सिन्हा	Shri Rajesh Kumar Arora
श्री धनंजय प्रताप सिंह	Shri Sudhir Kumar Sinha
श्री रामेन्दु भट्टाचार्जी	Shri Dhananjay Pratap Singh
श्री आलोक सिन्हा	Shri Ramendu Bhattacharjee
श्री संजय चौधरी	Shri Alok Sinha
श्रीमती सीमा सिंह (बहल)	Shri Sanjay Chaudhary
श्री गौरी प्रसाद शर्मा	Smt. Seema Singh (Bahl)
श्री संजय कुलवाल	Shri Gauri Prosad Sarma
श्री शिव शंकर सिंह	Shri Sanjay Koolwal
श्री वित्तेष कुमार	Shri Shio Shankar Singh
श्री नबीन कुमार दास	Shri Vittesh Kumar
श्री सुशील कुमार शुक्ला	Shri Nabin Kumar Dash
श्री अनुराग श्रीवास्तव	Shri Sushil Kumar Shukla
श्री निरंजन मित्र	Shri Anurag Srivastava
श्री दिलीप कुमार डी नायक	Shri Niranjan Mitra
श्री मुक्ति रंजन राय	Shri Dilip Kumar D Nayak
श्री समीर कुमार राय	Shri Mukti Ranjan Ray
श्री पार्थ प्रतिम पाल	Shri Samir Kumar Ray
श्री कुन्तिला बालाराजू	Shri Partha Pratim Pal
श्री दिनेश मुशाहारी	Shri Kuntilla Balaraju
	Shri Dinesh Mushahary

असाधारण आम बैठक के दौरान वक्तागण-मार्च 2015
Speakers during Extra Ordinary General Meeting - March 2015

"वसूली और अशोध्य ऋण जागरुकता अभियान की झलकियां"

"Glimpses of the Recovery Drive and Awareness Campaign on Bad Loans"

डॉ नजमा हेपतुल्लाह द्वारा कोलकाता में प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत
Dr. Najma Heptullah launches Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana at Kolkata

"युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पीएमजेडीवाई के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार"
"United Bank of India bags 'Award of Excellence' for PMJDY"

Design & Printed by : Florence Offset Process Pvt. Ltd. Ph. : 2217 8117

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
(भारत सरकार का उपक्रम)
आपका बैंक

United Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)
The Bank that begins with U

www.unitedbankofindia.com